राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] विधान सभा के छठे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 17

बुधवार,

2 मई, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर मे प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

अधिशाषी अभियन्ता की नियम विरुद्ध पदोन्नति

425. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियम विरुद्ध कुछ अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल) को उनसे वरिष्ठ अभियन्ताओं के रहते हुए भी अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्त कर चार्ज दिया है/दिला दिया है? यदि हां, तो क्यों? अधीक्षण अभियन्ता के पदों के विरुद्ध लगाए गए/चार्ज दिलाए गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची वे कबसे कार्यरत हैं तथा संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमानुसार प्रतिवर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करना अनिवार्य है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की उक्त समिति बैठक अब तक क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 10 (1) कार्मिक/ए-II/75 दिनांक 10-1-2001 के जारी होने के उपरान्त भी विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बैठक गलत ढंग से लगाए गए/चार्ज दिलाये गये अभियन्ताओं को लाभ देने की दृष्टि से नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की विभागीय पदोन्नति समिति तथा वर्ष 1996-97 से 1998-99 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निकट भविष्य में करके अपनी गलतियों को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) जी, नहीं। अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ताओं को विभागीय चयन समिति से चयनित अधिकारी उपलब्ध होने तक/पदस्थापित होने तक कार्य करने हेतु पदस्थापित किया

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गया है। जिन अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार पदस्थापित किया गया है उसका विवरण संलग्न "अ" पर एवं वरिष्ठता सूची संलग्न "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में राजपत्रित पदों की कुल 19 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें होनी थी जिनमें से 11 पदोन्नति समिति की बैठकें सम्पन्न करवा दी है। इसके अलावा भी दो वर्ष पूर्व की (वर्ष 1998-99) की 7 लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें भी गत वर्ष ही सम्पन्न करवाई गई है। इन सभी का विवरण प्रपत्र "स" पर उपलब्ध है। शेष रही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, नहीं। संलग्न वरिष्ठता सूची का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिन अधिकारियों को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदस्थापित होने की पात्रता बनती है, उन्हीं को लगाया गया है जिससे विभागीय कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सके एवं विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति ही नियमित पदोन्नति एवं रिव्यू हेतु निर्णय लेगी तथा इसकी बैठक शीघ्र आयोजित करने के प्रयास जारी है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग एक में जी नहीं कहा है वह गलत कहा है। इन्होंने जो सूची प्रस्तुत की है वह 17 अभियन्ताओं की है जबकि इन्होंने लगा रखे हैं 18 को। एक का नाम इन्होंने दिया नहीं है। मैंने मेरे प्रश्न में यह स्पष्ट पूछा था कि पद के विरुद्ध लगाये गये या चार्ज दिलाये गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची क्या है। तो लगाये गये उनके तो इन्होंने नाम दिये, लेकिन जिनको चार्ज दिलाया गया उनके नाम इन्होंने नहीं दिये।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दो साल से आप इस समिति की बैठकें आयोजित नहीं करा रहे हैं और साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल से लोग अगेंस्ट पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि संबंधित अभियन्ताओं जिनका प्रमोशन लिस्ट में नाम है, जिनकी पदोन्नति होनी है उनमें असंतोष बढ़ता है, भले ही आपने उनमें से अधिकांश को चार्ज दिला रखा है, लेकिन उनको वेतन वही मिलता है अधिशासी अभियन्ता का। जब समिति की बैठक एक बार आयोजित हुई थी तो उसमें एतराज यह हुआ था कि रिव्यू और नियमित दोनों की अलग-अलग लिस्ट होनी चाहिए थी और वह आपका विभाग प्रस्तुत करने में असफल रहा और इस समय भी रिव्यू कमेटी के चेयरमैन ने यह निर्देश दिया था कि आप 15 दिन के अंदर-अंदर यह सारी सूची तैयार करके कमेटी की बैठक की तिथि निश्चित करें। लेकिन इतना लम्बा समय बीतने के बाद भी अभी भी आप

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उत्तर यही दे रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। तो प्रक्रिया कब पूरी होगी? क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि 15 दिन में आप रिव्यू कमेटी और नियमित दोनों की डी.पी.सी. करा देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना तो सही नहीं है कि हमने कोई दो साल में डी.पी.सी. की बैठकें नहीं की। 11 बैठकें की हैं और 7 पिछले साल की। पिछले वर्षों की जो बैठकें हैं उनको करके हमने रिव्यू करने की चेष्टा की है। करीब 18 रिव्यू कमेटी हुई हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर जो....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं तो इसी का पूछ रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : एस.ई. का ही नहीं इसमें सारे हैं, एडिशनल चीफ इंजीनियर लगा है, सभी हैं, एक साथ में एस.ई. की थोड़े होती है, सारे आदमियों की है और 18 पद जो हमारे रिक्त चल रहे थे, 18 पद रिक्त हैं और 18 आदमी लगे हुए हैं और वह ही आदमी रखे हैं जिनका नम्बर आना है, जो वरिष्ठता सूची में हैं। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका नम्बर नहीं आना है, यह इसमें है ही नहीं। जिन दो-तीन आदमियों के लिए इनको जो डाउट हो रहा है वह सब शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। जो हैं वे अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं, जो उनके अगेंस्ट में लगे हुए हैं। एक आदमी है जैसलमेर के अंदर वह आदमी जरूर है उसका नम्बर आने की स्थिति नहीं है, लेकिन उसको हमने अगेंस्ट पोस्ट नहीं लगाया है उसको टी.ए. टू एस.ई. लगाया हुआ है और वह केवल एक्सईएन. का ही काम करता है और चूंकि एस.ई. वहां लगा हुआ नहीं है। जब एस.ई. के 18 पद रिक्त हैं तो वहां जैसलमेर में कोई जाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए फिलहाल उसको चार्ज दिया हुआ है। चार्ज लम्बा हो गया यह बात सही है। उसके लिए हम डी.पी.सी. कर रहे हैं, ज्योंही डी.पी.सी. हो जाएगी यह सारा सामान्य हो जाएगा। मैं आपको ठीक कहता हूं कि हमारे विभाग ने जितनी डी.पी.सी. की है और जितने लोगों के प्रमोशन किये हैं, मेरे खयाल से पिछले 30-40 सालों से इतने काम नहीं हुए जितने काम हमने हमारे डिपार्टमेंट के किये हैं। केवल कुछ लोग, किसी को भी एतराज नहीं है, एक भी व्यक्ति को एतराज नहीं है, लेकिन एतराज चाहे नहीं भी हो, लेकिन हर साल डी.पी.सी. होनी चाहिए इस बात को मैं मानता हूं। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं, इन्होंने, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मुझे विश्वास है इस प्रश्न से हमारे विभाग में जो थोड़ी-बहुत देरी हुई है हम इसको जल्दी करेंगे और 15 दिन का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि डी.पी.सी. हमारे से ही होनी होती, हमारे अधिकारियों से ही कर ली जाती तो हम चार दिन में ही कर देते। लेकिन इसमें अजमेर से पब्लिक सर्विस कमीशन का एक अधिकारी आता है और उसके आने के बाद ही होती है। उनकी भी प्रक्रिया है, कई आदमियों की इंटरव्यू होती है,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

महीने-महीने भर तक वह बिजी होते हैं इसलिए उसकी वजह से वह डिलें हो गई। बाकी यह डिले होती भी नहीं। (व्यवधान) अब मैं आपको विश्वास देता हूं इस महीने के एंड तक, यानी यह जो मई चल रहा है इसके एंड तक हम डी.पी.सी. करके पूरा इनका जो भ्रम है या इनका जो डाउट है, जिस मकसद से इन्होंने यह पूछा है वह सारा सही ढंग से कर दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं आपकी वरिष्ठता सूची में जिसका अभी आपने जिक्र किया है रूपाराम का जैसलमेर में। क्या यह सही है कि यह वरिष्ठता सूची में 112 आखिरी क्रम पर है, जबकि 18 आदमी आप कह रहे हैं पदोन्नति होने हैं और जो वरिष्ठता सूची एक्सईएन. की हैं उस वरिष्ठता सूची में रूपाराम आखिरी 112 नम्बर पर है और आपने खुद भी कहा है उसके प्रमोट होने की गुंजाइश बहुत कम है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई बात को समझा नहीं है और यह केवल मैं आपको बताऊं।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या यह सही है कि आपने उसका नाम उस 17 की लिस्ट में नहीं दिया है जिनका आपने लगाया है? अध्यक्ष महोदय, जो 17 की सूची दी है उसमें भी उसका नाम नहीं है, जबकि आप कह रहे हैं वह लगा हुआ है और उसको टी.ए. टू एसई. लगा रखा है, पर आपने जब 17 की सूची दी तो 18वें की लिस्ट तो देते कि यह भी एसई. के पद पर अभी चार्ज लिया हुआ या चार्ज दिलाया हुआ है। जो भी स्थिति हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : कैसे होता जब वह एक्सईएन. ही लगा हुआ है, टी.ए. टू एसई. लगा हुआ है, तो मैं उसका नाम कैसे देता उसको तो चार्ज दिया हुआ है वहां।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसीलिए देते क्योंकि वर्च्युअली, अध्यक्ष महोदय, सारा काम एसई. का वही कर रहे हैं। सारा काम एसई. का वह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और क्या यह सही है कि रूपाराम से भी ज्यादा सीनियर एक्सईएन. उस जैसलमेर खण्ड में मौजूद हैं और उनको चार्ज नहीं दे रहे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, कोई मौजूद नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मौजूद है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप नाम बताइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मैं नाम बता दूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप नाम बताइये, आप इस तरह गुमराह नहीं कर सकते। कोई आदमी मौजूद नहीं है, वही आदमी है। इसके अलावा कोई आदमी है ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपाराम सीनियर नहीं है, मोस्ट जूनियर है। क्या जैसलमेर में एक ही अधिशासी अभियन्ता कार्यरत है? आप जो कह रहे हैं कि दूसरा आदमी कौन है, जैसलमेर में दूसरे अधिशासी अभियन्ता भी हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वहां तीन हैं, एक पोकरण में है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, तो जो भी हैं वह उनसे सीनियर हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो इनसे जूनियर हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, वह भी जैसलमेर का ही विषय है। वह भी उनसे सीनियर है।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह जूनियर हैं उनसे।

श्री मानिक चन्द सुराना : टी.ए. टू एसई. होने से उसको कोई अधिकार है एसई. के चार्ज का, नहीं मिलना चाहिए। जबकि दूसरे सीनियर एक्सईएन. वहां मौजूद हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, हैं ही नहीं सीनियर। सुराना साहब गलत कह रहे हैं। उनसे सीनियर कोई है नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप उनकी पैरवी बाद में कर लेना।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जैसलमेर का प्रश्न है, मैं जैसलमेर से हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप पैरवी बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, इस महीने में डी.पी.सी. हो जाएगी सारा काम सही हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? यह दो साल से लग रहे हैं तो अब इस महीने में क्या होगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बुरड़क साहब का बहुत, जो लाडनूं से आ रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है। इस महीने डी.पी.सी. हो जाएगी, महीने भर में।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, महीने भर में डी.पी.सी. हो जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1999-2000 की डी.पी.सी. के अगेंस्ट में कितने पद खाली है। 1999-2000 की डी.पी.सी. में कितने पद खाली हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : 1999-2000 में 17-18 पद खाली हैं और अब 20 खाली हैं और 17 आदमी ही यहां कार्यरत हैं, 20 आदमियों के अगेंस्ट में 17 पद ही भरे हुए हैं अभी तक। अभी तक तीन खाली चल रहे हैं। इस महीने का इनको विश्वास दिलाता हूं, इस महीने के एंड तक हम

(श्री रामसिंह विश्नोई)
डी.पी.सी. कर देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह आपसे उम्मीद है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। पर जो 1996-97 और 1997-98.....

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मानिक चन्द सुराना : 1996-97 और 1997-98 की रिव्यू डी.पी.सी. जो होनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान) आप सीनियर आदमी हैं।

श्री रामस्वरूप : अब खामख्वाह की बहस है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, वह रिव्यू डी.पी.सी. जो होनी है, एक-एक एक्सईएन. की एक-एक एसई. की 1996-97 की और 1997-98 की, क्योंकि उसको आप पहले कराएंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो नियम हैं इसमें केवल हमारे अधिकारी ही नहीं बैठते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के एक अधिकारी भी बैठते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह मुझे जानकारी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको तो सारी जानकारी है, पर मैं बता रहा हूं आपको अविश्वास हो रहा है, वह जानकारी तो बताऊं, सारी जानकारी होती तो आप पूछते भी नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह बुरड़क साहब से कहिये कि क्यों पूछा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बुरड़क साहब को तो मैंने विश्वास दिला दिया है। यह मेरी बात पर विश्वास करते हैं, आपको अविश्वास है इसलिए मैं बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमें अविश्वास नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको जो डाउट है, भ्रम है, हम हर साल की जो डी.पी.सी. है, कायदा यही है, नियम यही है, हर वर्ष की जो डी.पी.सी. होती है सीनियरटी वगैरह का उसमें होना चाहिए ताकि आम आदमियों को न्याय मिले। और तीन चार को हम सामूहिक करके करने की चेष्टा नहीं करेंगे, हम हर साल की 1997 की, 1998 की, 1999 की एक दिन की प्रक्रिया है, वह सारी लिस्ट तैयार होती है। क्योंकि आगे, उससे पहले तैयार होती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह जानना चाहता हूं व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है पर डी.पी.सी. के अन्दर तो सीनियरटी और मेरिट दोनों कंसीडर होती है। जब डी.पी.सी. नहीं बैठती है तो चाहे एडहाक प्रमोशन हो, चाहे अगेंस्ट ही पोस्ट लगायें, चार्ज दिलायें, जो आपकी सीनियरटी लिस्ट है डिपार्टमेंट की, उसको एड्हियर करना पड़ता है। आपने अपने सवाल के जवाब में दिया कि पात्रता रखता हो, पात्रता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रखना और बाकी है, वरिष्ठता सूची का तो आपने एड्हियर किया है या नहीं किया? सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, मैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, अध्ययन कैसे नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अधिकारियों को उनकी पोस्ट के अगेंस्ट में लगाया था उस समय यह ध्यान में रखकर लगाया गया था कि जो आदमी, जो इनसे कुछ सीनियर भी थे लेकिन किसी के खिलाफ इनक्वायरी चल रही थी, कुछ आदमी थे जो रिटायर हो गये थे। यह जो आपको लिस्ट दी हुई है इसमें 116, 117 या 120 आदमियों की, यह हकीकत में मौके पर नहीं थे। यह तो यों ही दिखाया गया है जो आज रिटायर हो गये हैं इस तरह से दिखाया गया है और रूपाराम का तो लिस्ट में नाम है वह उसमें है ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं रूपाराम की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने सारे आदमियों की पात्रता, मैंने इसलिए लिखा है वह वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम हकीकत में अगर डी.पी.सी. होती भी तो इन्हीं का नम्बर आता और एक नयी बात यह है, हमारे पास तीन आदमी हैं जो तीनों आदमी अनुसूचित जाति के हैं। एक भी हमारा कोई सम्बन्धी, कोई जाट या कोई विश्नोई या कोई ब्राह्मण नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह सवाल ही नहीं है, मंत्री जी, आप गलत ले गये।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप बताये कि यह जो अधिकारी हैं वह अनुसूचित जाति का है क्या इसीलिए सब के पेट में दर्द हो रहा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा तो सीधा प्रश्न यही है, अध्यक्ष महोदय, यह गलत ले गये। न मेरा कोई आरोप है। मैं सिर्फ आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब डी.पी.सी. नहीं होती है और फिर आप एडहाक प्रमोशन दें या उसको चार्ज दिलायें, चाहे अगेंस्ट ही पोस्ट लगायें तो मंत्रीजी आज उसके खिलाफ कोई इनक्वायरी पैंडिंग है या फलां चीज पैंडिंग है या डी.पी.सी. में सलेक्ट होगा या नहीं होगा, इन बातों पर आप विचार नहीं कर सकते, आपको एक्सक्लूसिवली सीनियरटी लिस्ट से चलना पड़ेगा। यह आपकी वैधानिक बाध्यता है जिसका आपने पालन नहीं किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपके विचार और भावना सही है लेकिन हमने जब यह किया है उस समय सारी बातों को ध्यान में रखकर किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं रख सकते, आप सारी बातों को नहीं रख सकते। वह डी.पी.सी. कंसीडर करेगी। सारी बातों को डी.पी.सी. देखेंगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे मुख्य मंत्री जी जब मंत्रिमण्डल में किसी को लेते हैं तो सीनियरटी देखते हैं उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह अलग बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : वह अलग चीज है।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा क्या है, जैसे हमने किया है, क्या है उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी ने तो लिया होगा या नहीं होगा आपने ध्यान नहीं रखा इसका।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवराम सिंह कुशवाह।

जिला धौलपुर के भवन रहित आयुर्वेदिक औषधालय

426. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कितने आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितने चिकित्सालय भवन रहित हैं और कितनों के क्षतिग्रस्त भवन हैं? क्या सरकार उक्त भवन रहित चिकित्सालयों के भवन निर्माण व क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) धौलपुर जिले में 51 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में कोई भवन रहित नहीं है लेकिन इन औषधालयों के भवन पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार 12 औषधालयों के भवन मरम्मत योग्य हैं। औषधालयों के लिए नवीन व पर्याप्त भवनों की व्यवस्था दानदाताओं द्वारा या ग्रामवासियों द्वारा ही की जाती है। विभाग प्रायः नवीन भवनों का निर्माण नहीं कराता है।

नवीन व क्षतिग्रस्त व मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत का कार्य विभागीय बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर कराना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त चिकित्सालयों/औषधालयों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक का कोई पद रिक्त नहीं है। नर्स/कम्पाउण्डर का एक पद तथा परिचारक/चतुर्थ श्रेणी के 7 पद रिक्त हैं। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। 100 परिचारक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने औषधालयों की बात बतायी। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने औषधालय भवन विभाग के स्वयं के हैं एवं कितने किराये के भवन चल रहे हैं। नम्बर दो, इस वर्ष कितना किराया जिलों में देना पड़ा है, अब तक कितनी राशि किराये पेटे देनी पड़ी। नम्बर 3, क्या राजस्थान में कहीं भी इस अवधि में नये औषधालय भवन नहीं बनाये गये। यदि अन्य जिलों में बनाये गये तो धौलपुर जिले में क्यों नहीं। नम्बर 4, 250 नर्स कम्पाउण्डर एवं 100 परिचारक के पद कितनी अवधि से खाली है और अब तक इन्हें भरने के क्या प्रयास किये गये। नम्बर 5, धौलपुर जिले में मरम्मत हेतु अब तक कितनी राशि दी गयी। यदि नहीं तो क्यों। अब अन्य जिलों में मरम्मत की राशि दी गयी तो धौलपुर को क्यों नहीं दी गयी?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले धौलपुर के प्रश्न का जवाब दे दूं फिर राजस्थान के बारे में बताऊंगी कि राजस्थान में हम अभी जो नये औषधालय भवन खोलने की बात कर रहे हैं उनके लिए हमने यह निर्णय किया है कि जहां भी औषधालय खोले जाएंगे वहां भवन का प्रबंध भी लोग करेंगे तो वहीं औषधालय खोलेंगे। सरकार की ओर से कोई भवन बनाने का प्रावधान नहीं है। मैं दूसरा जवाब दे रही हूं न। एक का जवाब दिया है। धौलपुर जिले में कुल 55 विभागीय औषधालय और चिकित्सालय संचालित हैं जिनमें 51 आयुर्वेदिक, दो यूनानी और दो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के हैं। आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों, चिकित्सालयों की सूची प्रश्न के मूल भाग के साथ परिशिष्ट "ब" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है। जिला आयुर्वेद अधिकारी, धौलपुर के पत्र द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि जिले में निम्न तीन औषधालय ऐसे हैं जिनके लिए पर्याप्त भवन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये औषधालय हैं सायपुर, वर्तमान में यह औषधालय...(व्यवधान) सुन लीजिये आप। सायपुर....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : इन्होंने बिलकुल पाइंटेड सवाल पूछा है उनका जवाब दीजिये। उसी का जवाब दे दो तो ज्यादा ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वही जवाब दे रही हूं। आपके धौलपुर के बारे में ही जवाब मैं दे रही हूं। अध्यक्ष महोदय, धौलपुर के....

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आप तो जो लिखित में दिया है वह पढ़ रही हैं। आपको अधिकारियों ने जो दिया है वह पढ़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, जो हास्पिटल हैं उनके लिए हरीसन के ताले कब खरीदेंगे, यह मंत्री महोदया आप बता दें।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : कितने भवन स्वयं के विभाग के हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं? मैंने तो यह पूछा है।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बता दें कि जो हास्पिटल हैं उनके लिए हरीसन के ताले कब खरीदकर आप लॉक कर देंगे? (व्यवधान) दो साल से कम्पाउण्डर, नर्स, डाक्टर कोई नहीं है। शिमला में जो हास्पिटल है उसमें एक भी नर्स, कम्पाउण्डर और डाक्टर नहीं है दो साल से।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि कितने स्वयं विभाग के भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं? वह बताइये मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सायपुर में वर्तमान में औषधालय पूर्व सरपंच द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में संचालित हैं। नवीन भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है। देवपुरा औषधालय वर्तमान में श्री बृजवल्लभ द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में चल रहा है। उन्होंने अपने दादाजी की याद में नवीन भवन बना दिया है। दादाजी ग्राम से बाहर रहते हैं, उनके आने पर अब इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तीसरा, पूर्व विधायक...(व्यवधान) पूरा सुन लीजिये। पूर्व विधायक श्रीमती मनोरमा देवी...

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय; मैं तो संख्या पूछ रहा हूं कि कितने भवन आपके स्वयं के विभाग के हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं यह इतना बताइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब नहीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने पूछा कि भवन की क्या स्थिति है तो वह बता रही हूं। वह आप सुन लीजिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : ...नहीं स्थिति अभी नहीं पूछी, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कितने विभाग के स्वयं के हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं और कितनी राशि देनी पड़ी है जिले में एक साल में? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड सवाल है उसके लिए पढ़ने की कहां- जरूरत पड़ रही है। कितने भवन किराये पर चल रहे हैं यह पूछा है।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रही हैं पाइंटेड।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं इसी का जवाब दे रही हूं कि हमारे यहां जो भवन हैं। (व्यवधान) 55 कुल हैं। वर्तमान स्थिति मैंने आपको बतायी है कि इनमें से किराये का सवाल यह है कि कुछ तो किराये के आप मानेंगे नहीं जैसे मैंने आपको बताया। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। मैं बात जब कह दूं तो फिर आप पूछ लीजिये। जैसे मैंने आपको यह बताया कि यह एक कमरे में चल रहा है। अब इसके लिए भवन बन रहा है तो इसको आप किराये का मानेंगे।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इन्होंने यही पूछा है कि किराये के मकान....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी तैयारी भी होनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं तैयारी से बता रही हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने सीधा प्रश्न यह पूछा है कि राजकीय भवन कितने हैं और किराये के भवन कितने हैं? यह जो 52 और दो और दो बताये हैं ये जो आपके मिलाकर 56 हुए हैं इनमें से किराये के भवन कितने हैं और विभाग के अपने भवन कितने हैं? यह प्रश्न पूछा है और बिलकुल पाइंटेड प्रश्न पूछा है, अपने जिले के बारे में पूछा है। इसमें कौनसी नयी बात है? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : डिपार्टमेंट की तरफ से कितने भवन किराये पर चल रहे हैं यह पूछा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह आपके सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने भवन किराये पर चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फिर आप क्या जवाब दे रही हैं उनका?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके सवाल में यह लिखा हुआ है कि मरम्मत के कितने भवन हैं।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : आपको यह जानकारी नहीं है कि धौलपुर जिले में कितने भवन किराये पर चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य ने बिलकुल स्पेसिफिक प्रश्न पूछा और आप अपनी तैयारी तो करके आते नहीं हो और दोष दूसरे को देते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं आपको 55 औषधालय बता रही हूं न।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने पाइंटेड प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ...उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है। मैं एक-एक की स्थिति बता रही हूं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : कितने भवन होते हुए भी किराये पर चल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ...कि यह इसके मकान में-चल रहा है, यह इसके मकान में चल रहा है। यह श्रीमती मनोरमा, पूर्व विधायक के मकान में चल रहा है। सारा तो बता रही हूं और आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : संख्या बताइये, मंत्री महोदया।

श्री सांवर लाल : ... अध्यक्ष महोदय, वास्तव में चल रहे हैं या कागजों में ही चल रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : संख्या मैंने आपको बता दी 55 बाद में मैं आपको

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

सूची प्रेषित कर दूंगी। अभी यह मेरे पास नहीं है कि कितने भवन हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ये हास्पिटल वास्तव में चल रहे हैं तो मंत्री महोदया यह बताइये कि 6 महीने में कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट आयुर्वेद विभाग की दवाओं से हुआ है? यह बता दीजिये हमको।

श्री अध्यक्ष : अलग से सवाल है।

श्री सांवर लाल : कितने किराये के हैं? कुछ भी जवाब में नहीं दिया है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : —मैं बता देती हूं। ऐसा है कितनी दवाइयां—

एक माननीय सदस्य : अलग से सवाल है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा, आपने यह बताया कि 250 नर्स, कम्पाउण्डरों के पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। पद कब से खाली है और अब तक इनको भरने के क्या प्रयास किये गये?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ऐसा है कि पद हमारे यहां पिछले काफी समय से खाली हैं। ये जो पद अभी भरने जा रहे हैं, यह तो हम अभी 255 ही भर रहे हैं, हमारे यहां तो खाली पदों की संख्या 500 है। इसलिए इस संख्या को तो हम अब भरने की, क्योंकि हमें वित्त से स्वीकृति मिली है इसलिए भरने जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपके पास माननीय मंत्रीजी का दिया हुआ उत्तर होगा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न के खण्ड तीन का अवलोकन करें। प्रश्न में माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उक्त चिकित्सालयों, यानि धौलपुर के कितने चिकित्सकों और कम्पाउण्डरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, यह सवाल पूछा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दे दिया यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिये तो सही एक मिनट। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिये, लेट मी कम्पलीट। इस खण्ड तीन का जो उत्तर दिया है, इसके पहले पैराग्राफ में तो आप लिख रही हैं कि उक्त चिकित्सालयों, औषधालयों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों का कोई पद रिक्त नहीं है नर्स कम्पाउण्डर का एक तथा परिचारक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सात पद रिक्त हैं। यानि पद तो रिक्त आप बता रहे हैं एक कम्पाउण्डर का और परिचारक और चतुर्थ श्रेणी के सात, उसके नीचे लिख रहे हैं कि 250 नर्स और कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है और 100 परिचारक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप पद तो धौलपुर में एक ही रिक्त बता रहे हैं कम्पाउण्डर का—

एक माननीय सदस्य : राजस्थान का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान का पूछा ही नहीं है। उनको कहने दीजिये न। आप बीच में क्यों इंटरवीन कर रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे जवाब देने दीजिये। मैं जवाब दे रही हूं। हां, आप पूछिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सवाल यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने कहा, 250 और 100. अब इन्होंने अपनी सप्लीमेंट्री के जवाब में यह कहा है कि नहीं, ढाई सौ भी नहीं हैं, हमारे तो 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह 250 की संख्या तो कहां की है और 500 की संख्या कहां की है? राज्य में कुल कितने आयुर्वेद और यूनानी में कितने कम्पाउण्डर और कितने उप वैद्य के पद रिक्त हैं और इनको आप कब तक भर देंगी? यह बताइये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उनके अनुसार जो उनको यह नाराजगी है कि मैंने 250 नर्स और कम्पाउण्डरों के पद भरने की कार्यवाही के बारे में बोला है और यहां मैंने एक नर्स की, कम्पाउण्डर की जगह रिक्त बतायी है और सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बतायी है। इसलिए यह, क्योंकि नर्स की जगह खाली है और सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह खाली है तो इनको हम जैसे ही हमारे नये लोग भर जाएंगे तो इन एक और सात पदों को भर दिया जाएगा। इसलिए मैंने लिखा था। आपको जानकारी मैंने गलत नहीं दी है और जहां तक मैंने कहा वह सही है और मैंने आपके जानकारी के लिए कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक भर देंगे?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी हमने इसके लिए एडवरटाइजमेंट निकाल दिया है, आज कल में निकलने वाला है कम्पाउण्डरों का और वैद्य जो हैं उनके लिए हमने पी.एस.सी. को लिख दिया है, जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां तो आप एक पद है वह भी भर दोगे लेकिन बाड़मेर में तो सारे पद खाली पड़े हैं, उनको भरोगे या नहीं भरोगे?

श्री अध्यक्ष : अब पूछ लिया आपने।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सब पदों को भरेंगे। एक पद को नहीं, आपके जो पद खाली हैं उनको भी भरेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमंत कुमार।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : धौलपुर के लिए मरम्मत के लिए अब तक कितनी राशि दी गयी? मैंने यह पूछा था। और नहीं तो क्यों? (व्यवधान) मेरे प्रश्न का

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

कोई जवाब नहीं दिया। कृपया जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मेरा जवाब तो दिलवाये। कितनी राशि धौलपुर जिले में मरम्मत के लिए दी गयी, साहब?

श्री अध्यक्ष : कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आने दीजिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : इतना तो बता दीजिये पर। (व्यवधान) विचार है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये आप। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मेरा जवाब नहीं आया है। मरम्मत के लिए कितनी राशि दी है, वह तो बता दो।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका सीधा प्रश्न है। सीधा सवाल पूछा है, मरम्मत के लिए कितनी राशि लगाई है?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, आप प्रक्रिया के नियम 31 का अध्ययन कर लीजिये, उसके बाद में आप सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : मरम्मत के लिए इतनी राशि है, यह बताने में ही क्या दिक्कत है? यह बता दो कि कितनी दी गई?

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर दे दिया है। नैक्स्ट प्रश्न मैंने पुकार लिया है। श्री हेमन्त कुमार। हरिसिंहजी, उत्तर दीजिये आप।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिये। इसमें मंत्रीजी जवाब तो दो। यह तो कोई बात नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा तो—

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। श्री हेमन्त कुमार।

आयातित सस्ते दूध से स्थानीय पशुपालकों के हितों की रक्षा

427. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या पशुधन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पशुपालकों के हितों की रक्षा में रुचि रखती है? यदि हां, तो क्या आयातित सस्ते दूध से राज्य के स्थानीय पशुपालकों के हितों को हानि होगी?

(2) उक्त समस्या से निपटने हेतु पशुपालकों के हित में सरकार की भावी क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन (श्री हरिसिंह, कुम्हेर) : (1) जी, हां। आयातित सस्ते दूध से राज्य के पशुपालकों को हानि सम्भावित है।

(2) आयातित दूध की समस्या का निस्तारण केन्द्र सरकार की आयात नीति के ऊपर प्रमुखतः निर्भर करता है। दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के आयात पर उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा इतनी मात्रा में लगाया जावे ताकि स्थानीय दुग्ध एवं पदार्थ आयातित पदार्थों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके, फिर भी राज्य सरकार पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग के माध्यम से पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार के द्वारा तथा राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के माध्यम से भविष्य के सम्भावित प्रतिस्पर्द्धी वातावरण के मद्देनजर दुग्ध उत्पादन, संकलन, विपणन एवं गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास कर रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हेमन्त कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इसकी गुणवत्ता, विपणन एवं संकलन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं और इन्होंने बताया कि फैडरेशन ने वर्ष 2000-2001 में दुग्ध संकलन जो औसतन लगभग 8.86 लाख लीटर प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 2003-2004 तक 14.6 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है। मेरा निवेदन है इसमें, और चिंता भी है कि जो टारगेट्स बताये गये हैं तो जैसा अखबारों के माध्यम से और आप सबको मालूम है कि एक रासायनिक दूध का प्रदेश में प्रचलन हो रहा है और यूरिया के द्वारा और रासायनिक तत्वों के द्वारा नकली दूध का प्रचार चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो टारगेट्स बता रहे हैं, उसके अन्दर उसमें ऐसे दूध को प्रोत्साहन मिले और उसके माध्यम से हम टारगेट्स पूरा करें? वह जो दूध गलत आयेगा, उसको कैसे नियंत्रित किया जाये, इसके बारे में मंत्री महोदय, बतायें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता यह है कि जो सिंथेटिक दूध बनने की उनको आशंका नजर आती है...(व्यवधान) आशंका है, बन रहा है, यह मान लीजिये कि बन रहा है। उसको हमने हमारे जितने भी डेयरी प्लांट्स हैं, उन पर जो दुग्ध संकलन करते हैं, उसकी फुलप्रूफ चैकिंग करते हैं और हमारी डेयरी में कोई भी ऐसा दूध जो सिंथेटिक हो, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। यह हमारी नीति है इसका पक्के तरीके से इंतजाम कर रखा है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहती हूं। मंत्रीजी से कि क्या भारत

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सरकार को उन्होंने इस बारे में कोई प्रोटेस्ट किया है कि यदि इस तरह से इतनी सस्ती दरों पर दूध बाहर से आयात होगा तो यहां के पशुपालन पर और इसको बिलकुल बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्या इस तरह से प्रोटेस्ट लिख कर भेजा है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव बेहतर है लेकिन अभी राजस्थान में कोई आयातित दूध नहीं आया है। जैसे ही आयेगा, इसके बारे में हम समय पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आने वाला है। आया नहीं है तो अलग बात है लेकिन क्या आप... (व्यवधान) यह तो सब जगह आयेगा।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह दूध तो आएगा ही, यह तो तय है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशों से दूध आने लग गया है और राज्य में आया है और...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं आने की बात तो है नहीं, बाद में क्या करोगे? बाद में क्या कर लोगे?

श्री अध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या दूध...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान की कमर टूट जायेगी।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार विदेशों से दूध मंगवा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इन किसानों का कूंडा बिठा दिया गया है इस केन्द्र सरकार ने, तो माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि इस केन्द्र सरकार...

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप : ...राजस्थान के अन्दर रोक लगा दो।

श्री ललित भाटी : इस दूध को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे?

श्री रामस्वरूप : यह सारा राजस्थान बरबाद हो रहा है। किसान बरबाद हो जायेगा। यह किसान का तो कूंडा बिठा दिया है केन्द्र सरकार ने।

श्री ललित भाटी : केन्द्र सरकार के गलत निर्णय से देश के पशुपालकों को जो नुकसान हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप मीणा, प्लीज सिट डाउन। आसन पैरों पर। (व्यवधान) बिना परमिशन के, बिना अनुमति से आप कैसे खड़े हो रहे हैं और बीच में भाषण शुरू कर दिया आपने।

श्री रामस्वरूप : विदेशों से दूध मंगवाया है। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के जिस गलत निर्णय की वजह से न सिर्फ प्रदेश के, बल्कि हिन्दुस्तान के तमाम् पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को खतरा मंडरा रहा है

(श्री ललित भाटी)

और इसमें प्रदेश के दूध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार को जो प्रोटेस्ट करने की बात आ रही है, उसमें अभी तक राज्य सरकार ने इसके ठोस कदम क्यों नहीं उठाये? जब हमारे बाढ़ आ जायेगी क्या तब हम पानी की बांधने की बात करेंगे? यह तो तय है कि हिन्दुस्तान के अन्दर दूध आना शुरू हो गया है तो आपने अब तक ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की, इस बारे में आप बतायें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है— (व्यवधान) मैं उसको सपोर्ट ही कर रहा हूं कि कोई भी तरल दूध, तरल दूध की शक्ल में हिन्दुस्तान में आने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी है, क्या राज्य सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि तरल दूध आ नहीं सकता है, पाउडर दूध जो आता है उस पर भी भारी ड्यूटी लगा दी गई है, क्या राज्य सरकार को इसकी जानकारी है?

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, आज यह संकल्प लिया जाये पूरे सदन में कि दूध जो विदेशों से आ रहा है, वह नहीं मंगवाया जावे। (व्यवधान) केन्द्र सरकार के खिलाफ, ऐसी + + + किसान विरोधी सरकार जिसने इतना बुरा निर्णय ले लिया, किसानों को मार दिया—

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जो समझौता है दूध का—

श्री ललित भाटी : यह जो दूध आ रहा है, टेट्रा पैक में आ रहा है, छह महीने तक खराब नहीं होता है। इस दूध को इन्होंने इस तरीके से तैयार किया हुआ है— (व्यवधान) क्या यह सही है कि टेट्रा पैक के अन्दर जो दूध उनका आ रहा है, वह छह महीने तक खराब ही नहीं होता है? तो ऐसा दूध जब बाजार के अन्दर आएगा, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है, छह महीने तक इनका दूध खराब नहीं होता है, जो टेट्रा पैक के अन्दर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में कोई आयातित दूध न टेट्रा पैक की शक्ल में, न और शक्ल में आया नहीं है। राजस्थान में इस तरह की बात आयेगी, हम जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यूरिया के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े। अगर विदेशों के द्वारा आयातित दूध हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में आयेगा तो हमारे राजस्थान के किसानों की कमर टूट जायेगी। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है आपकी मार्फत कि मंत्रीजी, केन्द्र सरकार को लिखित रूप में राज्य सरकार की भावना से अवगत करवाया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझौता नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का है। कांग्रेसी जो + + + कर रहे हैं, यह समझौता

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कांग्रेसियों का है। यह डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता है इसलिए कांग्रेसियों को तो बोलना नहीं चाहिए। + + + जो समझौता नरसिम्हा राव करके गये हैं.... (व्यवधान) वह डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता है। उस समझौते को केन्द्र सरकार को लागू करना और उसे कहना, यह नरसिम्हा राव का समझौता है, मनमोहन सिंह का समझौता है। मैडम सोनिया गांधी के वित्त मंत्री का, जो उस समय के रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी का ज़ोड़ा, मनमोहन सिंह के जोड़ों ने यह समझौता किया है। इसलिए + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने आदर्शवाद को पुनः + + + किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है... (व्यवधान) यूरिया के दाम बढ़ा दिये, डीजल के दाम बढ़ा दिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनको अपना + + + किसी कांग्रेसी को बोलना नहीं चाहिए। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी का समझौता है यह, यह डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता है यह नरसिम्हा राव राजीव गांधी ने यह समझौता किया है। + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नरसिम्हा राव के समझौते को, मनमोहन सिंह के समझौते को हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं, डब्ल्यू.टी.ओ. के समझौते को लागू करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपरेशन कराया है पर जोर से बोले बिना नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अगर दूध को रोकना है तो भारी मात्रा में ड्यूटी लगाई जानी चाहिये। एक साल के अन्दर-अन्दर भारत के प्रधान मंत्रीजी ने जो ड्यूटी थी, उसको कितनी बढ़ाई, आपकी जानकारी में है क्या? और नम्बर दो, माननीय सदस्य ने पूछा कि तरल मात्रा में दूध भारत में आ सकता है या नहीं आ सकता है, यह जानकारी आपको है या नहीं और तीसरा...

अनेक माननीय सदस्य : आ रहा है, आ रहा है।

श्री रामस्वरूप : दूध आ रहा है, हमने पीया है दूध। हमने पीया है दूध, आ रहा है। + + + कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : आपने पीया होगा सांकरवाड़ा में।

एक माननीय सदस्य : पूरे देश में आ रहा है।

श्री सांवर लाल : और तीसरा, एक और निवेदन मेरा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं, यह हिन्दुस्तान के किसानों के ऊपर जो निर्णय समझौता नरसिम्हा रावजी के समय में हुआ था—

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, टेट्रा पैक के अन्दर जो दूध आ रहा है, वह छह महीने तक खराब भी नहीं होता है सांवर लालजी, छह महीने तक खराब भी नहीं होता है। हमारे दूध उत्पादक— (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी ने तो उस पर इतनी ड्यूटी बढ़ा दी, वह दूध सस्ते भाव में बेच ही नहीं सकता। राजस्थान सरकार को और कांग्रेस को इतनी चिंता होती तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई पत्र भारत सरकार को क्यों नहीं लिखा गया?

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, सदन में इसके ऊपर संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए कि हम पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं वरना राजस्थान के दुग्ध उत्पादक का दूध इस खुले बाजार में कहीं नहीं बिक पायेगा।

श्री सांवर लाल : —और चिट्ठी नहीं लिखी गई, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने भारी मात्रा में ड्यूटी बढ़ाई है। आपको जानकारी है तो आप बतायें कि कितनी ड्यूटी बढ़ाई है।

श्री ललित भाटी : यह सब भारत सरकार की गलत नीति का परिणाम है।

श्री रामस्वरूप : राज्य सरकार एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे कि राजस्थान के अन्दर विदेशों से आयातित दूध के ऊपर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगे ताकि किसान के पक्ष में पशुपालकों के पक्ष में—(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : केन्द्र सरकार क्या करेगी, यह मैं आपको जवाब देने को तैयार नहीं हूं। भारत सरकार की तरफ से क्या काम किया जा रहा है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप स्पेसिफिक यह बात बताइये कि आयातित दूध आया है कि नहीं हिन्दुस्तान के अंदर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्थान में बिलकुल नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : हां, बस। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : महाराष्ट्र के अंदर भारी मात्रा में दूध आया है—

एक माननीय सदस्य : पंजाब के अंदर लोगों ने भैंस बेचना शुरू कर दी अध्यक्ष महोदय, पंजाब में लोग भैंस बेच रहे हैं इस दूध की वजह से—

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर भारी मात्रा में दूध आयात हुआ है। आप यहां के, राजस्थान के

(श्री ललित भाटी)

माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर भेजिये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, दूध आ रहा है।

श्री सांवर लाल : किसानों को विश्वास नहीं आपके ऊपर, आज तक कोई कार्यवाही राजस्थान सरकार ने नहीं की।

श्री सोहन नायक : किसान विरोधी केन्द्रीय सरकार राजस्थान के पशुपालकों को मारकर रहेगी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको कोई चिंता नहीं किसानों की, आज तक चिट्ठी तक नहीं लिखी है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसान विरोधी सरकार का... (व्यवधान) किसान विरोधी केन्द्र की सरकार का... (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : लेकर चलिये अपनी पार्टी के नेता को। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नरसिम्हा राव ने किया समझौता। पहले यह तो मानो। पहले यह तो मानो मनमोहन सिंह ने समझौता किया है।

श्री रामस्वरूप : अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता किया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सही कहा है कि दूध का आयात नहीं हुआ। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि दूध का आयात कोई एक-दो वर्षों में नहीं हुआ, 1947 से हो रहा है। जिस समय गेट का समझौता हुआ उस समय फ्री इम्पोर्ट दूध का हुआ है और अपन सब लोगों को मालूम है कि दूध का पाउडर स्कूलों में बांटकर बच्चों को दलिये में मिलाकर उसको खिलाया जाता था। वह हिन्दुस्तान का दूध नहीं था, इम्पोर्टेड था और उसमें किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती थी। 1994-95 में जब डब्लू.टी.ओ. का एग्रीमेंट हुआ, उरुग्वे राउंड ऑफ कान्फ्रेंस हुई, उसमें दूध के ऊपर इम्पोर्ट करने की बात उस समय स्वीकार की थी 1994 और 95 में। भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी जो ड्यूटी लगाई है वह ड्यूटी 44.40 प्रतिशत से 66.60 प्रतिशत, कोई दूध का इम्पोर्ट हो नहीं सकता, सिवाय इस पाउडर मिल्क के और वह भी बच्चों के काम आने वाला पाउडर मिल्क, इम्पोर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रचार ही इस देश के लिए घातक होगा।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर दूध बिक रहा है। टेट्रा पैक में महाराष्ट्र के अंदर दूध बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय और जो समझौते की बात है, दूध को जो फ्री करने की बात है, सन् 2003 के अंदर किया जाना चाहिए था और केन्द्र सरकार ने इसको आज 2001 के अंदर करके जो भूल

(श्री ललित भाटी)

की है, यह सब उसका परिणाम है। लिक्विड रूप के अंदर टेट्रा पैक के अंदर मार्केट में दूध अवेलेबल है और वह सस्ता दूध मिल रहा है। माननीय सदस्य टोडाभीम से आये हुए कह रहे हैं कि दूध को मैंने पीया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दो बात सामने आई। माननीय डेयरी मंत्रीजी ने यह कहा कि राजस्थान में अभी तक आयातित दूध आया नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वो थ्रू डेयरी, थ्रू डेयरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिये तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कोई जरूरी है क्या, आपको हर आदमी सुनता रहे, आप हर बार एक-दो-तीन करते हैं—

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या हो गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और हरेक आदमी को धमकाते रहते हैं। आपकी ही बात सुनी जायेगी, कोई जरूरी है क्या। हर प्रश्न पर खड़े होते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नाराज क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने नाराज हो रहे हैं, मैं आसन से अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि माननीय डेयरी मंत्रीजी ने इस सदन में यह स्वीकार किया और आपके पूछने पर यह कहा है कि राजस्थान में आयातित दूध नहीं आया है और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि आया है और मैंने पीया भी है। तो दोनों में कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो हाउस करे।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल बिक रहा है और बाजार में उपलब्ध है। बाजार में बिक रहा है दूध।

मोहम्मद माहिर आजाद : Who is right and is wrong?

श्री रामस्वरूप : बाजार के अंदर बिक रहा है दूध, विदेशों से आया हुआ दूध। (व्यवधान) यह सारे लोग पी करके आये हैं, इन्होंने मंगवाया है सारा दूध।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा—

श्री रामस्वरूप : आप इसकी जांच करा लें, कहां से आया दूध।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता महोदय ने कहा कि ड्यूटी को 44 प्रतिशत से 66 प्रतिशत किया, इसके कारण से नहीं आयेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पाम आयल के ऊपर देश के अंदर ड्यूटी को 85 प्रतिशत तक ले गई सरकार और उसके बावजूद भी आज सरसों का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पड़ता नहीं पड़ रहा है, पाम आयल ने सरसों की कमर तोड़ कर रख दी। यह आयातित दूध के ऊपर ड्यूटी को रेज करने मात्र से नहीं रुकेगा। बम्बई के अंदर स्पेसिफिक खबर है कि टेट्रा पैक के अंदर इम्पोर्टेड मिल्क आ चुका है, नम्बर एक।

श्री ललित भाटी : आ चुका है और छह माह तक खराब नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्योंकि स्केंडेवियन कंट्रीज के अंदर यह बात भी आपको मालूम है कि स्केंडेवियन कंट्रीज के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स की भरमार है। मिल्क प्रोडक्ट्स दूध, दूध के अलावा चीज, घी—

एक माननीय सदस्य : चाकलेट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चीज, यह आपका बटर आयल—

डा. (श्रीमती) कमला : पनीर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पनीर। भई, चीज मैंने कह दी, आ गया। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमको पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 66 प्रतिशत कर देने मात्र से पशुपालकों का हित संरक्षित नहीं होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसके लिए इस ड्यूटी को आपको कुछ न कुछ इसके अंदर कारगर कार्यवाही भारत सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पाम आयल की मिसाल है और मैं तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहूंगा कि आप अपनी पार्टी की एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हैं जिसके अंदर पशुपालक और कृषकों के, कृषि क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए आपको उसका चेयरमैन बनाया गया है, आपको रिकमण्डेशन करनी चाहिए कि इसको टोटली बेन करना चाहिए या सेंट परसेंट जब तक आप ड्यूटी नहीं लगायेंगे, हमारे पशुपालकों का हित खतरे में रहेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मामले में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा पशुपालकों का हित आपके साथ है, वैसा हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि पशुपालक पर किसी प्रकार का ऐसा आघात न हो जिससे उसकी इकोनोमिक कंडीशन खराब हो जाय। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि 1995 के एग्रीमेंट में दूध के आयात के संबंध में जो व्यवस्था की थी, क्या भारत सरकार उस व्यवस्था को बदल सकती है। एक मिनट, बाद में दे देना। अध्यक्ष महोदय, अब जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस दिये जा सकते हैं वह ब्रांडेड रेट्स के आधार पर ही होते हैं। उस रेट से ज्यादा हम जा नहीं सकते। आपने कहा कि सोयाबीन पर 45 प्रतिशत ब्रांड रेट है, उससे हम ज्यादा नहीं बढ़ सकते, चाहे कितना ही वह इम्पोर्ट करे, या तो हम ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकले तब जाकर 45 प्रतिशत से हमारी मुक्ति हो सकती है। जहां तक आप सोयाबीन का जिक्र कर रहे हैं, सोयाबीन पर इतने रेस्ट्रिक्शंस—

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाम आयल का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, पाम आयल की मैं बता रहा हूं। पाम आयल पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिये, अब पाम आयल को डम्पिंग लॉ में और शामिल किया गया है, यह किसी प्रकार से यहां डम्प नहीं कर सकते। इस सदन को जानकारी होगी कि राजस्थान और हिंन्दुस्तान तिलहन की पैदावार में अभी बहुत पीछे हैं और इसलिए खाद्य तेलों के मामले में भी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने खाद्य तेल का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन नहीं हो रहा है और इसीलिए टैक्नोलॉजी मिशन बैठा है इस पर। बैठ कर वह इस संबंध में विचार कर रहा है कि तिलहन की पैदावार किस प्रकार से बढ़े। अगर मान लीजिये आज हम तिलहन की पैदावार कम होने के कारण से सारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह होगा कि तेल के भाव आसमान को छू जायेंगे और आपको याद होगा, प्याज और आलू के जब भाव बढ़े थे तो आप सब लोगों ने चिंता की और उसका शिकार हम हुए। ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा है कि इस पर प्रतिबंध लगा दीजिये, आप सोच-विचार कर कह दीजिये कि डब्लू.टी.ओ. एग्रीमेंट में जो बातें मंजूर की हुई हैं, क्या इस पर टोटल प्रतिबंध लगा सकते हैं? और यह एग्रीमेंट....

श्री ललित भाटी : वह तो 2003 में करना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न एग्रीमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, न इस सरकार ने किया, यह एग्रीमेंट 1994 में हुआ, 1995 में इसके दस्तखत हुए। आज अगर कोई हिन्दुस्तान की जनता यह चाहती हो, नरसिम्हा रावजी के दस्तखत या मनमोहन सिंहजी के दस्तखत, किसी के भी दस्तखत हुए। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे भी दुःख है कि डब्लू.टी.ओ. का एग्रीमेंट हुआ उस समय हिन्दुस्तान की ठीक प्रकार से पैरवी नहीं हुई। मेरे पास तो डिटेल्स हैं कि जिस समय उरुग्वे राउंड आफ कांफ्रेंस के अन्दर अमेरिका के चार सौ स्पेशलिस्ट्स और 106 आफिसर्स अमेरिका की इकोनोमिक पॉलिसी, प्रोडक्ट्स इनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाय, उस संबंध में वहां गये थे और दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के केवल 6 अफसर गये थे, 6 में 2 अपने राजस्थान के ही हैं। 6 गये और 6 के बाद में, अध्यक्ष महोदय, खेद है कि आज तक हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डब्लू.टी.ओ. के साथ हमारे एग्रीमेंट का क्या हुआ पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई, जनता को इसकी जानकारी नहीं मिली।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अब करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब करायेंगे तो अब तो हो ही रही है। अब जब भुगत रहे हैं तब हो ही रही है। जब आज अपने सामने समस्या आ गयी और हम पकड़ में आ गये तब जाकर हो रही है। फिर भी मैं आज आपको कहता हूं कि माननीय मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्रीजी को मालूम होगा कृषि मंत्री के स्तर पर, मुख्य मंत्री के स्तर पर और चीफ सेक्रेट्री के स्तर पर बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में इस बात का चिन्तन किया गया है कि डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट के कारण जो एडवर्स इंप्लीकेशंस हो रहे हैं उनको किस प्रकार से मीट किया जाए। आज जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आपने लिखा या नहीं लिखा, हो सकता है आपने उस समय यह सुझाव नहीं दिया हो लेकिन मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि आपने उस कांफ्रेंस में क्या तय किया, राजस्थान सरकार से क्या रिप्रजेंटेशन किया उसकी जानकारी इस हाउस को दे दें तो माननीय सदस्यों को संतोष हो जाएगा कि दूध के मामले में सरकार की ओर से बात नहीं कही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि प्रतिबंध की मांग, मैं जानता हूं कि डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन ड्यूटीज बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए भारत सरकार सक्षम है। दूध के मामले में, तेलों के मामले में भारत सरकार ड्यूटीज बढ़ा सकती है। यहां प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा तिलहन की पैदावार देश के अन्दर कम है। आप पिछले साल के आंकड़े उठा कर देख लीजिये, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, सारा का सारा प्रोडक्शन देश के अन्दर बढ़ा है और आज स्थिति यह है कि देश खाद्य तेलों के मामले में करीबन आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर भारत सरकार इनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमारे किसानों का हाल क्या होने वाला है यह मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। एक मिनट अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप इस ओर जो बैठने वाले हैं अपने मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं उनको कहिये ताकि इस मामले को उठावें ताकि कुछ पता लगाया जाए।

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए कहना चाहता हूं। आप दूध के इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं कि दूध का पाउडर इम्पोर्ट हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : अब इसमें डिटेल में हो रहा है, यह क्वेश्चन था लिमिटेड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आपको आश्चर्य होगा कि जितना दूध, आज गरीब आदमी को दूध नहीं मिलता। इस पाउडर मिल्क के आधार पर सन् 1947 से लेकर आज तक हम गरीबों को दूध देते आये हैं। वह आप ज्यादा ड्यूटीज लगा कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गरीब दूध नहीं पी सके, इस प्रकार का इंतजाम करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब यह हुआ कि पशुपालकों के हित आपको ध्यान में नहीं हैं। आप दूध का आयात चाहते हैं। आपकी पार्टी दूध का आयात चाहती है। आपके इस वक्तव्य से यह बात साबित हो रही है।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय भारत सरकार की जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी जो नीतियां हैं उसमें जो उनकी बदनीयती और अकर्मण्यता साबित हो रही है उसको एक तरफ तो जस्टीफाई कर रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगी तो बोलना हम भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : राष्ट्र विरोधी कैसे हैं, यह क्यों कहा आपने? जनविरोधी तो हो सकती है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सुनिये, राष्ट्र विरोधी इसलिए है कि हम जो करने में सक्षम हैं अब जो ड्यूटीज लगाने में सक्षम हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में सक्षम हैं उसको अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा?

श्री सांवर लाल (भिनाय) : हिन्दुस्तान को बेच डाला आपने... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप किसानों को बरबाद कर देने वाले...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस समय 1991 में जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी ये उपदेश भरा भाषण उस समय देतीं तो आपकी हिम्मत की दाद देते।

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, प्लीज टैक योअर सीट। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो सारा काम किया है यह सारा का सारा कांग्रेस पार्टी ने किया है जिसके कारण से आज सारा देश भुगत रहा है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : उसको दबाने के लिए चाहे किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादकों के साथ हो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिन्होंने यह निर्णय लिया...(व्यवधान) पाप करे आपकी पार्टी और दोष दें, दूसरों को।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : + + +

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : + + +

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री मदन दिलावर : + + +

(सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एग्जिम पालिसी 2003 में लागू होने वाली थी वह इन्होंने दो साल पहले लागू कर दी और उनको रेगुलेट करना नहीं आ रहा जबकि इसके ऊपर 300 पर्सेंट टैक्स लगाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की गरिमा को बहुत ठेस लगा रहे हैं आप। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कुछ इन लोगों को कंट्रोल करो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक दिन डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चा करा लो आप।

श्री अध्यक्ष : आपको तो वर्ल्ड बैंक में ही भेज दे जल्दी। चर्चा कराने की बात यहां पर नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन की बात अलग है। अकाल पर, पानी पर इन पर चर्चा होनी है अभी। इससे हमारा संबंध नहीं है, वह भारत सरकार से संबंध रखता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील कामां, नगर व पहाड़ी (भरतपुर) के सब रजिस्ट्रार के कर्मियों के विरुद्ध अनियमितताएं

735. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कामां, नगर व पहाड़ी (भरतपुर) में गत तीन वर्षों में कुल कितने मामले (विक्रय विलेख) रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत मामलों में से कितनों की रजिस्ट्री तुरन्त की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गई और कितनों में मुद्रांक की कमी या अन्य आपत्ती दर्ज की गई तथा कितने अभी भी विचाराधीन हैं? विचाराधीन व आपत्ती दर्ज मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सब रजिस्ट्रार कर्मियों के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

उत्तर

(1) तहसील कामां, नगर व पहाड़ी (भरतपुर) में गत तीन वर्षों में (विक्रय-विलेख) रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत की संख्या विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	तहसील का नाम	गत तीन वर्षों में प्रस्तुत कुल विक्रय विलेख (वर्ष 98-99 से 2000-01)
1.	कामां	3214
2.	नगर	1997
3.	पहाड़ी	3115

(2) प्रस्तुत विक्रय पत्रों में से कितने तुरन्त निस्तारण किये गये। आपत्ती दर्ज कर लम्बित रखें तथा अभी भी विचाराधीन की सूची विवरण निम्न प्रकार है :– (सूची संलग्न है)

क्र.सं.	तहसील का नाम	प्रस्तुत विक्रय पत्रों में से कितने तुरन्त निस्तारित किये गये।	प्रस्तुत विक्रय पत्रों में से आपत्ति दर्ज कर लम्बित रखे	अभी भी विचाराधीन है
1	कामां	2129	1085	
2	नगर	1294	703	03
3	पहाड़ी	2821	294	

(3) उप पंजीयक, कार्यालय कामां तथा पहाड़ी के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु उप पंजीयक कार्यालय, नगर से संबंधित तीन शिकायतें वर्ष 1999 में प्राप्त हुई थी। उक्त तीनों शिकायतें उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर "मुद्रांक", वृत-भरतपुर को जांच एवं रिपोर्ट हेतु प्रेषित की गयी जिन पर उन्होंने जांच कर तीन जांच रिपोर्ट पत्र दिनांक 22-4-2001 के साथ मुख्यालय प्रेषित की है। जांच रिपोर्टों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-736

(स्थगित)

तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में बिना ठेके के चूराडोडा की खरीद

737. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में अफीम की काश्त से अनुमानित कितनी मात्रा का पोस्त चूराडोडा एकत्र किया जाना चाहिये था और इसकी एवज में कितनी मात्रा में किस संस्थान द्वारा ठेका लेकर क्रय किया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में उक्त क्षेत्र से चूराडोडा का ठेका नहीं होने के बावजूद पुराने ठेकेदार ने सीधे कृषकों से क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है?

उत्तर

(1) किसी डोडा पोस्त थोक अनुज्ञाधारी द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त काश्तकारी से डोडा पोस्त क्रय करना एवं अफीम काश्तकारी के लिए अपने द्वारा उत्पादित डोडा पोस्त थोक अनुज्ञाधारी को विक्रय करना बाध्यकारी नहीं है।

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील क्षेत्र में डोडा पोस्त ठेके का संचालन अनुज्ञाधारी द्वारा नहीं होने की स्थिति में वर्ष 1999-2000 में निम्न मात्रा में डोडा पोस्त का काश्तकारी से क्रय आबकारी विभाग द्वारा किया गया था :—

	नाम तहसील	मात्रा (क्विंटल में)
1	प्रतापगढ़	282.00
2	अरनोद	290.00

वर्ष 2000-2001 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा डोडा पोस्त का क्रय नहीं किया गया।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 में किसी भी पुराने ठेकेदार द्वारा तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद से डोडाचूरा क्रय नहीं किया गया।

जिला पाली में वर्जित क्षेत्र में शराब की दुकानों का संचालन

738. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की शिक्षण संस्थाओं/धार्मिक स्थल/अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यकों की बस्तियों के आसपास देशी एवं देश में निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें निर्धारित दूरी क्षेत्र में चल रही है? यदि हां, तो

(श्री आत्माराम मेघवाल)

क्यों? उक्त से सम्बन्धित मानदण्डों की प्रति सदन मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले की तहसील देसूरी के गांव नारलाई में अल्पसंख्यक बस्ती व माणीगढ़ पाठशाला के पास भारत निर्मित शराब की दुकान चल रही है? यदि हां, तो क्यों और संचालित दुकान उक्त स्थानों से कितनी दूरी पर है?

(3) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध तरीके से चल रही शराब की दुकान को बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) पाली जिले की देसूरी तहसील के नारलाई ग्राम में देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान वार्ड नं.-15 में स्थित है जो न तो "अल्पसंख्यक बस्ती" के रूप में वर्गीकृत है और न ही अल्पसंख्यकों की बस्ती के पास मदिरा दुकान लगाने पर कोई प्रतिबन्ध है। इस मदिरा दुकान के पास माणीगढ़ पाठशाला नाम का विद्यालय नहीं है।

(3) ग्राम नारलाई में चल रही दुकान की लोकेशन नियमानुकूल है, अतः इसे बन्द करने का विचार नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्जित सीमा में शराब की दुकानों का संचालन

739. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब की कितनी दुकाने स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शराब बिक्री की खुदरा दुकाने आबादी के मध्य, मेला ग्राउण्ड, विद्यालयों, चिकित्सालयों, मेडिकल स्टोर, धार्मिक स्थानों एवं बस स्टेण्ड आदि के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत नहीं की जा सकती है? यदि हां, तो गोगुन्दा में बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब बिक्री की दुकान किन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकान को 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था एवं अब तक उसी नक्शे का बिना भौतिक सत्यापन किये अनुमोदन एवं नवीनीकरण किया जाता रहा है जबकि वर्तमान समय में घनी आबादी तथा मेला ग्राउण्ड, विद्यालय, मेडिकल स्टोर, महिला चिकित्सालय के पास व मुख्य रास्ते पर स्थित है? यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार उक्त दुकान हटाने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब की बिक्री के लिए वर्ष 2001-2002 के लिये स्वीकृत की गई दुकानें व इनकी लोकेशन निम्नानुसार है :—

देशी मदिरा

1. **गोगुन्दा**—श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी गोगुन्दा के पावर हाउस के पास स्थित मकान में।

2. **गोगुन्दा**—श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र गुलाबचन्द चौधरी के गोगुन्दा बाइपास पर स्थित मकान में।

3. **पदराड़ा**—श्री हेमन्त कुमार पुत्र नाथूलाल मेवाड़ा कलाल निवासी पदराड़ा के मकान में आम रास्ते पर।

4. **सेमड़**—श्री कल्याण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत के मकान में आम रास्ते पर।

5. **कमोल**—श्री बाबूसिंह राजपूत के मकान में लालू कलाल की चक्की के पास।

6. **पूनावली**—श्री सज्जन सिंह पुत्र भोपाल सिंह राजपूत निवासी पूनावली के मकान में तेजा लौहार के मकान के पास आम रास्ते पर।

7. **सायरा**—श्री चम्पालाल पुत्र भैरूलाल मेवाड़ा कलाल निवासी सायरा के मकान में।

8. **बरवाड़ा**—श्री भैरूलाल पुत्र प्रेमचन्द मेवाड़ा कलाल के मकान में आम रास्ते पर।

9. **खाखड़ी**—श्री महिपाल सिंह राजपूत निवासी खाखड़ी के मकान में जसवन्तगढ़ रोड पर।

10. **नान्देशमा**—श्री छगन लाल मेवाड़ा कलाल सेवानिवृत हेड कांस्टेबल के मकान में गांव के आम रास्ते पर।

11. **सिंघाड़ा**—श्री डालचन्द पुत्र शिवलाल मेवाड़ा कलाल निवासी सिंघाड़ा के मकान में रणकपुर रोड पर।

12. **तरपाल**—श्री डालचन्द पुत्र जगरूप मेवाडा निवासी पदराड़ा के मकान में सायरा रोड पर।

13. **झाड़ोली**—श्री तेजीसिंह पुत्र गणेश लाल चारण निवासी झाडोली के मकान में ग्राम पंचायत की दुकान के पास।

14. **भानपुरा**—श्री हिम्मत सिंह राजपूत निवासी भानपुरा के मकान में केलवाड़ा रोड पर।

15. **रावलियाखुर्द**—श्री कालूलाल गमेती निवासी रावलियाखुर्द के मकान में रामा गमेती के मकान के पास।

16. **ढोल**—श्री रोडसिंह पुत्र तख्तसिंह निवासी पदराडा के मकान में श्री रोडसिंह की चक्की के पास।

17. **काछबा**—श्री घनश्याम सिंह पुत्र मोहन सिंह झाला निवासी काछबा के मकान में किशन सिंह की चक्की के पास।

(आबकारी मंत्री)

18. जसवन्तगढ़--श्री लक्ष्मीलाल सुथार निवासी जसवन्तगढ़ के मकान में उदयपुर सायरा--कोटडा तिराहे पर।

19. कोटडा--राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स की स्वीकृत यह दुकान श्री चैनराम लौहार निवासी कोटडा के मकान में स्वरूपगंज आम रास्ते पर स्थित है।

भा. नि. वि. म./बीयर

1. **देवला चौराया**--श्री वनजी पुत्र कलाजी गरासिया निवासी देवला चौराया उप सरपंच के मकान में सिरोही तिराहे पर।

2. **कोटडा**--श्री सरफराज अहमद पुत्र अब्दुल क्यूम निवासी कोटड़ा के मकान में चेलाराम की दुकान के पास।

3. **माण्डवा**--श्री लक्ष्मीलाल पुत्र उदयराम मीणा निवासी माण्डवा के मकान में ग्राम सेवक भवन के पास।

4. **मामेर**--श्री बलवन्त सिंह पुत्र दौलत सिंह मामेर राव साहब के रावले के पास कोटडा मामेर रोड पर।

5. **डैय्या**--पंचायत भवन को दुकान में पटवार मण्डल आवास के पास।

(2) जी, नहीं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 75 अनुसार मदिरा दुकान हेतु आबादी के मध्य, मेला ग्राउण्ड, मेडिकल स्टोर, बस स्टेण्ड को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थानों से मदिरा दुकान को अपेक्षित दूरी 200 मीटर है न कि 500 मीटर।

(3) जी, हां। विगत वर्षों में गोगुन्दा बस स्टेण्ड पर मदिरा दुकान स्वीकृत होकर संचालित की जाती रही है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस स्थान पर मदिरा की कोई दुकान स्वीकृत नहीं की गई है।

अवैध शराब ले जाते वाहनों से वसूला गया जुर्माना

740. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1999-2001 तक सरकार ने कुल कितने वाहनों को शराब ले जाते हुए पकड़ा और उसमें कौन-कौन से वाहन थे?

(2) सरकार द्वारा उक्त वाहनों से कितना-कितना जुर्माना वसूला गया?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2001 तक राज्य में मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन विक्रय भण्डारण तथा परिवहन को नियंत्रित करने हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उक्त अवैध कारोबार में प्रयुक्त/उपयोग किये गये निम्नानुसार वाहन अभिग्रहित किये गये :--

(आबकारी मंत्री)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	बस/मिनी बस	7
2.	ट्रक/मिनी ट्रक	111
3.	टाटा सूमो जीप/कार	325
4.	मारुति कार/वैन	84
5.	स्कूटर/मो. साइकिल	385
6.	मोपेड	91
7.	टेम्पो/ओटोरिक्शा	39
8.	ट्रेक्टर/ट्रोली	15
9.	बैलगाड़ी/ऊंटगाड़ी	7
10.	एम्बूलेन्स	1
11.	साइकिल/रिक्शा	196

(2) उपरोक्त वाहनों में पुलिस विभाग द्वारा अधिग्रहण किए गए वाहन भी सम्मिलित हैं जिन्हें विभाग द्वारा जुर्माना वसूलते हुए अधिग्रहण से मुक्त किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा उपरोक्त अधिग्रहीत वाहनों के जुर्माना राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (6) वित्त/आब/99 दिनांक 3-1-2000 तथा राज्यादेश क्रमांक प.1(6)वित्त/आब/99 दिनांक 8-8-2000 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय द्वारा तथा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गयी जो इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	विवरण	जुर्माने की राशि (वर्ष 1999-2001)
1	बस/मिनी बस	1,81,000
2	ट्रक/मिनी ट्रक	63,22,000
3	टाटा सूमो/जीप/कार	1,24,87,660
4	मारुति कार/वैन	16,91,000
5	स्कूटर/मोटर साइकिल	16,89,803
6	टैम्पो/आटोरिक्शा	2,68,000
7	मोपेड	1,16,700
8	ट्रेक्टर ट्राली	12,40,000
9	बैलगाड़ी/ऊंटगाड़ी	7,100
10	साइकिल/साइकिल रिक्शा	9,550
		2,40,12,813

जलदाय विभाग में आउटडेटेड कम्प्यूटर खरीद

741. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पेयजल योजना के किस स्तर के कार्यालय कम्प्यूटर से जुड़े हुए हैं व इस प्रकार इस समय विभाग में कुल कितने कम्प्यूटर कार्यरत हैं ?

(2) उक्त कम्प्यूटरों की खरीद कितनी बार में कितनी-कितनी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(3). क्या उक्त कम्प्यूटरों के कार्य विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या उसकी कोई जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्प्यूटरों की खरीद एवं खेप पुराने मॉडल के आउटडेटेड की खरीद की गई हैं जिसमें विभाग को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कब कितना नुकसान हुआ। उक्त खरीद में कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लगभग सभी अधिशासी अभियन्ता स्तर तक के कार्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ने की एक परियोजना स्वीकृत की है। योजना के प्रथम चरण में राज्यभर में 118 कार्यालयों में कुल 431 कम्प्यूटर क्रय किये गये हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फर्म मैसर्स जैनिथ कम्प्यूटर लि. से एक ही बार में एक ही आदेश से कुल 431 कम्प्यूटरों की खरीद की गई है। क्रय की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट—"क" पर संलग्न है।

(3) कम्प्यूटरों के संचालन से संबंधित सामान्य शिकायतें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त होती रहती है जिनका निवारण, संधारण एवं रख-रखाव विक्रेता फर्म द्वारा ही क्रय आदेश में शामिल शर्तों के अनुसार तीन वर्षों तक किया जाना है। जांच योग्य शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी, नहीं। उक्त कम्प्यूटर वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों एवं तकनीकी मानदण्डों के अनुसार प्रचलित मॉडल के ही खरीदे गये हैं। इससे विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सहकारी संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति

742. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की अधिकांश जनसंख्या सहकारी समितियों के माध्यम से विकसित भूखण्डों पर निवास करती है? क्या उक्त कालोनियों में सरकार की ओर से कोई जल योजना नहीं है? क्या उक्त कालोनियों के कुएं एवं बोरिंग सूख रहे हैं और 10 लाख की जनसंख्या पानी के लिए तरस रही है एवं सहभागिता योजना के तहत भी योजनाएं स्वीकृत नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार की उक्त कालोनियों में पानी देने की क्या योजना है और कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं एवं कितनी स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं?

(2) क्या सरकार सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं पर नये जल संबंध देते समय बिना आदेश के

(श्री उदय सिंह राठौड़)

सहभागिता योजना के तहत घरेलू कनेक्शन पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं व्यावसायिक कनेक्शनों पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड की नाप से लेवी लेती है? यदि हां, तो उक्त कालोनियों की जल योजना की क्रियान्विति क्यों नहीं की जा रही हैं जबकि कनेक्शन देते समय भू-खण्ड धारियों से उक्त लेवी ली जा सकती है?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित करते समय उक्त लेवी नियमन शुल्क/विकास शुल्क में जल योजना हेतु नहीं जोड़ी जा सकती है? क्या उक्त राशि नियमन शुल्क में जोड़ दी जाये तो योजना बनाते समय भू-खण्डधारियों से लेवी लेने एवं जल योजना की क्रियान्विति में परेशानी नहीं होगी? क्या सरकार उक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जयपुर शहर की कुछ जनसंख्या सहकारी समितियों के माध्यम से विकसित भू-खण्डों पर निवास करती है। समितियों के माध्यम से बसाई गई कालोनियों में सहभागिता योजना के अन्तर्गत जल योजना स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। यह सही है कि भू-जल स्तर लगातार नीचे जाने से ऐसी कालोनियों में स्वयं के कुएं एवं बोरिंग भी प्रभावित हो रहे हैं। यह सही नहीं है कि सहभागिता योजना के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो रही है। जयपुर शहर में सहभागिता नीति के अन्तर्गत 68 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और जैसे-जैसे कालोनियों से इस नीति के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, योजनाएं भी स्वीकृत की जा रही हैं। वर्तमान में सहभागिता नीति के अन्तर्गत जयपुर शहर में 19 योजनाएं विचाराधीन हैं।

(2) जी, नहीं। विभाग की नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ही सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं पर नये जल संबंध देते समय घरेलू उपभोक्ताओं से 15/- प्रति वर्ग मीटर एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं से 50/- प्रति वर्ग मीटर भू-खण्ड की नाप से सहभागिता राशि ली जाती है, यह राशि उन आवेदनकर्ताओं से ली जाती है जिन कालोनियों में उस नीति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत भू-खण्डधारियों द्वारा सहभागिता राशि जमा करने के पश्चात् योजना क्रियान्वित की जाकर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। जहां-जहां भी ऐसी कालोनियों के आवेदनकर्ताओं द्वारा सहभागिता राशि जमा करायी जा रही है, योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों के भू-खण्ड नियमित करते समय अन्य शुल्कों के साथ-साथ जल प्रदाय योजनाओं हेतु सहभागिता राशि भी ली जा सकती है, बशर्ते नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार कम से कम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

50 प्रतिशत आवेदनकर्ता अपने भू-खण्डों का नियमितीकरण करायें तथा यह राशि भी जमा करायें। इस संबंध में सहकारी समितियों का सहयोग एवं इस आशय का लिखित आवेदन आवश्यक है। इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण से परामर्श कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना की लम्बित पेयजल योजनाएं

743. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कुल कितनी जल योजनाएं जयपुर मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कितने समय से स्वीकृति हेतु लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु उक्त लम्बित जल योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कोई भी पेयजल योजना वर्तमान में जयपुर मुख्य अभियन्ता कार्यालय में स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर के अनुसार।

राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुरा (अजमेर) में मरम्मत योग्य हैण्ड पम्प

744. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुरा (करांटी) जिला अजमेर के बाहर गत 2 वर्ष पूर्व हैण्ड पम्प लगाकर चालू किया गया था? यदि हां, तो कब स्वीकृत हुआ कब ड्रिल किया गया और कितना गहरा किस दर से कितनी रकम ड्रिल करने में लगी तथा चालू करने में कितने पाइप किस दर से लगाये व अन्य व्यय प्रत्येक मद में कितना-कितना हुआ?

(2) क्या प्राइवेट मशीन से व्यक्ति हैण्ड पम्प लगाता तो उतना ही व्यय आता है? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुरा (करांटी) के पास स्थित हैण्ड पम्प माननीय विधायक कोष से स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर आदेश संख्या 207-11/27-5-2000 द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस हैण्ड पम्प को (कुल 54.80 मीटर) दिनांक 4-6-2000 को 54.80 मीटर ड्रिल किया गया। इस हैण्ड पम्प में निम्न प्रकार व्यय हुआ :—

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि (रु. में)
1	ड्रिलिंग का व्यय 54.80 मी. 233/- प्र.मी.	12220.40
2	स्थापना व्यय	400.00
3	केसिंग पाइप 5.80 मी. 360.2 प्र.मी. + 5 प्रतिशत स्टोरेज	2193.62
4	जी.आई पाइप 36 मी. 75.70 प्र.मी. + 5 प्रतिशत स्टोरेज	2881.46
5	हैण्ड पम्प सैट (मय स्टोरेज)	3167.90
6	प्लेट फार्म का निर्माण	1779.40
		22622.78

(2) जी, हां। इस हैण्ड पम्प की ड्रिलिंग, स्थापना, एक प्लेट फार्म का कार्य, खुली निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर प्राइवेट एजेन्सी से ही करवाया गया है तथा केसिंग पाइप, हैण्ड पम्प व जी. आई. पाइप खण्डीय भण्डार से उपलब्ध करवाए गये।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

745. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल संकट की स्थिति तो देखते हुए विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु कोई ग्रामीण जल योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं और उन पर सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भादरा में नहरी पानी की कमी के कारण आपातकालीन कंटिंजेंसी में विभिन्न ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	प्रस्तावित लागत (रु. लाखों में)	स्वीकृति की स्थिति
1.	नये डी.सी.बी. चालू करना	9	13.05	4/2001 में स्वीकृत
2.	पुराने डी.सी.बी. पुनः चालू करना	9	6.30	4/2001 में स्वीकृत
3.	स्थानीय कुएं चालू करना	14	11.20	4/2001 में स्वीकृत
4.	चैनल रिपेयर का कार्य	3	3.01	4/2001 में स्वीकृत
5.	डिग्गी मरम्मत का कार्य	2	2.00	4/2001 में स्वीकृत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फरवरी, 2001 में स्वीकृत किये गये 5 कार्यों में से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक कार्य प्रगति पर है व 2 कार्य एक माह में चालू करवा कर पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। शेष 32 कार्यों की स्वीकृति माह अप्रेल, 2001 के अन्तिम सप्ताह में हुई है, जिन पर कार्य बजट उपलब्धता के अनुसार कराना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र नावां की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

746. **श्री हरीश चन्द्र** (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2001 में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय जिला नागौर में पधारे थे तथा उन्हें विधान सभा क्षेत्र नावां के गांव में पीने के पानी की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उनमें वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समर कंटिंजेंसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में कौन-कौनसी योजनाओं की कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं और उक्त योजनाओं की प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी योजनाओं का स्वीकृत होना शेष है और उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जावेगा? उक्त योजनाओं की कितनी-कितनी राशि की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने गांवों में पीने के पानी के लिए कितने टैंक कहां उपलब्ध हैं और उन पर प्रतिदिन क्या खर्चा हो रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ज्ञापन में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" में उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में समरकंटिंजेंसी कार्यक्रम 2001 के अन्तर्गत 5 ग्रामों हेतु स्त्रोत संवर्धन, पाइप लाइन डालने आदि कार्यों हेतु 10.75 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है। योजनाओं की प्रगति का विवरण प्रपत्र-"ब" में संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की 11 ग्रामों की पेयजल योजना वर्तमान में तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्राथमिकता, बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन योजनाओं की स्वीकृति सम्भव हो सकेगी। प्रस्तावित योजना की अनुमानित राशि का विवरण परिशिष्ट-"स" पर उपलब्ध है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 12 ग्राम/ढाणियों में वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12 टैंकर उपलब्ध हैं। इन पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रतिदिन हो रहे व्यय का विवरण परिशिष्ट-"द" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बीराण (भादरा) की पेयजल लाइन

747. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांव बीराण में पेयजल की पाइप लाइन बिछाने का कार्य बकाया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त कार्य कब स्वीकृत हुआ और इसका ठेका किस ठेकेदार/फर्म को कब दिया गया तथा अब तक उक्त कार्य के पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांव बिराण में पेयजल की पाइप लाइन बिछाने का कार्य ठेकेदार द्वारा पाइप लाइन का कार्य बीच में छोड़े जाने के कारण अधूरा है।

(2) उक्त कार्य दिनांक 9-11-98 को स्वीकृत हुआ था। पाइप लाइन डालने का कार्य दिसम्बर, 98 में अनुबन्धित फर्म मैसर्स बृजलाल सोनी ठेकेदार, नोहर को आबंटित किया गया था। कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में छोड़ा जाना है।

(3) जी, हां। यह कार्य आगामी तीन माह में पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उदयपुर में कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

748. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1986 से मार्च, 2001 तक अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर ड्रिलिंग खण्ड-द्वितीय में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों द्वारा पुनः राज्य सेवा में रहने हेतु आवेदन किया? यदि हां, तो किस-किस ने? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अभि. विभाग खण्ड, उदयपुर में वर्ष 1986 से मार्च, 2001 तक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

निम्न 4 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया :—

1.	श्री केहर सिंह	यांत्रिक
2.	श्री रतनसिंह	सहायक
3.	श्री रघुवीर सिंह	वाहन चालक
4.	श्री लीमजी	वाहन चालक

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में लम्बित पुनर्गठन पेयजल योजना

749. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर व कोटड़ी की 13 पंचायतों में फ्लोराइड युक्त पानी के ग्रामों में व जहाजपुर शहर की पुनर्गठन योजना कहां किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऊंचा टीकड़ कुचलवाड़ा कलां सहित 9 ग्रामों की योजना कब बनी और कब स्वीकृत हुई? उक्त योजनाओं के अब तक क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी?

(3) उक्त क्षेत्र के ग्रामों तथा नगरीय पुनर्गठन योजना किन कारणों से अब तक स्वीकृत नहीं की गई तथा अब कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी?

(4) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के फ्लोराइड व खारे पानी वाले गांवों की योजना की स्वीकृति लम्बे समय तक लम्बित रखने के क्या कारण हैं? क्या सरकार चालू वर्ष में उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में फ्लोराइडयुक्त पानी के ग्रामों की कोई नयी योजना विभाग में लम्बित नहीं है तथा जहाजपुर शहर की पुनर्गठन योजना उपखण्ड जहाजपुर स्तर पर तकनीकी आक्षेपों की पूर्ति हेतु लम्बित है।

(2) क्षेत्रीय योजना ऊंचा-टीकड़ 7 ग्रामों की योजना दिनांक 6-12-95 को स्वीकृत हुई थी। उक्त योजना में स्रोत (खुला कुआं) के असफल होने के कारण अन्य कार्यों की क्रियान्विति नहीं की गई। योजना में स्रोत निर्माण का कार्य प्रगति पर है। स्रोत के सफल होने पर अन्य कार्यों की क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

(3) उक्त क्षेत्र की ग्रामों की कोई योजना विभाग में लम्बित नहीं है तथा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नगरीय योजना जहाजपुर ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के नार्मस के अनुसार बनाई जा रही है जो तकनीकी जांच के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में फ्लोराइड व खारे पानी वाले गांवों की कोई नयी योजना विभाग में लम्बित नहीं है।

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) को बीसलपुर योजना से पेयजल आपूर्ति

750. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील आसीन्द क्षेत्र (भीलवाड़ा) में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर बांध जल योजना से उक्त तहसील क्षेत्र के ग्राम, शहरों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। बीसलपुर बांध में पेयजल के लिए आरक्षित पानी में तहसील आसीन्द की पेयजल मांग शामिल नहीं होने के कारण इस बांध से कोई पेयजल योजना विचाराधीन नहीं है।

भू-अभिलेख निरीक्षक पाली के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें

751. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान भू-अभिलेख निरीक्षक (सहायक सदर कानूनगों) भू-अभिलेख शाखा पाली का पदस्थापन कब हुआ?

(2) उक्त निरीक्षक पदस्थापन के बाद कब-कब कहां पदस्थापित रहा?

(3) उक्त कर्मी ने सहायक सदर कानूनगो अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर रहते हुए कब-कब किस पद से कितनी-कितनी राशि के अतिरिक्त भत्ते उठाए? क्या ये नियमों के तहत सही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सदर कानूनगो कार्यालय पाली जिला कलेक्टर पाली के बाहर कब-कब व किन-किन स्थानों पर रहा?

(5) उक्त सहायक सदर कानूनगो एवं अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक शाखा सदर कानूनगो कार्यालय पाली में उक्त दोनों पद कब-कब रिक्त रहे और रिक्त पदों का चार्ज किसके पास रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(6) क्या सरकार ऐसी कर्मचारी को उक्त स्थान से हटाए जाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान भू-अभिलेख निरीक्षक श्री करण सिंह (सहायक सदर कानूनगो) भू-अभिलेख शाखा पाली का पदस्थापन पटवारी के पद पर दिनांक 22.7.1980 को हुआ था। तत्पश्चात् भू-अभिलेख निरीक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 1.10.1984 द्वारा इन्हें जिला कलेक्टर, बाड़मेर के अधीन भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु आबंटित किया गया। दिनांक 7.6.2000 से श्री करण सिंह, सहायक सदर कानूनगो पाली के पद पर कार्यरत है।

(2) उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदस्थापित होने के बाद जब-जब जहां पदस्थापित रहा, उसका विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) उक्त कर्मी ने सहायक सदर कानूनगो अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर रहते हुए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं लिया है। बल्कि अपने मूल पद के कार्य के साथ-साथ अन्य रिक्त पद (सदर कानूनगो व सहायक सदर कानूनगो) का कार्य सम्पादित करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	रिक्त पद जिसका अतिरिक्त कार्य किया	अवधि	राशि	मूल वेतन
1.	सदर कानूनगो	20-2-98 से 30-9-98 तक (अधिकतम 6 माह)	2169/-	6025/-
2.	सहायक सदर कानूनगो	7-4-99 से 6-6-2000 तक (अधिकतम 6 माह)	2295/-	6375/-

(4) श्री करणसिंह, सदर कानूनगो कार्यालय पाली जिला कलेक्टर, पाली के बाहर जब जब जहां-जहां पदस्थापित रहा, उसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) सहायक सदर कानूनगो एवं अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक के पद निम्न अवधि में रिक्त रहे, रिक्त पदों का चार्ज निम्न प्रकार है :—

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	रिक्त पद का नाम	अवधि	अतिरिक्त कार्य प्रभार धारणकर्ता
1.	सहायक सदर कानूनगो	16.7.1997 से 25.8.1997 तक	श्री हरीकृष्ण दाधीच, सदर कानूनगो
		1.4.1999 से 6.6.2000 तक	श्री करण सिंह, अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक
2.	अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक	जून, 1985 से नवम्बर, 1985 तक	श्री हनुमान प्रसाद सदर कानूनगो
		28.8.1992 से 7.9.1992 तक	श्री करण सिंह, सहायक सदर कानूनगो के पास
		7.6.2000 से 6.12.2000 तक	श्री करण सिंह, सहायक सदर कानूनगो के पास

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

(6) समय समय पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं।

बरड़ क्षेत्र (बून्दी) में पत्थरों की दीवारों से अतिक्रमण

752. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बून्दी के सैन्ड स्टोन वाले बरड़ क्षेत्र में पत्थरों की दीवारें (बाउण्डरीवाल) बनाकर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार करवाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील बून्दी द्वारा प्रतिवर्ष अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने के आदेश दिए जाने के बाद भी मौके पर से दीवारें हटाने की कार्यवाही नहीं करने से आदेश निष्प्रभावी हो जाते हैं? यदि हां, तो उक्त बाबत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि मौके पर से अतिक्रमियों के वास्तविक कब्जे नहीं हटाने से सरकार को खनिज रायल्टी से मिलने वाली राशि में नुकसान हो रहा है?

(4) क्या खनिज क्षेत्र के ऐसे अतिक्रमणों को मौके पर से हटाने के लिए राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कारगर कदम उठाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा राजस्थान भू-राजस्व

(राजस्व मंत्री)

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत राजकीय सिवाय चक भूमियों पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिवर्ष कार्यवाही की जाती है तथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जाकर मौके पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। मौके पर भौतिक रूप से अतिक्रमियों को अतिचारित भूमि से कब्जा हटाया जाकर उनको बेदखल भी किया जाता है। जहां तक अतिचारित भूमि पर बनाई हुई पत्थरों की दीवारों (बाउण्डरीवाल) को तुड़वाने/हटाने का प्रश्न है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को आवश्यक निर्देश दिनांक 1.5.2001 को जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। इस संबध में जिला कलक्टर को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाकर खनिज विभाग को भी अभियान चलाया जाकर अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया है।

भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि प्रकरण

753. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत जिनकी भूमि अवाप्त की गई है, उनको खुद काश्त की भूमि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन करने पर दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन हैं जिन्होंने उक्त धारा में दी गई अवधि में आवेदन नहीं किया और फिर भी उन्हें खुद काश्त की भूमि आबंटित कर दी गई है?

(2) क्या सरकार इसी तरह के अन्य प्रकरणों में भी ऐसा ही निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.1 एफ.19 (राज-क) 63 दिनांक 22.1.1962 द्वारा सर्वश्री दाउदयाल, भुनेश्वर, मदनलाल गोस्वामी, बजरंग लाल, जोगेश्वर, तुलेश्वर, श्री नरेन्द्र कुमार जागीर चिलकोइ गुसाइयान तहसील तारानगर जिला चूरू के जागीर पातीदार के प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार करने की स्वीकृति दिये जाने पर खुदकाश्त भूमि आबंटित की गई।

(2) सरकार के पास एक प्रार्थना पत्र श्री भानुप्रताप सिंह पौत्र स्व. ठा. मोहन सिंह जी ग्राम महला तहसील दूदू जिला जयपुर का अभी विचाराधीन है। स्व. ठा. श्री मोहन सिंहजी भूतपूर्व जागीरदार महला तहसील दूदू जिला जयपुर का दिनांक 16.2.1978 को स्वर्गवास होने के उपरान्त

(राजस्व मंत्री)

उनके पौत्र श्री भानू प्रताप द्वारा भूमि आबंटन हेतु दिनांक 11-8-1987 को राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

बड़ौद (कोटा) में उप तहसील की स्थापना

754. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उप तहसील खोलने के क्या मानदण्ड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा में पूर्व तहसील मुख्यालय बड़ौद में अभी तक उप तहसील क्यों नहीं खोली जा रही है? क्या सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप तहसील खोलने के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं है। मजिठियां समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उप तहसील खोलने के लिए कम से कम 15 पटवार मण्डलों का होना तथा इसी के अनुपात में भू.अनि. वृत्तों का होना आवश्यक है किन्तु रेगिस्तानी ईलाकों में उप तहसील के गठन हेतु 10 पटवार मण्डलों का तथा आदिवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पहाड़ी ईलाकों में 8 पटवार मण्डलों का होना आवश्यक है।

(2) पूर्व तहसील मुख्यालय बड़ौद में उप तहसील खोलने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जब उप तहसील खोलने पर विचार किया जावेगा तब इस संबंध में भी विचार कर लिया जावेगा।

तहसील कोटपूतली की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण

755. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली (जयपुर) में चरागाहों तथा श्मशानों की भूमि से अभी तक सरकार द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त तहसील के ग्राम छारदड़ा, पाथरेडी के चरागाह अतिक्रमण से मुक्त है? क्या उक्त पंचायत चरागाहों पर काबिज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पवाला राजपूत, रैगरों की ढाणी कल्याणपुरा कलां तथा सांगटेडा के श्मशानों तथा साथ पंवाला राजपूत खसरा नम्बर 337 व 237/559 एवं रैगरों के जोहड़ एवं श्मशान अतिक्रमण से मुक्त हो गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली (जयपुर) में चरागाहों तथा श्मशानों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटवाये गये हैं।

(2) ग्राम छारदड़ा में 6.25 हैक्टेयर भूमि पर आठ व्यक्तियों का अतिक्रमण होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अतिक्रमियों को 3 माह का कारावास तथा 50 गुणा शास्ति कायम की गई है। फसल जप्ती कर नीलामी की कार्यवाही कर चरागाह को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ग्राम पाथरेडी में 6.13 हैक्टेयर पर अतिक्रमण था, जो बेदखल कर अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है।

(3) सांगटेडा, पवाला राजपूत के श्मशान खाली है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कल्याणपुरा कलां में रैगरों की ढाणी नहीं है। ख.नं. 337 पवाला राजपूत खातेदारी का है तथा ख.नं. 237/559 श्मशान मौके पर खाली है। कोई अतिक्रमण नहीं है।

तहसील जहाजपुर (भीलवाड़ा) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

756. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जहाजपुर (भीलवाड़ा) में चरागाह/रास्ते की भूमि पर कितना-कितना अतिक्रमण हुआ है?

(2) क्या सरकार ने चरागाह व रास्ते की सार्वजनिक भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए नियम 91(6) एल. आर. ए. बनाया है? यदि हां, तो उक्त अधिनियम के तहत उक्त तहसील क्षेत्र में कितने मामलों में कहां-कहां किसके विरुद्ध कार्यवाही हुई है?

(3) क्या यह सही है कि चरागाह/रास्ते की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों पर अतिक्रमी द्वारा बार-बार अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध नियम 91 (6) के तहत कार्यवाही के प्रावधान हैं? यदि हां, तो उक्त तहसील में जिन अतिक्रमियों के विरुद्ध उक्त नियम के तहत कार्यवाही नहीं हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसी सार्वजनिक भूमि की चैकिंग करने हेतु पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को नियमों में अधिकार प्रदत्त है? यदि हां, तो उनके द्वारा कब-कब ऐसी जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र जहाजपुर में चरागाह की 618 एकड़ भूमि एवं रास्ते की 47 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।

(2) जी, हां। इस तहसील क्षेत्र में 4 मामलों में प्रश्नगत अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज कराई जाकर कार्यवाही की गई, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

(राजस्व मंत्री)

1. श्री रूपा आ. हरदेव मीणा निवासी रावतखेड़ा

2. श्री लाला आ. कजोड मीणा निवासी रावतखेड़ा

3. श्री लाल आ. श्री रामनाथ गूजर नि. लाडी जी का खेड़ा

4. श्री पन्ना आ. जगन्नाथ गूजर निवासी लाडी जी का खेड़ा

(3) जी, हां। जिन अतिक्रमियों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

(4) जी, हां। पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा बरवक्त जिन्सवार, जिन्सवारी चैकिंग एवं अन्य राजकार्य से भ्रमण के समय जांच की जाती है तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र बर (पाली) में देवरी माता मन्दिर के ट्रस्टीगण

757. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र बर (पाली) में देवरी माता मन्दिर का ट्रस्ट किस वर्ष से पंजीकृत है तथा ट्रस्ट के गठन के समय कौन-कौन ट्रस्टी बने थे? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें?

(2) वर्तमान में देवरी माता ट्रस्ट के कौन-कौन सदस्य जीवित हैं? उक्त ट्रस्ट में कब-कब किस ट्रस्टी को सम्मिलित किया गया है? वर्तमान में ट्रस्टीगण की सदस्य संख्या कितनी है? नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला प्रशासन व सरकार ने कभी उक्त मन्दिर के आय-व्यय लेखों का निरीक्षण किया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब सरकार उक्त पवित्र मन्दिर की देखभाल की क्या व्यवस्था करना चाहती है?

(4) क्या सरकार उक्त मन्दिर के ट्रस्ट मण्डल का चुनाव नियमानुसार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र बर जिला पाली में देवरी माता मन्दिर का ट्रस्ट वर्ष 1979 (दिनांक 17-10-1979) से बना हुआ है। इस ट्रस्ट के गठन के समय कुल 09 ट्रस्टी बने थे, जिनकी सूची निम्नानुसार है :—

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री दत्तमलजी, ब्राह्मण निवासी बर।

2. श्री रामसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह, राजपूत निवासी बर।

3. श्री माणकचन्द पुत्र श्री जालमचन्द छीपा निवासी बर।

4. श्री पूनमचन्द पुत्र श्री मोहनलाल उपाध्याय पोलखाना हैदराबाद।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

5. श्री चेतनप्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल ब्राह्मण निवासी बर।

6. श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह राजपूत निवासी बर।

7. श्री मोहनलाल पुत्र श्री चतराराम माली निवासी बर।

8. श्री बाबूलाल पुत्र श्री मूलाराम ब्राह्मण निवासी बिराटिया बड़ा।

9. श्री कानसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी बर।

(2) वर्तमान में देवरी माता ट्रस्ट के उक्त सदस्यों में से मात्र 3 सदस्य जीवित है तथा समय-समय पर 08 नये ट्रस्टी सहवरित कर सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान में उक्त ट्रस्ट के कुल ट्रस्टियों की संख्या 11 है, जो निम्नानुसार है :—

ट्रस्ट गठन के समय जीवित सदस्य

1. (1) श्री मांगीलाल रिणवा, बर मैनेजिंग ट्रस्टी

2. (2) श्री चेतन प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल रिणवा, बर

3. (3) श्री रामसिंह उदावत पुत्र श्री दलपतसिंह उदावत, बर

नवीन सहवरित सदस्य :	सहवरण की तिथि
4. (1) श्री किशन दाधीच पुत्र श्री छोगालाल, आदर्श नगर, पाली	8.10.1989
5. (2) श्री रामनारायण पुत्र श्री गंगाधरजी, अजमेर	8.10.1989
6. (3) श्री धर्मेश प्रसाद पुत्र श्री मांगीलाल रिणवा, बर	8.5.1994
7. (4) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री घनश्यामजी, ब्यावर	28.4.1996
8. (5) श्री शिवनारायण पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, पाली	2.4.2001
9. (6) श्री घनश्याम पुत्र श्री नारायण जी कुदाल, बर	2.4.2001
10. (7) श्री बाबूलाल पुत्र श्री धूलाजी माली, बर	2.4.2001
11. (8) श्री राधाकिशन मंडेल पुत्र श्री बालूराम, ब्यावर	2.4.2001

(3) जी, नहीं। जिला प्रशासन व सरकार ने कभी उक्त मन्दिर के आय-व्यय के लेखों का निरीक्षण नहीं किया किन्तु उक्त प्रन्यास के आय-व्यय के लेखों का अंकेक्षण प्रति वर्ष चार्टड एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है जो देवस्थान विभाग को वर्ष 1999-2000 तक का प्राप्त हो चुका है। निरीक्षक, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा भी उक्त मन्दिर प्रन्यास का निरीक्षण दिनांक

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

13.4.2001 को किया गया है। वर्तमान में उक्त पवित्र मन्दिर की देखभाल विधान के अनुसार मन्दिर के ट्रस्ट मण्डल द्वारा की जा रही है।

(4) उक्त मन्दिर के प्रन्यास के विधान में ट्रस्ट मण्डल का गठन चुनाव द्वारा करने का प्रावधान नहीं है। इस ट्रस्ट के विधान के अनुसार किसी भी ट्रस्टी का स्वर्गवास हो जाने अथवा पद त्याग करने पर रिक्त स्थान की पूर्ति बकाया ट्रस्टीगण सहवर्तन करके करेंगे। अतः ट्रस्ट के विधान के अनुसार ट्रस्ट मण्डल का चुनाव करवाने हेतु राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है, किन्तु प्रन्यास के कु-प्रबंध आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार जांच की कार्यवाही कर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है।

नियोजन कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा उपलब्ध बेरोजगारों को रोजगार

758. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में रोजगार कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा कितने व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? संख्या सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत पांच वर्षों में कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए? संख्या सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कोई नियम बनाए हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा गत पांच वर्षों में (1996 में 2000) में 399 व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है। स्वायत्त शासी संस्थाओं में किसी भी आशार्थी को रोजगार उपलबन्ध नहीं कराया गया है।

वर्ष	रोजगार प्राप्त आशार्थी	
	सरकारी कार्यालयों में	स्वायत्त संस्थानों में
1996	77	—
1997	191	—
1998	107	—
1999	8	—
2000	16	—
योग	399	

(श्रम मंत्री)

(2) उक्त जिले में गत पांच वर्षों में 20904 बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए हैं। वर्षवार सूची निम्नानुसार है :—

वर्ष	पंजीकृत आशार्थियों की संख्या
1996	5858
1997	3545
1998	3252
1999	5864
2000	2385
योग	**20904**

(3) रोजगार कार्यालयों को रिक्त ज्ञापन रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 एवं नियम 1960 में वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जाता है। रोजगार कार्यालय की रीति नीति एवं प्रक्रिया केन्द्रीय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार संचालित की जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका संख्या 11646-11724/95 के मामले में दिनांक 22.8.1996 को निर्णय दिया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालयों से नाम मंगाने के साथ-2 ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एवं रेडियो तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रचार प्रसार कराकर भी आवेदन पत्र मांगे जावे। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो या जो पंजीकृत नहीं हो वे भी सीधे नियोजकों को अपने प्रार्थना पत्र दे सकते है तथा रिक्त स्थानों की नियुक्ति हेतु पात्रता बनाये रख सकते हैं।

गंग कैनाल में लाइनिंग से जल स्तर में वृद्धि

759. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में, गंग कैनाल क्षेत्र में कौन-कौन सी माइनर, वितरिकाओं व ब्रांचों की कितनी-कितनी लाइनिंग की गई व कितनी-कितनीं राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त माइनर, ब्रांचों व वितरिकाओं की लाइनिंग की गई है उनका लाइनिंग करने से पूर्व व बाद में प्रत्येक का एफ.एस.एल. का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में बजट अभाव के कारण कोई लाइनिंग का कार्य नहीं कराया गया एवं केवल 14.21 लाख रुपये की राशि पुरानी देनदारियों पर व्यय की गई।

(2) वर्ष 2000-2001 के पूर्व जिन 18 नहरों में लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन नहरों का लाइनिंग करने से पूर्व व बाद का एफ.एस.एल. का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कोटा सम्भाग की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

760. **श्री प्रभुलाल** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा, बून्दी, झालावाड़ व बारां की कुल कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लम्बित है? तखमीना तैयार होने के बाद भी कौन-कौन सी योजनाओं का अभी निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ या बीच में रोक दिया गया है?

(2) उक्त योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है तथा अब तक उन पर कितना व्यय हो चुका है तथा पूरा होने में कितनी राशि की और आवश्यकता है?

(3) सरकार ने उक्त योजनाओं पर कितना-कितना धन आबंटित किया और कितना-कितना व्यय कर दिया गया और अब उक्त योजनाएं कब तक पूर्ण हो जावेंगी?

उत्तर

(1) जिला कोटा, झालावाड़ एवं बारां की कोई मध्यम सिंचाई परियोजना लम्बित नहीं है, जबकि बूंदी जिले की दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लम्बित हैं। तखमीना बनाने एवं योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन के बाद बूंदी की गरड़दा एवं चाकन योजनाओं का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(2) उक्त गरड़दा एवं चाकन योजनाओं की अनुमोदित अनुमानित लागत क्रमशः रुपये 3,951 लाख (आधार वर्ष 1994) एवं रुपये 955 लाख (आधार वर्ष 1993) है। उक्त परियोजनाओं का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं निर्माण हेतु कोई राशि व्यय नहीं हुई है।

(3) सरकार द्वारा इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु पूर्व में कोई बजट आबंटन नहीं किया है। अतः इनके निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं हुई है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार इन परियोजना कार्यों को पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील आसपुर (डूंगरपुर) में सोम कमला अम्बा बांध से सिंचाई

761. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर में सोम कमला अम्बा बांध से किसानों को पिलाई और कमाण्ड एरिया के बीच तालाब भरने का निर्णय अभियन्ताओं ने किसानों के साथ हुई बैठक में किया था? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसानों के साथ लिये गये निर्णय के अनुसार विभागीय कार्यवाही नहीं होने से किसानों को लाखों रुपये बीज और खाद का नुकसान हुआ? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसे दंडित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोम कमला अम्बा बांध से किसानों को सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र के तालाबों को भरने का निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उपस्थित जनप्रतिनिधि अधिकारियों एवं किसानों के साथ संयुक्त जल वितरण कमेटी की बैठक में लिया गया था जिसकी पालना की गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जल वितरण बैठक एवं समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार कृषकों को जल वितरण किया गया है, अतः जिन किसानों ने निर्णय के विपरीत अधिक पानी लगने वाली फसलों की बुवाई की है, को छोड़कर कोई नुकसान का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) जी, नहीं। सोम कमला अम्बा बांध से प्रथम पाण सिंचाई हेतु दाईं मुख्य नहर से दिनांक 4.11.2000 को प्रारम्भ कर दिनांक 3.12.2000 को बन्द की गई एवं द्वितीय पाण हेतु दिनांक 26.12.2000 से प्रारम्भ कर 12.1.2001 (बांध का जल स्तर 202.90) को बन्द कर दी, परन्तु कुछ अन्तिम छोर काश्तकारों को द्वितीय पाण का पानी नहीं पहुंचाने के कारण पानी की मांग होने पर श्रीमान् जिला कलक्टर के निर्देशानुसार आसपुर ब्रांच नहर दिनांक 27-1-2001 से प्रारम्भ कर दिनांक 31-1-2001 तक बन्द की गई। इसी प्रकार बाईं मुख्य नहर से दिनांक 6-11-2000 से 26-11-2000 के बीच प्रथम पाण एवं दिनांक 22-12-2000 से 12-1-2001 तक द्वितीय पाण का जल वितरण किया गया परन्तु नहर के अन्तिम छोर तक का सिंचित क्षेत्र रहने के कारण जिला कलक्टर के मांग करने पर पुनः दिनांक 3-2-2001 से 8-2-2001 तक नहर चला कर पानी दिया गया। इस प्रकार जल वितरण बैठक एवं समय-समय पर लिये गये निर्णय अनुसार उपलब्ध जल का वितरण किया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

माही बजाज सागर परियोजना की बस्सीआड़ा नहर की स्वीकृति

762. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा माही बजाज सागर परियोजना की बस्सीआड़ा नहर को अब तक स्वीकृत कर कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया?

(2) क्या सरकार बस्सीआड़ा नहर का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

(3) उक्त कमाण्ड क्षेत्र में कितना क्षेत्र असिंचित है? क्या सरकार अब कमाण्ड क्षेत्र को सिंचित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) माही परियोजना, बांसवाड़ा के अन्तर्गत बस्सीआड़ा नहर नाम की कोई नहर प्रस्तावित नहीं है।

(2) बस्सीआड़ा नाम की कोई नहर प्रस्तावित नहीं है परन्तु बस्सीआड़ा क्षेत्र को कंठार वितरण प्रणाली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(3) बस्सीआड़ा गांव का कमाण्ड क्षेत्र अभी असिंचित है। कंठार वितरण प्रणाली में इसे वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर वर्ष 2003-04 तक सिंचित कराना प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर, जैसलमेर में सीमेंट की आपूर्ति

763. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर के जैसलमेर मुख्य अभियन्ता क्षेत्र में सीमेंट का गत एक वर्ष से अभाव है? क्या उक्त अभाव से निर्माण कार्य रुके हुए हैं?

(2) उक्त नहर हेतु किस सीमेंट कम्पनी का रेट कांट्रेक्ट है और अवधि क्या है?

(3) क्या सीमेंट खरीद हेतु राशि उपलब्ध होते हुए भी कम्पनी ने सीमेंट आपूर्ति नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त कम्पनी को अग्रिम राशि कब भिजवाई गई है?

(5) क्या रेट कन्ट्रेक्ट कम्पनी से आपूर्ति न होने के कारण परियोजना के जो हरजाना हुआ है? यदि हां, तो उसका जिम्मेदार कौन है?

(6) क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्याप्त बजट एवं जल की कमी के कारण समेंट की पर्याप्त आपूर्ति नहीं ली गई तथा निर्माण कार्य उपलब्ध राशि के अनुरूप ही करवाये जा सके।

(2) वर्तमान में किसी सीमेंट कम्पनी का रेट कांट्रेक्ट नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) किसी कम्पनी को कोई राशि सीमेंट की आपूर्ति हेतु नहीं भिजवाई गई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत डी.जी.एस. एण्ड डी. विभाग को 2200 मैट्रिक टन सीमेंट की आपूर्ति हेतु रुपये 36.00 लाख का भुगतान 22-12-2000 को किया गया था। इसके विरुद्ध 375 मैट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हो चुकी है।

(5) सीमेंट की आपूर्ति हेतु जब किसी कम्पनी से रेट कांट्रेक्ट किया ही नहीं गया था तो उसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(6) जी, नहीं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पद

764. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदों का बैक लॉक रिक्त चल रहा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बैक लाग पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजपत्रित सेवा वर्ग में अनुसूचित जाति के तीन तथा अनुसूचित जनजाति के दो, अधीनस्थ सेवा वर्ग में अनुसूचित जाति के 8 तथा अनुसूचित जनजाति के 9 एवं मंत्रालयिक सेवा वर्ग में अनुसूचित जाति के 7 एवं अनुसूचित जनजाति के 7 पदों का बैक लाग रिक्त चल रहा है।

(2) जी, हां। विभाग के स्टाफ के सम्बन्ध में मंत्री मण्डलीय समिति की समीक्षा के पश्चात् राजपत्रित एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग के बैक लाग को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। मंत्रालयिक सेवा वर्ग में बैक लाग कनिष्ठ लिपिकों के पदों का है। कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार से अभ्यर्थि उपलब्ध होने के पश्चात् बैक लाग के रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जायेगी।

यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पद

765. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत 10 वर्षों में सेवानिवृत्ति/मृत्यु से कितने यूनानी चिकित्सकों के पद कहां-कहां रिक्त हुए तथा उनमें से कितने कब-कब भरे गये? वर्तमान में यूनानी चिकित्सकों (हकीमों) व उप हकीमों (उप वैद्यों) के कुल कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि यूनानी हकीमों के घोषित 50 पदों में से केवल 7 की ही रिक्तियां निकाली गई है और आयुर्वेद के 100 के स्थान पर 200 पदों की रिक्तियां निकाली हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या भनोत कमेटी ने कोई सिफारिश की है? यदि हां, तो क्या और उक्त सिफारिशों पर कब तक अमल किया जाएगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से मार्च 2001 तक सेवानिवृत्ति/मृत्यु से रिक्त हुए यूनानी चिकित्सक के पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" में रख दिया गया है। वर्तमान में यूनानी चिकित्सकों के 7 पद एवं यूनानी औषधालयों में 15 नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं। यूनानी चिकित्सकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

आशार्थी उपलब्ध होने पर भरना सम्भव हो सकेगा। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(2) जी, नहीं।

(3) भनोत प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश संख्या 170 की अनुपालना में गठित केडर रिव्यू समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 7-11-96 द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए निम्न पदों के क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी—

1.	उप निदेशक (यूनानी)	एक पद
2.	सहायक निदेशक (यूनानी)	दो पद
3.	वरिष्ठ चिकित्सक (यूनानी)	सत्रह पद

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.5.98 द्वारा चिकित्सकों को 8000-13500 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत करते समय वरिष्ठ चिकित्सक के पद समाप्त कर दिए गए हैं। इन पदों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के नीतिगत निर्णय की पालना नहीं होने के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरू के चिकित्सालयों के पद समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से बामनवास तहसील के ग्राम फुलवाड़ा में निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

बारेठा की ऊंचाई 2 फीट बढ़ाने के संबंध में।

(2) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर की पंचायत समिति जायल में संचालित अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को बढ़ाने के संबंध में।

(3) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में गन्ना पिलाई को देखते हुए एक अत्याधुनिक शुगर मिल की स्थापना करने के संबंध में।

(4) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी के 7 मजदूरों की नर्मदा नदी में स्नान के दौरान हुई मौत के परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में।

(5) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के कतिपय गांवों के लिए स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण शीघ्र करवाने के संबंध में।

(6) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से बहरोड़ रेफरल चिकित्सालय को निरन्तर विद्युत आपूर्ति होने के लिए उसे सीधा 132 के.वी.जी.एस.एस. से जोड़ने के संबंध में।

(7) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से मस्जिद कमेटी, अजमेर से रिसीवर हटाकर कमेटी का गठन करने के संबंध में।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बंध बारैठा तहसील बयाना (भरतपुर) की ऊंचाई बढ़ाना

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बन्ध बारैठा तहसील बयाना, भरतपुर को 2 फीट ऊंचा उठाने से 20 गांवों के लोगों के पलायन करने से बचाने के क्रम में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि बयाना विधान सभा क्षेत्र में बन्ध बारैठा (किशन सागर) एक बहुत बड़ा सिंचाई बांध है जिसके आस-पास हजारों बीघा जमीन सिंचित होती है और बीस से अधिक ग्राम सिंचाई से लाभ उठाकर काफी अच्छी संख्या में कृषि उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र के काश्तकार इसी तहसील के सबसे अधिक पैदा करने वाले हैं। इस बंध का भराव का क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) करीब 30 किलो मीटर की परिधि में है। इसकी भराई करीब 29 फुट है।

इस बांध के बनने से पूर्व बीसियों ग्राम उठाकर दूसरी जगह बसाए गए थे। क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए तत्कालीन महाराजा किशन सिंहजी द्वारा इस बांध का निर्माण कराया गया था जो भरतपुर जिले के बांधों में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी है। सन् 1972 की भयंकर बाढ़ में इस बांध को नष्ट कर दिया परन्तु केवल पूर्व दिशा में स्थित सपाट के जरिये सारा पानी बह कर निकल

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

गया जिससे क्षेत्र में 20 फुट पानी आ गया जिससे बाढ़ के कारण बहुत कष्ट हुआ। पुनः निर्माण में इस बांध को चार फुट ऊंचा उठा दिया गया और भरतपुर शहर को पानी इसी बांध से दिया जाने लगा। भरतपुर, कुम्हेर व डीग, कामां आदि में पेयजल आपूर्ति के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब ने यमुना जल पहुंचाने का उद्घाटन डीग में किया जो आज तक खटाई में है। धौलपुर से लिफ्ट योजना द्वारा चम्बल से भी योजना बनाई गई परन्तु बयाना क्षेत्र के काश्तकारों का दुर्भाग्य है कि अब जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पुनः दो फुट ऊंचा करने का प्रस्ताव रखा है जिससे कुम्हेर व डीग के लिए पीने के पानी की सप्लाई हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बन्ध बारैठा दो फुट ऊंचाई होने पर थानाडांग, पोपलपुरा, खुलावली, खेरीडांग, चैनपुरा, पूठपुरा इत्यादि बहुत से ग्राम पुनः डूब में आ जायेंगे। किसानों की जमीन हमेशा पानी के नीचे रहेगी तथा कांग्रेस द्वारा निर्मित सड़कें तथा पुल भी पानी की डूब में रहेंगे। इसके प्रभाव से यहां की जनता भयभीत है तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर आन्दोलन करने को उतार हैं। यह बांध सिंचाई के लिए है इससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व सिंचाई तथा मछली पालन से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र के काश्तकार पशुपालक भी हैं उन्हें उठने बैठने चारा उगाने के स्थान का पानी की वजह से अभाव हो जायेगा। लोग भूखे मरने लगेंगे। इसके अलावा अन्य ग्राम वन अभ्यारण्य के नाम पर उठाए जा रहे हैं। पत्थर फोड़ कर गुजारा करने वाले लोगों से रोजी का जरिया छीना जा रहा है। वन विभाग व खान विभाग के आपसी झगड़े में मजदूर व किसान पिस रहे हैं। वक्त रहते इन सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र नहीं निकाला गया तो स्थिति किसी भी समय बेकाबू हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपके जरिये सरकार से अनुरोध करता हूं कि बंध बारैठा को दो फुट उठाने की प्रस्तावित योजना को समाप्त कर बांध की नहरों को पक्का कराने की योजना बनाई जावे जिससे किसानों को अपना हक मिल सके अन्यथा किसान अपने पानी के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त 20 गांव डूब में आयेंगे उनकी जमीन डूब में आयेगी उसे गांव के लोगों की खेती समाप्त तथा घर जल मग्न होने पर पलायन करने पर मजबूर किसानों को बचाएं।

पंचायत समिति जायल, जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों की मजदूरी बढ़ाने विषयक

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारूपाल।

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर में पंचायत समिति जायल के तहसील जायल में अकाल राहत के तहत कच्ची सड़कों, तालाबों तथा कुओं का काम चल रहा है। लेकिन इन कार्यों में लेबर कम लगाया गया है। नागौर जिले में 50 से 75 पर्सेंट से भी ज्यादा खराबा है। जबकि यहां कई लोग बेरोजगार हैं। अकाल राहत कार्य करने के लिए जहां 500 मजदूर तैयार हैं वहां पर 200 मजदूरों को ही लगाया जाता है। नागौर जिले में 50 से 75 पर्सेंट मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता है तथा इनको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कई लोग मजदूरी करने के लिए सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर चले गए हैं और जो गरीब आदमी यहां हैं उनको सड़कों पर लगाने का नम्बर ही नहीं आता है।

अतः अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि अकाल राहत कार्यों के संचालन में लेबर को बढ़ाया जाए। आपकी अति कृपा होगी। साथ ही गरीबों को रोजगार मिलेगा। कबीर दासजी कहते हैं, "काल करे सो आज कर," मंत्रीजी कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी, बढ़ा देंगे। "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगी तो फिर करेगा कब।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी। आप बिराजिये प्लीज।

श्री मोहन लाल बारूपाल : तो मैं आपको बता देना चाहता हूं गोकुल गाड़ी चल रही, सीटी दे रही ट्रेन और टिकट बाबू खटखट करे तू समझे क्या ऐम। गाड़ी शयन सिंगल लग्यो और बैठे तो झट बैठ।

आ टेम चूक्यां पाछे कैसे पहुंचे ठेठ।

टेम चूक्यां टिकट नहीं मिले, चाहे बाबू राखो प्रेम।

गोकुल गाड़ी चल रही सीटी दे रही टेम।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों के लिए एक और शुगर मिल स्थापित करने विषयक

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर शुगर मिल—श्रीगंगानगर की मशीनरी इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसका सुधार सम्भव नहीं है। इससे चीनी की रिकवरी पूरी नहीं होने के कारण मिल घाटे में चल रही है, वहीं इसके प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक दूभर हो रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयत्र स्थापित करने के लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते संयंत्र की स्थापना न होने से अभी तक लोगों को काली राख फाखने पर मजबूर होनां पड़ रहा है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर व

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हनुमानगढ़ जिलों में गन्ना पिराई क्षेत्र को देखते हुए शहर से बाहर अत्याधुनिक शूगर मिल की स्थापना की जाए तथा मिल की वर्तमान भूमि को मार्केट काम्पलेक्स के रूप में नीलाम करके प्राप्त धन का भी नयी मिल की स्थापना में लाभ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

नर्मदा नदी में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने विषयक

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्पित करना चाहता हूं।

झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के कुछ लोग मजदूरी करने बाहर गए हुए थे। गत अमावस्या पर्व पर नर्मदा नदी में स्नान करने उनमें से सात व्यक्ति गए थे तथा सातों ही व्यक्ति नर्मदा नदी में कीचड़ में फंस जाने के कारण डूब कर मर गए। इनमें एक व्यक्ति शीथल ग्राम का, एक व्यक्ति धोलाखेड़ा ग्राम का और एक व्यक्ति टोडी ग्राम का तथा चार व्यक्ति दुडिया ग्राम के एक ही परिवार के थे। परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। यह लोग ही परिवार में कमाऊ व्यक्ति थे आज उन परिवारों के पास खाने को अनाज भी नहीं है, गम्भीर संकट में है।

इस विषय की ओर सरकार तथा खास तौर से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि मृतक व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में स्वीकृत जी.एस.एस. कार्य शीघ्र करवाने विषयक

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत 295 के तहत सूचना।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बापेऊ, बरजांगसर बेरासर गांवों में 33 के.वी. के जी.एस.एस. स्वीकृत किए गए थे। साथ ही उपनी व तेणदेसर में 132 के.वी. के जी.एस.एस., सेरुणा, ठुकरियासर, लढेरा, धीरदेशत, चौटिया व अभेयसिंहपुरा में 33 के.वी. के जी.एस.एस. बनाने के प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है। बापेऊ बरजांगसर, बेरासर में स्वीकृत जी.एस.एस. पर विभाग ने अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। अकाल के समय काश्तकारों को बिजली सही समय पर नहीं मिलने एवं बिजली के फ्लक्चुएशन से भी काश्तकारों की मोटरे आए दिन जलती रहती है। इन जी.एस.एस. के बन जानें से आस-पास के गांवों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने घास चारा पैदा करने के लिए हरा चारा योजना लागू की थी। इस योजना से प्रभावित होकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के काश्तकारों ने भी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अपने खेतों में ट्यूबवैल बनवा लिए। विभाग ने काश्तकारों को ट्यूबवैल बनवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जब प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया तो विभाग यह कह रहा है कि वोल्टेज रेगूलेशन नहीं बैठने के कारण डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाला जाएगा। उक्त स्थिति में सुधार तभी सम्भव है कि जब प्रस्तावित जी.एस.एस. एवं स्वीकृत जी.एस.एस. बन जाए, लेकिन तब तक किसान बरबाद हो जाएगा।

अकाल की इस स्थिति में विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है कि जिन काश्तकारों ने आवेदन के साथ 12000/- रुपये व मांग पत्र की राशि जमा करवा दी है तथा जिन आवेदकों ने आवेदन के साथ मात्र 12000/- रुपये जमा कराए हैं उनके लिए अग्रिम आदेश जारी होने तक मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही नहीं की जानी है। इस आदेश की आड़ में विभाग ऐसे काश्तकारों को भी कनेक्शन नहीं दे रहा है जिनको मांग पत्र पूर्व में जारी किया जा चुका था और पैसे भी जमा है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जिन काश्तकारों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हरा चारा योजना के अन्तर्गत आवेदन किया है उनको शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन जारी करवाए एवं स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण भी शीघ्र करावें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव

बहरोड रेफरल चिकित्सालय को 132 के.वी.जी.एस.एस. से सीधा जोड़ने विषयक

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : बहरोड रेफरल चिकित्सालय में निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए 132 के.वी.जी.एस.एस. से सीधा कनेक्शन देने के क्रम में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के क्रम में।

अलवर जिले के बहरोड उपखण्ड में स्थित रेफरल चिकित्सालय 60 बिस्तरों से सुसज्जित हैं। जनरल सर्जरी, गायनोकोलोजी, नेत्र चिकित्सा व एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ यहां पदस्थापित हैं। इस अस्पताल में सब प्रकार के आपरेशन होते हैं, प्रसूति का सारे क्षेत्र का एक मात्र केन्द्र है। कस्बे के एक किनारे पर स्थित रेफरल अस्पताल की विद्युत आपूर्ति जिस फीडर से दी जा रही है उस पर कस्बे के अलावा काफी कृषि कनेक्शन भी हैं। अस्पताल को भी विद्युत आपूर्ति विभिन्न पारियों, ब्लाक्स में ही मिल पाती है। अक्सर सुबह के समय जब अस्पताल में आपरेशन होते हैं तो विद्युत आपूर्ति नहीं होती है। रात के वक्त होने वाले इमरजेन्सी आपरेशन एवं प्रसूतियां लालटेन की रोशनी में की जाती है।

(डा: करण सिंह यादव)

गर्मी के मौसम में अस्पताल के गम्भीर रोगियों को भारी असुविधा का सामना उठाना पड़ता है। बिजली न होने से अस्पताल के जरूरी उपकरण एक्स-रे, ई.सी.जी. मोनीटर आदि काम में नहीं लिये जा सकते हैं।

अतः अस्पताल ऐसा क्षेत्र है जहां सम्भवतया 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना जनहित में वांछनीय है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जनहित को देखते हुए बहरोड रेफरल अस्पताल में 132 के.वी.जी.एस.एस. से सीधा कनेक्शन दिया जाए ताकि अस्पताल को अधिक समय विद्युत आपूर्ति हो सके। इस सीधी लाइन के डालने पर आने वाले खर्च भी जनहित में जयपुर विद्युत आपूर्ति प्रसारण निगम वहन करे यह भी मैं विद्युत मंत्री से प्रार्थना करता हूं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सेंसिटिव है मामला। बहरोड में रेफरल अस्पताल है और नेशनल हाईवे पर बहरोड स्थित है। कोटपूतली और बहरोड एक्सीडेंट जोन हैं और माननीय सदस्य ने जो मांग रखी व चिंता प्रकट की, मैं इनकी मांग से सहमत हूं। हमारे निगम में एक व्यवस्था है कि जनहित के जो भी महत्वपूर्ण मसले हों उनमें सेपरेट फीडर डालने की व्यवस्था है। उसमें माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि या तो जो भी लाइन कोस्ट आएगी, संबंधित विभाग उसकी 50 प्रतिशत कोस्ट अदा करे और 50 प्रतिशत हमारा निगम भुगतने के लिए तैयार है। यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दो पोस्ट नहीं दे पाये तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा चूंकि वहां के विधायक हैं, यह अपने विधायक कोटे से उस लाइन की जो कास्ट है, उसका 50 प्रतिशत अदा कर दें, बाकी 50 प्रतिशत निगम भुगत लेगा और वहां पर सेपरेट फीडर से यह पावर सप्लाई कर दी जाएगी।

डा. करण सिंह यादव : धन्यवाद मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कय्यूम खान।

मस्जिद कमेटी, अजमेर से रिसीवर हटा कर कमेटी का गठन करने विषयक

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मस्जिद कमेटी, अजमेर से रिसीवर हटाकर कमेटी बनाने हेतु माननीय वक्फ मंत्रीजी एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 21 जनवरी, 1986 से मस्जिद कमेटी, अजमेर पर जिला कलक्टर, अजमेर को रिसीवर नियुक्त कर रखा है। श्री टी. निवासन से लेकर आर.एन.मीणा जब तक कलक्टर रहे, तब तक तो मस्जिद कमेटी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। मगर जिला कलक्टर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह और विश्व विख्यात तीर्थराज

(श्री कय्यूम खान)

पुष्कर में स्नान व जियारत के लिए वी.आई.पी. लोगों के निरन्तर आने, अजमेर सम्भागीय मुख्यालय, राजस्व मण्डल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि की गतिविधियों व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वक्फ बोर्ड के कार्यों के निष्पादन में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए कलक्टर, अजमेर ने एक आर.ए.एस. अधिकारी को अधिकृत कर दिया। जिससे वक्फ जायदादों व मस्जिद कमेटी के कार्यों का सत्यानाश हो गया। उक्त आर.ए.एस. अधिकारी श्री बी.डी.मिश्रा ने भारी घपले किये हैं और मस्जिद कमेटी को नुकसान पहुंचाया। इसकी जांच कर दोषी को दण्डित किया जाये।

अब वक्फ बोर्ड ने सर्वसम्मति से दिनांक 29-10-2000 को एक प्रस्ताव पारित कर जिला कलक्टर, अजमेर को मस्जिद कमेटी, अजमेर के रिसीवर पद से हटा कर कमेटी का गठन करने के लिए माननीय वक्फ मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र हटा कर कमेटी बनाने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री कय्यूम खान : मंत्रीजी। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं जवाब दिलवाइये मंत्रीजी से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई जरूरत नहीं है जवाब की।

श्री कय्यूम खान : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनका जवाब तो दिलवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। आप बिराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ऊर्जा मंत्रीजी को आपने अलाउ कर दिया। वह जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह जवाब दे रहे हैं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप रोक नहीं सकते। आप ही कहते हो। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। खड़े भी हो गये। एक मिनट..(व्यवधान) मस्जिद कमेटी में ऐसा मामला है, उसमें घपला और भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है मंत्रीजी उत्तर देना चाह रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं। वह उत्तर देना चाह रहे हैं। एक मिनट। आप दीजिए वक्फ मंत्रीजी।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, वक्फ) : उपाध्यक्षजी, मैं सदन के सभी सदस्यों को यकीन दिलाता हूं कि आपने जांच करने के लिए कहा। इस प्रकरण में जांच भी करेंगे और उचित हुआ तो रिसीवर को हटा भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

वैभव एजेंसी, अटरू द्वारा पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का मामला

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू कस्बे में वैभव एजेंसी नाम की एक एजेंसी है और वह एजेंसी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का काम करती है। जिसके पास पूरे जिले की कई कोल्ड ड्रिंक्स कम्पनियों की एजेंसी है जैसे लिम्का, फेण्टा, थम्स-अप इत्यादि। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिस तारीख को इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके छह महीने के अंदर-अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है। कई दिनों से सिलसिला चल रहा है—

श्री उपाध्यक्ष : इस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है क्या?

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री उपाध्यक्ष : लिखी हुई होती है?

श्री मदन दिलावर : लिखी है। मैं लाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपायरी डेट?

श्री मदन दिलावर : मैन्युफैक्चरिंग डेट है और लिखा है कि केवल छह महीने यूज कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है क्या? फिर क्या बात है?

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन तो सुनें। पूरा तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन है कि इसको आप देखे तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस छह महीने के अंदर-अंदर इसको सेल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। श्रीमान् और इसके कारण से दो-तीन साल पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स वहां निरन्तर रूप से बेची जा रही है। वहां के कई लोगों को इसकी शिकायत हुई कि इसके कारण से तबियत खराब हो जाती है। मन मचलना प्रारम्भ होता है और इसलिए लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि इसकी जो इस्तेमाल करने की तिथि है, वह दो-तीन साल पहले की है यानि इसका उपयोग अब करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी आधार पर वहां के जागरूक लोगों ने जिला कलक्टर महोदय को शिकायत की। मैं जिला कलक्टर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत शीघ्रता से जांच करवाने के आदेश दिये और चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी को वहां भेजा। भेजने पर 1080 बोतले ऐसी मिली जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती थीं। जिनकी उपयोग करने की समय सीमा खतम हो गयी थी। उन्होंने उनको जब्त किया।

(श्री मदन दिलावर)

लेकिन एक कमी उसमें रह गयी। कम से कम दस हजार बोतले गोदाम में पीछे थीं, उन दस हजार बोतलों को जब्त नहीं किया। केवल 1080 बोतलें जब्त की गयीं। फिर लोगों ने शिकायत की कि बहुत सारी बोतले अभी भी हैं, उनको जब्त किया जाना चाहिए। परन्तु ऊपरी पहुंच के कारण, राजनैतिक हस्तक्षेप होने के कारण उनको आज तक भी जब्त नहीं किया गया है। यह हानिकारक पेय आज भी लोग निरन्तर रूप से पी रहे हैं और इसके कारण से लोगों को कई बीमारियां होने की पूरी सम्भावनाएं, प्रबल सम्भावनाएं हो गयी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य का विषय यह भी है कि जो सैम्पल भेजा है यहां जांच के लिए, वह उस सैम्पल को सही ठहराने का ताना-बाना बुन रहे हैं। बड़े लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं और बड़ी ऊंची पहुंच लगा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो सैम्पल आये हैं वहां से, वहां एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करायी जाये। यदि उसकी कमेटी बनाकर जांच नहीं की गयी तो निश्चित रूप से यह जो एजेंसी है, इस एजेंसी के मालिक हैं, यह कैसे भी, क्योंकि पैसा ले-देकर इसको सही ठहराने का प्रयत्न करेंगे। मैं समय रहते इस बात को कह रहा हूं क्योंकि इस एजेंसी ने पहली बार ही गड़बड़ी की हो, ऐसा नहीं है। पहले भी इसके मालिक कंट्रोल की शक्कर की चोरी करते हुए पकड़े गये हैं। पहले भी मण्डी के लाखों रुपयों के टैक्स की चोरी की, सरकार ने यानि मण्डी ने पुलिस थानों में रिपोर्ट करवायी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि हम जनता की भलाई चाहते हैं तो इसका लाइसेंस नहीं हो तो बिलकुल इसको रोका जाए और यदि लाइसेंस है तो इसका लाइसेंस निरस्त किया जाये, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे।

श्री उपाध्यक्ष : कन्हैया लालजी। माननीय सदस्य, इस पर स्टेटमैंट आने वाला है। आप जो बोलना चाहते हैं उस पर तो उस वक्त बोल लीजिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : नहीं-नहीं, मैं समर्थन मूल्य की दुकाने नहीं खुली, उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर स्टेटमैंट आ रहा है न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जौ पर आ रहा है।

श्री कन्हैया लाल : नहीं, स्टेटमैंट अभी आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब पर, पूरे पर आ रहा है। आप बोलो, भले बोलो।

बस्सी कस्बे में उचित मूल्य की दुकान खोलने विषयक

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार किसानों की दुहाई देती है कि हम किसानों को अमुक लाभ देंगे, बिजली आठ घंटे देंगे और यह जो किसानों को मात्र दो घंटे से लेकर चार

(श्री कन्हैया लाल)

घंटे तक इन्होंने बिजली दी और उसकी वजह से किसानों के जो अनाज पैदा हुआ, बहुत कम अनाज पैदा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव सेक्रेट्री, राजफैड के एम.डी. से किसानों का डेपुटेशन मिलने गया, मैं स्वयं उनसे मिला, मिलने के बाद राजफैड के जो एम.डी. हैं, उन्होंने कहा आज खोलते हैं, कल खोलते हैं, एक महीना हो गया लगातार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों को अपने बच्चों की शादी-विवाह पर पैसे की आवश्यकता है और आज वह सस्ते दामों पर अनाज बेचने पर मजबूर है। मैं आपके माध्यम से इस किसान विरोधी सरकार से, को-आपरेटिव मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अब तक तो इन किसानों को मार ही दिया, लेकिन कम से कम आप, जो भारत सरकार ने 23 मार्च को आदेश दे दिये, उसके बावजूद भी आज तक उचित मूल्य की दुकाने आपने नहीं खोली।

अब तक भी परचेजिंग सेन्टर बस्सी विधान सभा क्षेत्र में जो कृषि उपज मण्डी है वहां पर दौसा जिले के आधे किसान आते हैं। वहां पर जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आधे लोग आते हैं, वहां पर फागी विधान सभा क्षेत्र के भी आधे लोग अनाज लेकर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र एक दो दिन में वहां अनाज परचेजिंग दुकान खोले जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

जयपुर स्थित कतिपय सिनेमाघरों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करने विषयक

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक समाचार प्रकाशित हुआ हैं। जिला कलक्टर, जयपुर ने यह बताया है कि राजमन्दिर, जैम सिनेमा और कोहिनूर सिनेमा इन तीन थियेटर्स के अन्दर अग्निशमन यंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। 31 मई तक का उनको समय दिया गया है। यह एक बहुत चिन्ताजनक स्थिति है क्योंकि तीन छवि गृहों का ही निरीक्षण किया गया है। तीनों के अन्दर अग्नि शमन यंत्र नहीं मिला। मैं मंत्रीजी, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि यदि आप निरीक्षण करवायेंगे तो सम्भवतया किसी भी छविगृह के अन्दर अग्निशमन यंत्र नहीं मिलेगा। और यह छविगृह का ही प्रश्न नहीं है, बहु मंजिले परिसरों का प्रश्न है। मेरा एक तारांकित प्रश्न लगा था वह पहुंच नहीं सका सदन के अन्दर लेकिन उसका जवाब आपने दिया है उसमें आपने कहा है कि 113 भवन ऐसे हैं जहां अग्निशमन यंत्र यहां पर शहर के अन्दर नहीं है। मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूची अपूर्ण है। बहुत सारे बहुमंजिले परिसर मेरी खुद की निजी जानकारी में हैं लेकिन मैं सदन का समय उस बात के लिए खराब नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मंत्रीजी, आप सूची देखेंगे, मैं जयपुर का एक तरह से मूल निवासी हूं, आपकी खुद की जानकारी में ऐसे बहुत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बहुमंजिले परिसर आ जाएंगे जो इस सूची के अन्दर नहीं है। आपने इतना सख्त कानून बनाया, उपाध्यक्ष महोदय, यह अतिरिक्त सोच का विषय है कानून को क्या इज्जत देते हैं, कानून की क्या सैंक्टिटी है। यह जो विनिमय है, जयपुर विकास प्राधिकारण, जयपुर रीजन भवन विनिमय, 2000, इसका 16 है, अधिवास प्रमाण पत्र। मैं आपकी अनुमति से सिर्फ दो क्लाज इसके पढ़ता हूं कि "सभी प्रकार की बहुमंजिले भवनों के लिए तथा विशिष्ट भवनों के लिए अग्नि शमन अधिकारी से संस्तुति पत्र जारी होने के बाद ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने तक स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।" आपने इस लिखित उत्तर में भी यही बताया है कि उनको महीने भर का टाइम दे दिया गया है जो 110 परिसर हैं उनको। तो मंत्रीजी, ये तो आपकी जानकारी में हैं लेकिन जो जानकारी में नहीं हैं वे आपकी पकड़ में आ जाएंगे, आप दे दोगे। मैं सिर्फ इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर कुछ त्वरित गति से कार्यवाही करें और यह भी समझ लेना मंत्रीजी, कभी भीषण दुर्घटना हो गयी, मैं यह सिर्फ फॉर दि शेक ऑफ स्पीकिंग नहीं बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, I want to bring it on the record. कि 02 मई, 2001 को, माननीय गृह मंत्रीजी आज सौभाग्यवश मौजूद हैं यहां पर, आपके नोटिस में मैं यह बात ला रहा हूं कि आप कुछ सावधानी नहीं बरतेंगे तो भयंकर दुर्घटना कभी भी घट सकती है और मंत्रीजी, यह बात समझ लें कि बहुमंजिले परिसर में तो अनेक व्यक्ति निवास करते हैं लेकिन छविगृह के अन्दर एक साथ हजार, पांच सौ आदमी इकट्ठा होते हैं और जब उसके अन्दर आग लग जाती है तो स्टेम्पिड डवलप होता है तो दुर्घटना की आशंका कितनी बढ़ जाती है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि इनकी यह बेसिक रिक्वायरमेंट है तो थियेटर महीने भर बन्द क्यों नहीं पड़ा रहेगा। ऐसी कौनसी आफत हो गयी? जो एशिया का सबसे अच्छा छविगृह माना जाता है राजमन्दिर, रोजाना आप रेट्स बढ़ाने की इनको अनुमति देते हैं। आज पिक्चर देखना मिडल क्लास का जो एकमात्र मनोरंजन का साधन है वह सिनेमा देखना है। आज कोई मिडल क्लास क्लब में नहीं जा सकता और अन्य दूसरे आउटिंग के लिए नहीं जाता है। ओर एक मिडल क्लास का आदमी को पिक्चर देखने के लिए 400–500 का बजट स्पेयर करना पड़ता है महीने के अन्दर और वहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है। आप उनको बन्द कीजिए और मैं आपसे निश्चित रूप से कहूंगा विधान सभा तो नहीं चलेगी लेकिन अगले विधान सभा सत्र में पूछ लूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी मंत्रीजी यदि आप यह जवाब दे सकें कि वाकई में 31 मई को क्रोस करने के बाद आपने बन्द कर दिया इनको या कम्पलाइंस हो गयी। मैं इस बात पर इसलिए ज्यादा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जोर दे रहा हूं कि मैंने यह सवाल एक साल पहले भी पूछा था। रिपीटेडली यह सवाल मैं पूछ रहा हूं और सिर्फ जनहित की दृष्टि से पूछ रहा हूं, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा हूं और अनफारचुनेटली यह सवाल पहुंचता नहीं है सदन में, लिस्ट हो जाता है और आपका एक ज़वाब आता है और जवाब पर चर्चा नहीं हो पाती इसलिए, मंत्रीजी, कृपा करके आप पब्लिक सेफ्टी के लिए इनको एनफोर्स करवायें और बहुमंजिले परिसर को आपको अगर एनफोर्स करने में समय लगे तो छविगृहों के ऊपर तो आप तत्काल इसको एनफोर्स करवायेंगे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा लेकर चलता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

हनुमानगढ़ जिले के कतिपय खेतों में लगी आग की घटना की जांच एवं मुआवजा दिलवाने विषयक

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश लगातार तीन साल से भयंकर अकाल की चपेट में है। बरसात हुई नहीं, नहरों में पानी है नहीं, ऐसी परिस्थिति में जहां थोड़ा बहुत ग्राउण्ड वाटर है, किसानों ने अपने ट्यूबवैल्स के जरिये कुछ अनाज पैदा करने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं की फसल तैयार थी जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं यह 26 अप्रैल की घटना है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दो तीन किलोमीटर की दूरी पर कम्बाइन से गेहूं काटा जा रहा था उसी वक्त एक दर्दनाक घटना घटित हुई और खड़ी फसल में आग लग गयी। आग लगने की वजह से देखते ही देखते सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल तबाह हो गयी। यह 9, 10 और 11 एच.एम.एच. का मामला है जिसमें श्री सौभाग सिंह के खेत से यह आग शुरू हुई और बढ़ते हुए जुगल सिंह राजवीर सिंह, अमर सिंह, कुम्भाराम, गफ्फार, बलदेव सिंह, भंवर सिंह ये सब 9, 10 और 11 एच.एम.एच. के हैं। श्री गिरधारी सिंह 6 एच.एम.एच., मक्खन सिंह टिब्बी, सरदारा राम कुम्हार, टिब्बी, प्रभूमल सिंधी, पसवाड़ी, शरीफ मोहम्मद, यामीन मोहम्मद, वली मोहम्मद, 7 एच.एम.एच. उपाध्यक्ष महोदय, इन तमाम किसानों की कम से कम 150-200 बीघा खड़ी फसल, बम्पर क्राप थी, कम से कम प्रति बीघा अगर मैं 40-50 मन या 18 से 20 क्विंटल कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, बहुत ही उपजाऊ एरिया है और इसमें मैं विशेष तौर पर आपको इस गफ्फार की कहानी बताना चाहूंगा। इसकी माता विधवा है और इसने अपने गहने बेच करके 12 बीघा जमीन साठ हजार रुपये में एक साल के लिए काश्त पर ली थी। इसके खेत में ट्यूबवैल नहीं था। इसकी धान की फसल जो पैडी की फसल लगायी थी वह जल गयी और गेहूं की फसल जब तैयार हुई, बड़ा लड़का इसका इम्तिहान दे रहा था और एक दो दिन में फसल कटनी थी। उपाध्यक्ष महोदय, जब इसके खेत में आग लगना शुरू हुई तो इसका छोटा भाई जो गफ्फार है उसने अपने हाथों से, मतलब उसने

(श्री रामप्रताप)

अपनी जान को भी जोखिम में डाला। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से पैट्रोल में भी आग नहीं लग सकती इतनी भयंकर आग लगी लेकिन उसने खेत को बचाने के लिए, वह लड़का आग से जलने की स्थिति में आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। पिछले साल भी इस तरीके से टिब्बी तहसील के दत्ताखेड़ा गांव का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जहां पर ट्रांसफार्मर के जलने से सैकड़ों बीघा खड़ी फसल तबाह हुई थी और यहां पर भी सौभाग सिंह के खेत में जब यह तम्हांई चल रही थी तो वहां के बिजली के तार इतने नीचे हैं कि वहां से शार्ट सर्कट होने की वजह से खेत में आग लगी और देखते ही देखते कम से कम 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फसल जल गयी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय ऊर्जा मंत्री बिराजमान हैं इसमें किसानों का दोष नहीं है। उसने अपने सारे इनपुट लगाकर पैदा को सीधा एकदम उसको बाजार में ले जाना था, कुछ ही घंटों के बाद एकदम राख हो गया। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जांच तो करवाये जो करवाये इसका मुआवजा भी किसानों को दिलवाया जाए। साथ ही राहत मंत्रीजी बैठे हैं इसमें अगर कुछ कर सके तो आपसे विशेष आग्रह है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ईजाजत से कुछ फोटो भी लेकर आया हूं जिसमें आप अगर अवलोकन फरमायेंगे तो साफ तौर से यह तार जो बिजली के हैं, नीचे आदमी खड़े हैं उनसे थोड़ा ही ऊंचा है। अगर आदमी दो फुट और ऊंचा होता तो शायद वह उस तार को पकड़ सकता था। इतनी भयंकर स्थिति है और यह घटना दूसरी दफा हुई है, पिछले साल भी हुई थी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आपका विभाग जब इतने सैकड़ों-करोड़ों रुपये टैरिफ के रूप में ले रहा है तो यह भी आप व्यवस्था करे कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है और मैं आपकी इजाजत से यह फोटोज यहां पर रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां रख रहे हो या उनको दे रहे हो?

श्री रामप्रताप : वह मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप तो यहां रख दो। हम पहुंचा देंगे।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के द्वारा अपनी जो चर्चा रखी है, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा और इन दिनों 15 अप्रैल से 15 जून तक क्रेश मेंटीनेंस प्रोग्राम चल रहा है। लाइन जहां-जहां खराब है उनको ठीक कर रहे हैं। जल्दी ठीक करवायेंगे और इसकी जांच भी करवायेंगे। दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और मुआवजा भी जो नियमों के अनुसार है वह दिलवायेंगे।

श्री रामप्रताप : मेरे खयाल से पिछली साल जांच हुई थी वह भी आप रिपोर्ट मंगवा लेना। टिब्बी तहसील के रत्ताखेड़ा

(श्री रामप्रताप)

गांव का था पिछले साल का मामला। वह भी मंगवा लेना।

डा. चन्द्रभान : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट के लिए थोड़ा समय चाहा है इसलिए उनका स्टेटमेंट चार बजे होगा। श्री गुलाब सिंहजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16, पुलिस एवं मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,52,63,00000 (सात अरब, बावन करोड़, तिरेसठ लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर भंवरलाल जी।

मास्टर भंवरलाल (राज्य मंत्री, कारागार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,56,24,000 (तीस करोड़, छप्पन लाख, चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

1. पुलिस विभाग में स्थानान्तरण नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. पुलिस के गिरते स्तर एवं बढ़ते हुए जुल्मों, अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

3. पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने हेतु जांच एजेंसी अलग से गठित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. पुलिस तफतीश में साइंटिफिक तरीके अपनाये जाकर सार्थक तफतीश करने हेतु पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. उदयपुर वाटी तहसील क्षेत्र में मणकसास गांव में एक और नया

(श्री शिवनाथ सिंह गुढ़ा)

पुलिस स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

6. सीमावर्ती जिलों में हो रही तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. जिलों में सिपाहियों की भर्ती में अल्पसंख्यक वर्ग से भी बोर्ड में सदस्य रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. पुलिस की भर्ती में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

9. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

10. राज्य में कानून व्यवस्था की गिरती (बिगड़ती) स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़)

11. प्रतापगढ़ तहसील में चल रहे पुलिस थाना जाखमडैम को पूर्व की तरह उप तहसील देवगढ़ में स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

12. पुलिस विभाग द्वारा ग्राम धनेश्री तहसील प्रतापगढ़, रायपुर तहसील अरनोद में हुई डकैती में अब तक बरामदगी नहीं होने एवं मृतकों को राहत नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

13. श्रीगंगानगर जिले में दिन-प्रतिदिन हो रही चोरियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

14. पुलिस विभाग द्वारा श्रीगंगानगर शहर में हो रही स्मैक तस्करी पर प्रतिबंध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रहे पर्ची सट्टे पर अंकुश नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. श्रीगंगानगर जिले में कुछ पुलिस के कर्मचारियों के पर्ची सट्टा व तस्करी में सम्मिलित होने की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

18. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये अपराधियों की प्रार्थना पर जांच प्रकरणों को स्थानान्तरण करके उनको संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विभाग द्वारा पुलिस बल का उनकी योग्यता के अनुसार उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

20. खिराजराम चौधरी की लाडनूं शहर के पास हुई हत्या के अपराधी को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. पुलिस विभाग में अधिकारियों की तुलना में सिपाहियों की संख्या नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. थाना लाडनूं जिला नागौर में इंसपेक्टर का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

23. राज्य अन्वेषण विभाग में लम्बित पड़े प्रकरणों के निपटारे के संबंध में चर्चा के लिए।

24. राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

25. पुलिस विभाग में सिपाहियों को वर्दी भत्ता एवं अन्य सुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. थाना देवली जिला टोंक में प्रधान पंचायत समिति व उनके पुत्र द्वारा पूर्व विकास अधिकारी से मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. जयपुर शहर में पुलिस आयुक्त प्रणाली शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के ग्राम किशनगंज या रानी बड़ोद में सड़क पर पुलिस थाना निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

29. पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस में कार्यरत सिपाही की आर्थिक स्थिति एवं अन्य सुविधा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. राजस्थान में हत्याओं, डकैतियों, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण, आतंकवाद, नकली नोटों के चलन एवं नशीली वस्तुओं की बिक्री में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान में दो वर्षों से हो रहे साम्प्रदायिक झगड़ों में कोई कारगर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

32. राज्य में नेशनल हाइवे पर स्थित थानों को आधुनिक एवं सक्षम बनाने तथा विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम महला

(श्री बाबूलाल नागर)

में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

33. भ्रष्टाचार विभाग द्वारा भ्रष्टाचारियों की जांच में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. पुलिस थानों में समुचित साधनों के अभाव के कारण शिकायतकर्ताओं को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

35. बारां जिले में सारथल (छीपाबड़ौद) एवं पालीछबड़ा में नये थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की मध्य प्रदेश से लगी हुई सीमा पर नियमित गश्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. बारां जिले के छीपाबड़ौद कस्बे में हर मोहल्ले में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

38. पुलिस द्वारा बापचा (बारां) में दर्ज मुकदमा नं. 46 व 47 पर एफ. आर. लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

39. बारां जिले के छबड़ा एवं बापचा थानों में दर्ज मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

40. बारां जिले. में पुलिस की मिलीभगत से जिले के सभी गांवों में दुकानें खोल कर शराब ठेकेदारों द्वारा शराब बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

41. राज्य के पुलिस संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

42. राज्य में पशुओं पर अधिक बोझ डालने एवं उनके साथ क्रूरता बरतने पर भी पुलिस द्वारा कोई कारगर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

43. पुलिस में सिपाहियों की भर्ती में आरक्षण नियमों की पूर्ण अनदेखी करने के क्रम में चर्चा के लिए।

44. बहरोड़ क्षेत्र के थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(डा. करण सिंह यादव)

45. बहरोड क्षेत्र के थाना मादण के अन्तर्गत हुड़िया अथवा काठूवास में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

46. कोतवाली सीकर में मुकदमा संख्या 173/2001 दर्ज कर निर्दोष लोगों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. राज्य में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई एवं निजीकरण के विरोध में आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)

48. पुलिस थानों में साधन बढ़ाने एवं एफ.एस.एल. शाखा को त्वरित एवं चुश्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

49. भीलवाड़ा चौकी (ब्यूरो) में दर्ज अपराध संख्या 308, 309/2000 पी.एफ. संख्या 12/2001, 13/2001 में अपराधियों को पुलिस द्वारा बचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

50. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के थाना कुशलगढ़ के अन्तर्गत अस्थायी चौकी फुलपुरी को स्थायी पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की सीमा पर गांव बोरखेड़ी थाना कुशलगढ़ में अस्थायी पुलिस चौकी गार्ड लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

52. पुलिस कर्मियों की कठोर ड्यूटी के कारण विशेष वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के थानों की इमारतों की खराब स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पुलिस बल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया की पंचायत गरणवास स्थित गुजरात सीमा पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर)

57. अजमेर जिले में साम्प्रदायिक सद्‌भाव बिगड़ने में पुलिस की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री ललित भाटी)

58. विभाग द्वारा अजमेर दरगाह थाना का गजट नोटीफिकेशन नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

59. मुकदमा नं. 33/2001 पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुंझुनूं में अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुये बलात्कार व अपराधी गिरोह द्वारा उसके पति को दी गई मारने की धमकी से उसकी अचानक मौत होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. थाना बस्सी जिला जयपुर में मुकदमा नं. 160/75, 5162/75, 162/82, 446/89, 250/95, 256/95, 242/95, 219/95, 424/95, 707/95, 301/96, 356/96, 88/97, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, 492/97, 591/97 दर्ज एफ.आई.आर. के तहत पुलिस द्वारा झुठे मुकदमे बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग को सामान्य वर्ग से भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. मुकदमा नं. 82/2001, 77/2001 एवं 81/2001 के अन्तर्गत निर्दोष किसानों को फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. तहसील बस्सी के मनजी महाराज के मंदिर (दादूदयाल मण्डली) एवं भूमि पर अवैध कब्जा करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

64. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़)

65. पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाओं के अभाव में पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर)

66. तहसील सपोटरा (जिला करौली) में डाकुओं की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

67. पुलिस द्वारा गरीब एवं अल्प संख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

68. विभाग द्वारा दलितों पर अत्याचार एवं महिला उत्पीड़न के लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से सुनियोजित ढंग से साम्प्रदायिकता भड़काने तथा प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने पर भी पुलिस द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

70. पुलिस द्वारा मेवात तथा सीमावर्ती जिले के अल्पसंख्यकों को गलत आरोपों में प्रताड़ित करने एवं दुर्भावना से कार्यवाही करने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिए।

71. नगर-पहाड़ी सहित सम्पूर्ण भरतपुर जिले में बढ़ रहे अपराधों को रोकने व मुल्जिमों को दण्डित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

72. मुकदमा संख्या 535/2000 पुलिस थाना उदय मंदिर जोधपुर में नामजद कालाबाजारियां के विरुद्ध कार्यवाही में पुलिस की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

73. राज्य की पुलिस द्वारा महिलाओं के अत्याचार संबंधी प्रकरण दर्ज करने में विलम्ब करने व त्वरित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के नाम पर विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा में नियुक्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

1. कारागारों में अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध धंधों पर रोक लगाने पर चर्चा के लिए।

2. कारागारों में सुधार कार्यक्रम लागू करने तथा भोजन व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

3. जिला कारागृह श्रीगंगानगर में मिले नशीले कैपसूल की जांच करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

4. कारागार में भी नियमित प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. राजस्थान के कारागार में अधिकांश आजन्म कैदियों की पैरवी गरीब होने के कारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

6. राज्य की जेलों में कैदियों के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

7. कारागारों में नव आगन्तुक कैदियों/बंदियों पर कारागार प्रशासन तथा पूर्व में रह रहे बंदियों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

8. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ में नया कारागृह भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

9. अजमेर जैल परिसर में महात्मा गांधी के नाम पर अन्य मूर्ति की स्थापना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. जेल विभाग में जैल सेवा के अधिकारियों की अनदेखी कर आइ.पी.एस/आर.ए.एस. अधिकारियों को लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. सैंट्रल जेल में बंदी अपराधियों को जेल कुप्रबन्धन से स्मैक, चरस गांजा, शराब एवं ड्रग्स की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. जेल अधिकारी द्वारा कैदी को पीट-पीट कर जान से मारने की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

13. राज्य के कारागृहों में अपेक्षाकृत सुधार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

14. राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में राजनैतिक आधार पर स्थानान्तरण करने तथा जेल में संबंधियों से मिलाने में दुर्व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. कारागार में निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

16. प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंदी कैदियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. केन्द्रीय कारागार जयपुर में आई.टी.आई. के अधूरे भवन को पूरा नहीं कराने से बंदी शिक्षित नवयुवकों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. बन्दियों को चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 17 का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं। पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार लाने की गुंजाइश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास किये हैं लेकिन जनता की नजरों में पुलिस विभाग आज भी वह स्थान नहीं बना सका जैसा कि बनाना चाहिये था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुलिस रक्षक है प्रदेश की। पूरे राजस्थान के अन्दर पुलिस के मामले जो हमारे सामने, हाउस के अन्दर या हाउस के बाहर लाये जाते हैं उससे पूरे राजस्थान की जनता कई बार बड़ी चिन्तित हो जाती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले में वह कारगर कदम उठाकर नयी ऐसी नीति या एक तरह की देश को एक नयी राह देने वाली पुलिस की ऐसी प्रणाली, एक नये युग में हम प्रवेश कर रहे हैं इक्कीसवीं सदी में तो ऐसी कोई चीज हम सामने लाएं जिससे पूरे राजस्थान की जनता को पुलिस पर बहुत बड़ा विश्वास हो जाए। आज की स्थिति यह है कि कई मामलों में पुलिस वाले खुद शामिल होते हैं। काफी हमारे एम.एल.एज यहां कहते हैं और बाहर भी हम सुनते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिसका समाधान होना अतिआवश्यक होता है लेकिन पुलिस वाले खुद उसमें जब मिल जाते हैं तो कार्यवाही कौन करेगा।

मैं अपने क्षेत्र की, गंगानगर की दो चार समस्याएं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। गंगानगर में चौरियां पिछले वर्ष 1997 से आज तक 1672 हुई, तीन वर्ष की हत्या का रिकार्ड 252 हुआ और तीन वर्ष में बलात्कार 252 हुए। तो इस तरह की जो घटनाएं, प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में घट रही हैं वह बड़ी चिन्ता का विषय है। पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है। खास कर मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व श्रीगंगानगर में एक हमारे पुलिस के ए.एस.आई. और एक सब इंसपेक्टर और इंसपेक्टर उनको एक फिएट कार के अन्दर चरस, गांजा और अफीम बेचते हुए पुलिस

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के ही किसी अधिकारी ने उनको पकड़ा लेकिन आज तक उन्होंने किस-किस का नाम लिया? कोई सुनील नाम का व्यक्ति था, इंसपेक्टर कौन था, सब इंसपेक्टर कौन था, ए.एस.आई कौन था, उस केस का छह महीने में आज तक क्या हुआ? जबकि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां, गर्ल्स कालेज का यह हाल है कि गर्ल्स कालेज में मां-बाप अपनी बच्चियों को छोड़ने जाते हैं और फिर लेने जाते हैं क्योंकि वहां चरस का मामला इतना ज्यादा चल रहा है कि गर्ल्स कालेज में कैप्सूल पकड़े गये। गर्ल्स कालेज के अन्दर पुलिस ने कैप्स्यूल पकड़े। तो इस तरह हमारी आने वाली संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर किस तरह का असर पुलिस छोड़ना चाहती है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिये। वह कौन था इंसपेक्टर? किस कारण से वह मामला दब गया, किसने दबाया, वह सब इंसपेक्टर कौन था, वह ए.एस.आई. कौन था, वह सुनील नाम का पहलवान लड़का कौन था? अभी आपको शायद यह बात उचित नहीं लगेगी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में भी पढ़ा था और मेरे भी बयान थे कि इस सरकार के अन्दर जो इस तरह की कार्यवाही होगी उसको बरदाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कितने बड़े स्तर पर कोई अधिकारी बैठा हो और उसके बदले में मेरे को टेलिफोन आया कि अपना ध्यान रखना। मेरा तो ध्यान हुआ है, अपनी तो अभी कोई जरूरत है नहीं। तो इस तरह की धमकियां, मुझे ऐसा लगा कि सुनील नाम के लड़के ने ही दो तीन बार फोन किया। मैंने कभी ना तो पुलिस में शिकायत की, ना मैंने उसकी ऐसी कोई जरूरत समझी क्योंकि उसकी ऐसी हिम्मत ही नहीं। चोर की क्या हिम्मत होगी कि वह हमारे सामने आकर हमें कुछ कहेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो पुलिस को आधुनिक तौर के यंत्र देने चाहिए जिससे कि पुलिस सक्षम होगी तो अच्छा कार्य करेगी। पुलिस में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन देना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। जो अच्छे व्यक्ति हैं अगर उनको और बुरे व्यक्तियों को दोनों को हम एक ही तरह रखेंगे तो मेरे खयाल में सुधार होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो तीन साल पहले जब भी कोई घटना होती थी, केवल तीन मिनट में जिप्सी पहुंच जाती थी। तीन मिनट में ऐसा जादू होता था कि उस वक्त जो दो-दो हजार केस हुआ करते थे वह घट कर आ गये दो सौ। तो आज वह जिप्सियां, उसके ऊपर लगी हुई राइफल्स, वह डर जो लोगों का खतम हो गया, आज तो इतनी बड़ी डकैतियां, चोरियां और इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। जाती हुई लड़की के गले से चेन उतार लेना, यह रोजमर्रा की बातें हैं। रिक्शे में कोई लड़की बैठ कर जा रही है फट उसके पीछे से उसका दुप्पटा उतार लेना। यह घटनाएं बड़ी चिन्ता का विषय है। इसलिए हमें इन चीजों को देखकर पूरा एक ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए पुलिस को ऐसे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आधुनिक यंत्र, चीजें देनी चाहिए जिससे हम पुलिस से रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट तब आएगा जब उनको पूरी सुख-सुविधा मिलेगी।

इसी तरह एक लम्बे अरसे से पुलिस के जो सिपाही लोग हैं, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के अन्दर केवल पचास-साठ रुपया उनका मंथली कटता है और वह रोडवेज की बस पर जहां मर्जी जावे, उनके लिए फ्री है। यह अपने आप में उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे उनका सरकार के प्रति, जनता के प्रति मानस अच्छा बनता है और वह अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ऐसी कोई फाइल मंत्रीजी के पास विचाराधीन है उसको भी थोड़ा देख लें। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया है जिले में चार गिरोह एक संरक्षण के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से दोनों ही जिलों हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घटनाओं पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप हैरान हो जायेंगे कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। शरीर पर तेल की मालिश करके चोरी करने के लिए, एक कच्छा पहना हुआ और शरीर पर काले तेल की मालिश करके वह तीन-चार आदमी घुस जाते हैं। मान लो उनको कोई पकड़ने लगे तो उनके हाथ फिसल जाते हैं और वह छुड़ा कर भाग जाते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाओं से लोगों के मन में भय हो जाता है कि सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं रही। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सारी बातों पर पूरा चिन्तन करें क्योंकि हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है। यह जो पिछले दो साल से प्रशासन चल रहा है उससे लोगों को बड़ी उम्मीद है। बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और 153-54 विधायक हमारी पार्टी के चुन कर आये। वह इसलिए कि कांग्रेस पार्टी पर लोगों का विश्वास था। आज वह विश्वास धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि उसके प्रति जब तक हमारा पूरा ध्यान नहीं होगा तो यह विश्वास जब कम हो जायेगा तो आने वाले रिजल्ट जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं ले पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना है कि इस मामले में पूरा जानकारी मंत्री महोदय के पास है फिर इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती? आखिर यहां हाउस में विधायकों को इस तरह से प्रश्न उठाने की आवश्यकता क्यों पड़े? समय रहते उन लोगों की पूरी क्लास लगाये बड़े-बड़े अधिकारियों की, फिर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों की, फिर छोटे अधिकारी उनसे छोटे अधिकारियों की यह क्लास लगाये कि आपकी जनता के प्रति कुछ ड्यूटी है। हर आदमी अपना हक तो मांगता है, अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार कोई नहीं रहता तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाये जिससे पुलिस का मनोबल बढ़े और पुलिस इस तरह की घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा उजागर करके ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को पकड़े। इसके मेरे खयाल से दो तरीके हो सकते

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हैं। एक तो आज की नयी तकनीक के हिसाब से हमें जो भी व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिये। मान लो एक व्यक्ति जूनागढ़ थाने में रहता है और 30 किलोमीटर पर कोई डाके की वारदात हो गयी और वह जब जाना चाहता है तो जीप को जब सैल्फ मारता है तो जीप चलती नहीं है। फिर उस आदमी को कहता है जो वारदात की रिपोर्ट देता है उसको कि कोई गाड़ी लाओ। मान लो कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया कि मेरे यहां चोरी हो गयी। उसको यह कहेंगे कि कागज का दस्ता लाओ, पेंसिल लाओ, इस तरह की बात जब वह करते हैं तो इसमें हमारी सरकार की प्रतिष्ठा पर चिन्ह लग जाता है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जितने भी ऐसे थाने हैं जिनके पास दूर-दूर तक एरिये हैं, 100-100 किलोमीटर का, 70-70 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, वहां व्यवस्था अच्छी नहीं है। वह व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये।

कई ऐसे थाने भी हैं जहां पूरे अधिकारी नहीं हैं। अगर इंसपेक्टर है तो वहां चार सब इंसपेक्टर चाहिये तो वहां दो हैं और दो से काम नहीं चल सकता है क्योंकि अपराध डे बाई डे बढ़ रहे हैं। अपराध को कम करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए जब हमारे पास पूरे साधन नहीं होंगे तो हम उसको कैसे पकड़ पायेंगे और हम अपने प्रदेश में एक अच्छा राज कैसे कायम करेंगे और हम प्रदेश की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सारी कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। इस पर बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। जहां प्रदेश की जनता को हमारे प्रति विश्वास नहीं होगा वह राज्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तरक्की नहीं कर सकता है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए और एक अच्छे रिजल्ट पब्लिक में देने के लिए, मंत्री महोदय बहुत अनुभवी हैं और बहुत सक्षम हैं। अब क्या कारण हैं कि अभी तक इन्होंने इतनी देरी क्यों लगायी है। इस मामले में बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करके रिजल्ट सामने आयेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि वाकई राजस्थान सरकार दूसरे प्रदेशों से नम्बर एक पर है। यह इस वक्त सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है। बड़ा स्टेट होने के कारण इसका भौगोलिक डिस्टेंस, काफी बड़ा इसका एरिया है। जब एरिया इसका बड़ा है तो इसमें पुलिसकर्मियों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। साधनों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है और हमारे पास साधन सीमित हैं। उसके बावजूद हम कुछ करके दिखाये, सीमित साधनों से ही हम कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे कि आने वाले समय में हमें यह लगे, हमारी जनता को यह लगे कि वास्तव में हम इस राज्य में सुखी रह सकते हैं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मैं तो हैरान हूं कि श्रीगंगानगर के अंदर स्मैक का नाम कभी सुना नहीं था। आज स्मैक जो लोग करते हैं पुलिस उनको तो हाथ नहीं लगाती और जो लोग नहीं करते हैं उन निर्दोष आदमियों को पकड़ करके पैसे खाने के लिए, केवल मात्र दो-दो, चार-चार, दस-दस आदमियों को लाइन में खड़ा रखेगी। गर्ल्स कालेज के अंदर लड़कियां स्मैक पीने लग गयी। हमारे कालेज के अंदर छात्र स्मैक पीने लग गये। तो इस तरह देश का और प्रदेश का और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले का क्या होगा? इसलिए बड़ी चिन्ता का विषय है। इस गम्भीर विषय पर आपको बहुत जल्दी करनी होगी क्योंकि आने वाली संतान अगर इस तरह की होगी तो हमारे देश या प्रदेश या जिला कैसा होगा, इसकी तस्वीर आपके सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया क्योंकि आपने पहले भी घंटी बजायी है। आपका बड़ा आभारी हूं। मन में पीड़ा बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, कहने का मन है अगर आप इजाजत दें, कुछ और समय दें तो मैं काफी और चीजें कह सकता हूं।

हमारे जेल मंत्री यहां विराज रहे हैं। जेल के अन्दर भी इसी तरह की वारदात हुई। अंदर शराब जाती है, गांजा जाता है, सुलफा जाता है, स्मैक जाती है तो जेल का प्रबन्ध भी हमारा अच्छा नहीं है। उसको भी हमें सुदृढ़ करने के लिए ऐसे कोई उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जेलों की व्यवस्था अच्छी हो। जेल में बैठे हुए आदमी इस तरह के नशा करते हैं। वह जेल में तो इसलिए आये हैं कि अपराध किया है। लेकिन अंदर जाकर के वह डबल अपराध कर रहे हैं और हमारे जेल वाले जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी यह है कि वह उनसे मिले हुए हैं। 50 रुपये में शराब की बोतल बाहर से लानी है तो 25 रुपये भैया तुम और ले लो, यह 100 का नोट है, 25 कल के रख लेना, कल और ला देना। इस तरह की व्यवस्था है उसको सुधारने की अति आवश्यकता है।

हमें इस तरह से उनको अंदर बैठा कर पाठ पढ़ाना चाहिये। लोगों को जागृत करना चाहिए कि लोग इस तरह से अपराध करते हैं और अंदर उन लोगों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह की क्लासेज लगानी चाहिए कि उनके दिमाग में जो भूत है वह भूत को भगाने के लिए, हमारे अधिकारी बहुत सक्षम हैं, ऐसी बात नहीं है। वह क्यों नहीं इस तरह का काम करते हैं। वहां तो बाकायदा रामायण का पाठ होना चाहिये, गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ होना चाहिये। लोगों को धर्म के साथ जोड़ कर इस तरह की उनकी भावना को बदल देना चाहिये। जो पेशेवर डकैत हैं, उनका पेशा ही यही है। पहले तो डाका डालेंगे, कत्ल करेंगे फिर अंदर जायेंगे तो अंदर भी उनकी मौज। पीने को भी खूब मिलता है और सुलफा गांजा भी खूब मिलता है। इस तरह से अपराध डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा जेल मंत्रीजी से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसको आप पूरी तरह से

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चैकअप कीजिये और इस कार्य को पूरी तरह से देखें, ताकि आने वाले समय में इसके रिजल्ट खराब नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो विवरण दिया जेल विभाग का यह अतिश्योक्ति है या वास्तविक घटना है। जो आपने कही है, यह बड़ी चौंकाने वाली है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है, यह आये दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं। आप इस बात को मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि ये बातें आपके टाइम में डबल थी और अब कुछ कम हुई हैं। हम और कम करना चाहते हैं। फर्क इतना है कि आपके जमाने में भी थी और अब भी हैं लेकिन कुछ कम है, लेकिन और कम होनी चाहिये, बस इस बात की चिन्ता है।

(13.00 बजे)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लेकिन बात तो सही कही न वास्तव में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बात पहले भी सही थी, बात अब भी सही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित)। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 और 17 के सम्बन्ध में अपने को जोड़ते हुए मैं इस पर चर्चा करने से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। इसी तरह से अभी हमारे राजस्थान की जो सेंसस हुई है, उसके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़, 65 लाख है, जो हिन्दुस्तान की जनसंख्या का 5 प्रतिशत है। राजस्थान आज राज्य स्तर पर हरियाणा, पंजाब, यू.पी., मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं को हम देखें तो पाकिस्तान से हमारी 1040 किलोमीटर लम्बी सीमा जुड़ी हुई है। ऐसे प्रदेश की पुलिस के बारे में अगर हम चिंतन करें तो बहुत महत्वपूर्ण चिंतन हो जाता है। इस सम्बन्ध में चिंतन करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में जहां हम एक ओर चाहते हैं कि जनता के जानमाल की रक्षा हो, विकास हो, कल्याणकारी कार्य हो, इन चीजों पर भी हम अगर गहराई से सोचे तो इन सब कामों को करने के लिए आज पुलिस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी काम चाहे जानमाल की रक्षा का सवाल हो, चाहे जनता के विकास कार्यों का सवाल हो, चाहे जन कल्याणकारी कार्य हों, इन सब में पुलिस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई प्रदेश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो सकता है, हो सकता है कि वह आर्थिक दृष्टि से विकास के कार्य नहीं कर पाए, जन कल्याण

(श्री आर. पी. शर्मा)

के कार्य नहीं कर पाए लेकिन जिस कार्य के लिए राज्य पुलिस प्रशासन को नियुक्त करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जानमाल की रक्षा का कार्य करे।

(13.02 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

इसमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता है। इसलिए पुलिस के बारे में हमें यह निश्चित करना होगा कि किसी भी राज्य का अगर हम आकलन करें कि राज्य में किस तरह का राज चल रहा है, उसमें अगर पुलिस का राज अच्छा है, पुलिस का बेहतर राज है तो हम कह सकते हैं कि वहां जनता सुखी है और वहां राज कार्य अच्छा चल रहा है। लेकिन जहां पुलिस का कार्य सही नहीं हो तो मैंने जैसा कहा कि विकास का काम, हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से नहीं कर पाएं, कल्याणकारी कार्य आर्थिक दृष्टि से नहीं कर पाएं लेकिन राज कार्य को चलाने में पुलिस दक्ष है और पुलिस उत्तम तरीके से सेवा दे रही है तो जनता उस राज को अच्छा मानती है।

पुलिस के बारे में इतना समझाने के बाद, सभापति महोदय, मैं राजस्थान पुलिस के एम्बलम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हम देखे, अशोक के दायीं ओर देखते हैं तो तलवार का निशान है, बायीं ओर देखते हैं तो ढाल का निशान बना है। उसके नीचे विजय स्तम्भ बना है, उसके नीचे लिखा हुआ है, सेवार्थ कटिबद्धता। मैं तलवार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारा यह एम्बलम बना, उस वक्त जिसने यह बनाया, उसने बहुत सोच-विचार और बहुत ही महत्वाकांक्षी सेवा से सम्बन्धित, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। तलवार के माने यह है कि एंटी सोशल एलीमेंट्स को दबाने के लिए हमारी तलवार काम करे, ढाल का मतलब है कि हम उन गरीबों, कमजोरों, जो हमारे पीड़ित लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए उस ढाल को काम लें। इसी तरह से, विजय स्तम्भ इस बात का प्रतीक है कि हमारे गरीब, पीड़ित और शोषित लोगों के लिए, एंटी सोशल एलीमेंट्स को दबाने के लिए हम हमेशा विजय की ओर बढ़ते रहे और उन पर विजय प्राप्त करते रहे। एंटी सोशल एलीमेंट्स से गरीबों और शोषितों और पीड़ितों की रक्षा करने में हम आगे बढ़ते रहे। उसी तरह से, सेवार्थ कटिबद्धता, इसका सीधा अर्थ है कि हम विद अटमोस्ट ड्यूटी, हम ईमानदारी से डिसीप्लिंड तरीके से प्रदेश के लोगों की सेवा करे। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारा एम्बलम जो है उसके लिहाज से पुलिस के रोल के बारे में हमको फिर से सोचना पड़ेगा, पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और सरकार को भी, कि हमारा जो एम्बलम बना हुआ है हम उसके बारे में खरे उतर रहे हैं क्या? जिस बात की हमने कल्पना की थी, उस कल्पना में हम खरे उतर रहे हैं क्या?

मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम उस कल्पना को पूरा करने

(श्री आर. पी. शर्मा)

में निश्चित रूप से 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत ही सक्षम हो पाए हैं। सभापति महोदय, आज के युग में पुलिस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जहां पुलिस एक्ट, 1861 बना था, उस वक्त कोलेनिस्टों ने यह एक्ट बनाया था। उस वक्त उनकी सोच थी, आज के प्रजातांत्रिक तरीकों में, उस सोच में बिलकुल जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त कोलेनिस्ट केवल यह चाहते थे कि हम डण्डे के बल पर, जबरदस्ती हा-हाकार मचा कर, सता कर, कैसे भी हो, राज करें लेकिन आज के प्रजातांत्रिक युग में यह सब चीजें नहीं चल सकती। आज हमें कोलेनिस्ट सोच से हट कर, आज जनता उम्मीद करती है कि हमारी पुलिस का कम्युनिटी रोल हो, सेंसेटिव पुलिस, सेंसिटिव रोल में काम करे। इन कामों को करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, पुलिस एक्ट, 1861 जो हमारा बना हुआ है, कोलेनिस्टों के टाइम का बना हुआ है। उसमें परिवर्तन हेतु, मुझे शायद जानकारी है कि पुलिस एक्ट नया बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तावित है। यह सरकार जो सम्माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है, जवाबदेह, पारदर्शी और ईमानदार सरकार है, उसका फर्ज बनता है। जैसा मैंने समझाया कि पुलिस का प्रशासन अगर सही है, पुलिस से न्याय मिलता है तो हम कह सकते हैं कि राज अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर कि पुलिस एक्ट, 1861 को नया और पारदर्शी बनाया जाए। आज की नयी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसमें परिवर्तन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाएं।

अब मैं पुलिस के कार्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस से उम्मीद की जाती है कि टू प्रिवेंट एण्ड डिटेक्शन आफ क्राइम। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है डिटेक्शन। मुझे आज बड़ा दुःख है कि हमने प्रिवेंशन शब्द को खो दिया है, डिटेक्शन पर पुलिस अपना पूरा जोर दे रही है। इंग्लिश में हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बैटर देन क्योर, कोई भी बीमारी जैसे हमने पोलियो के इलाज के लिए टीके लगाए, चाहे हमने मलेरिया के टीके लगाए, आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस के लिए भी हम प्रिवेंटिव मैथड्स, किस तरह से क्राइम्स कम हो, हमें डिटेक्शन की बाद में जरूरत पड़ती है। अगर हमारा प्रिवेंशन सिस्टम अच्छा होगा तो निश्चित रूप से डिटेक्शन सिस्टम की शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन आज पूरी पुलिस की कार्य शैली प्रिवेंशन के ऊपर नहीं है, डिटेक्शन, क्राइम होने के बाद डिटेक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की कार्य शैली को अच्छा बनाने के लिए उसे प्रिवेंटिव मैथड्स पर ज्यादा जोर देना चाहिये।

पुलिस के बारे में आम जनता में, राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में पता नहीं क्या ऐसी नयी सोच पैदा हुई है, नयी

(श्री आर. पी. शर्मा)

भ्रांति पैदा हो गई है। इसके पीछे यह तो मैं नहीं कह सकता, कोई न कोई कारण जरूर होगा, किसी काम के होने के लिए यहां कहा करते हैं कि जब आग लगती है तब धुंआ भी निकलता है। तो कोई न कोई कारण ऐसा जरूर है कि जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस के बारे में आज कहते हैं कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल है, अपराधों को रोकने में असफल है। हर व्यक्ति कहता है कि हिन्दुस्तान में पुलिस बढ़ते अपराधों को रोकने में असफल है। पुलिस की बिना मिलीभगत के चोरी हो ही नहीं सकती। आज लोगों के मन में यह बात घर कर गई है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पुलिस असफल रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा थर्ड डिग्री मैथड का, दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके साथ-साथ पुलिस विभाग के बारे में भ्रांति व्याप्त है कि पुलिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने में पुलिस असफल रही है। पुलिस द्वारा एम.एल.सी. केसेज में हस्तक्षेप किया जाता है। तस्करी और नशीले पदार्थों के बारे में जैसा अभी भाई राधेश्यामजी कह रहे थे, निश्चित रूप से सही बात है, पुलिस से कुछ छिपा हुआ नहीं है। बिना पुलिस की मिलीभगत के आज तस्करी और नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं किया जा सकता। पुलिस में यह मैं नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति बेईमान है, कुछ लोग ईमानदार भी है। पर उन ईमानदार लोगों पर बेईमानों का प्रभाव होने के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये घिनोने और गंदे काम पुलिस की देखरेख में, पुलिस के नालेज में किए जाते हैं, जो कि कानूनन अपराध है।

इसके साथ-साथ ट्रेफिक व्यवस्था के बारे में कहा जाता है पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पुलिस की छवि के बारे में आम जनता में अच्छी शौहरत नहीं है। मैं, पुलिस के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पुलिस कमीशन की स्थापना हो। यह कमीशन तय करे और हमको काम्प्रीहेंसिवली और थोरोली यह जांच करके रिपोर्ट दे कि हमें किन कार्यों के बंटवारे के संबंध में किस-किस विभाग में कितने अधिकारी होंगे, कितने कर्मचारी होंगे। किस-किस की क्या जिम्मेदारी होगी और हमें क्या सुख-सुविधाएं और साधनों की उनको उपलब्धता करानी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान की पुलिस को अगर सही व्यवस्था हम देना चाहते हैं तो हमें पुलिस कमीशन की स्थापना शीघ्र करनी चाहिए, जिन कामों के लिए मैंने आपसे रिपोर्ट में कहा है।

इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, इस मौके पर मुझे एक किस्सा याद आता है। एक राजा था,

(श्री आर. पी. शर्मा)

वह किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करना चाहता था। आक्रमण करते वक्त वह अपने मंत्रियों को साथ ले गया। उसने कहा कि अपने अस्तबल और फौज को चैक कर ले कि कैसी फौज है। जब वह फौज देखने गया तो उसको लगा कि हमारी फौज कमजोर है, हमारा अस्तबल कमजोर है। तो एक दूसरा बेईमान जो मंत्री था वह बोला, सर, आप ऐसा करिए इन फौजों के लिए खुराक बना दीजिए और इनको अतिरिक्त पैसा दे दीजिए। राजा ने आदेश कर दिया कि ठीक है, दो महीने के लिए इनको अतिरिक्त धनराशि देता हूं और दो महीने के बाद दुबारा मुआयना करूंगा। जब राजा दुबारा उसका मुआयना करने गया तो उसने वह अस्तबल भी कमजोर पाया और वह फौज भी कमजोर पायी। उसने उस मंत्री से पूछा कि मंत्रीजी, आप तो कहते थे कि हम अतिरिक्त पैसा बढ़ा देंगे तो हमारी फौज ठीक हो जाएगी और हमारा अस्तबल ठीक हो जाएगा। जो ईमानदार मंत्री था उसने कहा सर, पहले एक खाता था अब चार-चार खाने लग गये। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक, सतर्कता विभाग, हम विभाग पर विभाग बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन वह विभाग सिवाय भ्रष्टाचार में लिप्त होने के खुद कोई सक्षम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए जवाबदारी तय करनी होगी कि जिन व्यक्तियों को भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दें वह व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में पाये जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा देने के लिए हम लोगों को प्रावधान करना पड़ेगा, चाहे कानून में और चाहे अन्य तरीकों से। इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां होम सेक्रेटरी का जो पद।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तसल्ली से बोलूंगा प्लीज। Give me time of 10 minutes. आप बार-बार घंटी न बजाएं। बार-बार घंटी बजाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मेरी बदकिस्मती मानो, चाहे किस्मत मानो जब मैं बोलता हूं तो इस चेयर पर आप बैठते हैं।

श्री सभापति : यह बदकिस्मती नहीं खुशकिस्मती है।

श्री आर. पी. शर्मा : इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। अगर मैं कोई अच्छे सुझाव दे रहा हूं—Please, don't stop me. I request you. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आपके चीफ व्हिप ने कहा मैं वही कर रहा हूं। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, यह दूसरी बात है।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि होम सेक्रेटरी के पद पर आई.ए.एस. आफिसर को बिठाया जाता है। मेडिकल का डाइरेक्टर डाक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर विभाग का अधिकारी एक एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर मेरा अपना यह

(श्री आर. पी. शर्मा)

मानना है कि जब तक पुलिस के सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी आई.पी.एस. स्तर का अधिकारी नहीं होगा तो यह आमूल-चूल परिवर्तन करने में शायद पुलिस भी कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर पाये।

इसके साथ-साथ जयपुर और जोधपुर, जो हमारे बड़े शहर हैं इनमें कमिश्नर की नियुक्ति करना बहुत अनिवार्य है। इससे हमारी जनता को रिलीफ मिलेगी ताकि हमारा जो जाप्ता सिस्टम है वह बढ़ने से आम जनता को सहूलियत मिलेगी।

इसके साथ-साथ, पुलिस की भर्ती के लिए हमें पुलिस सर्विस रिक्रूटमेंट कमीशन अलग से नियुक्त करना चाहिए। आज हम सुनते हैं पुलिस की भर्ती में इतने रुपये खा गये। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस के लोग खाते हैं, लेकिन आज इस तरह के दलाल पैदा हो जाते हैं, अगर हम पुलिस रिक्रूटमेंट कमीशन अलग से नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं जो हमारी सोच है पुलिस से सेवार्थ, उस सेवार्थ के लिए अच्छे लोगों की भर्ती के लिए यह पुलिस रिक्रूटमेंट कमीशन अच्छा काम करेगा। आज जो भर्ती का सिस्टम है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं खामियां हैं। जो हम भर्ती करते हैं, जैसा आप बीज डालेंगे वैसा ही तो पेड़ आपको मिलेगा। जब बीज ही हम गलत डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से पेड़ भी गलत मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं, कहना चाहता हूं सिपाही से लेकर डी.जी. महोदय तक की authority should match with the responsibility. जो जिम्मेदार हैं उसकी हम अथोरिटी तो यूज कर लें लेकिन रेस्पोंसिबिलिटी का नम्बर आये तो हम छोटों पर डाल दें। इसलिए चाहे सिपाही हो, चाहे डी.जी. हो उसकी अथोरिटी को मैच करना चाहिए हमको रेस्पोंसिबिलिटी से और इर्रेस्पोंसिबिलिटी कहीं है तो उसको सख्त से सख्त सजा देने में भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ जैसा कि हमारे यहां प्रावधान भी है एफ.आई.आर. लोज होती है उसकी कापी मुस्तगीस को फ्री देने का हमारे एक प्रावधान है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता शायद कहीं भी राजस्थान में एफ.आई.आर. फ्री किसी मुस्तगीस को मिलती हो। उसमें भी लोग पैसा लेते हैं। इसके साथ-साथ, मैं निवेदन करूंगा मुस्तगीस के अलावा जो आदमी मुलजिम है उस पक्ष को भी अगर यह प्रावधान होता है तो निश्चित रूप से हम पारदर्शिता ला सकते हैं कि आपने क्या काम किया है।

इसके साथ-साथ पुलिसकर्मियों के आवास के निर्माण के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। हमें मैस भत्ता जो 400 रुपये प्रतिमाह है जो बी.एस.एफ. में 800 रुपये प्रतिमाह है, सी.आर.पी.एफ. में 800 रुपये प्रतिमाह है। चाहे बी.एस.एफ. के लोग जयपुर रहे तो भी 800 रुपया और जयपुर का कोई सिपाही रहता है तो उसको 400 रुपया। इसमें भी हमको पुनर्विचार करना चाहिए इनके मैस भत्ते में। पुलिस के मैस कैसे चलते हैं मैं यहां कहना नहीं चाहता।

(श्री आर. पी. शर्मा)

यहां सब्सीडाइज्ड रूप से कहां, कैसे आफिसर मैनेज करते हैं, यह बड़ा कठिन काम है।

इसके साथ-साथ रिक्त पदों को भरने के लिए हमें होमगार्ड, एनसीसी. और स्काउट्स वाले हैं उनकी भी टेम्परेरी सर्विसेज हमें लेनी चाहिए। आज हमारे पास 7500 पोस्ट वेकेंट हैं, हम केवल 2200 भरने जा रहे हैं। तो 5300 पोस्टों के लिए हम इन लोगों को टेम्परेरी रूप से मदद देने के बाद भी पुलिस प्रशासन में चुस्ती ला सकते हैं। इसके साथ-साथ transfer and posting should be on merit. मैंने कहा कि पुलिस बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसमें भी अगर भाई-भतीजावाद चलेगा तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कारगर कार्यवाही पुलिस नहीं कर सकेगी। जैसा कि मैंने कहा हमने सी.आई.डी. ट्रेनिंग, प्लानिंग एण्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके कर्मचारियों को भी इंसेंटिव स्कीम देनी चाहिए। आज सी.आई.डी. में कोई जाना नहीं चाहता, प्लानिंग में कोई जाना नहीं चाहता, वेलफेयर में कोई जाना नहीं चाहता, ट्रेनिंग साइड में कोई जाना नहीं चाहता। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, पुलिस के अलावा इनको चाहे हम एक्स्ट्रा अलाउंस दें, होम फ्री दें, प्रमोशन के इंसेंटिव दें। इन लोगों को इस बात का मौका मिले कि हम इस डिपार्टमेंट में हैं तो हमें इसका यह बेनेफिट है जिससे कि सी.आई.डी. में जो इंवेस्टिगेशन सैल है वह मजबूत होगा और अच्छे लोग, जो ईमानदार लोग हैं इसमें जाने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए कोई इंसेंटिव स्कीम इन डिपार्टमेंट्स को देने के लिए हमें विचार करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री आर. पी. शर्मा : जैसा मैंने कहा आज हमारे इंवेस्टिगेशन और ला एण्ड आर्डर दो चीजें हैं हमारी पुलिस के पास। इंवेस्टिगेशन में पुलिस केवल 20 पर्सेंट अपना टाइम दे पाती है, 80 पर्सेंट समय उनका ला एण्ड आर्डर मेंटेन करने में लगता है। इसलिए इंवेस्टिगेशन और ला एण्ड आर्डर इन दोनों को अलग अगर हम कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से इंवेस्टिगेशन अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसा कि हम कहते हैं justice delayed is justice denied. अगर इंवेस्टिगेशन टाइम पर नहीं होता है तो ला की रक्षा नहीं हो पाती है और जैसा हम कहते हैं, justice delayed means justice denied. समय पर अगर इंवेस्टिगेशन नहीं होता है तो जो हमारा मकसद है वह पूरा नहीं होता। इसलिए इंवेस्टिगेशन इन ला एण्ड आर्डर सेक्शन जो है उसको डिवाइड करके हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के बारे में दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा। आज ट्रैफिक पुलिस का भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमने जिला स्तर पर, राजधानी स्तर पर, सब डिवीजन हैडक्वार्टर

(श्री आर. पी. शर्मा)

स्तर पर और तहसील स्तर पर कम से कम दो-तीन महत्वपूर्ण काम करने होंगे पार्किंग जोंस, नान पार्किंग जोंस। जो सड़कें हैं वे पुलिस के हवाले कर दें। सड़क पर कोई अतिक्रमण है, सड़क पर कोई थड़ी खड़ी हुई है, सड़क पर ढकेल खड़ी हुई है, सड़क पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो पुलिस हटाए। आज होता क्या है कि सड़क बहुत बड़ी है, लेकिन उस पर कब्जा करते-करते बिलकुल उसको घेर लेते हैं और ट्रेफिक व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती।

इसके साथ-साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो कोर्नर्स हैं, तिराहे हैं, चौराहे हैं उन पर आप बस और बड़ी गाड़ी हैं उनको बिलकुल नहीं रुकने दीजिए और हमारे पार्किंग स्थल हैं उन्हें कम से कम 100-150 मीटर दूर होना चाहिए तिराहे, चौराहों से। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो मैंने ट्रेफिक के लिए कहीं है ये भी हमें करनी चाहिए। चूंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं समाप्त करूंगा। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 2000-2001 के बजट में 30 नये न्यायालयों की स्थापना की। हमने 10 करोड़ रुपया पुलिस के पुनर्गठन के लिए जिसमें वृत्त है, थाने खोलने के लिए प्रोवाइड किये। इसके साथ-साथ स्टेश्नरी के डेढ़ करोड़ रुपये एक्स्ट्रा प्रोवाइड किये। इसी तरह से इस बजट 2001-2002 में 30 नये न्यायालय खोलने प्रस्तावित हैं।

इसके साथ-साथ पुलिस स्टेशनों के भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है और हमारे पुलिस अधिकारियों के मकानों के लिए सवा करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। इसी तरह से जेलों में चिकित्सा की व्यवस्था ठीक रहे, वहां सुचारू व्यवस्था चले, उसमें प्रशिक्षण मिले उसके लिए भी इस बजट में 3 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया है। जैसा मैंने कहा अगर हम पुलिस की व्यवस्था अच्छी कर पाते हैं निश्चित रूप से राज्य में आम जनता सुखी और चैन से जी सकेगी और कम से कम अपने को गौरवशाली फील करेगी। इसलिए आज हमें जरूरत इस बात की है कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान देते हुए पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार काम करे। मुझे पूरा विश्वास है माननीय गृह मंत्रीजी और हमारे मुख्य मंत्रीजी, जो बहुत ही चुस्त हैं और अपने काम में बहुत होशियार हैं वे राज्य को अच्छी पुलिस व्यवस्था मिले, राज्य के लोगों के सम्मान के लिए, राज्य के लोगों में एक तरह से भाईचारा बने, साम्प्रदायिक सद्भाव हो उसके निर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे जिससे हम अच्छे राज्य की स्थापना कर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर। समय सीमा का ध्यान रखे, नियमों की भी निगाह रखे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, मैं कभी भी सीमा के बाहर नहीं जाता हूं। मैं तो आज पुलिस की डिमाण्ड पर बहुत संक्षेप में बोलना चाह रहा हूं।

(श्री मदन दिलावर)

सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का 11 अगस्त, 1999 का एक जयपुर में भाषण है जिसमें राजस्थान भर के सभी जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे थे। उन्होंने कहा सुरक्षा व सद्‌भाव को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्ती से निपटा जाए। फिर उन्होंने 26 नवम्बर को श्रीमान् कहा, लोगों को लगा सरकार नाम की कोई चीज है, जनता को सरकार का अहसास हुआ। यह उन्होंने इस प्रकार की बातें कह कर और जनता को भ्रम में डालने का प्रयास किया। यह सरकार के द्वारा राजस्थान पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन हमें दिया गया है उस पर थोड़ी सी हम नजर डालना चाहते हैं तो अपराधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, उस जानकारी को देख कर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके कहने के बाद कितना इसमें सुधार हुआ होगा। कुल अपराध 1,60,883 इस राजस्थान की धरती पर घटे, इसमें महिलाओं पर अत्याचार हुए 13,050, अपहरण के मामले हुए, 2,682, महिला उत्पीड़न के मामले हुए 5,437 दहेज के लिए आत्महत्याएं की और उनका निस्तारण जिस तरह किया इन्होंने उसमें 68 दहेज हत्याओं का आज भी वह अनुसंधान ठीक प्रकार से नहीं कर पाये। महिलाएं जो उत्पीड़न से उत्पीड़ित की गयी इसमें 311 ऐसे प्रकरण रहे जिसमें आज यह तय नहीं कर पाये कि इसमें दोषी कौन है। अनुसूचित जाति के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं, 6,680 मामले अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के हुए। सभापति महोदय, 24 प्रतिशत इस शासन में अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े। अब मैं तुलना कर रहा हूं कि राजस्थान पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन सही है या मुख्य मंत्री महोदय ने जो 11 अगस्त को दिया गया अपना वक्तव्य निर्देश जो पुलिस को दिया था वह सही था। या तो यह हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस मुख्य मंत्रीजी के कब्जे में नहीं है या उनके आदेशों की अवहेलना करती है। या पुलिस को पर्याप्त ऐसे साधन नहीं दे रखे जिसके आधार पर अपराधियों के ऊपर वह शिकंजा कस सके, कोई न कोई कमजोरी जरूर है। या फिर सरकार के लोगों का संरक्षण अपराधियों को है इसके कारण से पुलिस दबी-दबी सी रहती है। इसलिए हम सब को पता करना पड़ेगा कि आखिर में इतनी सारी घटनाओं के पीछे क्या कारण है। कुछ लोग हाई कोर्ट में गये, श्रीमान् और इस बात को लेकर गये कि जो राजस्थान में अपहरण हो रहे हैं और उन अपहरणकर्ताओं के पास अभी भी उनके कब्जे में 348 लोग इस राजस्थान के अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं। यह बात मैं कोई मेरी तरफ से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि 348 लोग अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं और 4,496 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं जिनका अपहरण किया है या मार दिया है या कोई दूसरे देशों में जाकर बेच दिया

(श्री मदन दिलावर)

है या उनको बलि चढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति इस राजस्थान की हो जाये, श्रीमान् तो मैं समझता हूं कि राजस्थान कैसे चलेगा। हालात बहुत खराब है। 10 दिन के बच्चे का अपहरण हो जाता है, 3 महीने के बच्चे का अपहरण हो जाता है, बालकों का अपहरण हो जाता है, कहीं हम इससे सुरक्षित नहीं हैं। अस्पताल के बैड से बच्चे का अपहरण हो जाय, स्कूल से बच्चे का अपहरण हो जाय, घर से बच्चे का अपहरण हो जाय, खेत से बच्चे का अपहरण हो जाय, थाने के सामने से बच्चे का अपहरण हो जाय, थाने के पीछे से बच्चे का अपहरण हो जाय। आखिर में हम कहां बचेंगे? यह कहां जाएगा? अपहरणकर्ता स्वतंत्र रूप से निरंकुश होकर अपने कारनामे कर रहे हैं क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन बिलकुल निरंकुश हो चुके हैं। इसके कारण घटनाएं हो रही हैं। यह तो घटनाएं, श्रीमान् जो सरकारी रेकार्ड है, कई बार तो ऐसा भी होता है, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है थानों में और यदि हम विचार करे और देखे और ईमानदारी के साथ सर्वे करे कि पुलिस थानों में आज क्या फरियादी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा इस प्रकार से हमको मिलेगा कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। मैं, श्रीमान् लगभग 12 साल से इस सदन का सदस्य हूं लेकिन मुझे भी अभी, एक महीने पहले जब पुलिस थाने में गया, मैंने कहा, एक महिला थी, बहुत परेशान थी, उसको डरा धमका कर एक अधिकारी ने उससे शपथ पत्र ले लिया था। वह मेरे पास आयी कि मेरे से डरा धमका कर एक शपथ पत्र पर दस्तखत करा लिये हैं, मैं रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं, आप चलो। मैंने कहा, मैं फोन कर देता हूं, आप चले जायं तो बोली, नहीं मैं कई बार चक्कर काट आयी आप मेरे साथ चलो। तो मैं गया। गया तो मुझे भी समझाने लगे कि विधायक महोदय आपको कष्ट क्यों? आप तो पधारें, इनको हम बातचीत करके उचित होगा तो रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। उचित होगा तो रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे यानी उचित और अनुचित का पहले अंदाजा लगाया जाता है। क्या रिपोर्ट दर्ज करने से पहले अनुसंधान करके दोषी करार देने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है? यह मैं भुक्तभोगी हूं। जब फिर मैंने कहा कि रिपोर्ट आप दर्ज नहीं करना चाहते हैं, मैं जा रहा हूं तो पता चल गया कि आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते तब जाकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। उनको लगा कि विधान सभा का सत्र नजदीक आ रहा है, सारी विधान सभा में इस बात को जाकर कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूं। ऐसे ही कोटा शहर का मामला है। ऐसे हजारों लोग हैं, कोटा में एक महिला रिपोर्ट दर्ज कराने गयी तो थाने से धक्के खाकर वापस आयी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम निमोड़ा हरजी की रहने वाली एक विधवा की गेहूं की फसल कुछ असामाजिक तत्व जबरन काट कर ले गये

(श्री मदन दिलावर)

थे उसकी दुर्गा देवी पत्नी स्वर्गीय धन्नालाल ने अपनी खेत में गेहूं की फसल जो काट ले गये थे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहती थी लेकिन नहीं हुई। उसको धक्के खाकर वापस आना पड़ा। यह भी एक उदाहरण दिया है। आप कहोगे तो मैं लम्बी सूची आप जब चाहोगे तब उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि अभी समय नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए।

पुलिस में बहुत बड़ी संख्या बहुत अच्छे लोगों की है, ईमानदार लोगों की है, कर्तव्यपरायण लोगों की है और पुलिस में लोग ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं। लेकिन, श्रीमान्, दूर-दूर तक कहीं भी उनको भेज दिया जाएगा, कई आदेश उनको दिये जाएंगे लेकिन बसों में जब बैठेंगे तो उनको धक्के खाने पड़ेंगे। बसों में बैठते हैं तो भी एक ग्लानि महसूस करते हैं कि वे लोग कण्डक्टर पूछेगा तो क्या कहेंगे क्योंकि हर जगह के वारंट तो मिलते नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस को जो 50 रुपये, 60 रुपयें इस बात के दिये जाते हैं, चाहे उनको रोडवेज विभाग में जमा करा दें लेकिन इनको निःशुल्क आने और जाने की सुविधा सरकार मुहैया कराये और जितना भुगतान रोडवेज लेता है वह पुलिस विभाग रोडवेज में जमा कराये। उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वर्दी के गरूर में अंधे होकर पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।

कोटा में एक प्रेस फोटोग्राफर अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्रेस वालों को कई जगह जाना पड़ता है, फोटो भी लेने पड़ते हैं। परन्तु जब वह फोटो खींचने के लिए गया तो कोटा में प्रेस फोटोग्राफर को जोरदार तरीके से पुलिस ने पीटा। हम प्रेस को पता नहीं कौनसा-कौनसा स्तम्भ कह करके इस प्रकार की चर्चा करते हैं। यही नहीं हुआ, कोटा शहर में माननीय मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में प्रेस क्लब का जो कार्यक्रम चल रहा था तो धीरज गुप्ता जो वहां के प्रेस क्लब के महासचिव भी हैं, उनको जबरदस्ती नीचे पटक-पटक कर पीटा गया। सांगोद का एक पत्रकार भी यहां आया हुआ था तो उसको इतना पीटा कि कान से खून निकलने लग गया और उसको अपना इलाज करवाना पड़ा। लेकिन पुलिस मौन होकर खड़ी रही। बोतले फेंके, जूत फेंके, डंडे फेंके, पत्थर फेंके, मुख्य मंत्रीजी को भी ऐसा लगा कि मेरी जान को खतरा हो सकता है तो पिछले गेट से भाग कर आये। मुझे बहुत दुःख हुआ की हाड़ौती कि धरती पर चाहे किसी भी पार्टी के मुख्य मंत्री हों, सरकार के मुख्य मंत्री हैं।

श्री सभापति : यह बात आप बहुत दफे कह चुके हैं। कई दफे कह चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : हां। इसलिए कह रहा हूं मैं कई दफे कि मुख्य मंत्रीजी के साथ होने के बावजूद भी, इतनी घटना होने

(श्री मदन दिलावर)

के बावजूद भी, उनके सामने होने के बावजूद भी, चश्मदीद गवाह होने के बावजूद भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं इस बात को। आज भी बदमाश लोग सरेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है।

बारां जिले में नाहरगढ़ थाना है। हमारी परम्पराओं के अनुसार जब पानी नहीं बरसता है तो गांव में सब गांव के लोग इकट्ठे होकर के वे चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, धार्मिक मामलों में गावों में राजनीतिक पार्टियां नहीं चलतीं और पानी बरसे इसलिए भगवान से अनुनय विनय करते हैं और घास भैरूंजी की जो मूर्ति होती है उसको गांव के चारों ओर घुमाते हैं और चारों तरफ घुमाने से, लोगों की ऐसी मान्यता है कि, पानी बरस जाता है। श्रीमान् जब ये लोग नाहरगढ़ थाने के क्षेत्र के अन्तर्गत नाहरगढ़ कस्बे में सब लोगों ने निश्चय किया कि घास भैरूंजी की यात्रा निकाले, गांव के चारों तरफ घुमाना था, बात चल रही थी। चौपाल पर लोग बैठे थे कि पुलिस वाले गये, उस आम मीटिंग में डंडे बरसाना चालू कर दिया। लोग भागे तो घर से ला-लाकर पीटा गया। मैं देख कर आया हूं, मैं खुद गया हूं। वहां मैंने उनके कपड़े उतरवा कर देखा, पीठ में, पैरों में, कूल्हों पर किस प्रकार से उनके डंडे बरसाये गये कि मैं समझता हूं कि सामान्य व्यक्ति इसको देख नहीं सकता। इस तरह से निर्मम तरीके से उनके साथ यह घटना की गयी और कहा क्या गया? यह घास भैरूंजी की यात्रा निकाल कर साम्प्रदायिकता फैला रहे थे। श्रीमान् आज तक का मैंने देखा है, मेरी जानकारी में है कि जब घास भैरूंजी की यात्रा निकाली जाती है न तो कोई भी, चाहे किसी जाति या धर्म का, पार्टी का व्यक्ति हो, कोई विरोध नहीं करता क्योंकि पानी की आवश्यकता सब लोगों को होती है।

श्री रामस्वरूप : आपकी पार्टी में तो भैरूंजी की यात्रा निकालते हैं।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, इतना शांत वातावरण चल रहा है। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् जन्माष्टमी पर एक छात्र नेता दर्शन करने जाता है डी. सी. एम. फैक्ट्री के कोटा में। वहां खड़े होते हैं, स्कूटर अपना खड़ा करते हैं। कोई साथी उनका मोटर साइकिल से आ रहा था, पीछे रह गया। पुलिस वाले आये, उन्होंने कहा कि यहां से हटो। उन्होंने कहा कि अभी बस एक मिनट में मेरा साथी आ रहा है, मैं जा रहा हूं। इतना सा कहना था कि उनके ऊपर लाठियों के कितने प्रहार किये, थाने में लाकर बंद कर दिया, थाने में पीट-पीट कर बेहोश कर दिया। पीट-पीट कर उसको ऐसा कर दिया कि 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। विद्यार्थी नेता को इस प्रकार पीटना, इस प्रकार के अत्याचार करना। जब विद्यार्थी नेता के साथ यह हो सकता है तो आम गांव के व्यक्ति की क्या बिसात है, श्रीमान्।

(श्री मदन दिलावर)

यही नहीं, एक छात्र नेता कोटा में स्कूटर से जा रहा था, गलती हुई होगी और उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा। वहां पुलिस वालों ने रोका। उसने कहा कि हेलमेट भूल गया हूं, आगे ध्यान रखूंगा। आपस में तनातनी हो गयी। पुलिस वालों ने इतना पीटा, यह मैं चित्र दिखा रहा हूं, हड्डियां तोड़ कर कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं।

मैं एक ऐसी घटना की ओर ले जा रहा हूं, मेरे अटरू विधान सभा क्षेत्र के एक थाने की है। अचरावा गांव में बोदीलाल नागर के घर में चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद वह व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले माल बरामद कर लेते हैं। पूछताछ होती है तो वह फरियादी कहता है कि मैंने माल अमुक सुनार से बनाया है। उस सुनार को माल ले जाकर दिखाया जाता है तो वह सुनार कहता है कि मैंने बोदीलाल का ही माल बनाया था इसके अलावा मैंने उस गांव में किसी का नहीं बनाया। वह सोनी अपना शपथपत्र देता है कि मैंने यह माल बनाया है फिर भी पुलिस को तसल्ली नहीं होती और उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होती। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उस सोने के बंटवारे में चोरों में झगड़ा हो जाता है और एक चोर कहता है, किसी चोर को कम मिला होगा, किसी को ज्यादा मिला होगा। वह चोर आकर पुलिस में कहता है कि चोरी हमने की है, इतना-इतना माल चोरी किया है पर अब मुझे चोरी से घृणा हो गयी है इसलिए मैं इस सारी घटना को उजागर कर रहा हूं और वह एफिडेविट देते हैं पुलिस में जाकर के। यहां जयपुर में आकर के कपिल गर्ग जी पुलिस आफिसर हैं उनके सामने बयान करते हैं लेकिन पुलिस उस पर एफ.आर. लगा देती है। जब चोर स्वयं चोरी कबूल करे, सारे तथ्य सामने आ जाएं उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं चलती रहें।

श्रीमान्, यह जो मुख्य मंत्रीजी का भाषण था, मैं उसको याद दिला रहा हूं कि किस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग प्रभावी हैं और किस तरह से अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। एक सुनील अग्रवाल नाम का व्यक्ति अपराधी है गंगधार में, उसने फूलचन्द के ऊपर अत्याचार किया, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। फिर उसने दुबारा अपराध किया होगा तो एक साथ 151 में तहसीलदार साहब के पास प्रस्तुत किया। तहसीलदार साहब ने कुछ कहा होगा या जमानत नहीं ली होगी, जो भी रहा होगा। उसने कहा कि शाम तक आपका ट्रांसफर करा दूंगा। आप इस प्रकार से हमको, मैं कांग्रेस का नेता हूं और हमको इस प्रकार से आप गिरफ्तार करवा देंगे या जमानत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्यवाही करवा रहा हूं, जो भी करना है, करो और क्या हुआ, उस तहसीलदार का शाम तक टेलीफोनिक ट्रांसफर हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुंडे कितने प्रभावी है इस सरकार में और

(श्री मदन दिलावर)

सरकार + + + कि गुंडों के कहने से वह चल रही है। गुंडा कहता है, उसका ट्रांसफर कर दो, उसका ट्रांसफर कर दो और यह ट्रांसफर हो जाता है, श्रीमान्.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें अब।

श्री मदन दिलावर : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। बस आधा घंटा और। (व्यवधान) श्रीमान् कोटा शहर के वल्लभनगर के सोफिया स्कूल में.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधा घंटे में खतम कर दे तब गनीमत है।

श्री सभापति : कहोगे उतना दे दूंगा, आपकी पार्टी का सब समय दे दूंगा उनको, मुझे कहां एतराज है (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...उस सोफिया स्कूल की स्मारिका में भारत का खंडित मानचित्र छपता है और एक बार नहीं, 1999 में छपता है और 2000 में छपता है। 1999 में जाकर अभिभावक कहते हैं कि इस स्मारिका से भारत का अपमान होता है, खंडित मानचित्र छपा रहे हैं। वहां पुलिस में जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। फिर 2000 में छपता है। जागरूक लोग, राष्ट्रभक्त लोग जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। मजबूरन मुझे थाने पर धरना देना पड़ा और उन्होंने दवाव में या पता नहीं, कैसे, यह एफ.आई.आर. दर्ज की लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि यह भारत का जो नक्शा है, इनकी नीयत गलत नहीं थी। सुन्दर बनाने के लिए इन्होंने भारत का नक्शा विकृत किया है। मेरी मां को सुन्दर बनाने के लिए मैं एक टांग काट दूं। यह कैसे हो सकता है क्या एक टांग काटने से मेरी मां सुन्दर हो जायेगी। लेकिन मेरी भारत माता के साथ योजनाबद्ध तरीके से, इसको अपमानित करने के लिए इस प्रकार का षड़यंत्र किया है। ये छापने वाले लोग, बड़े पैसे वाले हैं, उन पैसों वालों के चक्कर में आकर उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर सी.डी. थी और कम्प्यूटर सी.डी. से छपता तो रीडिंग प्रूफ नहीं होती क्या, एडीटिंग नहीं होती है क्या, देखा जाता नहीं है क्या या उसमें बिलकुल अंधे-बहरे गूंगों की तरह छाप देते हैं।

दूसरी घटना, बूंदी में एक घटना हुई श्रीमान्, एक अनपढ़ व्यक्ति, व्यापारी रेगजीन का थैला बेच रहा था, उस पर भी कोई चित्र ऐसा छपा, उसको तुरन्त गिरफ्तार किया गया। यातनाएं दी गई। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, वह अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो लेकिन भारत के मानचित्र में और भारत माता के साथ इस तरह से करने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाये। लेकिन उस गरीब को तो जेल के सींखचों में ठूंसा और करोड़ों-करोड़ों रुपये वाले लोग इस राष्ट्र को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। उनको सुनियोजित तरीके से सही ठहरा कर कहा कि इनका तो इरादा गलत नहीं था और इस कारण से उनको बचाया जा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

रहा है। मेरी मांग है कि यदि कोटा की धरती पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो भारत माता को खंडित करने के नाम पर राष्ट्रभक्त लोग बहुत आंदोलित है, आक्रोशित हैं, कुछ भी हो सकता है। गृह मंत्रीजी, आप सोच लेना, बांग्लादेश को तीन बीघा जमीन बेचने वालों में शामिल होना चाहते हैं या राष्ट्रभक्तों में शामिल होना चाहते हैं? यह चैलेंज है आपके लिए। राष्ट्र द्रोही ताकतें आपको चैलेंज दे रही हैं। इस चैलेंज को स्वीकार करो नहीं तो (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : आप स्वीकार करो। यह इशारा तो आपकी तरफ है। (व्यवधान) ये अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, ये सारे असत्य आंकड़े दे रहे हैं, थोड़ा सा सच बोलिये, विधान सभा में आप आये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि बांग्लादेश का क्या रेफरेंस दिया था आपने? बांग्लादेश का क्या रेफरेंस दिया था आपने?

श्री मदन दिलावर : तीन बीघा जमीन।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भारत सरकार ने बेची या राजस्थान सरकार ने?

श्री मदन दिलावर : भारत सरकार ने, नरसिम्हाराव जी के समय में।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तो फिर वहां सरकार किसकी है? अभी केन्द्र में सरकार किसकी है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले का मामला है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय गृह मंत्रीजी, राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में गई वह तीन बीघा जमीन, माननीय गृह मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार है तो बांग्लादेश ने क्या किया अभी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मुझे तारीख बता सकते हैं कौनसी तारीख में?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप कैसे कह रहे हैं भारत सरकार, इसमें भारत सरकार ने नहीं किया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसे आरोप लगाने से कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास तारीख हो तो बताये, किस तारीख में राजीव गांधी जी ने बांग्लादेश को तीन बीघा जमीन बेची? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजीव गांधी के समय में बेची थी तीन बीघा जमीन। राजीव गांधी का तब शासन था। तारीख तो बता देंगे। आप तारीख बता सकते हो क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसे अनर्गल आरोप लगाने से क्या फायदा है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजीव जी नें यह किया है।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 5-5 बार देश का बंटवारा कांग्रेस शासन ने किया था, भारत सरकार कांग्रेस शासन की थी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस बंटवारे में हिन्दुस्तान के लोग मौजूद थे, केवल राजीव गांधी नहीं थे। उस समय राजीव गांधी नहीं थे, हिन्दुस्तान के लोग बंटवारे में शामिल थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हिन्दुस्तान के लोग मौजूद थे लेकिन भारत सरकार में उस समय में कांग्रेस शासन में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कभी देश का बंटवारा नहीं होने दिया और अभी भी कारगिल में युद्ध जीत कर दिखाया। आपने कभी जीता भी नहीं और हमेशा हारा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : अभी बांग्लादेश ने क्या किया आपके साथ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बांग्लादेश के लोगों ने हमारे यहां पर अत्याचार किया और आपकी भारत सरकार क्यों सोती रही— (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : देश के लिए शहीद होते हैं, मर नहीं रहे हैं। आप गलत शब्द प्रयोग मत करिये। जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उनको मरना मत कहिये। आर.पी.शर्मा जी, सुधारिये अपने आपको। देश के लिए मरना, शहीद होना है, मरना मत कहिये। हमारा अपमान मत करिये। इस देश के शहीदों को मरना कह कर देश के शहीदों का अपमान करना है। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : आहूजा जी, सुनिये, आपसे ज्यादा भड़काऊ बात करने वाला इस सदन में कोई नहीं करता। आप देखिये, कोई सरकार हो, अगर आप में ताकत है तो आप— (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बात सिर्फ इतनी है कि—

श्री आर. पी. शर्मा : सुनो, आप में क्या कमी है, आप में शक्ति होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, आपकी सरकार है। सरकार रिप्रजेंट करती है देश के लिए, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके से विभिन्न पार्टियां, विभिन्न पार्टी के नेता, कोई भी व्यक्ति देश से अलग नहीं हो सकता। आहूजा जी, विभिन्न पार्टियां होगी, प्रजातंत्र में विभिन्न व्यक्ति पार्टियों के अध्यक्ष होंगे—

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप समझने का प्रयास करिये आर.पी. शर्माजी। सरकार कोई भी हो लेकिन सरकार ने गलती की है उसको मानिये। (व्यवधान) यह देश की सुरक्षा का मामला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गलत नक्शे की, अभी तो इतनी बात है कि गलत नक्शे को ठीक कराये।

श्री आर. पी. शर्मा : लेकिन कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता। देश तो 100 करोड़ व्यक्तियों को रिप्रजेंट करता है। राष्ट्र एक किसी व्यक्ति को रिप्रजेंट नहीं करता है। आप भड़काऊ बात करते हैं, मेहरबानी करके मत किया करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय गृह मंत्रीजी, गलत नक्शे को ठीक कराये, अभी सिर्फ इतनी बात है। पुलिस के अधिकारी बैठे हैं। गंगावतजी, मैंने इसलिए कहा है, भारत माता का नक्शा खंडित है, उस खंडित नक्शे को अखंडित करें, भारत को अखंड करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। बिराजिये बिराजिये।

श्री नाथूराम अहारी : आपके शासन में सोना बेच खाया था तो कांग्रेस ने वापस छुड़वा लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, हमने सोना नहीं बेचा है। सोना बेच खाया है कांग्रेस की टू कापी चन्द्रशेखरजी ने। भाजपा. ने कभी सोना नहीं बेचा था, वह चन्द्रशेखरजी भी कांग्रेसी हैं। पुराने कांग्रेसी हैं और अब वह कांग्रेसी कल्चर के व्यक्ति हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ज्ञानदेवजी, बैठे। थोड़ा शांत रहिये। आप बिराजे। जारी रखिये आप। आपका आधा घंटा पूरा होने वाला है आधा घंटा पूरा होने वाला है, आधा घंटा मांगा था।

श्री मदन दिलावर : छबड़ा थाने के अन्तर्गत कडइयां बनकार में रहने वाले रामदयाल के ऊपर महिला के साथ अनैतिक कार्य करने का केस दर्ज होता है। पुलिस एफ.आर. लगा देती है। बाद में वापस महिला अपराधियों से मिलीभगत करके उसको सी.आई.डी. में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या है यह? एक बार तो एफ. आर. लगा रहे हैं और फिर कुछ पैसा आ गया तो फिर खोल रहे हैं। आखिर में यह कोई पुलिस है कि मजाक है। छबड़ा थाने में इस प्रकार से रोजमर्रा के काम हो रहे हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, श्रीमान्, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इस वर्ष में 50 साम्प्रदायिक घटनाएं, दंगे और अशांति का वातावरण राजस्थान की धरती पर हुए हैं। यह कोई मैं नहीं कह रहा, यह वार्षिक प्रतिवेदन में सरकार ने मुझे बताया है कि पचास घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं जिसमें, मुख्य रूप से तो उन्होंने जो वर्णन किया है, वह मैं पढ़ कर आपको सुना देता हूं। 19 फरवरी, 2000 को कस्बा टोंक में, 19 अप्रैल को पीपाड़शहर में, 10 जुलाई को मालपुरा में, 6 अगस्त को राजसमंद में, 13 अगस्त को कनवास में, 27 अगस्त को कोटा में, 2 सितम्बर को राजसमन्द में, 14 सितम्बर को झालरापाटन में। श्रीमन्, यह मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। 4 अप्रैल, 2000 को.... (व्यवधान) नसीराबाद कस्बे में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामस्वरूप मीणा का पड़ौस में असर हो गया। यह मान ही नहीं रहे, बार-बार व्यवधान कर रहे हैं, इसका जवाब हमको देना पड़ता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये, कितना सुंदर भाषण चल रहा है, कृपया सहयोग कीजिये।

श्री मदन दिलावर : नसीराबाद कस्बे में मध्य रात्रि को मंदिर के दरवाजे पर लगी मूर्तियों को असामाजिक तत्व खंडित कर देते हैं। यह हिन्दुओं की भावना को अपमानित करने का षड़यंत्र और उनको उकसाने का षड़यंत्र किया जा रहा है। गणमान्य लोगों को धमकाया जाता है और कहा जाता है कि मूर्तियां तुमने तोड़ी हैं। पुलिस वहां कुछ करती है तो गुंडे, असामाजिक तत्व पुलिस के ऊपर हमला करते हैं और पुलिस टुकुर-टुकुर देखती रहती है। क्या हुआ मुख्य मंत्रीजी के उस भाषण का जो उन्होंने 11 अगस्त को दिया था? लक्ष्मणगढ़ में कत्ल की रात के दौरान कुछ समाजकंटकों द्वारा बजाये जाने वाला ढोल शिव मंदिर की चोटी पर, गुम्बद पर बांध दिया जाता है। यह कौन लोग हैं, हम इनकी पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लगता है यह हमारे हिमायती हैं राजनीतिक दृष्टि से, हम इनसे वोट लेते हैं इसलिए यहां के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का षड़यंत्र यह सरकार अपनी उपस्थिति में ताना-बाना बुनती है, असामाजिक तत्वों को पूरा संरक्षण देती है। ब्यावर दंगा क्यों हुआ, श्रीमान्, आपको पता है क्या? बेड़ा का बारियां गांव, अवैध अतिक्रमण को तोड़ने सरकार के द्वारा जारी आदेशों की पालना में तहसीलदार हटाने जाता है। तहसीलदार के साथ पूरा दस्ता था परन्तु समाज कंटकों ने उस तहसीलदार और उस दस्ते पर हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया। सरकार के नुमाइंदों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो, जागरूक लोगों ने कहा है, यह परम्परा ठीक नहीं है। जो प्रोटेक्शन हमको देता है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन पर इस प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए। जागरूक लोग, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, अनेक-अनेक प्रकार के लोग जुलूस लेकर जिला कलक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाते हैं, अपना विरोध प्रकट करने जाते हैं। लेकिन असामाजिक तत्व बीच में रोक कर उनके ऊपर हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, लाठियां चलाते हैं लेकिन सरकार में तो ऐसे लोग बैठे हैं न, उनको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। गिरफ्तार किसको किया, मुकदमा किसके ऊपर बनाया। यह कहा, यह यदि ज्ञापन देने नहीं जाते तो यह घटना नहीं होती। क्या? एक-एक इंच जमीन के लिए आप शांति बाई को मौत के मुंह में सुला देते हो, दर्जनों लोगों की जान ले लेते हो और जब तहसीलदार अतिक्रमण हटाने जाता है तो हमले का उसको शिकार होना पड़ता है।

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं समाप्त कर रहा हूं, अभी मेरे पच्चीस मिनट और हैं। श्रीमान्, टोंक में क्या हुआ?

श्री सभापति : समाप्त कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : कैलाश मांली नाम का एक युवा देशभक्त नौजवान एक रिश्तेदार को मिलने जाता है, गांव में वहां मोटर साइकिल पर आता है, दिन-दहाड़े तालाब की पाल के पास में कुछ + + + गुंडे उसकी हत्या कर देते हैं, निर्मम हत्या कर देते हैं। पुलिस बहुत देर बाद पहुंचती है....

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, गुंडे तो कह सकते हैं, लेकिन यह + + + गुंडे, यह गलत बात है, इसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा। गुंडे का कोई धर्म नहीं होता, वह गुंडा हिन्दू भी हो सकता है, सिक्ख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आप गुंडा बोलिये, + + + शब्द को आप डिलिट कराये, यह गलत तरीका है।

श्री सभापति : थोड़ा भाषा पर संयम रखें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : वह भाग गये, पुलिस के पास इत्तला की गई तो एक घंटे बाद पुलिस पहुंची। उन गुंडों ने किया क्या? झालरापाटन के चार-पांच लोग, पूरा परिवार, उसमें महिलाएं थीं, सड़क से जा रहे थे, 200-250 लोगों ने उनको रोक लिया, गाड़ी में बैठे-बैठे उनकी हत्या कर दी गई। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं।

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि असंसदीय न हो, इंडिसेंट जरूर है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय अच्छा महसूस नहीं करते, इस शब्द को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करवा दें।

श्री सभापति : एक्सपंज कर दिया। हां, एक्सपंज कर दिया। लेकिन माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : झालावाड़ में एक छोटी-मोटी घटना हो जाती है....

श्री सभापति : आप बिराजें, अब समाप्त करिये आप।

श्री मदन दिलावर : छोटी-मोटी घटना हो जाती है, एक समुदाय के लोग आते हैं, हमला करते हैं। पुलिस को उनको रोकना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति निर्दोष, कसारा परिवार से था, पुलिस ने टारगेट बना कर उसको गोली मार दी क्योंकि पूर्व में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा है इसलिए उसको गोली मार दी गई। पुलिस टारगेट बना कर इस प्रकार से बहुसंख्यक लोगों के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाकर अत्याचार करे, राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी, इस सरकार की नाक में नकेल डाल देगी। श्रीमान् इस प्रकार की घटनाएं, मैंने कहा न, पचास से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

टोंक में क्या हुआ? टोंक में एक छात्र छात्रावास में सो रहा था। कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। वह उससे निकल करके भागा, तालाब की तरफ भागा, तो तालाब में डूबो-डूबो कर उसे मार दिया और मुकदमा भी उन्हीं लोगों के ऊपर बनाया है, श्रीमान्।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके ज्ञान की तारीफ की जाती है, अब बिराजिये आप, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : मैं अब बिलकुल यह कह रहा हूं—

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, दो मिनट।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला, कृपया अब बिराजिये आप। बिराजिये आप, समाप्त हो गया न आपका।

श्री मदन दिलावर : करबद्ध निवेदन है, मुझे पूरी आशा है, मैं बिलकुल सम्मान करता हूं, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्रीमन्, बहुत चर्चा हुई यहां, गृह मंत्रीजी ने कई बार यहां कहा और यह कहा कि कोई भी मौत भूख और प्यास से नहीं हुई, कोई भी मौत बेरोजगारी के कारण से नहीं हुई, कोई भी आत्महत्या भुखमरी के कारण नहीं हुई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेहरबानी करके गलत स्टेटमेंट मत दीजिये। मैंने जो अपना वक्तव्य दिया था, फेमिन रिलीफ के संबंध में दिया था, बेरोजगारी के संबंध में नहीं था।

श्री मदन दिलावर : इसका मतलब, श्रीमन्, गृह मंत्रीजी ने—

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कहां बोल रहे हैं, यह रिलीफ का मामला ही नहीं है। यह होम का थोड़े ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां जा रहे हैं यह—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब कोई मैटर नहीं रहा तो यों ही—(व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गृह मंत्रालय ने मुझे सूचना उपलब्ध करवाई है।

श्री सभापति : माननीय गोवर्द्धन कल्ला। समाप्त करिये।

श्री मदन दिलावर : गृह मंत्रालय ने मुझे यह सूचना उपलब्ध करवाई है और कहा है यह, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत, लगभग तीस लोग—

श्री सभापति : माननीय गोवर्द्धन कल्ला। आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : इस राजस्थान में भूख के कारण— (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : आत्महत्या कर गये हैं, तड़प-तड़प कर मर गये हैं। आप कहे तो मैं पढ़कर सुना दूं।

(14.00 बजे)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : आप कहो तो मैं पढ़ कर नाम, उम्र, कहां का है, किस जाति का है। इसका मतलब गृह मंत्रीजी, आपने केवल अकाल के ऊपर स्टेटमेंट दिया था वह सच है और आपने मुझे लिख कर दिया है ये पुलिस के वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिख कर दिया है।

श्री सभापति : धन्यवाद, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिए आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, भुखमरी के कारण लोग तड़फ-तड़फ कर मर रहे हैं—

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : करेंगे इलाज। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-16 और 17 पुलिस और कारागार पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, राज्य का मुख्य आधार दण्ड शक्ति है, जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलती है और शासन की पहली आवश्यकता होती है कि देश में और समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। मानव, मुख्यतः शांतिप्रिय है, शांति का पुजारी रहा है मानव हमेशा, और शांति उसका लक्ष्य है, परन्तु जो वातावरण मिलता है उसे समाज में, देश में, राष्ट्र में, तो कुछ अशांति पैदा होती है। उसका मूल कारण उस समाज और व्यवस्था की राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक जो नीति होती है। वह सारी उस कंजेक्चर को बनाती है, उस वातावरण को बनाती है और समाज में अपराध होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में जो आंकड़े प्रस्तुत किये विभाग द्वारा, हमें संतोष है कि ढाई साल के आंकड़े जो प्रस्तुत हुए उसमें पूर्व व्यवस्था से कुछ सुधार हुआ है। परन्तु फिर भी जो कंजेक्चर है जो वातावरण है, अन्तरराष्ट्रीय समाज का आज संचार के माध्यम से, टी.वी. के माध्यम से जो वातावरण बना है समाज में निश्चित उसका

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

प्रभाव पड़ा है और अपराध में वृद्धि हुई है। जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव की चर्चा हमारे कुछ मित्र कर रहे थे, दुर्भाग्य है इस देश का हमारे द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त के आधार पर देश का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भी हम चाहते थे कि पड़ोसी देश एक मित्र की तरह रहे, भाइयों की तरह रहे पर वह सम्भव नहीं हुआ। देश की आजादी के समय जो बंटवारा हुआ उसके बारे में कुछ चर्चाएं अभी मेरे मित्र कर रहे थे। हमें दुःख होता है ऐसी चर्चाएं करने पर किस तरह से लांछन लगाया जाता है कि देश का बंटवारा कुछ लोगों ने किया उस समय क्या आवश्यकता थी सन् 1947 उस समय क्या अनिवार्यता थी जिसके आधार पर देश का बंटवारा हुआ। आज जिस परिस्थिति में हम देश और समाज में रहते हैं, मैं सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूं और मेरे जिले की 25% जनसंख्या माइनोरिटी है। बड़े सेंसिटिव एरिया से, मैं आ रहा हूं। जब इस विधान सभा में कभी चर्चा होती है मेरे क्षेत्र की, मुझे बड़ा दुःख होता है कि किस सद्भावना से किस वातावरण से हम जी रहे थे, हमारी सीमाएं ये कृत्रिम सीमाएं बनी हुई हैं। ये हमने बनायी हैं। अभी वर्तमान में तारबंदी हो चुकी है, फ्लड लाइटें लग चुकी हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में। हमारी सीमाएं सील हो चुकी हैं। केवल शाहगढ़ बैल्ट का 30-40 किलोमीटर का एरिया खुला पड़ा है। फिर भी हमारे क्षेत्र पर आक्षेप लगते हैं कि वहां अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियां, आई.एस.आई. एजेंट्स की गतिविधियां उस क्षेत्र में चलती हैं। सीमा होती है और सीमाओं में ऐसी गतिविधियां होना स्वाभाविक है। तस्करी होती है, आना-जाना होता है। परन्तु मैं कहूंगा कि 1947 से पूर्व और 1965 के युद्ध तक हमारा वातावरण शांत रहा, उसके बाद में हमारा वातावरण सीमावर्ती क्षेत्र में बिगड़ा है। अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्रीजी ईरान में भाषण दे रहे थे। हमें भाषण सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि देश का एक महान प्रधानमंत्री ईरान में हमारी सामाजिक संस्कृति कम्पोजिट कल्चर पर भाषण दे रहा था और इस देश में उनके दल के लोग जो वातावरण बनाते हैं, जो भाषण देते हैं, उन दोनों में आपस में विरोधाभास मान कर बड़ा खेद होता है। हिन्दुस्तान ने भारतवर्ष ने सदियों से एक कल्चर बनायी है और हम कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयीजी ईरान में कह रहे थे कि हमारी एक कम्पोजिट कल्चर है इस देश की, इस देश में हमको जीना है, रहना है, मरना है। फिर भी एक सम्प्रदाय की भावना को उतार कर जिस तरह का वातावरण देश में बनता जा रहा है, थोड़ा सा ही कुछ वातावरण होता है दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है और सम्प्रदाय का वातावरण बिगाड़ दिया जाता है। ऐसी समस्या देख करके ऐसी परिस्थिति देख करके बड़ा खेद होता है। मैं मेरे मित्रों से कहूंगा कि जो हमारे विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं और प्रतिदिन आरोप लगाते हैं। परसों पण्डित नेहरू पर आरोप लगा दिया। व्यक्तिशः बड़ा खेद हुआ बड़ा दर्द हुआ

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हमें कि हम क्या भाषण सुनने के लिए यहां इस असेम्बली में बैठे हुए हैं। कृपया इस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करें। किसी भी दल के हमारे साथी मित्र हो मेरा ऐसा निवेदन है।

मान्यवर, सीमा पर हमेशा, मैं विशेष कर सीमा पर ही अपनी चर्चा करूंगा। पुलिस के बारे में तो और भी कई साथी बोल रहे हैं। सीमा पर तस्करी होती है, हमेशा होती रही है, किसी भी सीमा पर और जब हमने एक बार सीमा को बंद कर दिया उसके बाद में जो कोई भी घटनाएं होती हैं वह हमारी जो भी एजेंसीज हैं एस्पाइनेज है, एंटी एस्पाइनेज है। हम भेजते हैं, पाकिस्तान के लोग यहां आते हैं, हमारे लोग पाकिस्तान जाते हैं। क्या गुनाह किया है? सीमाएं बनायी तो हमने बनायी। यदि मेरी बच्ची पाकिस्तान में रहती है, मेरा ननिहाल यदि सिंध में है और सिंध में मेरे ननिहाल के लोग रहते हैं, मेरे आवागमन के साधनं होंगे। इबादत की जगह यदि पाकिस्तान में है, यदिं नानकाना में सिख चले जाते हैं, माइनोरिटी के मुसलमान यदि इबादत के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं तो क्या गुनाह हुआ? पाकिस्तान के हैं इसलिए उनको गुनहगार माना जाता है। उनकी हिस्ट्रीशीट्स बनती हैं, उनकी कई फाइलें बन जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया उस ओर ध्यान रखें।

एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1965 से 1971 में 4-5 सौ परिवारों की सूची बनी कि वह पाक पलायन के लोग हैं। अब 1965 में पाक पलायन की सूची में नाम बना उसके पोते आज वयस्क हो गये और आज भी उस सूची में लिये जाते हैं और नागरिकता भी संदिग्ध मानी जाती है। आज वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला जाता। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि केन्द्र सरकार से भी मिल करके वो 4-5 सौ परिवार जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं जिनके पोते आज वयस्क हो चुके हैं, कृपया वे किस देश के, राष्ट्र के रहने वाले हैं, हिन्दुस्तान के हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता का अधिकार क्या है, कृपया उस ओर हमारा स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस बारे में मैं विशेष कर आपका ध्यान दिलाऊंगा। अभी कुछ दिन पूर्व यहां चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गये और आरोप लगा रहे थे मैं सत्ता में आया हूं। मैंने रिकार्ड तोड़ा है कि इतने वर्षों बाद में एक विशेष वर्ग का न हो करके जीत कर आया हूं। इस तरह से हमारे कई माइनोरिटीज के लोग भी वहां पदाधिकारी बने हैं। रोज उन पर आरोप लगते हैं कि वे सत्ता में कैसे आये। लोकतंत्र में अधिकार है लोगों ने चुन कर उनको भेजा है। प्रमुख बने हैं, प्रधान बने हैं उनकी कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कभी उनके हामीवान नहीं होंगे, यह सरकार कभी हामीवान नहीं होगी। परन्तु किसी वर्ग विशेष के हैं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इसलिए आरोप लगाना उचित नहीं लगता है। इसलिए मेरा विरोधी दल के मित्रों से निवेदन है कि कृपया उस ओर विशेष ध्यान करें।

मैं, माननीय राहत मंत्रीजी भी हैं और गृह मंत्रीजी भी हैं, सीमा के लोग क्यों गतिविधियों में जाते हैं, क्यों तस्करी के कुप्रभाव देतें हैं, क्यों भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि वे बेरोजगार हैं सीमा सील हो चुकी है। अकाल बार-बार पड़ता रहता है, सतत् अकाल की परिस्थिति है, कभी अलाटमेंट हो जाता है, कभी कोई एजेंसी उसको पकड़ लेती है और पैसे के लालच में कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं के लिए, रोजगार की समस्याओं के लिए और अन्य समस्याओं पर गृह मंत्रीजी और सरकार विशेष ध्यान देंगे।

जहां तक, भ्रष्टाचार की चर्चा हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। समाज में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। आप उससे इंकार नहीं कर सकते। किसी भी विभाग में जाएं एक निश्चित परिपाटी सी बनी हुई है। भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार जैसा बन चुका है। मेरे जिले में भ्रष्टाचार ब्यूरो का एक आफिस खोला गया है। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी रखा है। न उस विभाग के पास टेलीफोन है, न उस विभाग के पास गाड़ी है। डीवाई.एस.पी. स्तर का एक अधिकारी बैठा हुआ है। कैसे वह काम करेगा, समझ में नहीं आता। मंत्री महोदय उस ओर विशेष ध्यान करें। न तो उस अधिकारी के पास टेलीफोन है, न उसके पास कोई गाड़ी है, ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वह कुछ कर सके।

मैंने दो साल से प्रयास किया है कि जैसलमेर जिले का जो विस्तृत भू-भाग है उसमें जो पुलिस थाने हैं, वहां निश्चित रूप से थाने बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष कर उपनिवेशन क्षेत्र में हमने 18000 नये काश्तकारों को बसाया है। उस नो मैन्सलैण्ड में जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है उस क्षेत्र में हमें नये पुलिस थाने, चौकी स्थापित करनी पड़ेगी। अभी गये पखवाड़े में डबल मर्डर हो गया। दो काश्तकारों को मार दिया गया। वहां से पुलिस थाना 30-40 किलोमीटर दूर है। हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सीमावर्ती क्षेत्र में हम नये थानों की व्यवस्था करें। लाठी थाने के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता आया हूं। हमारी एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायर रेंज लाठी सीरिज है। निश्चित रूप से उसको बढ़ाकर पुलिस थाने में बदलना चाहिये।

पुलिस के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं कि जो सी.आर.पी.सी. आप लेकर बैठे हुए हैं, निश्चित उसमें बदलाव की आवश्यकता है। एजेंसी और जांच के बारे में हमारे मित्र कह चुके हैं कि इंवेस्टिगेशन और रजिस्टरी करने वालों की एक एजेंसी होनी चाहिये। अन्वेषण ब्यूरो में जो लम्बित कैसेज हैं उसकी ओर भी ध्यान करें। मेरे सीमावर्ती क्षेत्र में प्रायः मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं जाता रहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र की पुलिस चौकियों में जो लोग बैठे हुए हैं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उनकी सुविधाओं के बारे में हमें चिंतन करना चाहिये। कुछ समय पूर्व मुझे याद है 1965-66 के समय सीमावर्ती भत्ता हमने प्रारम्भ किया था। हमारे जो भी कर्मचारी वहां रहते थे उनको भत्ता मिलता था। सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी कर्मचारी काम करता है, पुलिस वाला काम करता है उनको विशेष सुविधाएं दें। मेस भत्ते की यहां चर्चा की गई। सीमावर्ती भत्ता आपको प्रारंभ करना चाहिये, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। पुलिस के अधिकार के बारे में हमें सोचना चाहिये। 151 में किसी भी भले आदमी को एक पुलिस थानेदार पकड़ कर बैठा सकता है। 107 और 171 की कार्यवाही तो बाद की बात है। निश्चित रूप से उसके बारे में भी कुछ सुधार होने चाहिये। यह मेरे कुछ सुझाव है पुलिस के बारे में।

जेल मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं। मैं प्रायः हर वर्ष कई वर्षों से तीन अक्टूबर को जो गांधी पखवाड़ा होता है, जेल में जाने का मौका मिलता है। मैं खुद भी 2-3 बार संघर्ष में जेल गया हूं। जैसलमेर जेल के बारे में विशेष कर वहां महिला कर्मचारी के लिए मैंने 2-3 बार निवेदन किया है। वहां महिला कैदी रहती है पर महिला कर्मचारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वह मैं 10-15 साल से देख रहा हूं कि कुछ कैदी जो पाकिस्तान बार्डर से क्रास करके आये हैं वह बैठे हुए हैं। 20-20 वर्ष हो गये, कुछ लोग मर गये, कुछ लोग अंधे हो गये, 80-85 वर्ष की उम्र के कैदी वहां बैठे हुए हैं। मानवाधिकार या किसी आधार को लेकर गृह मंत्रीजी और जेल मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो जियारत करने के लिए, अजमेर के लिए आये थे, इल्लीगल बार्डर क्रास किया और वह जेल में बैठे हुए हैं। उनके बारे में सोचना चाहिये कि उनका क्या करें। यह कुछ सुझाव मैंने आपको दिये हैं, कृपया करके उन पर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, हम लोग इस सदन तक पहुंचने से पहले अनेकों बार संविधान की शपथ लेते हैं उसी संविधान में जो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है वह है नागरिकों के जान माल की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कायम रखना। हम उसमें कहां तक कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, यह तो हर आदमी का अपना अपना आकलन है और यह निहायत जरूरी है कि बिना पुलिस के देश या किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था सही नहीं रह सकती। पुलिस के जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण काम है। श्रीमन्, पुलिस का पहला फर्ज कानून व्यवस्था कायम करना है। अगर उसमें कहीं व्यवधान आता है, तोड़ा जाता है तो उस जुर्म को पंजीबद्ध करना, उसका अनुसंधान कर उसको न्यायालय से दंडित कराना ताकि आइंदा ऐसी घटनाएं न घंटे। लेकिन इसमें भी प्रशासनिक मशीनरी में कहीं और घुन न लग जाये, वह घुन हम सारे समझते हैं। वह घुन है भ्रष्टाचार। इसके लिए

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

पुलिस ने अपनी एक नयी व्यवस्था बना रखी है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कायम किया है।

सभापति महोदय, इस सारे तंत्र को समझने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी जो व्यवस्थाएं कायम कर रखी हैं और बार-बार यह सवाल आता है कि जैसे-जैसे समाज विकास की गति प्राप्त करता है, जुर्म बढ़ते हैं। पुलिस का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए और हुआ है। सरकार ने खर्च किया है। लेकिन अगर ऐसा रिआर्गेनाइजेशन हो जो सामूहिक हो और यह लगे कि यह प्रपोर्शनेट तरीके से बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सभापति महोदय, जो आंकड़े हमें विभाग ने उपलब्ध करवाये हैं, मैंने पिछली दफा भी निवेदन किया था कि अधिकारियों की एक शिवजी की बारात तैयार की गई है। उच्च अधिकारी की नफरी बेइन्तहा बढ़ा दी गई। लेकिन अगर पिछले 10 सालों के हिसाब से देखा जाये तो जो आंकड़े बताते हैं, उस वक्त कांस्टेबल की 45,000 की नफरी थी। 10 साल में हमने कांस्टेबल की नफरी बढ़ाकर केवल 7,000 की और अधिकारियों की बढ़ोत्तरी 5 गुणा हो गई। इस तरीके से बजट में जो प्रावधान किये जाते हैं उनमें बहुत बड़ा हिस्सा यह शिवजी की बारात चाट जाती है, जबकि, सभापति महोदय, जमीन के ऊपर जुर्म करने वाले लोगों से वही कांस्टेबल झूझता है, वही मुकाबले में होता है, वहां अधिकारी नहीं होता। अधिकारी अपनी योजना बनाता है, रण नीति तय करता है। इम्पलीमेंटेशन कोई करता है तो वह कांस्टेबल करता है। और कांस्टेबल के लिए जो हमने व्यवस्थाएं रखी हैं वह माकूल नहीं है। उसकी कार्यक्षमता को हम बरकरार रख पाएं, ऐसी व्यवस्था हमको नहीं दिखती। एक प्रतिवेदन हमको दिया गया है इसके ऊपर मैंने पिछले साल भी एतराज किया था। इसमें महात्माजी का फोटो दिखाकर उनका संदेश इसमें लिखा गया, काश पुलिस अपने जीवन के अंदर इस संदेश को आत्मसात कर पाती तो मेरे को बड़ी खुशी होती। उसमें लिखा है कि वर्दी पहनने के बाद पुलिसकर्मी का कोई धर्म नहीं, उसकी कोई जात नहीं है। वह केवल जो सौगन्ध खाई है पुलिस की वर्दी पहनने की, उसके प्रति समर्पित रहता है लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सभापति महोदय, मैं हमारे संवेदनशील और सहृदय वाले गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके रहते अगर ऐसी भावनाएं लेकर वर्दी वाले लोग खुद जुल्म करने लग जाएं तो समाज की सुरक्षा का हम नारा नहीं दे पाएंगे और न वह सुरक्षा रह पाएगी। जहां अनुसंधान की बात है, पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। सभापति महोदय, यह व्यवस्था बिगड़ी और वह एक दिन में नहीं बिगड़ी। मैं जब सन् 1993 से 1998 तक का लेखा-जोखा इस अनुसंधान का देखता हूं तो बहुत अजीब तथ्य सामने आते हैं। लोगों ने अपनी राजनीतिक पहुंच या पुलिस में बिराजे उच्च आसीन पुलिस अधिकारियों के मार्फत अपनी जगह तय कर ली। उनके खिलाफ अगर कोई आदमी आवाज उठाता

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

है तो उसकी हालत यह कर दी जाती है कि वह शायद आइंदा बोलने के काबिल न रहे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक एफ.आई.आर. नम्बर 297/98 सूरतगढ़ थाने में 23.6.1998 को एक पोमिला नाम की लड़की जो कल्याणपुरा, कानपुर यू.पी. की रहने वाली थी। उसके हालात क्या थे मुझे नहीं मालूम। वह जयपुर आई। सी.आर.पी.एफ. के एक जवान ने उसके साथ बस में सफर किया और बातों-बातों में, कुछ ऐसी घटनाएं इस एफ.आई.आर. में बताती हैं, सारी की सारी. जो जुल्म की परिधि है वह केवल अजमेर की भूमि के ऊपर हुआ और वह सी.आर.पी.एफ. का जवान सूरतगढ़ का रहने वाला था। उस पोमिला को सूरतगढ़ बुलवाया गया, पुलिस के थानाध्यक्ष ने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। सी.आर.पी.एफ. के जवान को थाने में बुलाया गया और रात में उसकी भयंकर पिटाई करके 50,000 रुपये रिश्वत लेकर उसको मजबूर किया कि आप इसके साथ शादी करें और नतीजा यह हुआ कि जब उस लड़की ने यह देखा कि अब मेरी गोटी फिट हो रही है तो उसने एक लिस्ट दी सामान की कि मुझे यह-यह सामान लाकर दिया जाए तब मैं दुल्हन बनूंगी। शादी सूरतगढ़ थाने के अंदर रची गई और थानाध्यक्ष महोदय 500 रुपये कन्यादान के देकर वहां से उस महिला को रवाना करते हैं, थाने से विदाई देते हैं। उस मुकदमे का क्या हुआ? पुलिस का जो प्राइम काम है, जो मुख्य काम है जुल्म को रोकने का, पहली बात तो वह जुल्म वहां घटित नहीं हुआ था। और फिर अगर एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो उसका नैतिक फर्ज बनता था उसमें एफ.आर. लगा दी अदमबकुआ कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। उच्च अधिकारी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और उस एफ.आर. को स्वीकृति के लिए भेज दिया।

सभापति महोदय, एफ.आई.आर. नम्बर 25/99 यह नोहर की है, 363, 342, 376 आई.पी.सी. 11.30 बजे की घटना है दिन की। एक मासूम बच्ची किसी बहुत धनाढ्य परिवार के आगे से निकल रही थी उनके लड़कों ने उस लड़की को सड़क से उठाया और घर में ले जाकर उसका शील भंग किया और पुलिस अधिकारी लोगों की इत्तला पर आता है, स्वयं ताला तोड़ता है और मुलजिमों को और लड़की को वहां से पूरी दुनिया के सामने बरामद करता है। नतीजा यह हुआ कि तीन लाख रुपये की रिश्वत का आदान-प्रदान हुआ उसमें, श्रीमान् नतीजा अदमबकुआ। यह पूरा 1993 से 1998 तक का लेखा-जोखा आपका है। मैं कह रहा हूं पुरानी आदत बिगड़ी हुई है और हमें सुधारना है मैं आगे सजेशन दूंगा, आप मेहरबानी करके सुनिए। (व्यवधान) यह 1998 का है। आप सुन लीजिए। उसमें शिकायत हुई और शिकायत होने पर महिला उत्पीड़न विभाग जो पुलिस विभाग ने तय कर रखा है, उसके एस.पी. भी उस दिन जावलिया गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर उस पुलिस अधिकारी को दोषी पाया और नतीजा ढाक के तीन पात।

श्री सभापति : आप सुझाव की तरफ आ जाइये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं निवेदन करूं साहब, एफ.आई.आर. नम्बर 73/97 पी.एस. सूरतगढ़ 365, 367, 323, 325, 149, सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि शिड्यूल्ड कास्ट का, फोरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जिसकी तैनातगी पीलीबंगा में है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन सूरतगढ़ के अंदर कोई मुकदमा, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जुनून सवार, उस अधिकारी ने सुबह सात बजे उसके घर पर रेड दी और उस कर्मचारी को उठा कर थाने ले आए। यातनाएं दीं और उसकी हालत यह हो गई कि वह चलने-फिरने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की मजबूरी हो गई जब तक वह चलने-फिरने के काबिल न हो जाए उसको थाने में ही रखा जाए और थाने में सबसे माकूल जगह, सेफ जगह थी हवालात। उस पढ़े-लिखे नौजवान ने हवालात के अंदर जितने दिन उसको रखा गया। दीवारों के ऊपर दस्तखत करके तारीखें डालता गया। वह इतना इंटेलिजेंट वितन्तु संदेश से जो पुलिस विभाग के मेसेज आए और गए, उनका टाइम नोट करता रहा, डिक्टम्स नोट करता रहा। और जब उसको 15 दिन के बाद छोड़ा गया उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अदालत की शरण ली तो मुकदमा दर्ज हुआ। सूरतगढ़ डीवाई.एस.पी. ने तफतीश की, दोषी पाया उनको और उस प्रभावशाली एस.एच.ओ ने एस.पी. को जाकर कहा कि यह तफतीश झूठी है, तफतीश बदल दी गयी। एडिशनल एस.पी. रायसिंहनगर को दी गयी। उसने वही नतीजा दिया। उसने कहा मैं इसको भी नहीं मानता। उसका स्वजातीय एडिशनल एस.पी. धर्मपाल चौधरी, उसको तफतीश दी। सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि बिना गवाहों को बुलाये उनके झूठे बयान 161 सी.आर.पी.सी. के उसने दर्ज कर लिये और एफ.आर. लगा दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैंने बताया है उनके टेलीग्राम आते हैं पुलिस विभाग के पास। इस मामले के अन्दर तीन साल से वह रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही। मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि अगर कोई आदमी बोलता है तो उसके साथ सलूक क्या किया जाता है? मैंने हमेशा इन करतूतों का विरोध किया तो नतीजा यह हुआ, अब इधर से कहा जा रहा था कि बड़े जुल्म और उत्पात हो रहे हैं। जुल्म आपने देखे नहीं। जुल्म मैं बताता हूं।

सभापति महोदय, मुझे थाने में बुलाया गया कि किसी मामले के अन्दर राजीपा कराना है और मैं गया। जाते ही मुझे 107-151 के अन्दर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद ग्यारह बजे जमानत हुई। यह मेरे पास सर्टिफाइड कापियां हैं कोर्ट की। जमानत लाकर पेश करने वाले उस वकील को ऐसी बेहूदी भाषा में कहा कि इसको तू तेरे गुप्त स्थान में डाल ले, नहीं छोडूंगा और सुबह एस.डी.एम. साहब आये। थाना चारों तरफ से पब्लिक से घिरा हुआ था। उन्होंने अपनी आर्डर शीट में लिखा है कि मैंने

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आकर एक्स एम.एल.ए. हरचन्द सिंह सिद्धू को पुलिस की कस्टडी से आजाद करवाया क्योंकि रात को ग्यारह बजे उसके जमानत और मुचलके पेश हो चुके थे। ऐसी-ऐसी वारदाते करने वाले लोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपना स्थान खुद चयन करते हैं कि मैं अगर ड्यूटी दूंगा तो फलां थाने में जाकर दूंगा।

सभापति महोदय, मैं हमारे बुजुर्गवार गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कमर कसनी होगी इन तत्वों से छूट पाने के लिए।

भादरा के अन्दर गोलीकाण्ड हुआ और उस गोलीकाण्ड की एफ.आई.आर. नम्बर 420, 2000.... (व्यवधान) यह अभी की है। मैं आ रहा हूं। आपके बिगाड़े हुए सामान हैं, उनको दुरूस्त करने की व्यवस्था करेंगे... (व्यवधान) आप तसल्ली रखिये, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? उस एफ.आई.आर. के अन्दर अगर आप मुलाहिज फरमायेंगे, सभापति महोदय, मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि वह एफ.आई.आर. दर्ज हुई और दर्ज होने के थोड़ी देर बाद जब मजिस्ट्रेट के पास गयी तो मजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर प्रजेंटेशन का टाइम लिखा है क्योंकि वहां लोकल घटना थी। मजिस्ट्रेट ने उस एफ.आई.आर. को पढ़ा है। उस वक्त उसका सब्जैक्ट मैटर कुछ और था और जब उस मुलजिम ने जमानत दरखास्त दी उस वक्त एफ.आई.आर. आयी तो उसके अन्दर लालचन्द डूडी, पूर्व मंत्री जो भैरोंसिंह शेखावत सरकार में मंत्री थे उनका नाम तीन जगह एड हुआ पाया गया। उस मजिस्ट्रेट को बड़ा अचम्भा हुआ कि मैंने खुद ने पढ़ी है। उस वक्त यह नाम नहीं था। यह नाम आया कैसे? जब उसने एतराज किया तो, सभापति महोदय, अदालत से उस एफ.आई.आर. को वापस मंगवाया गया। जिस तरीके से उस एफ.आई.आर. के अन्दर नाम जोड़ा उसी तरीके से उस एफ.आई.आर. में से तीनों जगह कटिंग कर दी, नाम काट दिया गया। मजिस्ट्रेट के यहां से That is judicial record. That was tempered with. और वह इस नीयत से किया गया कि हमारे महानिदेशक महोदय, उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। जो एक ईमानदार, नेकदिल इन्सान हैं। लालचन्द डूडी उनके रिश्तेदार हैं लेकिन उस डीवाई.एस.पी. की इतनी हिम्मत कि उनको उनके रिश्तेदार का नाम जोड़ करके ब्लैकमेल करे और बाद में जब अदालत का यह रुख देखा तो नाम काट दे।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो खुद जुर्म करते हैं, जो जूडिशियल रिकार्ड को टैम्परविद करते हैं, यह संगीन अपराध है। यह इरादे अच्छे नहीं हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि वह लोग आपके रहते हुए हमारे पास संदेश भेजे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिछपाल सिंह जी पूनिया वह कहते हैं जिस दिन सदन स्थगित हो गया मैं बहाल

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

होऊंगा और हनुमानगढ़ तैनाती कराऊंगा। नोहर के एस.एच.ओ. वीरेन्द्र जाखड़ वह कहते हैं मैं हनुमानगढ़ टाउन लूंगा। सूरतगढ़ के एस.एच.ओ. वह कहते हैं मैं अनूपगढ़ जाऊंगा, मैंने दो ही जगह सलैक्ट की है और एक लूणकरणसर के अन्दर बहुत ही अजीब वह सर्कल इंसपेक्टर थाना लूणकरणसर, सभापति महोदय, मैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह पीड़ा है, मन की पीड़ा है और सारा समाज...

श्री धर्मपाल चौधरी : सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ अन्याय है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उस सर्कल इंसपेक्टर की मर्जी, वह कहने लगा मैं लूणकरणसर जाउंगा, सब इंसपेक्टर का वह थाना था। अब होता क्या है, सभापति महोदय, उसको राजी करने के लिए, उसकी जिद को कायम रखने के लिए एक डी.आई.जी. रेंज साहब ने उस थाने को अपग्रेड कर दिया कि नहीं इनको ही लगा दिया जाए। सरकार की कोई सहमति नहीं, हमने जानकारी हासिल कर ली। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के ऐसे काम कर दिये जायं।

मैं इस बात के लिए तो गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी जो डी.आई.जी. भेजे हैं वह ग्रामीण माटी के प्रतीक हैं और उस आदमी ने पहली चोट की है जरायम पेशा लोगों पर। सभापति महोदय, आज मैं बड़ी शर्म के साथ कहता हूं कि यह थाने में तैनातियों का इनका जो लालच है, लोभ है उनके पीछे बंधी है माहवारी, जो जुर्म करने वाले लोग उनसे पुलिस के अधिकारी और आम भाषा है उनकी, यह थाना दो लाख का, यह थाना तीन लाख का, यह थाना पांच लाख का है और इस लालसा के कारण यह लोग अपनी तैनातियों के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।

श्री अमीन खान : यह पांच लाख के थाने कौन-कौनसे जिलों में हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसके मार्फत हैं यह तो बताइये।

श्री जगत सिंह दायमा : भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है कि नीचे से यह भी बता दो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप सुन लीजिए। ऐसी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं अगर इनको न रोका गया, उस डी.आई.जी. मिस्टर एल.एन. मीणा ने सारे पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. से यह सर्टिफिकेट चाहे कि आप हमें यह प्रमाण दो कि मेरे क्षेत्राधिकार में कोई सट्टा-जुआं नहीं चल रहा है। पहला आदमी मैंने देखा है। मैं उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी चाहिये हमको।

श्री जगत सिंह दायमा : एस.टी. का आदमी है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की और हम उमीद करते हैं कि आपकी नजरे इनायत हमारे पर ऐसी ही रहेगी। मेरा निवेदन है, सभाति महोदय, गृह

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

मंत्री महोदय से, कि अगर इस पुलिस व्यवस्था को सुधारना है, आप इसमें डायनिमिक चेंज लाना चाहते हैं तो मेहरवानी करके यहं जो तरह-तरह के विजिलेंस सी.आई.डी., सी.बी., एंटीकरप्शन, इन विभागों को आप एस्केप कर दीजिए। केवल मात्र दो ही एजेंसियां रखिये। एक पुलिस स्टेशन के अंदर आपका अमला काम करे, कानून-व्यवस्था को देखे और उनका काम केवल जुर्म को पंजीबद्ध करना हो और इंवेस्टीगेशन एजेंसी उसका काम केवल अनुसंधान तक हो तो लोगों में यह लालसा खतम हो जाएगी और आप चोरी की बात कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा दो साल के अंदर पुलिस थाना सूरतगढ़ के अंदर दो करोड़ रुपये की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की चोरी हुई और 28 मुकदमे दर्ज हुए। मैंने, सभापति महोदय, निवेदन किया कि इनमें कोई बरामदगी हुई और वह + + + एस.एच.ओ. साहब फरमाते हैं कि बरामदगी तो कुछ नहीं हुई, निल। हर माहवार क्राइम मीटिंग के अंदर यह पहली ड्यूटी है कि रिकवरी का पता किया जाये। लेकिन उसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं।

सभापति महोदय, जो इस तरीके का पैसा आता है, मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि वह पैसा कहीं बैंकों में नहीं रखा जाता, वह जमीन के ऊपर दिखाई देता है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, जयपुर के अंदर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उनकी है, करोड़ों रुपये की सम्पत्तियां हैं। मैंने सवाल पूछा था उसमें मैंने निवेदन किया कि एक नियम है कि कोई भी चल और अचल सम्पत्ति खरीदने से पहले या बेचने से पहले वह राज्य सरकार की स्वीकृति लेंगे तो जवाब आता है निल।

सभापति महोदय, मैंने भादरा काण्ड के बाबत भी एक सवाल पूछा था। मैंने उस पुलिस अधिकारी के बारे में पूछा कि इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? उन मुकदमों की तफतीश दी गयी और मैंने यह भी पूछा कि इसके खिलाफ अदालत के अंदर कितने मुकदमे दर्ज हैं या अदालत ने प्रसंज्ञान लिया? मुझे अफसोस हुआ। मैंने जब वह जवाब देखा सरकार का, उसमें कहा कोई प्रसंज्ञान नहीं है। और तो मुझे नहीं मिला उस आदमी के खिलाफ—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट के अंदर निवेदन कर दूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुकदमा नम्बर 11/1999, इसके अंदर रिछपाल सिंह पूनिया के खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ है 1997 में। यह 11/99 ए.डी.जे. कोर्ट का नम्बर है जिसके अंदर वह खुद रिवीजन में गया है। अभी निलम्बित है। वह खुद रिवीजन में गया है और विभाग को कोई सूचना नहीं है और पूरे डिपार्टमेंट से झूठ बुलवा दिया। यह सर्टिफाइड कापी मेरे पास है। इस तरीके के हालात पैदा करने वाले लोग

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

और अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां चाहे, तो हालात अच्छे नहीं होंगे।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का अजीब आलम है। जब कोई रेड होती है तब वहां जो बात देखते हैं और अखबारों में जो बात आती है तो पता लगता है कि विभाग ने एक शेर मार लिया। और उसकी सम्पत्ति की फेहरिस्त आती है कि इतनी टीम लगी हुई है और उसने उसका आकलन किया उसके लाकर से इतना गोल्ड मिल गया और इतना यह मिल गया, इतना वह मिल गया। नतीजा, जब जाकर उनसे हम पूछते हैं कि आपके यहां क्या हुआ? बोले हमारे तो साहब एफ.आर. लगी। अरे भाई, तेरी फेहरिस्त बहुत लम्बी-चौड़ी आयी थी। बोले साहब, मेरा तो हिसाब-किताब हो गया। वह किसके साथ हिसाब-किताब होता है या किसके साथ नहीं होता, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हकीकत है और आखिर पकड़े जाते हैं कौन? या तो कोई कांस्टेबल या कोई पटवारी, या कोई बाबू। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अगर सरकार को स्थिति को सुधारना है तो सरकार के पास एजेंसी है। जो सम्पत्तियां, चाहे वह एग्रीकल्चर लैण्ड हो, चाहे वह बिल्डिंग प्रोपर्टी हो, उसका रिकार्ड हर जगह पर मिलेगा। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के रखने की जरूरत नहीं है। आप हर अधिकारी की सम्पत्ति का ब्यौरा अपने अधीनस्थ विभागों से मंगवा कर उनको केवल एक नोटिस दे कि आपके पास यह सम्पत्ति है, हमारी जांच में आयी है। क्या आप इस सम्पत्ति के मालिक हैं? आपने जब खरीदी, राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली और आपकी आय क्या है? उसके मुकाबले में आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? उसको टाइम दे और अगर पाया जाता है तो उस सम्पत्ति को जब्त कर लीजिये। वह आपके प्रदेश की सम्पत्ति है और इस टैक्स से हमारा पिण्ड छूटेगा और जो भ्रष्टाचार के अंदर यह सम्पत्ति अर्जित करके आज वह अपने आपको करोड़पति महसूस कर रहे हैं, आइंदा उनकी हिम्मत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने की।

सभापति महोदय, जब तक वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, मैं तारीफ करना चाहूंगा, आज से पांच दिन पहले की घटना है। दिल्ली के अंदर कोई आर्म्स डील हुआ। गलत आदमियों ने हथियारों की खरीद फरोख्त की बात की। सेलुलर फोन पर बात हो रही थी। वहां पुलिस की व्यवस्था है। लगता है कि उन्होंने उस बात को टेप किया और टेप करने के बाद हथियार लाने थे गंगानगर की सादुलशहर तहसील की किसी ढाणी से। एस.एस.पी. हिसार उस सारी घटना को मोनीटर कर रहे थे। वह अनजान बना अपने सेलुलर फोन से अपनी सारी एक्टिविटीज डेस्टीनेशन को बता रहे थे। आज से चार रोज पहले वह जुर्म करने वाला आदमी जो हरियाणा के राजनैतिक पर्सनैलिटी का बेटा है, प्रभावशाली है, तीन गाड़ियों का काफिला लेकर वह जगरावा से रवाना हुआ। मुझे शर्म आती है कि हमारी पुलिस खड़ी देखती रह गयी और हरियाणा

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

पुलिस, जैसे ही वह हथियारों का जखीरा लेकर रवाना होने लगा, उसको नैब कर लिया और हमारी नाक के नीचे से वह हथियार लेकर हरियाणा चले गये। हम बैठे देखते रहे। आप मेहरबानी करके— (व्यवधान)

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : समाप्त कर देता हूं, साहब। बड़ी कृपा होगी आपकी दो मिनट और देंगे तो।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी सरकार ने जो गाड़ियां पुलिस को दे रखी हैं उनकी स्पीड है 60 और जो पंजाब से, हरियाणा से आती है वह चलती हैं 150-200 किमी.।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : व्यवस्था के लिए ही हम मांग रख रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : ध्यान दिला रहा हूं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इस व्यवस्था के लिए ही मांग रखी हुई है और इसीलिए हम उलाहने दे रहे हैं कि आप जो कुछ हमारे पैसे की छीजत हो रही है उसको आप सही जगह लगाइये और उनको अच्छे साधन दीजिये, उनको अच्छी ट्रेनिंग दीजिये। इसी बात का निवेदन कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके सुन लीजिये।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं दो मिनट के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं जो जिद करूं।

सभापति महोदय, मेरा केवल इतना सजेशन है कि जो आपने पुलिस नीति ट्रांसफर की बनायी है, मैं दो साल से इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूं और जब वह नीति आयी तो मैंने उसको देखा। मुझे बेहद पीड़ा हुई। सरकार जब यह चाहती है कि हम नीतिगत फैसले करके और ऐसी नीति के आधार पर ऐसे लोगों को घुसने का मौका दें, उसमें सारी पोलपट्टी है, उस नीति का मैं घोर विरोध करता हूं। जितनी रेंजेज राजस्थान में हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि कोई भी अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक से ले करके और एडिशनल एस.पी. तक एक रेंज में आठ साल से ज्यादा इन टोटो नहीं रहना चाहिए। वह कम से कम अपने सेवाकाल में पूरे राजस्थान को तो देख ले, राजस्थान के लोगों की सेवा तो कर दे। लेकिन उस नीति के अन्दर हर कैडर का पीरियड दिया गया कि अगर वह सब इंस्पेक्टर रहा तो वह इतने पीरियड तक और अगर ऊपर कैडर में आ गया तो वह पीछे वाला काउंट नहीं होगा। इंस्पेक्टर का रैंक ही काउंट होगा और अगर इंस्पेक्टर से डीवाई.एस.पी. हो गया तो पिछले वाला काउंट नहीं होगा तो मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी सेवा के 23 साल में केवल 4 साल बाहर बिताये हैं और 19 साल वह गंगानगर की धरती पर रहना चाहते हैं और अब भी उनकी मंशा है कि मरने के बाद भी, मुझे इस माटी से इतना

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

प्यार है कि मुझे यहीं दफन किया जाय, मेरी जगह तय कर दी जाय। ऐसी तैनाती चाहने वाले लोगों को अगर इस तरह की तैनाती दी गयी और यदि ऐसी उन लोगों को छूट दे दी गयी, हम जैसी उम्मीद कर रहे थे कि यह जो नयी नीति आयेगी उसमें यह सारे लोग ऐसे लग जायेंगे। इन्होंने अपने घरौंदे बना रखे हैं और वह घरौंदे इसलिए बना रखे हैं कि थानों के अन्दर जो आये हैं वह उनकी लालसा के केन्द्र बनी हुई है। इस कड़ी को तोड़ दीजिये, गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि जब तक यह कड़ी नहीं टूटेगी। राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था के साथ रोजाना खिलवाड़ होंगे। आज सुधार होना दूर, हम रोजाना अंधेरे की ओर जा रहे हैं।

श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य एक घटना का जिक्र कर रहे थे। सभापति महोदय, मुझे शर्म आती है कि स्मैक कंजम्प्शन के अन्दर श्रीगंगानगर के पास का अबोहर कस्बा हिन्दुस्तान में नम्बर वन और दूसरा नम्बर आज श्रीगंगानगर का लिया जा रहा है। हमारी बहन बेटियां इसका सेवन करने लग गयीं। मुझे और भी शर्म आती है कि जब उन लोगों को पुलिस कंट्रोल करती है तो हम ही लोग, सफेदपोश जाकर के संरक्षण देते हैं। हम को भी अपना आत्मलोचन करना होगा, अपनी आत्मा में झांक कर देखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पुलिस ऐसा अच्छा आचरण करे तो हमको उनका दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिये।

सभापति महोदय, श्रीगंगानगर में जुआं खेलते हुए आदमी पकड़े। पहली बात तो पुलिस पकड़ती नहीं और कुछ अधिकारियों ने हिम्मत की, पकड़ कर ले गये और 15 मिनट में जुआरियों को पुलिस से छुड़ा दिया गया। श्रीगंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बहुत संवेदनशील है आई.एस.आई. की गतिविधियों के कारण रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं। सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक अखबार के अन्दर खबर आयी कि श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी के एक थाने से वायरलैस सैट चोरी हो गया, गुम हो गया। 15 दिन तक लगातार गुम की रिपोर्ट आयी, 15 दिन के बाद पुलिस को आत्मज्ञान हुआ। गुम का अर्थ क्राइम बोध नहीं है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। इसलिए जहां मेन्सरिया नहीं हो वहां जुर्म नहीं होता। लेकिन 15 दिन के बाद हमारी पुलिस को आत्मबोध हुआ कि नहीं, नहीं यह तो जुर्म है, चोरी हो गया। 15 दिन के बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। सभापति महोदय, वह सिलसिला तो मिटा नहीं था, उसके 15 दिन के बाद जो सुपरवाइजरी अथोरिटी, सी.ओ., (सिटी) हैं, उनका खुद का वाकीटाकी वायरलैस सैट गायब हो गया। 8 घंटे बाद वह ऐसी जगह पाया गया जिसका साफ अर्थ था कि पहले उसको उड़ाया था और बाद में गिराया गया है। मैंने एस.पी. को चिट्ठी लिखी कि आपने क्या इनका फ्रिक्वेंसी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कोड चेंज करवा दिया था? तो हक्के-बक्के रह गये कि हां, साहब, हमने चोरी मुकदमा होने के बाद फ्रिक्वेंसी कोड, भगवान ना करे अगर वह सैट किसी आई.एस.आई. के एजेंट के हाथ में पड़ा होता और हमारा फ्रिक्वेंसी कोड डी-कोडिफाई करके उन्होंने अगर उसका इस्तेमाल कर लिया होता तो पूरे राजस्थान प्रदेश की पुलिस की संचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती और हमारे पल्ले कुछ नहीं था, हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर पुलिस विभाग के लोग कार्यवाही नहीं करेंगे तो बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है कि हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। मैं पुलिस का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी मजबूत पुलिस होगी उतनी ही सोशियल लाइफ सिक्योर होगी और लोग आराम और अमन-चैन की जिंदगी जीयेंगे। लेकिन पुलिस तो खुद ही गर्त में डूबती जा रही है। (व्यवधान)

बिलकुल, उसमें हम भागीदार हैं। भागीदार हैं, मैं अपने आपको शामिल करता हूं। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जुर्म करना अपराध है लेकिन उस जुर्म को बरदाश्त करना भी अपराध है। किंतने बोलते हैं आप में से? कोई नहीं बोलता। हम चासे लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। (व्यवधान) वित्त मंत्री कहते हैं, आप भी कई दिन मंत्री रहे हैं। आप उस वक्त भूल गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब तो आप सहयोग कीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेहरबानी करके।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह नजारा आठ साल के पिछले राज का है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हां, वह इनके ही हिसाब-किताब बताये मैंने।

मेरा नम्र निवेदन है, मेरी भावनाओं को अदरवाइज नहीं लिया जाय। मैंने मेरे मन से मेरी बात कही है और मैंने चाहा है कि इस राजस्थान प्रदेश की जनता आपके शासन और प्रशासन के अन्दर सुरक्षित रहे, अमन-चैन से रहे, इस धरती पर जुर्म ना हों, हमें वह पीड़ाएं ना झेलनी पड़े। अगर जुर्म करने वाला आदमी कोई हिम्मत करता है तो हमारी मजबूत पुलिस की गिरफ्त उसकी गर्दन पर होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने महात्माजी का संदेश यहां लिखा है, कम से कम आज के बाद तो आप अपनी आत्मा के अन्दर इसको आत्मसात कर लीजिये कि पुलिस की ना कोई जाति, ना गोत, ना धर्म और ना ईमान। वह केवल पुलिस है। अगर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आप यह फैसला करके जायेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर अमन और चैन होगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवादी हूं।

श्री सभापति : वक्त तो आपने ले लिया जबरदस्ती।

माननीय श्री नन्दलालजी। डिवीजन नम्बर 69.

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मैंने उस पर्ची में बंशीवाल भी लिखा था।

श्री सभापति : डिवीजन नम्बर 69 कहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : सभापति महोदय, मैं आज पुलिस डिमाण्ड की चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे चार पांच पाइंट हैं, पाइंटेड बात करूंगा। मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं मगर आज बोलने के लिए बाध्य हूं, मजबूर हूं। यहां अभी गृह मंत्रीजी बिराज

(15.00 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

नहीं रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की छवि आज प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। पुलिस के बारे में यह आम धारणा है कि आम जनता की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है। मगर पुलिस अपने खुद के ही हाथों से और अपने कर्मों से अपनी स्थिति बहुत खराब कर चुकी है, ऐसे-ऐसे काम कर रही है कि आपको उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के थाना नांगल के बारे में बताना चाहता हूं। थाने की बिल्डिंग है। उसकी बगल में एस.टी. का आदमी है। उसको आदत है शाम को भजन करने की। मगर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका मकान पुलिस थाने के बिलकुल बगल में है और पुलिस को भजन सुनने की शायद शाम को आदत नहीं है। वह शाम को भजन कर रहा था। पुलिस वाले शाम को शायद कव्वाली और फिल्म संगीत सुनने के आदी हैं, भजन सुनने के आदी नहीं है। क्योंकि आठ बजे के बाद आप पुलिस थानों में जाएंगे तो आपको सब कुछ अस्त-व्यस्त ही नजर आयेगा। पुलिस वाले खुद अपने पैरों पर खड़े नजर नहीं आयेंगे, लड़खड़ाते हुए आपको नजर आयेंगे। वह भगवान सहाय शाम को अपनी पत्नी से बोला कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, आप मेरे लिए खाना ले आओ। वह खाना लाने के लिए चली गयी। सभापति महोदय, आप देखिए उस भजन करते हुए भगवान सहाय मीणा को पुलिस वाले आठ दस जने गये उसके घर पर और घसीट कर ले आये पीटते हुए जैसे ढांढ़ों को पीटते हैं। और उससे बोला... (व्यवधान) मंत्रीजी, हंसो मत, आपकी जानकारी में है। अच्छा आप जा रहे हैं क्या, सुनना नहीं चाहते। इस कदर

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पीटते हुए लाये जैसे जानवरों को पीटते हुए लाते हैं। उसको लाकर थाने में बन्द कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि भगवान सहाय मीणा उस पंचायत नांगल राजावतान के सरपंच का बड़ा भाई है। आप देखिए पुलिस की ज्यादती वह जन प्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शती है। उदाहरण के लिए आपको एक बात बताता हूं। अभी पांच सात दिन पहले दीवली का सरपंच रोहिताश्व मीणा, वह खेड़ली थाने में चला गया। उसने अपराध यह कर दिया, वह तो अपराध बोलते हैं, मैं इसको अपराध नहीं बोलता हूं। वह थाने में गाड़ी लेकर चला गया। वहां पर जो सैकण्ड इन्चार्ज था उसको बहुत बुरा लगा कि यह सरपंच थाने के अन्दर गाड़ी कैसे लेकर आया और उसको वहां पर बिठा लिया। मैं तारीफ करता हूं डी.जी. साहब की कि इन्होंने आकर पुलिस के अन्दर काफी बदलाव किये हैं। सरपंच को अपने घर टेलीफोन करने इजाजत दे दी कि अगर आप सरपंच है तो अपने घर पर टेलीफोन कर लें। उसने मेरे पास टेलीफोन किया कि मेरे को पुलिस ने यहां बिठा लिया, मैं सरपंच रोहिताश्व बोल रहा हूं। मैंने कहा आपको पुलिस ने कैसे बिठा लिया? बोला, भाई साहब मेरे से गलती हो गयी। मैं गाड़ी लेकर अन्दर आ गया। सभापति महोदय, गाड़ी भी मेरी थी, उस पर एम.एल.ए. का स्टीकर लग रहा था। आप उस पुलिस अधिकारी की हिम्मत देखिए कि उसने उस सरपंच को, जन प्रतिनिधि को बिना वजह उसको बिठा लिया। उसका अपराध क्या था? थाने इनकी बपौती है? इस तरह से कैसे व्यवहार करते हैं ये? मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुलिस अपने व्यवहार में बदलाव लाये। पुलिस रक्षा के लिए है। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे फिर आपका, हमारा, इस प्रदेश की जनता का और देश की जनता का क्या होगा?

मेरा आपके माध्यम से एक और निवेदन है। थानों के अन्दर देखिए, पूछते हैं पुलिस है, जवाब दिया जाता है कि पुलिस का अभाव है, हमारे पास स्ट्रेन्थ कम है। सभापति महोदय, पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, आप जांच करवाये कि उनके घरों पर 35-35 और 40-40 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। कोई उनकी सब्जी ला रहा है, कोई उनका दूध ला रहा है और कोई सुबह शाम उनके कुत्ते घुमा रहा है और थानों के अन्दर पुलिस का अभाव है। यह बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये, मेरा ऐसा मानना है। मैं यह नहीं कहता कि हम कोई पुलिस के आलोचक हैं, हम पुलिस के आलोचक नहीं है, पुलिस सबकी रक्षा के लिए है, आम जन की रक्षा के लिए है। हमें पुलिस की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी पुलिस का दुरुपयोग करवाते हैं, करते हैं। हम लोग राजनीतिक दबाव देकर कई ऐसे कामों के लिए कहते हैं, राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, पुलिस को करना पड़ता है।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस से हम इतना हार्ड काम ले रहे हैं और अन्य विभागों के अन्दर देखिए। हर विभाग में आठ-आठ घंटे ड्यूटी सब देते हैं मगर पुलिस के सिपाही, पुलिस के अधिकारी चौबीस घंटे और पुलिस के सिपाही 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। आप उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस अठारह घंटे काम करने का कितना देते हो, पचास रुपया। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस या तो आप डबल कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आप आठ-आठ घंटे की ड्यूटी उनकी फिक्स कर दें। (व्यवधान) नहीं हैं तो कोई बात नहीं, सुन रहे हैं अधिकारी बैठे हैं और अन्य मंत्री बैठे हैं, वित्त मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मुझे बोलने तो दे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : भूतपूर्व गृह मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप बोलने दो न मेरे को। पूरा सदन सुन रहा है मेरे को। आपको अगर सुनना नहीं है तो आप पधार जाओ न। गृह मंत्रीजी के कमरे में टी.वी. लग रहा है वह शायद मेरी बातें बहुत गौर से और ध्यान से सुन रहे होंगे।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं नोट कर रही हूं माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी के पास वह कागज पहुंच जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जारी रखो आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं जब थानों में जाते हैं और एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हैं, एफ.आई.आर. तो दर्ज हो जाती है उसके बावजूद पुलिस कोई त्वरित कार्यवाही नहीं करती है उसको पैंडिंग छोड़ देती है। इसके ऊपर मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर अगर तुरन्त कार्यवाही करें तो परिवादी को समस्या से निजात मिले और राहत मिले।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है, जयपुर में भी देखा है। दौसा का बताता हूं। एक कमेटी सरकार की तरफ से बनी हुई जो शराब बेचने की दुकानें हैं वह एस.पी., कलक्टर और एम.एल.ए., तीनों जहां पर उनको चिन्हित करेंगे ये दुकानें वहां पर लगायी जाएंगी। मगर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे को मालूम नहीं है, एस.पी. कलक्टर से पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, मगर मुझे तो यह मालूम है कि एम.एल.एज. से बिलकुल नहीं पूछा जाता है और उनसे बिना पूछे दुकान लगा दी जाती है। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, कहते हुए इतना दुःख है कि वे इस बात को भी नहीं देखते हैं कि हमने यह शराब की दुकान महात्मा गांधीजी की प्रतिमा के आगे लगायी है या हमने यह दुकान किसी

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

विद्यालय, विश्वविद्यालय के आगे लगायी है या किसी मन्दिर के आगे लगायी है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। दौसा के अन्दर सेंट सोल्जर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल है उसके सामने दुकान लगी हुई है। उसमें मिलती है 50 रुपये में ठण्डी-ठण्डी बीयर और 10 रुपये का ठण्डा पाउच। मेरे दौसा के अन्दर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय है उसके बिलकुल दीवार से लगती हुई शराब की दुकान खुली हुई। अब बच्चे स्कूल से पढ़ कर निकलेंगे या स्कूल में पढ़ने जाएंगे, या तो पहले पाउच पीकर जाएंगे क्योंकि पाउच ही पीयेंगे उनकी मजबूरी है। बड़ी कीमत की शराब तो वह पी नहीं सकते क्योंकि बड़ी कीमत की शराब तो पाउच में मिलती नहीं है। देशी मदिरा 10 रुपये में पाउच मिलती है। 10 रुपये खर्च के मिलते हैं वह पीकर चले जाते होंगे या आकर के पीलेते होंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर आप बड़ी गम्भीरता से विचार करें। इन दुकानों को वहां से हटाया जाये और आप यह भी तय करें कि जो दुकानें ठेकेदार लगा रहे हैं, अब ठेकेदारों की बात यह है कि डी.ई.ओ. को अपने दफ्तर में बुला लेते हैं। दफ्तर में बुला करके वहीं चिन्हित करवा लेते हैं कि यह-यह दुकानें यहां-यहां लगेंगी। ऐसे कैसे इनकी दादागिरी चलेगी। यह शराब माफिया चाहे जिसको खरीद लें। मेरे दौसा का मामला है, कलक्टर साहब ने मेरे को एक मीटिंग में बुलाया था उसके अंदर इनकी चर्चा चल गयी तो कलक्टर साहब ने डी.ई.ओ. को यह बोला कि मेरे को यह सूचना नहीं थी, यह पत्र उनके हाथ कैसे लग गया तो कहा कि मेरे को पता नहीं था, यह मुझे मिला है। आप कृपा करके एस.पी.साहब को, एम.एल.ए. साहब को और मेरे को भेजे और मैं चाहता हूं कि हम लोगों की कमेटी के द्वारा ही इन दुकानों की जगह निश्चित हो।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पुलिस से हम 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम लेते हैं। पुलिस तो हमारे साथ ज्यादती करती है यह बात तो सत्य है। मगर हम भी थोड़ा इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय होना चाहिये। आप महीने में इनको 40 रुपये वर्दी धुलाई के देते हैं। 10 रुपये पैंट के, 10 रुपये कमीज के प्रेस वाला ही ले लेता है और धोबी इतना ही ले लेता है। एक जोड़ी अगर वह रोज पहन कर एक महीने में आयेगा तो उसकी वर्दी की क्या हालत होगी? हम यह भी चाहते हैं कि पुलिस बड़ी स्मार्ट नजर आये, अच्छी नजर आये, स्वच्छ नजर आये। तो 40 रुपये के अंदर तो यह सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो पुलिस अलाउंस हैं इनको आप बढ़ायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जगह-जगह अखबारों के माध्यम से सुनने में आ रहा कि जगह-जगह कम्युनल राइट हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट घटना है ब्यावर की, जब हमारी जानकारी में है कि कम्युनली जो सेंसिटिव एरिया हैं वह प्रत्येक जिले में,

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

तहसील में सब जगह चिन्हित हैं। उनको यह भी मालूम है कि यहां से जुलूस निकलेगा, जिला प्रशासन को यह भी मालूम है कि जुलूस निकलेगा तो उनको रोकने की कार्यवाही भी की जायेगी। उसके बावजूद भी पुलिस या जिला प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है और साम्प्रदायिक झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक जांच बैठा दी जाती है और जांच सौंप दी जाती है और जांच आ जाती है। उसकी जानकारी ना तो जनता को मिलती है ना हम लोगों को मिलती है और सरकार के अंदर ही पूरी हो जाती है। जब इस तरह की बात चिन्हित है कि इस मार्ग से जुलूस निकलेगा तो झगड़े होंगे, साम्प्रदायिक दंगे होंगे, लाठी चलेगी, गोलियां चलेगी तो त्वरित कार्यवाही जिला प्रशासन क्यों नहीं करता है। अगर वह नहीं करता है तो व्यक्तिगत लायबिलिटीज डिस्ट्रिक्ट कलक्टर और एस.पी. के ऊपर इम्पोज होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। अगर वह दोषी पाये जाते हैं तो उनके पेनेलाइज करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आई.जी. हैडक्वाटर पी.एच.क्यू. के अंदर बैठा रखे हैं। उनको पी.एच.क्यू. के अंदर काम क्या है, आप जानकारी करवाये। वह करते क्या हैं? आपने खूब सारे आई.जी. बना रखे हैं। आई.जी. जोनल की व्यवस्था करके उनको फील्ड में भेजे। ऐसे का ऐसा प्रावधान एम.पी., यू.पी. के अंदर चल रहा है। अगर राजस्थान में भी हम करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एक महीने पहले दौसा एडिशनल एस.पी. का स्थानान्तरण हो गया और उसके कई विदाई समारोह हो गये। उसके पार्टियां खा ली। मेरे को बुलाया कि हम पार्टी दे रहे हैं इन एडिशनल एस.पी. की ओर आप आइये इनकी विदाई समारोह के अंदर। मैंने कहा उसको रिलीव तो हो जाने दो, फिर विदाई समारोह कर लेंगे। कहा, नहीं रिलीव तो हो जायेगा और प्रयास कर रहे हैं बहुत ऊंचे स्तर पर कि उसका ट्रांसफर कैंसिल हो जाये। मैंने कहा जब ट्रांसफर कैंसिल हो जायेगा तो विदाई समारोह काहे का। विदाई समारोह हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसको एक महीना हो गया। उस एडिशनल एस.पी. में ऐसा क्या है कि ना तो आप उसको रिलीव कर रहे हैं ना उसको वापस वहां पर नियुक्त कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूं कि वहां के शहर अध्यक्ष कांग्रेस ने उस एडिशनल एस.पी. के खिलाफ माननीय डी.जी. साहब को लिखा, माननीय गृह मंत्रीजी को लिखा, माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखा और उसके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उसने खोला है पाइंटवाइज, दौसा के अंदर पटाखा काण्ड हुआ उसने उसमें पैसा खाया, आप कितने संवेदनशील हैं, आपने जनता से वायदा किया था जवाबदेह, संवेदनशील, पारदर्शी सरकार देंगे, प्रशासन देंगे। संवेदनशील

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आप इतने हैं कि आपको मालूम है, आपको सूचना मिल गयी, आपके शहर अध्यक्ष कांग्रेस ने लिख कर भेज दिया कि इनके भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे काले चिट्ठे हैं। बिलकुल साफ हैं, एकदम कोरे कागज की तरह साफ हैं। जवाबदेह इतने हैं कि उसके लिए टेलीफोन कर दिया कि इनको रिलीव ना किया जाये, हम इनका स्थानान्तरण कैंसिल कर रहे है। स्थानान्तरण कैंसिल क्यों कर रहे है? आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? अब आप कह रहे है हम जवाबदेह है, संवेदनशील है, पारदर्शी है। आपकी जवाबदेही यह है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को वहां वापस लगाना चाहते हैं। जब एक नार्म्स तय किये है कि दो साल बाद हम हटा देंगे। अब उसको ढाई साल हो गये ऐसे उसके अंदर क्या लाल लटक रहे हैं, ऐसा वह कितना ईमानदार है जिसको आप हटाना नहीं चाहते हैं।

आप यह देखिये पटाखा काण्ड हुआ दौसा के अंदर लाख रुपये उसके अंदर खा गया। एक बनिये को उसने मार दिया। दवाई घोटाला हुआ, अवैद्य दवाइयां पकड़ी गयी, ट्रक के अंदर और उसने मामले को रफा-दफा कर दिया। वह ईमानदार अधिकारी वहां है। प्रत्येक थाने से उसने मंथली बांध रखी है, आज वह वहां का वहां बरकरार है। प्रत्येक थाने से किसी से पांच हजार, किसी से सात हजार, किसी से आठ हजार। जब वह एडिशनल एस.पी. दौसा लगा था उसकी हालत बद से बदतर थी और आज आलीशान तो उसका बंगला है यहां पर, आर.जे.-14 टी-0058 नम्बर की गाड़ी चल रही है, डी.टी.ओ. आफिस, दौसा के अंदर लगा रखी है। भरत लाल मीणा उसका नाम है। मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन किया। मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। मुझे कांग्रेस ने एक सिम्बल दिया था, कांग्रेस ने 5 तारीख को सिम्बल दिया, रात को 11 बजे मुझसे वापस छीन लिया। मैं भी कांग्रेस संस्कृति का आदमी हूं। मैं कोई कांग्रेस विरोधी नहीं हूं मगर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे...(व्यवधान) कांग्रेस में रहने की बात नहीं है, यह मैं तय करूंगा, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं कांग्रेस में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं किसी की मेहरबानी से इस सदन में नहीं आया हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तय करेंगे कि एडिशनल एस.पी. कौन रहेगा।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास 153 हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप 153 क्या 155 भी होते तो क्या फर्क पड़ता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बढ़ावा न देकर आप ईमानदार अधिकारी लगायें तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। मेरी दौसा तहसील और जिले के लोगों को खुशी होगी।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो मिनट और लूंगा

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

कि जब दौसा सब डिवीजन हैडक्वार्टर था, पहले कभी दौसा की न्यूज अखबारों में नहीं आया करती थी। अब खबर आती है दौसा के अंदर बलात्कार, होता महुवा के अंदर है और खबर आती है दौसा की। डकैती होती महुवा के अंदर है, नाम आता है दौसा का। कहीं विधायक पिट गया, पिटा महुवा के अंदर, नाम आता है दौसा का। मोटर साइकिल चोरी, एक बहुत बड़ा गिरोह है महुवा के अंदर। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंच ही जाएगी, जो मैं यह मांग कर रहा हूं इस हाउस के अंदर, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस महुवा को आप हमारे दौसा जिले से निकाल कर करौली भिजवा दें जिससे रामस्वरूपजी और हरिसिंहजी बराबर से हो जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दौसा की बदनामी हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दौसा ने नवल किशोरजी जैसा नेता दिया, राजेशजी पायलट जैसा नेता दिया। दौसा बहुत बड़ी नगरी है, देव भूमि है, देवनगरी है दौसा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दौसा को बदनाम न कराइए। मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको हमारे जिले से बाहर अगर कर देंगे तो हम बदनामी से बच जाएंगे और हमारी जो रोज-रोज की परेशानी है, हमारा जिला प्रशासन क्या है? एस.पी. साहब को टेलीफोन करो कि कहां हैं, कहते हैं, महुवा में है। कलक्टर साहब को टेलीफोन करो कि कहां है तो कहते हैं कि महुवा में है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 25 दिन तो महुवा में रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको हमारे दौसा जिले से निकाल दें। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : कैला देवी है, दैविक स्थान है, बालाजी भी हैं, श्री महावीरजी भी हैं। कहने की जरूरत नहीं है और दौसा में क्या होता है? करौली में क्या नहीं होता? ऐसे कैसे कह दिया आपने, समझ गए न, वहां सारे ही चोर हैं? क्या बात है? दौसा बहुत सही है? किस तरह से सही है, जब महुवाजी को करौली भेज रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय संयमजी लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, जब हम पुलिस की स्थिति के बारे में विचार करें तो हमें अपने जेहन में यह रखना होगा कि पुलिस भी हमारे समाज का एक हिस्सा है और समाज में जो प्रवृत्तियां चल रही हैं उन प्रवृत्तियों का प्रभाव पुलिस पर भी आए बिना नहीं रहेगा। सभापति महोदय, आज समाज में धन लोलुपता बढ़ रही है और पैसे को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है तो इन परिस्थितियों में हम यह प्रयास तो कर सकते हैं कि उनके क्रियाकलापों में सुधार हो लेकिन आप यही मानकर नहीं चल

(श्री संयम लोढ़ा)

सकते कि वह पाक दामन, नेक, साफ और ईमानदारी से काम करता रहे, उन दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव निश्चित रूप से समाज का एक अंग होने के नाते पुलिस पर भी आएगा ही।

सभापति महोदय, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पुलिस के क्रियाकलापों में सुधार की दिशा में विचार करने और उस दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। सभापति महोदय, समय-समय पर विधायिका ने और देश की हुकूमत ने इस पर विचार किया और दोनों ने कुछ सुझाव भी दिए लेकिन उन सुझावों पर भली-भांति क्रियान्विति नहीं हो पाती।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दीं, यह बेहद जरूरी था कि पुलिस की गतिविधियों में और पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए उन सिफारिशों पर अमल किया जाता और उन सुविधाओं को जो पुलिस आयोग ने प्रस्तावित की हैं, वे उन्हें प्रदान की जाती।

सभापति महोदय, आज राजस्थान की स्थिति यह है कि राजस्थान के अपर सबोर्डिनेट पुलिस अधिकारियों में 6,376 के पास कोई मकान नहीं है और यह प्रतिशत 78 से भी ज़्यादा है। इसी तरह नोन सबोर्डिनेट एम्प्लायीज में 48,218 के पास आवास उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, यह 78 प्रतिशत से ऊपर ही जाता है। इसी तरह से हमारे थानों की क्या स्थिति है? थानों में कितनी नफरी है? दो कांस्टेबल तामील के लिए, दो छुट्टी पर चले गए तो जो कार्य परिस्थितियां पुलिस के पास उपलब्ध हैं उसमें सुधार लाने की बेहद और महत्ती आवश्यकता है। जब तक नीचे के स्तर पर कांस्टेबलों की संख्या में इजाफा नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति में जो सुधार हम करना चाहते हैं, बेहतर हुकूमत प्रदान करना चाहते हैं, बेहतर पुलिस प्रशासन प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कमी का सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज देश का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उनकी लम्बी राजनीतिक यात्रा, उनके विराट अनुभव और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं का पूरा लाभ न केवल पुलिस जगत तो बल्कि प्रदेश की समस्त आम जनता को प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, 1998 की तुलना में हम आंकड़ों पर गौर करे तो कुल अपराधों में आज 3.86 फीसदी की कमी आई है। 1999 की तुलना आंकड़ों में हम अगर करे तो 4.28 फीसदी की कमी आई है। आप अगर तुलना करे तो 1998 की तुलना में आज डकैती में 29.28 फीसदी की कमी आई है, लूट में 24.59 फीसदी की कमी आई है, बलवा में 26.62 फीसदी की कमी आई है, बलात्कार में, 1.89 फीसदी की कमी आई है, हत्या में 0.06 फीसदी की

(श्री संयम लोढ़ा)

कमी आई है। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले दो साल से लगातार बेहतरी की ओर जा रही है।

सभापति महोदय, कुल अभियोग जो दर्ज हुए उसके चालानी प्रतिशत की ओर गौर करे तो उसमें आज स्थिति कहीं बेहतर है। 1998 में 81.68 फीसदी मामलों में चालान हुआ, 1999 में 82.42 फीसदी मामलों में चालान हुआ, 2000 के अंदर 82.69 फीसदी मामलों में चालान हुआ। यह सब इस बात का प्रमाण है कि हमारे माननीय गृह मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर हुई है।

सभापति महोदय, हुकूमत की सबसे प्रभावी भूमिका होती है कि समाज में इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि अपराधी डरे और समाज कंटक और समाज विरोधी, अपराध करने वालों के अंदर भय पैदा हो और उसी के जरिये अंकुश लगाया जा सकता है और मुकदमों के आंकड़ों की ऊंचाई को कम किया जा सकता है।

सभापति महोदय, पिछले एक साल में इस मौजूदा हुकूमत के प्रयासों से शराब तस्करों की जोरदार धरपकड़ की गई और आंकड़े इस बात के गवाह है कि 1999 की तुलना में इस वर्ष 379 मामले शराब चोरी के ज्यादा पकड़े गए। हमारे समाज में जुएं का भारी दखल है। इस पर कारगर कार्यवाही करने की महत्ती आवश्यकता हर जिले, हर क्षेत्र में महसूस की जाती रही है और इस वर्ष जुएं के खिलाफ हुकूमत की ओर से प्रभावी कार्यवाही की गई है। 1999 में जहां 5,601 मामले दर्ज किए गए वहीं इस वर्ष 7,040 मामले जुआं अध्यादेश के जरिये दर्ज किए गए जो 25 फीसदी पिछले साल से ज्यादा है। इसी तरह शस्त्र अधिनियम में भी 213 मुकदमे पिछले साल की तुलना में ज्यादा दर्ज हुए। एन.डी.पी.एस. एक्ट में पिछले साल की तुलना में 3.10 फीसदी ज्यादा मामले दर्ज हुए।

सभापति महोदय, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोग अपनी गतिविधियों से समय समय पर समाज के वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं और जरूरी वस्तुओं से लोगों को वंचित करने के प्रयास में लगे रहते हैं, अपने अवैध उपायों के जरिये काला धन कमाने के प्रयास में भी लिप्त रहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी प्रभावी कार्यवाही की और मान्यवर, जहां 1999 में 212 मुकदमे दर्ज थे वहीं इस वर्ष 294 मुकदमे दर्ज किये गये जिसके लिए निश्चित रूप से राज्य के पुलिस प्रशासन को बधाई दी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कई घटनाओं का जिक्र भी किया। हुकूमत कोई भी हो, कोई भी दौर हो, लेकिन हर दौर में, हर समय में समाजकंटक अपनी गतिविधि करते रहते हैं और समाज का वातावरण खराब करने की दिशा में अशांति फैलाने की दिशा में

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ऐसे समाजकंटकों पर काबू करने के लिए, ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जो भी निरोधात्मक कार्यवाही हो सकती थी उसमें प्रभावी कार्यवाही की है। धारा 107 और 151 के दर्ज मामलों के आंकड़ों को आप उठाकर देखें जो पिछले साल की तुलना में 621 मामले अधिक दर्ज किये गये हैं। इसी तरह से धारा 110 में भी 628 मामले अधिक दर्ज किये गये हैं और गुण्डा एक्ट में सबसे अधिक प्रभावी कार्यवाही मौजूदा सरकार ने की है। जहां 1999 में 378 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी वर्ष 2000 में 909 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एच.ओ. एक्ट में भी 95 फीसदी की वृद्धि हुई है और एन.एस.ए. जैसे एक्ट में भी 209 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, समय के साथ लोगों में चेतना आयी है और लोग पुलिस की इमदाद भी लेने लगे हैं। महिला अत्याचार के मामलों में ही नहीं दहेज हत्या के जो मामले हैं उनमें पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष कमी आयी है और 3.16 फीसदी दहेज हत्या के मामले कम दर्ज हुए हैं। इसी तरह से छेड़छाड़ के मामलों में 0.55 फीसदी की कमी इस वर्ष आयी है और जो चालानी प्रतिशत है उन आंकड़ों पर भी आप अगर गौर करे तो दहेज हत्या में 100 फीसदी चालान हुए, दहेज आत्महत्या में 100 फीसदी, महिला उत्पीड़न में 99.90 फीसदी, बलात्कार में 99.32 फीसदी और छेड़छाड़ में 99.36 फीसदी मामलों में चालान हुए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मौजूदा हुकूमत पिछड़े और दलित लोगों के विश्वास के बूते पर शासन में आयी है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में सरकार का जो काम करने का तरीका रहा, जो प्रशासन को नियंत्रित करने का एक सोच रहा, जो चिन्तन रहा उसका प्रभाव निचले स्तर पर हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे भाई हैं उनमें एक नये विश्वास का संचार हुआ। उन्होंने हुकूमत के जरिये अपने हक को, पाने की भी चेष्टा की और ऐसा कोई बड़ा मामला हमारे सामने पिछले एक वर्ष में नहीं आया जब संगठित रूप से किसी गिरोह ने समाज के इन कमजोर तबके के लोगों को न्याय से वंचित करने का या अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया हो। सभापति महोदय, 1999 में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के हत्याओं के 63 मामले दर्ज हुए थे इस वर्ष वह आंकड़ा आकर 59 पर ठहर गया। गम्भीर चोट के जो मामले 1999 में 167 हुए थे इस वर्ष वह आंकड़ा 125 पर आकर ठहर गया। बलात्कार के मामले जो पिछले वर्ष 175 थे उसमें भी 2.85 फीसदी की कमी अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के मामले में हुई है। माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत भी जहां पिछले वर्ष 1,265 मामले दर्ज हुए

(श्री संयम लोढ़ा)

इस वर्ष 1,168 मामले दर्ज हुए और इसमें भी 7.66 फीसदी की कमी आयी है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से यातायात पुलिस ने भी राजस्थान के अंदर उल्लेखनीय कार्य किया है। जयपुर में जो हैलमेट पद्धति लागू की गई उसके अच्छे परिणाम सामने आये। मैं यह कह सकता हूं हैलमेट प्रणाली लागू करने की वजह से बहुत से लोगों की जाने भी बची हैं। आप आंकड़ों पर गौर करे तो 1999 में 21,132 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इस वर्ष 19,932 हुई। एक वर्ष में 1200 सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। सभापति महोदय, 1999 में जहां सड़क दुर्घटनाओं में 6,010 लोगों की मृत्यु हुई इस वर्ष 5,388 लोग मरे और 622 लोगों की कमी सड़क दुर्घटना के मामले में हुई है। इसी तरीके से घायलों की संख्या में भी 1,112 की कमी पिछले वर्ष की तुलना में हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान मानवाधिकार आयोग से संबंधित एक प्रकरण की ओर लाना चाहता हूं। मैंने पिछले वर्ष भी सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि 1999-2000 के अंदर जब पुलिस के द्वारा अपराध किये गये हैं और उनके खिलाफ जो कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रस्तावित की गई है उसमें इतना बड़ा पुलिस का बेड़ा और अमला होने के बावजूद मात्र 51 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जिसमें भी सिर्फ एक ए.एस.आई. को पदावनत किया गया और उसके अलावा बाकी सबको छोटी-छोटी बिना मतलब की या बिना प्रभावी कार्यवाही किये उनको बख्श दिया गया। आज यदि पुलिस की सबसे बड़ी बदनामी का कोई कारण है तो पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वारा अपने मातहत लोगों की कमजोरी को छिपाना, उनके अपराधों को छिपाना और उनको दण्डित नहीं करना है।

माननीय सभापति महोदय, स्वरूपगंज के अंदर मगन मीणा नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये और उप जिलाधीश ने अपनी जांच में यह रिपोर्ट दी कि पुलिस के द्वारा जो लापरवाही बरती गयी है उस लापरवाही की वजह से उस मगन मीणा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया, लेकिन पुलिस की इसी प्रवृत्ति की वजह से वह अधिकारी आज बहाल हो चुका है और किसी न किसी थाने में अपनी पोस्टिंग पा चुका है। तो पुलिस की यह जो प्रवृत्ति है इस वजह से पुलिस की छवि भी प्रभावित होती है, इनका काम भी प्रभावित होता है। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल में 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मेरे द्वारा मामले उठाये गये। आप ताज्जुब करेंगे शिवगंज पुलिस थाने का मुकदमा नं. 9/2000, 11/2000 उसमें शराब माफिया के साथ हाथ मिलाकर पुलिस ने अपराध कारित किया। जांच बदलकर एडिशनल

(श्री संयम लोढ़ा)

एस.पी. सिरोही को सौंप दी गई। अभियुक्त पक्ष उच्च स्तर पर गया और जांच बदलकर बाली एडिशनल एस.पी. सिरोही को सौंप दी गई। माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि डी.आई.जी. जोधपुर लक्ष्मण मीणा के द्वारा उस मामले में जांच का नतीजा दिया गया और शराब माफिया ने जयपुर में पुलिस मुख्यालय में बैठे उच्चाधिकारियों के जरिये वह फाइल मंगाकर उस जांच के नतीजे को बदल दिया। डी.आई.जी. लक्ष्मण मीणा ने तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की थी। अगर इस तरीके के पुलिस अधिकारियों को संरक्षण दिया जाएगा, जिनके खिलाफ पुलिस का इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी कार्यवाही प्रस्तावित कर रहा है तो माननीय सभापति महोदय, उनको दण्डित करना और लोगों को न्याय दिलाना दोनों ही बेहद मुश्किल हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मैं माननीय गृह मंत्रीजी को पहले इस बात की बधाई देना चाहता हूं उन्होंने पिछले एक साल में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को असरदार तरीके से समाज में प्रभावी किया है। जितने मुकदमे इन्होंने दर्ज किये हैं वह पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में लगभग दुगुने हैं और पूरे समाज में एक वातावरण बना है और कर्मचारियों में इस बात का भय फैला है कि वे रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आप आज अखबार उठा कर देख लें रोज आपको अखबार में यह पढ़ने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने फलां जगह पर किसको गिरफ्तार किया, रंगे हाथों किया, कहीं रेड की या ट्रेप किया, जो भी है। आपको रोज एक न एक खबर इस तरीके की मिलेगी। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के 28 जिलों में आपने पुलिस चौकियां भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की स्थापित कर रखी है। हमारे सिरोही ज़िले में भी आपने पुलिस चौकी बनायी है, लेकिन सिरोही जिले के साथ आपने जालौर को भी मिला रखा है। दो जिलों में एक पुलिस चौकी और आपके अधिकारी कितने है। एक डीवाई.एस.पी., एक सी.आई., एक सब इंस्पेक्टर और दो हैड कांस्टेबल और दो-चार पुलिस के कांस्टेबल। माननीय गृह मंत्री महोदय, इतनी छोटी सी नफरी के साथ इतने बड़े दो जिलों में क्या आपका विभाग प्रभावी हो सकेगा? जिन अधिकारियों को आपने वहां लगा रखा है मैंने उनको बुलाकर भी पूछा कि क्या बात है आप कोई ट्रेप नहीं करते, रेड नहीं करते। उन्होंने अपनी परिस्थिति मुझे बतायी कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है हम क्या करें। एक-दो मामलों में मैं ट्रेप कराना चाहता था, लेकिन वे अधिकारी वहां

(श्री संयम लोढ़ा)

उपलब्ध ही नहीं हुए क्योंकि जब अधिकारी इतनी सीमित संख्या में होंगे तो हो सकता है वे किसी और जगह पर गये हों।

तो मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर में भी आप एक अलग से पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की चौकी खोले जिससे सिरोही में आपने जो लोग लगा रखे हैं वे वहीं पर प्रभावी तरीके से काम कर सके। मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मामला मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिरोही का जो पुलिस थाना है उसमें रेवदर जाने वाले मार्ग का 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र आपने सिरोही थाने से मिला रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले साल यह कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, 9 किलोमीटर दूरी पर सिबरत एक, माननीय सभापति महोदय, स्थान पड़ता है जहां पर कमजोर वर्ग के लोग आतंकित हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भयभीत रहते हैं तो बीच में अस्थायी तौर पर वहां पुलिस चौकी भी स्थापित की गयी थी। लेकिन वह सिवरत चूंकि अनादरा थाने में पड़ता है और सिबरत की टेलीफोन सेवा अनादरा से नहीं जुड़कर सिरोही से जुड़ी हुई है, इसलिए किसी भी तरह की मदद और इमदाद लेने के मामले में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिरोही थाने की सीमा आपने 5 किलोमीटर रेवदर मार्ग पर कर रखी है उसको बढ़ाकर 9 किलोमीटर करने का कष्ट करे जिससे वहां के कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालालजी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 व 17 पर पुलिस विभाग की चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए इस पवित्र सदन के अन्दर हम पुलिस महकमे की, जो कि हमारा पुलिस महकमा राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जो सारी जनता से जुड़ा हुआ यह महकमा है। इस महकमे से चाहे कोई भी आदमी कितना भी इस पर आरोप भी लगाना चाहे तो आरोप भी लगा सकता है, पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी। मगर आज के समाज के युग में जिस तरीके का राजनीतिक दबाव और वातावरण बना हुआ है उस वातावरण को हम जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और हम एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने की ही कोशिश करेंगे, तो उसमें हम सभी गुनहगार सम्मिलित होंगे। पुलिस विभाग हमारी रक्षा करता है। पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है कि वह अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। मगर राजनीति के कारण और अन्य समाज के लोगों के कारण और जिस तरीके की समाज के

(श्री हीरालाल विश्नोई)

अन्दर जो प्रवृत्ति बढ़ी है उसको देखते हुए जिस टाइम से पुलिस महकमे में अथवा किसी भी महकमे में जब भर्ती शुरू होती है, उस भर्ती से लगाकर उनकी पोस्टिंग तक जिस तरीके का उच्च स्तर पर, या अधिकारियों के लेवल पर, बड़े अधिकारियों के लेवल पर, राजनीतिज्ञों के लेवल पर। हमारे समाज के जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे जो दबाव बनाते हैं और उस दबाव के अन्दर जिस तरीके की जो परम्पराएं पैदा होती हैं, अगर उन परम्पराओं को हम नहीं रोकेंगे और हम खाली पुलिस से ही यह आशा रखेंगे कि पुलिस विभाग ही हमको सबको सुधार दे, अपने आपको हम नहीं सुधारेंगे तो यह अकेला पुलिस महकमा हमको नहीं सुधार सकता। जब से भ्रष्टाचार का अधिकारियों के ऊपर आरोप, हम जन प्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगते हैं, यह सब उसके अन्दर हम समाज के लोग सम्मिलित हैं। आज जिस तरीके का वातावरण बना है और उसमें यह एक होड़ सी पैसे की लगी हुई है, हर आदमी नौकरी में जाना चाहता है, उच्च पद पर जाना चाहता है। अगर वह आदमी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग नहीं लेता है तो अपने आप में अपनी काबिलीयत दिखाना चाहता है वह काबिलियत नहीं दिखा सकता। इसलिए इन सब बातों के ऊपर हम इस पवित्र सदन के अन्दर सभी

(15.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लोग शपथ लेकर हम जन प्रतिनिधि यहां पर आते हैं और हम सब की सेवा करने की बात करते हैं मगर हम खुद कितनी सेवा करते हैं। हम इन अधिकारियों से किस तरीके से कार्य करवाते हैं इस पर जब तक हम लोग चिन्तन नहीं करेंगे, विचार-विमर्श नहीं करेंगे तो हम जो आशा इनसे, अधिकारियों से रखते हैं वह हम नहीं रख सकते। इनके भी बाल बच्चे होते हैं, यह भी उनको अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। हम इनकी तनख्वाह के बारे में, इनके मकान के बारे में और आज के युग में जिस तरीका का लोग अपना जो धंधा करना चाहते हैं उसमें भी ऐसी आदमियों का सहयोग जब मिलता है तब जाकर वह आगे बढ़ता है। तो यह सब चीजें खास करके इस पुलिस को क्योंकि पुलिस महकमे से सभी चीजें जुड़ी हुई हैं तो हम सब को इस बात पर विचार-विमर्श करना चाहिए। ऐसे पवित्र सदन में हम बैठ कर अगर इसको, किसी तरीके से एक अच्छा कार्य हो सकता है, कैसे हम इस कार्य प्रणाली में सुधार कर सकते हैं इस पर विचार होना चाहिए, न कि यह अधिकारी गलत था, इसका यहां से ट्रांसफर होना चाहिए उसका नहीं हुआ। यह आरोप लगाने से, और एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर हम कहेंगे कि 8 साल में उन्होंने जो बंटाढार कर दिया अब हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने, हमारी सरकार बनी उसके बाद में काफी प्रयास किये। हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सरकार बनने के

(श्री हीरालाल विश्नोई)

बाद गृह मंत्रीजी ने इस पर काफी चिन्तन किया। आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाया गया है उसके माध्यम से भी कर्मचारियों के अन्दर पूरा डर है कि किसी भी गलती में हम पकड़े जा सकते हैं। तो यह कार्य करने से आज समाज के अन्दर बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो हमारी सरकार ने प्रयास किये हैं। इसी तरीके से आज के दिन जिस तरीके से अपराध जो बढ़े हैं और अपराधी लोग जिस तरीके से अपराध बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमारे अधिकारियों के पास साधन सीमित होने के कारण, आज उनके पास में हथियार इस तरीके के आ गये अपराधियों के पास, आज टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन आ गये। कहीं से भी हमारा वायरलैस सैट खराब हो सकता है मगर उनका मोबाइल चल सकता है। तो यह जो आधुनिकीकरण के तरीके आज अपराधियों के पास आये हैं और हमारे अधिकारियों के पास जब तक इस तरह के हथियार, आधुनिकीकरण के साथ नहीं होंगे, गाड़ियों की कमी होगी तो यह सब अपराध जिस तरीके से बढ़ते हैं, उनको कम करने के लिए हमको इस बात के लिए बजट में काफी प्रावधान हमारे गृह मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने रखवाये हैं। मगर फिर भी इन बातों के ऊपर हमको ध्यान देना होगा जब जाकर हम जो आज के युग के अपराधीगण हैं उनको हम रोक सकते हैं।

इसके साथ ही, पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है, जब तक हम इस बात पर नहीं सोचेंगे और चिन्तन नहीं करेंगे तो हम जो इनसे अपेक्षा रखते हैं वह अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं। इसके साथ ही, पुलिस थानों में पंजीकरण के मामलों में, पुलिस थानों में लम्बे समय से पंजीकरण मामले पड़े रहते हैं और उस पर कार्यवाही तत्परता से नहीं होती है। तो कई बार ऐसे मामले बनते हैं उसमें राजनीतिक दबाव आता है। कई अधिकारियों के दबाव आते हैं और जो लम्बे टाइम तक रहने से उस पर हम न्याय नहीं दे सकते जिस तरीके से हमको न्याय दिलाना चाहिए।

आज जो गांवों के अन्दर, खास करके शक्कर है, गेहूं है और राशन के जो सामान हैं उस पर भी जिस तरीके से मुकदमे दर्ज होते हैं वे मुकदमे लम्बे टाइम तक चलते हैं। उस पर कार्यवाही नहीं होने के कारण कार्यवाही लम्बित होने से हमारे समाज और जो गरीब आदमी को न्याय दिलाना चाहते हैं वह न्याय हम नहीं दिला सकते। तो ऐसी चीजों पर भी हमें सरकार की तरफ से तत्परता से कार्यवाही हो, यह हमें कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम जनता को जिस तरीके से हमारी सरकार संवेदनशील है और उस संवेदनशील सरकार का हम परिचय देना चाहे तो इस तरीके से हम दे सकते हैं।

आज जिस तरीके से अभी भाई संयम बता रहे थे कि जो हमारे अपराध के आंकड़े हैं वे कम हुए हैं मगर उसके अन्दर और भी जरूरत है। आज के जमाने में, क्योंकि हम जब आज हमारे गृह मंत्री तत्परता से कार्यवाही करवाते हैं तो उसके

(श्री हीरालाल विश्नोई)

लिए हमें अधिकारियों को भी इसमें प्रोटेक्शन देना चाहिए और अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ाना चाहिए कि अधिकारी हमारी आम जनता के साथ मिल बैठकर, आपने प्रयास भी किया है कि जब एस.पी. लेवल का अधिकारी एक गांव के इलाके में जाकर लोगों के सामने बैठकर उनकी चर्चा करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आयेगा। उस परिणाम से हम जनता को यह कह सकते हैं कि वाकई हमने जनता के हितों के लिए, गरीबों के लिए और आज जो आदमी कई ऐसे लोग हैं जो कि आज जयपुर तक नहीं पहुंच सकते। गरीब लोग हैं उनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार होता है, खास कर के हमारे एस.सी., एस.टी. के भाइयों के ऊपर इस तरीके का जो अपराध होता है तो उससे काफी हम लोगों को और हमारी जनता को उससे राहत मिलती है। तो ये सब बातें हमारी सरकार ने करने का प्रयास किया है और कोशिश कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्रीजी लम्बे समय से राजनीतिक जीवन में हैं। इनका अनुभव है और ये जानते हैं कि कई तरह के लोग यहां तक भी आते हैं और यहां आकर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए अनुभव की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस अनुभव से जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

हमने यह भी देखा है कि हमारी राजस्थान की पुलिस की जितनी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए मगर करनी भी चाहिए क्योंकि अधिकारियों की ज्यादा प्रशंसा करने से कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मगर वाकई में दूसरे प्रदेशों से हमारे राजस्थान में आज अमन चैन है और हमारे खुशहाली है क्योंकि जितने अपराध और जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में हो रहे हैं वह हमारे प्रदेश में नहीं है। हमारा प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। हमारे अधिकारीगण और हमारे गृह मंत्रीजी जो हैं, ये हमेशा छोटे मोटे काम के लिए भी हम कभी भी इनके पास जाते हैं तो ये तत्परता से उस बात की कार्यवाही करते हैं। उससे हमको और हमारी जनता को इस बात से राहत मिलती है।

आज इस मांग के अन्दर मैं आपको सम्मिलित करते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए आपने जो भी इस बजट के प्रावधान में पुलिस को जिस तरीके से नये आधुनिक जो हथियार हैं, आधुनिक जो गाड़ियां हैं, ये सब उपलब्ध करवाने के लिए आपने जो प्रयास किये हैं, हमारे जिस तरीके की कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का आपने प्रयास किया है। इसलिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से मोटे अनाजों की खरीद करवाता है एवं कृषि मंत्रालय तिलहनों, दलहनों की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, (नेफैड) के माध्यम से करवाता है। इस वर्ष रबी की फसलों के लिए कृषि मंत्रालय ने दिनांक 27 मार्च, 2001 को मोटे अनाज, तिलहनों एवं दलहनों की समर्थन मूल्य की घोषणा की जिसके अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रु. प्रति क्विंटल, जौ 500 रु. प्रति क्विंटल, चना 1100 रु. प्रति क्विंटल, सरसों 1200 रु. प्रति क्विंटल एवं सूरजमुखी 1200 रु. प्रति क्विंटल तय किया। गेहूं की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) के द्वारा किया जाता है, जबकि तिलहनों एवं दलहनों की खरीद का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, (नेफैड) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) के माध्यम से करवाता है। इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने 29 केन्द्र स्वयं के पास रख कर, 10 केन्द्र राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं 102 दूर-दराज के केन्द्र राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) को आबंटित कर दिनांक 29.3.2001 को गेहूं की खरीद के लिए निर्देश दिये। इसी प्रकार नेफैड ने दिनांक 29 मार्च, 2001 को सरसों की समर्थन मूल्य की खरीद के लिए निर्देश दिये। तदनुसार राजफैड ने सहकारी समितियों को गेहूं एवं सरसों की खरीद करने के लिए पाबन्द किया।

यद्यपि मोटा अनाज यथा बाजरा, जौ की समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद करवाने का दायित्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्र सरकार का है, तथापि लगातार 3 साल अकाल से जूझते हुए राजस्थान के किसानों के हितों को अनदेखा कर केन्द्र सरकार ने न तो समर्थन मूल्य पर बाजरे की ही खरीद करवाई बल्कि जौ की खरीद करवाने के लिए भी भारतीय खाद्य निगम को कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये। माननीय सदस्यों को यह जानकर पीड़ा होगी कि बाजरे के भाव 445 रु. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की तुलना में आज भी 350-360 रु. प्रति क्विंटल तक लुढ़क कर आ गये हैं, जबकि यह खरीफ की फसल है। इसी प्रकार, जौ के भाव 500 रु. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की तुलना में 360-400 रु. तक लुढ़क गये थे। राज्य के किसान अपनी कड़ी मेहनत से पैदा की हुई इन फसलों को मजबूरी में औने-पौने दामों में बेचने लगे। यद्यपि राज्य सरकार के खाद्य विभाग एवं राजफैड से बाजरे एवं जौ के समर्थन मूल्य की घोषणा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

होने तथा इन जिन्सों के भाव समर्थन मूल्य से भी कम हो जाने के कारण इनकी खरीद के लिए केन्द्र सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम से खरीद शुरू करने के निर्देश मांगे, लेकिन केन्द्र सरकार व भारतीय खाद्य निगम के कानों तक जूं नहीं रेंगी। राज्य सरकार के खाद्य विभाग के द्वारा बार-बार आग्रह करने के पश्चात् भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्र सरकार से दिनांक 23-3-2001 को यह दिशा-निर्देश मिले राज्य सरकार जौ की खरीद की व्यवस्था अपने स्वयं के स्तर से करे।

लगातार तीन वर्ष सूखा पड़ने एवं नहरों में भी सिंचाई के पानी की कमी के कारण प्रदेश के किसानों ने इस वर्ष गेहूं की तुलना में जौ की अधिक बुवाई की। गत वर्ष 1.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल बुवाई एवं 3.65 लाख मैट्रिक उत्पादन की तुलना में इस वर्ष राज्य में 3.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल बुवाई एवं 8.25 लाख मैट्रिक जौ का उत्पादन हुआ। प्रदेश के गरीब किसानों का बिचौलियों के द्वारा शोषण रोकने के लिए खाद्य विभाग एवं स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद करवाने के लिए निवेदन किया। इस क्रम में खाद्य सचिव, राजस्थान सरकार ने संयुक्त सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, केन्द्र सरकार को 7 अप्रैल, 2001 को पत्र लिखा एवं माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने माननीय श्री शांताकुमारजी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्र सरकार को 7 एवं 12 अप्रैल, 2001 को फैक्स संदेश भेजकर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद तुरन्त प्रारम्भ करवाने के लिए निवेदन किया।

(16.00 बजे)

प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत जी ने दिनांक 12 अप्रैल, 2001 को इस विषय में चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए इस आर्थिक संकट की घड़ी में उन्हें सिम्बल प्रदान करने हेतु समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों को खरीद करवाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि हम प्रतिपक्ष के माननीय नेता की किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता की सराहना करते हैं तथापि माननीय सदस्यगणों को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं हमारी सरकार किसानों की इस समस्या के लिए पूर्ण रूप से जागरूक थी एवं आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता के पत्र प्राप्ति होने से पूर्व ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उच्च स्तर पर बैठकर बुला कर सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया कि केन्द्र सरकार से जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद के बारे में भारतीय खाद्य निगम को या राज्य सरकार को स्वीकृति नहीं मिलने के बावजूद भी राजफैड को अपने स्वयं के सीमित साधनों से जौ

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उत्पादन करने वाले जिलों में कुछ क्रय केन्द्र खोलने के दिशा निर्देश दे दिये। यद्यपि केन्द्र सरकार के द्वारा भारतीय खाद्य निगम से जौ की समर्थन मूल्य की खरीद करने एवं इसके निस्तारण पर होने वाले नफा नुकसान तथा वित्तीय सहायता के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले, फिर भी बाजार में जौ के गिरते हुए भावों को रोकने एवं किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2001 को जौ की खरीद शुरू करवा कर 30 अप्रैल, 2001 तक 9,725 मैट्रिक टन, पांच करोड़ छियासठ लाख रुपये की खरीद राजफैड के माध्यम से करवाई जा चुकी है।

समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद के साथ-साथ हमने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के साथ भी सम्पर्क बनाये रखने के सतत प्रयासों को जारी रखा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा फैक्स संदेश भेजने एवं खरीद का कार्य शुरू करवाने के पश्चात् खाद्य विभाग एवं राजफैड के अधिकारियों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श के लिए दिनांक 20 अप्रैल, 2001 को नयी दिल्ली भेजा गया एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को 23 अप्रैल, 2001 को समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद की लागत एवं प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति जारी करने तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को राजफैड को केश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत करने के लिए सिफारिश हेतु आग्रह किया। तत्पश्चात् खाद्य विभाग एवं राजफैड के अधिकारियों का एक दल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, केन्द्र सरकार के अधिकारियों से दिनांक 26 अप्रैल, 2001 को पुनः मिला और उन्हें इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। इतना ही नहीं, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को खाद्य सचिव, राजस्थान सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः स्मरण पत्र फैक्स संदेश के द्वारा भेजा। स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय श्री शांता कुमार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, केन्द्र सरकार को इस प्रकरण की बारीकी एवं गम्भीरता से अपने अ.शा. पत्र दिनांक 1 मई, 2001 के द्वारा उचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सदन को यह अवगत कराया कि केन्द्र सरकार तो गत दो वर्षों से राज्य सरकारों को समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद योजना लागू करने के लिए आगाह कर रही है; शायद मेरी समझ में अप्रत्यक्ष रूप में वे यह इंगित करना चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार दो वर्ष से इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करवाना चाहूंगा। वस्तुस्थिति यह है कि समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना केवल मात्र केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित ही की गई थी न कि लागू की गई थी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

यद्यपि इस नयी योजना को लागू करने से पहले राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् ही इस योजना का क्रियान्वयन सम्भव था लेकिन यह खेद का विषय है कि राज्य सरकारों के साथ आम राय बनाये बिना ही केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से अपरोक्ष रूप से बाजरे एवं जौ का समर्थन मूल्य पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने पेज हैं? पेज कितने हैं? 4-5 और हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 4-5 और हैं। आपने इस प्रश्न को तीन दफा पूछा था तो मैंने कहा कि पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दूं ताकि मुझे यह विश्वास हो जाये कि कम से कम आप तो संतुष्ट हो। संतुष्ट तो आप कभी हुए नहीं। ...खरीद करवाने के निर्देश न देकर इस योजना को लागू कर दिया... (व्यवधान) माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि मंत्रालय ने कृषि रणनीति एवं खाद्यान्न प्रबन्धन पर दिनांक 23-4-2001 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में प्रस्तावित मुख्य मंत्रियों की बैठक के विषय सूची संख्या 4 के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि नयी प्रणाली को वर्ष 2001 में आने वाली खरीफ की फसल से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जबकि राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों पर मोटे अनाज पर समर्थन मूल्य की खरीद के वित्तीय दायित्व एवं आधारभूत ढांचे के आकलन के बिना ही मनमाने ढंग से केन्द्र सरकार के दायित्वों को अचानक राज्यों पर थोप दिया। माननीय सदस्यों की सूचनार्थ में कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 23-4-2001 को मुख्य मंत्रियों की बैठक के विषय सूची संख्या 4 की विकेन्द्रीकृत योजना को उद्धृत कर रहा हूं :—

मुख्य मंत्रियों की बैठक की विषय सूची का अंश :

"Considering the advantages accruing to the consumers as also the producers of States where these activities are undertaken, it is suggested that States, may undertake decentralised procurement operations from the forthcoming kharif, 2001. These operations would require credit limits from the R.B.I. which would have to be arranged by the R.B.I."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष दो विकल्प थे। पहला अपने सीमित संसाधनों के द्वारा राज्य सरकार को एजेंसी, राजफैड से कुछ सीमा तक मार्केट में हस्तक्षेप करवा कर समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद करवायें। दूसरा विकल्प यह भी था कि समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद केन्द्र सरकार का दायित्व मानते हुए केवल मात्र पत्राचार कर शतुरमुर्ग की तरह आंख मींचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। हमने पहले विकल्प ही माना है ताकि किसानों को इस आर्थिक संकट की घड़ी में कुछ सीमा तक समर्थन मूल्य पर जौ की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

खरीद करवा कर उन्हें सम्बल प्रदन किया जावे। माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि हमने स्वयं के साधनों से समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद करवा कर कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि न केवल किसानों के हितों की रक्षा की है बल्कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के सुझाव को भी माना है, और उनके संवेदनशीलता में हमारी भी भागीदारी दर्ज करवाई है। सीमित संसाधनों से समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद प्रारम्भ करवाने का तात्पर्य यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमने समर्थन मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में जौ की खरीद की लागत व नफा नुकसान का आकलन नहीं किया था। हमारा अनुमान था कि आठ लाख पच्चीस हजार मैट्रिक टन जौ के उत्पादन को मध्य नजर रखते हुए बाजार भावों के समर्थन मूल्य की दर तक आने में राज्य सरकार को कम से कम एक लाख मैट्रिक टन की खरीद करवानी पड़ सकती है, जिसके लिए करीब 65 करोड़ रुपये की लागत की आवश्यकता थी। हमें आशा है कि केन्द्र सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गई अपील को मध्य नजर रख कर न केवल हमें 65 करोड़ रुपये की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से केश क्रेडिट लिमिट दिलवायेगी बल्कि इसकी सारी खरीद अपने खाते में करवाई जायेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अनवरत प्रयत्नों के कारण कल मई, 1 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसी को भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में समर्थन मूल्य पर काम करवाने के आदेश जारी कर दिये हैं एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से एक लाख चार हजार मैट्रिक टन जौ खरीदने के लिए केश क्रेडिट लिमिट जारी करने की भी सिफारिश कर दी है। मैं सदन को विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब जौ खरीद लिया जायेगा और जिन मण्डियों में है उनके अन्दर से और जौ खरीदेंगे।

अब मैं माननीय सदस्यों को संक्षिप्त में राज्य सरकार द्वारा गेहूं और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के बारे में भी तुलनात्मक जानकारी देना चाहता हूं। दूं, कि जौ तक ही ठीक है, ठाकुर साहब? जौ तक ही ठीक है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गेहूं, चना और सरसों, सब ले लो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरे राजस्थान में 51 केन्द्र खोले हैं आपने जौ की खरीद के लिए। क्या पर्याप्त समझते हैं आप 51 केन्द्रों को?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बी.जे.पी. ने तो एक भी नहीं खोला था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई। आप भी क्या हर बात पर बी.जे.पी., बी.जे.पी., यह क्या बात हुई, आप मंत्री हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तुलना तो करनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या तुलना करनी पड़ेगी। तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। जौ को सपोर्ट प्राइस

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर खरीदने का सवाल है, 51 केन्द्र खोले हैं, 32 जिले हैं और आप बात कर रहे हैं और फिर बीजेपी. बीजेपी. ले आते हैं बीच में।

श्री सांवर लाल : आपको भी उधर से ही लेना पड़ रहा है 65 करोड़ की गारंटी।

मोहम्मद माहिर आजाद : और क्या आपका, बाकी है क्या अभी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जौ की बात खतम कर दी। सरसों और उसकी सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हो तो सुनो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कितनी गम्भीरता से आपको यह स्टेटमेंट सुनाया।

मोहम्मद माहिर आजाद : वाकई में साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक-एक करके प्रश्न पूछे तो मुझे जवाब देने में भी सहूलियत रहेगी और अगर विपक्ष के नेता महोदय चाहे तो मैं सरसों और गेहूं के बारे में भी बोलूं, आवश्यकता तो उसकी है नहीं। सरसों बारह सौ का भाव तय हुआ था, 1100 में हम खरीद रहे हैं, अब 1100-1200 में सरसों की, देख तो रहे हैं अच्छी सरसों होती है 1200 तक चली जाती है, नहीं तो 1100 में खरीद रहे हैं। गेहूं की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पांच सौ रुपये में तो गेहूं मिल ही रहा है। जो आपने कल फरमाया था...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 610 रेट है। आप 500 में खरीद रहे हैं, हर चीज का मजाक बना रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : समर्थन मूल्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...कि आप गलत हैं, आप समझते नहीं, और आपने फरमाया कि विदेशों से गेहूं नहीं आयेगा। मैंने आज मालूम किया है कि विदेशों से गेहूं आ सकता है, गेहूं को छूट है और अगर बाहर से गेहूं आ गया प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तो यहां गेहूं दो रुपये किलो हो जायेगा और अपना काश्तकार इतना मारा जायेगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयेगा तब होगा न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...और इसकी सब कार्यवाही और आज जो हो रहा है उसका सारा भार विपक्ष पर और माननीय अटल बिहारीजी और भैरोंसिंहजी पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हर चीज में मजाक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बड़े विस्तार से समर्थन मूल्य और उसके आधार पर जिन्सों की खरीद के बारे में यहां वक्तव्य दिया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सात पेज इस हाउस में पढ़कर सुनाये लेकिन उसमें ज्यादा इसी बात का उल्लेख था कि दिल्ली में इस तारीख को चिट्ठी लिखी, दिल्ली में इस तारीख से बैठक की, यह किया। मैं अपने आप को पहले जौ तक सीमित करना चाहूंगा।

जैसा मैंने सुना है और मैं सही हूं, आठ लाख मैट्रिक टन की जौ की उपज हुई है, इसमें तीस हजार शायद आपने कहा या तेरह हजार कहा--

एक माननीय सदस्य : नौ हजार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नौ हजार टन आपने बताया कि इतने जौ की खरीद हम कर चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, पांच हजार करोड़ का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करोड़ का नहीं, टन का। टन कितना खरीदा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पांच हजार करोड़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच करोड़ छियासठ लाख तो मूल्य बताया है। नौ हजार ही है, मान लीजिये आप। छह लाख मैट्रिक टन में से आपने नौ हजार मैट्रिक टन खरीदा है, बाकी कितना रह गया और कितना आपका लक्ष्य है कि हम जौ इतना खरीदेंगे। अब इस जौ के खरीदने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, कितने सेंटर्स कहां-कहां खोलेंगे, किन-किन जिलों में जौ की उपज ज्यादा हुई है जहां पर आपको जौ खरीदना है, इस संबंध में आपने अपना कोई कार्यक्रम नहीं बताया कि इतने केन्द्र हमने अब तक खोले हैं, इतने केन्द्र आगे खोलेंगे और उसके कारण से सारी जौ की खरीद कर ली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का लैटर जिसका इन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया, उस लैटर का जो जवाब मुझे मिला है उसका एक पैरेग्राफ मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। "जैसा कि आपने अपने पत्र में 8 अप्रैल के समाचार पत्रों का हवाला दिया है, राज्य सरकार ने किसानों के हित में इस बार जौ जैसी गैर वाणिज्यिक फसल को समर्थन मूल्य पर अपने संसाधनों से खरीदने का एक साहसिक निर्णय लिया है। राजस्थान पत्रिका में भी दिनांक 11.4.2001 के अंक में इस विषय में प्रसंगवश एक सम्पादकीय लेख छपा है। इसमें सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसानों को तीसरे वर्ष इस अकाल की स्थिति में सहारा दिया जाय। सरकार की वित्तीय स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है फिर भी हमने सबसे ज्यादा जौ उत्पादन करने वाले 11 जिलों में अब तक 51 केन्द्र खोले दिये हैं। राजफैड से इन केन्द्रों को पर्याप्त ऋण राशि भी उपलब्ध करा दी है। इस वर्ष प्रदेश में 8 लाख मैट्रिक टन जौ का उत्पादन हुआ है। हमारा प्रयास है कि हम गरीब किसानों से पांच सौ रुपये समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक मात्रा में जौ क्रय करेंगे।"

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहूंगा कि किस-किस जिले में आपने कितने-कितने केन्द्र खोले हैं। मैं दो-तीन बात पूछ लूं, फिर एक साथ जवाब दे देना। कितने केन्द्र खोले हैं? यह आपने खुद ने मंजूर कर लिया कि जौ का जहां पांच सौ रुपये समर्थन मूल्य है और साढ़े तीन सौ रुपये में इस समय बाजार में बिक रहा है, इसके दो कारण हैं। माननीय सदस्य नाराज नहीं हों तो एक बात कह दूं। एक तो जो हम बार-बार यह चर्चा करते हैं कि खाद्यान्न का आयात हो रहा है इसके कारण से जनता के मानस में यह एक असर हो रहा है कि आयातित खाद्यान्न आने के बाद में सब चीजें सस्ती होगी इसलिए भाव बढ़ नहीं रहे। भाव बढ़ने के लिए, मैं नहीं कहता कि भाव बढ़े, लेकिन भाव इतने तो निश्चित रूप से बढ़े कि किसानों को अपनी उपज की पूरी कीमत मिल जाय लेकिन जिस प्रकार का यह विषैला प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार की हानि किसान को उठानी पड़ रही है और हमको भी उठानी पड़ रही है। वास्तव में अनाज आया नहीं है, न आ रहा है। लेकिन आज जैसा अभी कहा कि अनाज आ जायेगा तो यह हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार से मण्डियों में अनाज के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। आ जाय उस समय आप विरोध करे, आने की जानकारी मिल जाय, उस समय विरोध करे, आया हो तो विरोध करे। लेकिन पहले से एक अभाव बनाये उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, यह भार सरकार पर ही पड़ेगा। जितना अनाज का भाव कम है, वह अनाज का भाव बाजार में आ जाय ठीक ढंग पर, तो आपको समर्थन मूल्य पर ज्यादा खरीद करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप ही मण्डियों का भाव बढ़ेगा और लोगों को अनाज मिल जायेगा। लेकिन खैर, इसको छोड़िये, जो मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है कि हम अपने संसाधनों के आधार पर यह सब कुछ व्यवस्था करेंगे और 11 जिलों में 51 केन्द्र खोल दिये हैं। तो क्या 51 केन्द्र खोलने से जहां-जहां जिस क्षेत्र में जौ की उपज हुई है, वहां पर यह समर्थन मूल्य पर जौ खरीद करने की हमारी क्षमता का विस्तार हुआ है या हम नहीं खरीद कर पा रहे हैं। अब इसी आधार पर यह बता दीजिये कि जिस दिन से आपने यह काम शुरू किया है उस दिन से लेकर अब तक नौ हजार मैट्रिक टन जौ खरीद कर पाये हैं। अब कितने दिन और लगेंगे कि बाजर के अंदर किसान को साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। यह मजबूरी कब किस प्रकार से रोक दी जायेगी। इसका जवाब मोटे रूप से आप इसमें नहीं दे पाये।

आपको आर्थिक संसाधनों की कमी है तो जैसा आपने कहा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अब हमारी क्रेडिट लिमिट तय हो जायेगी, हम पैसा ले लेंगे। भारत सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि आप समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदेंगे। उसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस प्रकार का आपका घाटा होगा भारत सरकार उसकी निश्चित रूप से पूर्ति करेगी ये तो देना ही देना है। आज आप उनके बिहाफ पर खरीद कर रहे हैं। तो जिस समय यही एफ.सी.आई. के गोदामों में चला जाएगा, आज सिस्टम यह है कि एफ.सी.आई. हो, चाहे नेफैड हो, जो भी खरीद करने की एजेंसी है, एफ.सी.आई. देती है नेफैड को, नेफैड देती है आपके राज्य का संघ है उसको और ये देते हैं राजफैड को और राजफैड देता है क्रय-विक्रय संघ को। उनका सिस्टम यह है कि चाहे क्रय-विक्रय संघ खरीदे, चाहे कोई खरीदे जिस समय उनके गोदामों में अनाज चला जाएगा उसी समय आपके हाथ में चैक पकड़ा देंगे। ये तो हमारी व्यवस्था का सवाल है कि गोदामों के अन्दर अनाज कब पहुंचे और कब भारत सरकार हमको अनाज का पेमेंट करे। इसलिए मैं इसी बात को कह कर दूसरी बात लेना चाहता हूं कि सरसों के भाव आपने मान लिये कि सरसों के भाव 1100 रुपये के है जबकि समर्थन मूल्य 1200 रुपये का है। ये तीनों चीजें आपने सही मानी हैं कि बरसात की कमी के कारण से या सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण से इस बार लोगों ने जौ, चना, सरसों इन तीनों की पैदावार ज्यादा की है। अब सरसों के भाव 1200 से 1100 पर आ जाएं और हम यह मानते रहे कि 1100 के भाव हैं तो हमें और ज्यादा ताकत लगा कर और ज्यादा व्यवस्था कर समर्थन मूल्य पर किसानों को उनकी उपज की कीमत मिले। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आज आप घोषणा कर दें। मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें कि हम सब जगह केन्द्र खोलेंगे, हम किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे अनाज का मूल्य नहीं जाने देंगे। मैं समझता हूं कि बोल्ड घोषणा करेंगे उससे आप दो दिन के बाद में देख लेना खेतसिंहजी साहब, आपकी घोषणा का कहीं प्रभाव होता हो या नहीं होता यह तो मैं नहीं कहता लेकिन आज आप घोषणा करें डट कर कि जितना जल्दी होगा, जिस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे, हमने इतने सेंटर खोल दिये, अधिकारियों को सावचेत कर दिया और जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की हो तो 5 दिन के अन्दर हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे कोई भी आदमी जो समर्थन मूल्य के आधार पर हमें अनाज बेचना चाहे उसका अनाज हम खरीदेंगे। आप यह दृढ़ घोषणा कर दें तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 5 दिन में मण्डियों में भाव अपने-आप ऊपर आएंगे। अब इसमें शायद आप और मैं ज्यादा कारीगर नहीं है, जानते भी नहीं है लेकिन प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, भाव कैसे बढ़ाये जाएं और कैसे घटाए जाएं ये इस मामले के अंदर पूरे जानकार हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विशेषज्ञ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विशेषज्ञ हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में आप इनसे सलाह ले लीजिये 5 दिनों में दृढ़ निश्चय की एक बार घोषणा कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये मेरे से 3-4 इलेक्शन बाद में आये हैं असेम्बली में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आपके अनुभव के मुकाबले में ये नहीं है लेकिन आपको इस बात का अनुभव नहीं है कि मण्डियों में भाव बढ़ते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, ठीक है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मण्डियों में कैसे भाव घटते हैं इसकी जानकारी इनको जितनी है इस विद्या में जितने माहिर ये हैं अपन में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आज इसको टहलाये नहीं। अनाज जितनी श्रृद्धा होगी उतना खरीदेंगे, जितने साधन होंगे उन साधनों के आधार पर खरीदेंगे। भारत सरकार से भी साधन मिलेंगे लेकिन आप बहानेबाजी को छोड़ कर सीधी एक बात कह दीजिये कि गेहूं 610 रुपये क्विंटल के ऊपर खरीदेंगे, जौ 5 सौ रुपये क्विंटल पर खरीदा जाएगा, 1200 रुपये क्विंटल के ऊपर सरसों खरीदी जाएगी और इसके लिए जितनी भी व्यवस्था करनी है सरकार युद्ध स्तर पर 5 दिन में व्यवस्था करेगी 5 दिन में यदि युद्ध स्तर पर आपने घोषणा कर दी और उसी प्रकार का कार्यक्रम आपने चालू कर दिया तो आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गेहूं के भाव भी बढ़ेंगे, जौ के भाव भी बढ़ेंगे, सरसों के भाव भी बढ़ेंगे। सरसों साढ़े ग्यारह सौ के ऊपर जाकर फिर ग्यारह सौ पर आयी है। अगर थोड़ी सी सरसों की खरीद हम और शुरू कर देते तो सरसों बारह सौ, साढ़े बारह सौ पहुंच जाती। हमें समर्थन मूल्य पर खरीद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और यही मैं जौ की हालत कह रहा हूं, यही बाकी गेहूं के बारे में कह रहा हूं इसलिए इसमें आप कोताही करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत घाटा होगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम पैसों के बल कि भारत सरकार से हमें रुपया नहीं मिला और ये नहीं मिला, हमारे सामने मुख्य दिलचस्पी है कि किसानों को अपनी पैदावार की पूरी कीमत दिलाने की और उसे कीमत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ऐसी भूखी नहीं है कि हम रुपये खर्च नहीं कर सकते। आज आप थोड़ा सा रुपया इस मद में निकाले। आप भारत सरकार से ब्याज भी लेना चाहे तो मैं समझता हूं कि हम सब इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार के बिहाफ पर अपने कैश रुपये में से इतना रुपया खर्च किया है इसका आपको इन्टरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब यह जरूर है कि इन्टरेस्ट अगर देंगे तो समर्थन मूल्य के बाद में जो पी.डी.एस. में बिक्री में जाएगा उसका असर वहां भी होगा लेकिन राज्य सरकार के पास इतनी धन की कमी हो कि हम सौ करोड़ रुपये इस काम के लिए इमीजियेटली नहीं लगा सकते यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज एक काम सड़क का बंद करवा दें, एक कोई बिल्डिंग का काम बंद करवा दें या कोई और काम बंद करा कर रुपये की बचत कर लें। इस रुपये से आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान के पूरे किसानों की सेवा कर पाएंगे। एक सड़क और बिल्डिंग से एक गांव या शहर की सेवा करेंगे। 4-5 गांवों की सड़क से सेवा करेंगे इसलिए यह तो आपको देखने का काम है कि हम कौन से काम ऐसे हैं जिनको एक महीने बाद में लेंगे तो निश्चित रूप से उसके पैसों से हम यह सारी खरीद कर लेंगे। यह तो प्लानिंग का सवाल है और मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में आप बैठ कर बात करें। बैठ कर बात करके जितने भी साधन आप जुटा सकें एक महीने में कोई भूकम्प नहीं आता कि जो आज खर्च कर रहे हैं वह एक महीने बाद में खर्च करे और ये सारा रुपया इस अनाज की खरीद में लगा दें तो किसान जो आप खुद मान रहे हैं तीन वर्ष से अकाल के कारण से संकट से जूझ रहा है उस संकट से हम उसको मुक्ति दिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि इतना कहना ही पर्याप्त होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको विवादास्पद नहीं बनाये। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में विवादास्पद नहीं बनाये। यह तो एक गारंटी का सवाल है आप जितना अनाज खरीदेंगे और जितना घाटा होगा वह केन्द्र सरकार उसकी पूर्ति करेगी इतना विश्वास होने के बाद, इतना निश्चय करने के बाद सवाल यह आता है कि पहले कौन खर्च करे। पहले खर्च करने के विवाद में आप पड़े रहे तो राजस्थान का किसान तबाह हो जाएगा। इस तबाही से किसान को बचाने के लिए आप रुपयों का प्रबन्ध कर ले और प्रबन्ध करके ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलिये और घोषणा कर दीजिये कि 5 दिन में प्रबन्ध कर लेंगे और 15 दिन में अधिकतम अनाज हम खरीद कर गोदामों में पहुंचा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय विपक्ष के नेता महोदय एक-एक प्रश्न का जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने यह पूछा कि मण्डियों के अन्दर कितने-कितने केन्द्र खोले उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र काफी हैं पढ़ कर सुना दूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संख्या ही बता दो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संख्या बता दें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जयपुर में सात केन्द्र खोले हैं, दौसा में छह केन्द्र खोले हैं, सीकर में पांच केन्द्र खोले हैं, टौंक में पांच केन्द्र खोले हैं, हनुमानगढ़ में चार केन्द्र खोले हैं, गंगानगर में एक सादुलशहर में, भरतपुर में चार केन्द्र खोले हैं और अलवर में पांच केन्द्र खोले हैं, कोटा में एक केन्द्र खोला है। ये जो केन्द्र हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 38 केन्द्र हैं। 38 हुए हैं ये तो सब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, ये कम हैं। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि कम है। हमारे पास उस वक्त में यह था कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा और सरकार के पास में राजफैड के पास में इतना पैसा भी नहीं था। हमने तो जो राजफैड के पास

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पैसा था उससे भी ज्यादा किसानों को यह विश्वास दिला करके कि 15 दिन में आपका पेमेंट करा देंगे उसके कारण से हम यह पांच करोड़ का भी खरीद पाये हैं। अब कल से उसमें वातावरण बदला है। अब खाद्य विभाग के आफिसर्स वहां गये, मिले और उनको गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कह दिया है कि हम आपको कैश क्रेडिट दे रहे हैं। एक लाख चार हजार मैट्रिक टन की और तो इतना और हम खरीदेंगे। इसके लिए हम नयी मंडियां भी जगह-जगह खोल रहे हैं और मैंने आपके पहले ही आपने एक दफा फरमाया—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, माफ करना यह जो आप बता रहे हैं एक लाख चार हजार और खरीद लें इस बात को भी यदि आप मौन रखते तो इसका ज्यादा असर होता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं इसका असर यों अच्छा होगा कि आपने ही यह फरमाया था का कुछ मण्डियां और खोल दो जब आपके पास पैसा आये तो आप ये ले लेना। लेकिन मण्डी खोलने से भी बिचौलियों की हालत में थोड़ा फर्क आ जाता है। यह तो बात बिलकुल सही फरमायी है कि अगर हम मण्डी के अन्दर अपना एक सेंटर खोल देते हैं तो मण्डी को यह मालूम हो जाएगा, मण्डी के व्यापारियों को यह मालूम हो जाएगा कि नये व्यापारी और आ गये हैं और ये उस भाव से लेंगे तो इसलिए कुछ वे भी भाव अपने आप गिराते हैं। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं और उसी दृष्टिकोण से हमने यह तय किया कि सौ केन्द्र और हम खोल रहे हैं। सौ केन्द्र बहुत होंगे। सौ केन्द्र खोलने के पश्चात् जितना हमारे पास धन आएगा और जितना हम खरीद पाएंगे और जितना भारत सरकार से मिल पाएगा—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत कहो आप। माफ करना आपको मैं इन्टरप्ट कर रहा हूं। आप यह मत कहिये जितना धन आएगा इससे अनिश्चितता बनी रहेगी और भाव नीचे जाएंगे। आप यह मत कहिये कि हमने इतने केन्द्र खोले और इतने केन्द्र नहीं खोले हैं। आपने मात्रा बताई कि रिजर्व बैंक ने एक लाख और कितने हजार मैट्रिक टन का दिया है, इस प्रकार की बात मत कहिये। आप सीधे रूप से यह कहिए कि जौ को समर्थन मूल्य से हम खरीदेंगे। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलेंगे। आप हमको कहिए कि सरकार यह करके बता देगी कि आज के बाद जौ के समर्थन मूल्य में कमी नहीं रहेगी, दृढ़ता से यह कहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने सुझाव बड़ा जबरदस्त दिया है लेकिन हकीकत यह है कि जब से भारत में इनकी पार्टी की सरकार आई है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गये न उसी लाइन पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे यहां लगातार अकाल पड़ रहे हैं, उन अकालों में मैंने गुलाब सिंहजी की हालत वहां देखी है

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि एक पैसा भारत सरकार दे नहीं। मुख्य मंत्रीजी इधर-उधर जा रहे हैं, 21 करोड़ रुपये मिले हैं। अब 21 करोड़ रुपये में कैसे हम फैमिन निकालेंगे। जिस गवर्नमेंट की पैंठ हो, श्रीमान्, उस गवर्नमेंट के इशारे पर पैसा आवे नहीं और हम खरीदते जावे ताकि हमारा और ज्यादा दिवाला निकल जाए, ऐसा हम नहीं करते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे यहां एक भी केन्द्र नहीं है जौ का, वहां खोलने के लिए तो कह दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो सुझाव दिये उनका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन के सदस्यों की भावना भी वही है कि किसानों को किसी तरह से उचित मूल्य मिले। एम.एस.पी. जब डिक्लेयर हो गई उसके बाद राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होता है कि वह यह कोशिश करे जिससे किसान तबाह नहीं हो बल्कि उसको उचित मूल्य मिल सके क्योंकि यह बात तो निश्चित है कि पिछले अर्से से किसान बहुत दुःखी है। उसको अपने उत्पादन लागत का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यही सोच कर मैंने 7 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई। उस वक्त मेरे खयाल से किसी ने सुझाव नहीं दिया था। जब हमने मीटिंग बुला ली और जो भावना आप अभी प्रकट कर रहे थे कि अगर आप लोग सिर्फ घोषणा ही कर दें कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर गेहूं है, चाहे सरसों है या जौ है, वह खरीदेंगे, उससे भाव में फर्क पड़ जाता है। यही मान कर जब मीटिंग हुई उस वक्त भी चर्चा यही चल रही थी कि साधनों का अभाव है, राजफैड के पास पैसा नहीं है। तब भी मैंने इन्टरवीन किया, राठौड़ साहब बैठे हुए हैं, और मैंने कहा कि नहीं हमें किसी भी कीमत पर मार्केट में जाना चाहिये, जाने मात्र से फर्क पड़ेगा। मैंने कसूर एक ही किया कि जैसे ही हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने मुझे लैटर लिखा मैंने उसका जवाब मेरे खयाल से 12 घंटे में दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, जवाब आया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत : वह मेरी गलती हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, गलती नहीं हुई। आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपके लैटर का बहुत प्रचार किया है।

श्री अशोक गहलोत : वही मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रचार के कारण भाव नीचे जाते हुए रुके हैं। आपकी प्रशंसा करे तो भी आपको बुरा लगे।

श्री अशोक गहलोत : जो मैंने आपको पत्र समय पर लिखा बल्कि बिना समय गवांये हुए जैसे ही आपका पत्र आया; मैंने 12 घंटे नहीं लिये बल्कि उससे भी पहले मैंने जवाब देने की कोशिश की। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पत्र को हनुमानगढ़ से आने वाले विधायक ने भी और आपने भी बार-बार इस हाउस में उस पत्र का हवाला दिया कि सरकार कह रही है कि हमने बहुत साहसिक कदम उठाया है और हमने जौ की खरीद को शुरू कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि साधनों की बहुत कमी रही उसके बावजूद भी हमने मार्केट में एक इम्प्रेशन डालने की कोशिश की। और उसका लाभ कितना मिला वह हम लोग तय कर सकते हैं, आप लोग खुद चर्चा कर रहे हैं, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। पर अब जो हालात है उसमें सबकी भावना वही है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उसका मूल्य नीचे ना जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि, अभी मैं दिल्ली गया था तब मैंने शांता कुमारजी से टेलीफोन से बात भी करी और जो हमने पत्र लिखे, फैक्ट्स लिखे, जवाब दिया उसका अच्छा असर पड़ा। अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन में बताया है उसी के अनुरूप जो आर.बी.आई. को इंस्ट्रक्शंस गये हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया के, हालांकि उन्होंने अभी पूरा क्लीयर नहीं किया है पर जो उन्होंने लिखा है, उसकी लेंग्वेज से ही यह मालूम पड़ता है कि उन्होंने गवर्नमेंट आफ राजस्थान को एफ.सी.आई. के एजेंट के रूप में अधिकृत कर दिया है। आर.बी.आई. को इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं और एक लाख चार हजार मैट्रिक टन खरीदने के लिए उन्होंने छूट दी है। उसमें अब धन की कमी नहीं आयेगी, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह सपोर्ट हमें मिल जाता है।

अब बात सिर्फ इतनी सी बचती है कि जैसे गेहूं में हमें राजफैड के माध्यम से खरीद करने की छूट मिलती है उसमें जो घाटा होता है या नुकसान होता है उसकी भरपाई गवर्नमेंट आफ इण्डिया से होती है। मैं समझता हूं कि इस केस में भी उनकी भावना वही रही है। इसीलिए उन्होंने यह लेंग्वेज लिखी, आपको दो लाइन पढ़कर सुनाता हूं जिससे मैं समझता हूं कि उसके अनुरूप भी वहां से सहयोग मिलेगा। आज 50 करोड़ रुपया खर्च करना सरकार के बूते की बात नहीं थी वरना मैं खुद समझ रहा हूं कि हर दिन हाउस में यह बात आती है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका जल्दी फैसला करें। "Government of Rajasthan and its agencies have been approved as agents of F.C.I. for procurement of barley during the R.M.S. 2001-2002. मैं समझता हूं यह क्लीयर मैसेज है। फिर भी हमारे अधिकारी आज सुबह से केन्द्र सरकार के मंत्रालय से बात करने में लगे हुए हैं। वह कोई मीटिंग में थे इसलिए संबंधित अधिकारी मिल नहीं पाये, हम शाम तक क्लीयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह काम जो भावना हम सबकी है उसी के

(श्री अशोक गहलोत)

अनुरूप होगा और आज की बात में मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम केन्द्र खोलने में भी और खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह जौ के केन्द्र का सवाल है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि अधिक से अधिक खोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय मंत्रीजी ने कहा फिर भी मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपने जो केन्द्र खोले हैं उन केन्द्रों में फिलहाल पश्चिमी राजस्थान को आपने पूरा नजरअंदाज किया है। हनुमानगढ़ में चार केन्द्र और पूरे श्रीगंगानगर में एक केन्द्र, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पूरे नहरी क्षेत्र में यह कहा गया था कि आप जौ का उत्पादन करो, सरसों का करो, चने का उत्पादन करो। हमारे यहां लाखों बोरी उत्पादन जौ का हुआ है। जौ के लिए लूणकरणसर, खाजूवाला बहुत बड़ी मण्डी है, नोखा मण्डी बहुत बड़ी है और बीकानेर मण्डी में लाखों बोरी अनाज आता है। आपने बीकानेर में एक भी केन्द्र नहीं खोला है। मेरा निवेदन है मैंने यह जो चार केन्द्र आपको बताये हैं लूणकरणसर मण्डी, खाजूवाला, बीकानेर शहर और नोखा मण्डी, इन चार केन्द्रों पर आप खोलेंगे। जहां आपको सौ केन्द्र खोलने हैं वहां आप इन केन्द्रों को खोलकर वहां के काश्तकारों द्वारा जो जौ पैदा की गई है, उन नहरी क्षेत्र के काश्तकारों को आप राहत प्रदान करने का काम करेंगे। अकाल भी है और नहरी क्षेत्र में जो भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कह रहे हैं केन्द्र खोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ नये केन्द्र खोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी एरिया में जहां कृषि उपज मण्डी है और आधा चाकसू और आधा दौसा और पूरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वहां पर आपका एक भी पर्चेज केन्द्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बता दीजिए, इन्होंने कह दिया कि केन्द्र खोल देंगे। माननीय सदस्य, आप बता देना। खोल देंगे, कह दिया इन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो खेतसिंहजी जो मांगेंगे वहीं केन्द्र खोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, खोल देंगे, यही तो कहा है उन्होंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो मांगें और यों ही देते रहे, आप मेरा यहां से पत्ता कटवाना चाहते हैं, ऐसा भोला नहीं हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री जी, आप भारत सरकार के ऐजेंट हो गये हैं इसलिए अपार धन आता रहेगा और अपार धन आने से आप लाखों टन अनाज भी खरीद पायेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने जो फरमाया है वह बिलकुल सही है। राजस्थान नहर पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मण्डियां आवश्यक हैं। मैं अभी उन से कह दूंगा वहां वह मण्डियां खोलेंगे और वहां पर जौ खरीदना शुरू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर आज चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के पुलिस विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव भी दिये। ज्यादातर सदस्यों ने राजस्थान की पुलिस की बुराइयां ही कीं। लोगों ने पुलिस को क्या समझ रखा है, यही पता नहीं। यह तो यह समझते हैं कि पुलिस एक बुराई की जड़ है। जो रक्षक हैं, सारे राजस्थान में या सारे हिन्दुस्तान में कहीं कोई रक्षा करता है तो यह पुलिस डिपार्टमेंट करता है। आज सारे राजस्थान में जब से माननीय अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री बने हैं... (व्यवधान) आप सुनिए। मैं किसी के बारे में बीच में नहीं बोला, पूर्ण रूप से शांत रहा, इसलिए कृपया मेहरबानी करके बीच में नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय जा रहा है। (व्यवधान) उनको बोलने दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से माननीय अशोक गहलोतजी, जो राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट हैं, उन्होंने जब से सत्ता सम्भाली है, राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बिलकुल नीचे आया है। यह अपराधों के आंकड़े इस बात का सबूत है कि जब से हमारी सरकार आई है, तब से अपराधों में लगातार कमी आती चली गई है। अभी हमारे लोढ़ा साहब ने भी सारे आंकड़े बताए थे। उन्होंने इसमें साफ बताया कि... (व्यवधान) आप बता रहे हैं कि आपको आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिये। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भा.ज.पा. के शासन में जितने अपराध हुए थे उन अपराधों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कमी आई है, यह स्पष्ट है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल हम बुराई करे इससे काम चलने वाला नहीं है। अच्छे को अच्छा कहे और बुरे को बुरा कहे, अच्छों का सम्मान करे और बुरों का निरादर करे तो ही हमारे राजस्थान की रक्षा हो सकती है।

(श्री रामस्वरूप)

राजस्थान की पुलिस की ड्यूटी आज इतनी बढ़ चुकी है, राजस्थान में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की संख्या इतनी नहीं बढ़ पाई है उसी का कारण है कि आज जो अपराध बढ़े हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह है हमारा चरित्र। राजस्थान में भी चरित्र का हनन हुआ। लोगों में आपस में मान-सम्मान घटा, पहले लोग आदर करते थे एक दूसरे का, बेटा पिता की आज्ञा का पालन करता था, अपराधी लोग डरते थे। आज यह हालत हो गई है कि अपराधी लोग नहीं डरते। कारण क्या है कि पुलिस को आपने कमजोर कर दिया। आज पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। पुलिस के भय के कारण भी बहुत से अपराध कम होते थे लेकिन आज पुलिस की स्थिति यह हो गई है कि दुनिया भर के आयोग उसके ऊपर बैठा दिए गए हैं। पुलिस अगर कोई सख्ती करना चाहती है, किसी अपराधी को पकड़ती है या उससे कोई पूछताछ करना चाहती है तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई आती है तो वह आती है कि इसकी मेडिकल जांच पहले करा ली जाए। अब एक अपराधी, डकैत है जिसने लोगों को मारा है, जिसने लोगों को लूटा है, जिसने लोगों को परेशान किया है। उसका मेडिकल होना जरूरी है तो आप सोचो क्या वह पुलिस को हाथ जोड़ने से बताएगा कि डकैतजी महाराज, आपके हाथ जोड़ते हैं आपने क्या चोरी की हमें बता दो। क्या वह हाथ जोड़ने से बता देगा? क्या कोई अपराधी हाथ जोड़ने से अपना काम बता देगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक भय नहीं होगा तब तक अपराध कम नहीं हो सकते हैं। पुलिस के भय को इतना ज्यादा निकाल दिया गया है। पहले गांव में एक सिपाही जाता था, पुलिस वाला कोई भी जाता था तो अपराधी भाग जाते थे। आज अपराधी उलटे सामने आ जाते हैं। अगर आज पुलिस से कोई डरता है तो एक सज्जन आदमी डरता है, कर्मचारी डरता है। पुलिस से अगर कोई डरता है तो एक अधिकारी डरता है। वह जानते हैं इस बात को, एक नेता डरता है वह इस बात को जानते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रमाण सहित मैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : 20 लाख की जो बाउण्डरी बनाई है उसमें भी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं आपके मामले में नहीं बोला था। मैं विनम्र निवेदन कर रहा था कि आज सर्विस वाला क्यों डरता है। वह जानता है कि मेरे बेटे के खिलाफ अगर एफ.आई.आर. दर्ज हो गई तो कल उसकी सर्विस नहीं लगेगी, इसलिए वह डरता है। आज इस बात से सर्विस वाला इस बात से भी डरता है कि मेरे खिलाफ भी कोई रिपोर्ट दर्ज हो गई, कोई बात बन गई तो मेरी सर्विस जाती रहेगी इस बात से भी वह डरता है। नेता भी आज इससे

(श्री रामस्वरूप)

डरने लगे हैं कि कहीं कोई घिनौना अपराध मेरे खिलाफ आ गया या, कोई ऐसी-वैसी बात हो गई तो पब्लिक मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। आज इज्जत वाला डरता है। अपराधी का तो यह हाल है कि वह डरता ही नहीं है। एक रिपोर्ट दर्ज हो गई तो सोचता है कि दस और हो जाएगी। इसका कारण है, उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलता।

जितने भी डकैत होते हैं सब बरी होकर चले जाते हैं और कहते हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैं कहता हूं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ती है लेकिन हम उनको छुड़ाते हैं। जनता इतनी भयभीत हो गई है उनके खिलाफ कोई गवाह देने को तैयार ही नहीं होता है। अदालत में जिस समय केस आता है, चालान पेश हो जाता है। दुनिया भर के अपराधों के आंकड़े बढ़ते चल जा रहे हैं लेकिन आपने कभी उनके परिणाम देखें? अगर अपराधी लोग बरी होते हैं तो उसके कारण हम हैं। हम उनके खिलाफ गवाही नहीं देते हैं। आज यह स्थिति हो गई है, कोई भी एक्सिडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो बेचारे की क्या दुर्गति होती है। उसके खून निकल रहा है लेकिन हम बच कर निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने दखल दे दिया उसकी जान बचाने में तो कल हमको गवाह के रूप में लिख दिया जाएगा, कौन अदालतों के चक्कर लगाएगा। इसमें पुलिस का कहां पर दोष होता है? सारा दोष हमारा ही होता है। मानवता खतम हो चुकी है, इसके कारण भी अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम पुलिस प्रशासन को पूरा अधिकार नहीं देंगे, जब तक इनको इस बात का अधिकार नहीं दिया जाएगा कि जो गवाह उस समय होते हैं, मौके पर होते हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उनके लिए भय दिखा दिया जाता है कि आपको भी मार देंगे। डकैत सामने खड़ा हुआ है, गवाह सामने खड़ा हुआ है उसी समय वह उसके सामने आंखें निकालता है कि देख लेना, कल छूटकर आऊंगा तो तेरी हालत खराब कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। कौन दे देगा, अच्छों-अच्छों का दम निकल जाता है। किसी की गवाही देने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा। जिसने सरे आम गोली चलाई, मारा, सरे आम निर्दोषों को लूटा है और उन व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट हो जाती है उसके बाद गवाह क्या महत्व रखता है। ऐसे व्यक्ति को न्याय में सरे आम फांसी की सजा होनी चाहिए, सरे आम उनको दण्ड मिलना चाहिए। आज अंग्रेजों का राज चल रहा है। आज अंग्रेज लोग कानून बनाकर चले गए और उन लोगों को, हम मानते रहे हैं, यह कानून हमारे देश के लिए फिट नहीं है। इन कानूनों की कमी के कारण आज अपराधी बचते हैं। पुलिस का कोई भी दोष नहीं है

(श्री रामस्वरूप)

उसे बचाने में, और हम कहते हैं कि उनको पुलिस बचाती है।

मैं सुझाव दे रहा हूं अगर इसमें संशोधन कर दिया जाए, जो मर्डर सामने हुआ है, घरवालों के सामने हुआ है, बाप के सामने हुआ है, बेटे के सामने हुआ है उसके बावजूद उसकी गवाही को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके आगे यह बैठे हुए हैं इनसे पूछ लो कैसे क्या हो सकता है, आप सलाह करके एक सुझाव दे दो ज्यादा अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : तहलका प्रकरण में सारी फिल्म आ गई और सबके सामने दिख गया फिर भी कह रहे हो कि साहब यह चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। क्या जांच होनी चाहिए?

एक माननीय सदस्य : यह ठीक कह रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह बात ही तो रामस्वरूपजी कह रहे हैं ना, लेकिन आगे यह मालपूरा से आने वाले एडवोकेट बैठे हुए हैं यह मानते थोड़े ही हैं इस बात को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तहलका तो सिर्फ मोरल आस्पेक्ट है। एज ए मैटर आफ फेक्ट कोई आफेंस कमिट नहीं हुआ, नान एग्निस्टैण्ट कम्पनी है कोई डील नहीं है, क्या आफेंस बनेगा? आफेंस तो बनेगा जब ही बनेगा फिर क्या करो आप, मोरल आस्पेक्ट तो ठीक है इसका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह सबको मालूम है कि लाइट जल रही है और फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान) यह स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बृजेन्द्र सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं, मेरे सुझाव है, मेरे विचार है अपने आपके। इस प्रकार के सरे आम जो अपराध होते हैं ऐसे अपराधों में सरे आम दण्ड भी मिलना चाहिए और कानून में कुछ संशोधन करने चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो ऊपर हमारी केन्द्र सरकार बैठी है, उसको लिख कर हम भेज सकते हैं। कुछ संशोधन इसमें होने चाहिए। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है आज हम—

श्री जगत सिंह दायमा : आपने खेत में बाउण्डरी बनवा ली। आपको भी कोई डर नहीं है पुलिस का।

श्री रामस्वरूप : मैंने खेत में बाउण्डरी इसलिए बनवाई है कि रोजड़े खा जाते हैं मेरे खेत को, इन रोजड़ों से भी तो बचाना है खेत को बाउण्डरी के द्वारा नहीं तो यह रोजड़े खा जाते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वह भी विधायक कोटे से बनवा ली।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधायक कोष से खेत की बाउण्डरी बनवा ली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां रोजड़े बहुत हैं और रोजड़ों से बचाव के लिए खेत की बाउण्डरी बनवा ली तो क्या बुराई कर दी किसान ने। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इन्होंने इतनी हिम्मत तो करी कि सच बोले कि विधायक के कोटे से—

श्री रामस्वरूप : मैं यह नहीं कह रहा, खेत की बाउण्डरी की बात आ रही है। कांग्रेसी ऐसा नहीं कर सकते, कांग्रेसी कभी ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान) बात को मत घुमाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : कांग्रेस तो दहेज विरोधी है, भाई ने 21 लाख रुपये अपने बच्चे की शादी में लिए हैं दहेज के।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : आप कभी मेरे यहां शादी में नहीं गए, आपको क्या पता आप नहीं गए। सबको बुलाया मैंने, आप पहुंचे ही नहीं आपको क्या पता? मैं भी दहेज विरोधी हूं, मैंने भी अपनी बच्ची की शादी में दहेज नहीं दिया और बच्चे की शादी में भी दहेज नहीं लिया।

श्री जगत सिंह दायमा : लड़के की शादी में ले लिया और लड़की की शादी में नहीं दिया।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस के लोग त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ईमानदार होते हैं। ऐसे तो आप लोग हैं जो दहेज लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1995 में आप कौनसी पार्टी से चुनाव लड़े थे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माहिर साहब।

श्री रामस्वरूप : मैं निवेदन कर रहा था पुलिस विभाग के समय को आप नष्ट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरा, जो कम लोग बताते हैं, जिस प्रकार से सेना के अंदर कोई शहीद होता है और आज वह शहीद हो जाता है, उसका नाम शहीद रखा जाता है। लेकिन मैं जब आज आ रहा था, मेरे क्षेत्र से तो सुबह ही मैंने देखा था कि यहां भी एक स्मारक है, शहीद पुलिस स्मारक, जयपुर के अंदर भी और वहां भी तीन-चार मूर्तियां थीं और तीनों-चारों मूर्तियां हमारे राजस्थान के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी देश की जनता के प्राणों की रक्षा के लिए जिन्होंने आहुति दी थी, उन व्यक्तियों के फोटो उसके अंदर थे। लेकिन आज बड़े दुःख की बात है पुलिस की बुराइयां ही बुराइयां सबको नजर आती हैं। जब कोई तेज रफ्तार से वाहन आता है उस समय जब वाहन को वह रोकता है या कोई गलत वाहन आ जाता है चोरी का, उसको जब पुलिस वाला रोकता है तो कइयों ने मेरे

(श्री रामस्वरूप)

सामने प्राणों की आहुति दी है। ट्रक वाला टक्कर मारकर चला जाता है। उसको आदेश होता है, रोक दो इसको। वह रोकता है तो उसके प्राणों की आहुति दे देता है तब जाकर ट्रक वाला रोकता है। ऐसे जाकर कइयों ने प्राणों की आहुति दी। लेकिन कोई भी आज तक नहीं कहता है कि पुलिस भी शहीद हुई है। उसका नाम शहीद नहीं रखा जाता है।

मैं तो निवेदन करना चाहता हूं अगर दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए पुलिस अपने प्राणों को देता है तो उसका नाम भी शहीद होना चाहिए और उसको भी वही सुविधाएं होनी चाहिये, जो देश रक्षा में शहीद को होती हैं। इससे मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपकी रक्षा बढ़ेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : शाम को कई पुलिस वाले बाहर खड़े होकर देखो कि यह ट्रक वालों से किस तरह हाथ मिलाते हैं।

श्री रामस्वरूप : आपको बुराई ही बुराई नजर आती है। वह भी आपके भाई हैं। कुछ आपके भाई भर्ती हो गये, वह हैं ऐसे। सबको ही मत मानो। कुछ आपके भाई भी इसमें आकर भर्ती हो गये। उनकी ऐसी हालत है।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे तो सभी भाई हैं जो राजस्थान में रहते हैं। आप भी भाई हो।

श्री रामस्वरूप : बहुत गम्भीर विषय है, बड़ी गम्भीरता से मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको यह लोग मजाक बना रहे हैं। पुलिस वाले हैं, वह भी तो हमारे भाई हैं। वह भी हमारे किसी भाई के लड़के हैं। इस तरह का क्यों मजाक उड़ा रहे हो उनके साथ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था आपसे, उनको भी विनम्र निवेदन है कृपया पुलिस विभाग की मांग पर गम्भीरता से बात हो रही है, आप मजाक नहीं बनाएं इसको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको बोलने दो न क्या तकलीफ हो रही है आपको?

श्री रामस्वरूप : दो-तीन पाइंट हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो। खतम करने दो न।

श्री रामस्वरूप : अब बोलने तो देते नहीं, साहब। अनुशासन का यह हाल हो रहा है और आप कहते हैं बोल नहीं रहे।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय + + + के कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर क्या बोलेंगे?

श्री रामस्वरूप : हमारे अनुशासन का तो यह हाल है, पुलिस की बुराई करते हैं। आप लोग जब चुप नहीं बैठ सकते, आप जब अनुशासन नहीं रख सकते और कहते हैं पुलिस अनुशासन में रहेगी। क्या रहेगी पुलिस अनुशासन में? क्या आप यहां बहस करोगे पुलिस के ऊपर? स्वयं को जो आदमी नहीं सम्भाल सकता, स्वयं में

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

जब बुराई है तो दूसरे की क्या भलाई करेगा वह? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गम्भीर रहिये। इस विषय को गम्भीरता से लीजिये। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि जो लोग इस काम में आते हैं, जो सेवा करते हुए प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उनको भी शहीद मानना चाहिए और उनको सारी सुविधाएं शहीद की दी जानी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहिए। दूसरा, मेरा निवेदन है पुलिस वाले कहीं भी वारंट लेकर जाते हैं, किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं, अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो बसों में, ट्रेनों में बैठकर जाना पड़ता है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं सोचा कि विधायक को पास मिले हुए हैं और हम सबको पास मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले को कोई पास किसी प्रकार का नहीं मिला हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आज कम से कम इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि पुलिस वाला अगर कहीं भी सरकारी काम के लिए जाता है तो उसको रोडवेज और रेलवे इनको फ्री होनी चाहिए। इनका सारा खर्चा गवर्नमेंट को देना चाहिए। आपको पैसे जमा कराने चाहिये।

एक माननीय सदस्य : देते हैं। देते हैं।

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है जो देते हैं, वह कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। दूसरा, मेरा निवेदन है उनको जो वर्दी दी जाती है और धुलाई का जो पैसा दिया जाता है वह बहुत कम है। आप कृपया इस पैसे को बढ़ाये। तीसरा, जो तनख्वाह इनको दी जा रही हैं, आज वह तनख्वाह अन्यों की तुलना में बहुत कम दी जा रही हैं। इसलिए कृपया मेहरबानी करके आप तनख्वाह को बढ़ायें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री रामस्वरूप : नहीं, आखिरी में साहब, बस दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न आपका तो।

श्री रामस्वरूप : आखिरी है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ गये न अब।

श्री रामस्वरूप : आखिरी है साहब, अब तो बिलकुल। टाइम बढ़ गया अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ गये थे न नीचे।

श्री रामस्वरूप : मात्र दो सुझाव रहे हैं मेरे। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन है एक आचार संहिता माननीय गृह मंत्रीजी, आप बनाइये। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जब शाम का वक्त हो जाता है तो शाम का वक्त होने के बाद दारू का प्रयोग शुरू होने लग जाता है। ज्यादातर थानों में यह शिकायत आती है। एक-दो बार मैंने भी टेलीफोन किये रात्रि को तो उस समय टेलीफोन किया तो दूसरे दिन अफसर बोलता है श्रीमान्‌जी, कम से कम मेहरबानी करके इतनी रात को टेलीफोन मत किया करो। हो सकता है आपसे कुछ बात कहलाऊं आ जाए ऐसी। मैंने कहा, क्या कारण हो गया? साहब, कई लोग ऐसे ही थाने में पी-पा लेते हैं। यह हालत थानों की है। अगर इस शराब के ऊपर कंट्रोल कर दिया जाये, चाहे वह नेता हो, चाहे वह पुलिस वाला हो, तो और भी सुधार इसके अंदर हो सकता है। यही शराब है जो अपराध कराती है, यही शराब है जो मां को मां नहीं मानती है।

श्री जगत सिंह दायमा : वह भी हमारे ही भाई हैं। क्या ऐसी बात कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : यही शराब है जिसके कारण बेटा अपने बाप के खिलाफ कार्यवाही करता है। यही शराब है जिसके कारण सारे युद्ध हुए अब तक के। यही शराब है जिसके कारण हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी, इस पर सख्ती से आप कार्यवाही करें। कोई भी अगर ड्यूटी पर शराब पीता हुआ मिले, उसके खिलाफ आप तत्काल कार्यवाही करे। यह मेरा सुझाव है। अन्त में मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ एक निवेदन और करूंगा। कारागृह के बारे में आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्रीजी, आपने कभी थाने में जाकर चैक किया है क्या कि कितने लोग शराब पी रहे हैं या नहीं पी रहे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब बिठाओ न इनको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो चैक नहीं किया। लेकिन माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं इस बात की जांच करवाऊंगा और अगर थाने में स्टाफ का कोई भी व्यक्ति शराब पीया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब की दुकाने मंदिरों के पास और थानों के पास आज भी खुली हुई हैं। उनका भी दोष नहीं है। आप इसमें भी सख्ती करें कि मंदिरों, स्कूलों और थानों, ऐसी जगहों पर

(श्री रामस्वरूप)

जो शराब की दुकाने खुली हुई हैं, तत्काल उनके लाइसेंस निरस्त कराएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वैसे तो राज्य सरकार के निर्देश हैं कि स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर दुकानें नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से कहीं लगी हुई है तो आप मुझे सूचना दे दीजिए, मैं जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री रामस्वरूप : मेहन्दीपुर बालाजी के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां पर आज दुकान लगी हुई है मंदिर के बिलकुल पास में।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो आपने सूचना दी है, मैं उसकी जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यशवन्त सिंह जी।

श्री रामस्वरूप : अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। अन्त हो गया अब।

श्री रामस्वरूप : कारागृह के बारे में बस एक शब्द, एक लाइन।

श्री उपाध्यक्ष : अन्त हो गया न अब।

श्री रामस्वरूप : मेरा एक ही सुझाव है, कारागृह के बारे में जो यहां बताया कि इनको जेल न मानते हुए सुधार गृह माना गया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आज जेल के अंदर सारी मादक वस्तुएं कैसे पहुंच रही हैं। जितने भी जेली होते हैं, जो नया जेली जाता है उसके साथ अन्याय किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और वह लोग वहां पर भी शराब और सारी मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जेलों के अंदर। इसलिए मेरा निवेदन है कि जेलों के अंदर इन पर पाबन्दी लगायी जाये। जो लोग पहुंचाने वाले हैं, जो इस प्रकार की ड्यूटी पर हैं औ उनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करें, यह सबसे बड़ी दुःख की बात है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया और हमारे राजस्थान की पुलिस के बारे में जो मुझे यहां वक्त दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। एक यह मुकदमा नम्बर है माननीय गृह मंत्रीजी यह 535/2000 है, इसके बारे में 300 बोरियों की कालाबाजारी के बारे में मुकदमा दर्ज हुआ। नामजद मुलजिम हुए। लेकिन आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान की पुलिस इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी, बड़े अच्छे-अच्छे अफसर, इसके अंदर बैठे हैं। गृह मंत्रीजी बहुत अच्छे, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छे, इसके बावजूद मुकदमे में दर्ज हो जाए, पकड़ा जाए लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुकदमा नम्बर और थाने का नम्बर बता दीजिए, कार्यवाही हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य : मुकदमा नम्बर तो बता दो।

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद। मैं बता दूंगा उनको सब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की जो 16 और 17 मांग है, उस पर वाद विवाद के लिए समय दिया उसका आभारी हूं। सारे लोगों ने पुलिस की किसी न किसी रूप में चर्चा की। बुराई भी की, भलाई भी की। इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता कि किस हद तक बुरी है, किस हद तक अच्छी है। लेकिन सच्चे मायनों में जो बात है कि इनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं या इनके बच्चों को जो पढ़ाई-लिखाई या मकान में रहने की जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, मेरे नदबई थाने का तो यह हाल है कि बरसात के दिनों में मैं एक थानेदार, जो वहां रहते हैं, उनके क्वार्टर में गया तो उनके बर्तन पानी में तैर रहे थे। आज तक जो पुरानी बिल्डिंग है, मेरे क्षेत्र में दो थाने बयाना और नदबई आते हैं। उनके भवनों की यह हालत है कि कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन उनकी मेंटीनेंस पर आज तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया।

(17.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जितनी भी राजस्थान पुलिस की गाड़ियां हमारे भरतपुर जिले में या राजस्थान में ज्यादातर हैं वे इस हालत में हैं कि अगर आज कोई टेलीफोन करे तो आधा घंटा तो पुलिस वाले धक्का देते हैं जब जा करके स्टार्ट होती है और स्टार्ट हो भी जाती है तो वे चोर आगे निकल जाते हैं, जीप पीछे रह जाती है और जीप आगे निकल जाए तो चोर पीछे रह जाय।

एक माननीय सदस्य : चोर पीछे रह जाय?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : हां, हां चोर बगल में, साइड में रह जाते हैं। ठीक बात है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी मेंटीनेंस पर भी ध्यान दिया जाय।

तीसरी बात जो कहना चाहता हूं वह एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने, राजस्थान सरकार ने थाने खोलने या थाने क्रमोन्नत करने का मापदण्ड क्या रखे हैं? क्या धार्मिक स्थल मापदण्ड हैं या अपराधी इलाके मापदण्ड हैं? सुनेल और ऋषभदेव में इन्होंने थाना खोल दिया, सर्कल कर दिया लेकिन मेवात में लगातार क्राइम की घटना होते हुए, आई.एस.आई. के एजेंट होते हुए, नकली नोट होते हुए, गो-हत्या होते हुए उसमें लगातार मांग की जा रही है कि ए.एस.पी. सर्कल खोला जाय। इस तरफ गवर्नमेंट का आज तक कोई भी ध्यान नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां, नदबई में एक सब-इंस्पेक्टर, टू स्टार बैठता है और क्राइम है 780 प्रति वर्ष जबकि 350 पर सी.आई थाना होता है। आज तक, तीन साल से लगातार मांग करने के बावजूद भी वह थाना ऐसा का ऐसा ही है। मेरा गृह

(श्री यशवन्त सिंह)

मंत्रीजी से आग्रह है कि कृपया, नदबई को सी.आई. में क्रमोन्नत करें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि बयाना क्षेत्र और नदबई कांस्टीट्यूएंसी में कैला देवी झील का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग एकत्रित होते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना क्राइम होने के बावजूद चार डण्डे वाले वहां बैठा दिये और एक चौकी खोल दी। मेरी आप से मांग है कि जो झील चौराहा है, उस पर थाना खोलने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरी मांग है कि बयाना, जो सबसे ज्यादा क्राइम का एरिया है, तो वहां एक ए.एस.पी. की पोस्ट क्रियेट करावें तो क्राइम कम हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुःख की बात है, अभी मैं ऐसे ही बाहर घूम रहा था तो सिपाहियों की पीड़ा सुनी। साहब, वर्दी धुलवाने को 40 रुपये मिलते हैं या बस में जाते हैं तो किराया ले लिया जाता है। माननीय यातायात मंत्रीजी यहां ही बैठे होंगे, जब लगातार रोडवेज घाटे में जा रही है तो आप इनको भी फ्री पास दे देंगे तो आपका दिवाला नहीं निकलेगा और दिवाला निकलेगा तो आप जब तक कुर्सी पर हो, वैसे ही निकल जायेगा। तो मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह आग्रह है कि इनको फ्री पास कराये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक थाने में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाय जिससे हम यहां बैठ करके देख सके कि किस क्षेत्र में कितना क्राइम हुआ और इसकी क्या स्थिति है। आज यह स्थिति है, माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि किसी स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थल के बगल में दारू की दुकान हो तो उसको बंद करवा देंगे, मैं कह रहा हूं कि मेरे नदबई में अथोराइज दुकान तीन हैं। प्रत्येक गांव-गांव में 30-30, 40-40 हजार रुपये सिक्योरिटी लेकर मंदिर और स्कूल के बगल में दुकाने खोली जा रही हैं। नदबई गर्ल्स स्कूल के बगल में एक मदिरापान की दुकान है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसमें प्रभावशाली लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा तो आपसे आग्रह है कि गांव में यह जो दुकाने खुल रही हैं और जो सार्वजनिक स्थलों पर शराब की दुकाने हैं, इनको बंद करायी जाय अदरवाइज अगर आपने सात दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही नहीं की तो मैं नदबई में बहुत बड़ा आन्दोलन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, आपकी पार्टी के एम.एल.ए. शामिल हैं, वह चलाते हैं उस दारू के ठेके को।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपकी पार्टी का ही हूं यहां बैठा हुआ, आप उधर बात करो।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरा आपसे आग्रह है, गृह मंत्रीजी, उनको बंद करवाने की व्यवस्था करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस की मांग संख्या 16 और 17 के वाद विवाद में भाग लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पुलिस में कहां, क्या-क्या कमियां हैं, कितने बलात्कार हुए, कितनी डकैतियां हुई, कितनी चोरियां हुई, सारे मामलों में सबने बड़े जोर-शोर से सारी बातें रखी। आज इतना नैतिक पतन हो गया है कि हर गली-गली में इस प्रकार का गलत कार्य होता हुआ हर जगह मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नयी पीढ़ी स्कूलों में अध्ययनरत है या कालेजों में अध्ययनरत है, उनका थोड़ा-बहुत सुधार हो। हमारे बीच में हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री श्री सी.पी. जोशीजी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वे अच्छे गुरुओं को यह निर्देश दें कि कम से कम नैतिकता का पाठ भी अनिवार्य कर दे कि बच्चे में यह नैतिकता हो, गुरुओं में भी इतनी नैतिकता हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ गुरुओं का उदाहरण देना चाहता हूं। फागी तहसील के गांव डाबच में, जहां सैकण्डरी स्कूल है, वहां एस.सी. जाति की बारह वर्षीय बालिका है, एक शारीरिक शिक्षक जिस समय स्कूल चल रहा है उसको अपने कमरे में बुलाता है और उसके साथ खुले आम बलात्कार करता है। वही नहीं, उसके तीन अन्य साथी। वही नहीं, इस प्रकार की घटना तीन-चार बच्चियों के साथ घटी लेकिन उनके मां-बाप ने शर्म के मारे, अपने बच्चियों की बदनामी के डर के मारे आज तक एफ.आई.आर. लॉज नहीं करायी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अध्यापकों को तो कम से कम आपको बिलकुल निलम्बित करके उनको आपके डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। आज पुलिस ने उस अध्यापक को पकड़ लिया है, जमानत हो गयी होगी। एक यह घटना 13.11.2000 की है। इस प्रकार की बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, अभी उदाहरण दूंगा तो बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं अध्यापकों के द्वारा की जा रही हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से, जो यहां उपस्थित हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे अध्यापकों की जांच कराएं। ऐसे अध्यापक किसी से छिपे हुए नहीं हैं, चाहे वह प्राइमरी स्कूल में हो, चाहे मिडिल स्कूल में हों, चाहे सैकण्डरी में हो। तहसील स्तर पर भी ऐसे व्यक्ति बदनामशुदा रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जांच करा कर उनको निलम्बित करवाया जाय। यह जो फागी की स्कूल है, इसमें जांच करायें और शेष जो अध्यापक ऐसे हैं, उनको भी आपको कम से कम वहां से हटाना चाहिये या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री कन्हैया लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की घटना नागौर जिले में हुई। एक कैफे में ले जाकर एक बालिका के साथ, वह नाबालिग थी, उसके साथ चार व्यक्तियों ने एक साथ बलात्कार किया और उसके पिता के आने पर उसकी भी पिटाई कर दी गयी और वे व्यक्ति आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसी जो भी घटनाएं हैं, इतनी ज्यादा घटती हैं जो पुलिस की नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पुलिस हैड कांस्टेबल खयाली राम मीणा जिसकी पत्नी के साथ में पुलिस के डी.आई.जी. मधुकर टण्डन ने 1997 में बलात्कार किया और उसे भारतीय जनता पार्टी के राज में सस्पैण्ड कर दिया गया और उसके बाद उस व्यक्ति को यहां से फरार घोषित कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को कहना चाहूंगा वह व्यक्ति फरवरी, 2001 में जयपुर आता है और करीब 15 दिन तक एक बड़े पुलिस अधिकारी के घर पर यहां रहता है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ ऐसी घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के राज में उस डी.आई.जी. को सस्पैण्ड किया गया लेकिन पुलिस का अधिकारी होने के नाते, एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ घटना घटित होने के बावजूद भी आज तक पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पाये। बड़े दुःख का विषय है कि आपके राज में फरवरी के माह में यहां आता है और आने के बाद गृह मंत्री महोदय, वह क्या-क्या करते हैं। टण्डन बीते साल दशहरा के बाद तीन बार जयपुर आये। एक बार दस-बारह दिन तक यहां ठहरे, दूसरी और तीसरी बार तीन चार दिन के लिए रुके। उन्होंने यहां रुकने के लिए किसी होटल की शरण नहीं ली बल्कि अपने खास अधिकारी मित्रों के यहां रुके। उनमें से एक भारतीय पुलिस सेवा के, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के तथा एक चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने हनुमाननगर में अर्दली ख्याली राम मीणा की पत्नी मल्लीजी से बलात्कार किया था। उसके नाम पर 1500 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदा था, उसको उन्होंने बेचा। फर्जी औरत बनाकर इस प्लाट को बिकवाने में पुलिस वालों की महत्ती भूमिका रही। उन्होंने अजमेर रोड पर बांदर सिन्दरी के पास में दस बारह बीघा जमीन में बना फार्म हाउस बेचा। वैशाली नगर में भी एक भूखण्ड का उन्होंने विक्रय किया। मल्ली मीणा को लेकर टण्डन के घर में प्रायः विवाद बना रहता था और यही कारण रहा कि टण्डन हनुमाननगर में पत्नी के नाम वाले भूखण्ड को बेच नहीं सके, पत्नी ने मना कर दिया। कह दिया कि मैं मेरी नाम की जमीन को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा अफसरों से उनके दोस्ताना सम्बन्ध रंग लाये और पुलिस संरक्षण में जायदाद बेचकर आराम से लौट गये। पुलिस के महकमे के ही कुछ अधिकारी बताते हैं कि टण्डन को भले ही राज्य की पुलिस फरार

(श्री कन्हैया लाल)

बता रही है जबकि हकीकत यह है कि वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खेती कर रहे हैं। हालांकि उनका परिवार जयपुर के वैशाली नगर में रह रहा है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपके राज में इस प्रकार का अपराधी व्यक्ति और आपकी पुलिस की शरण में रह कर अपनी सारी जमीन जायदादों को बेच जाए और उसका पता भी नहीं लगे और यहां से चुपचाप चला जाए। गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक ऐसे अपराधी, पुलिस अपराधी को अगर इस प्रकार छूट दे दी गयी तो अन्य अधिकारी क्या शिक्षा लेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से उस अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो डिटेल एक-एक केस पढ़ रहे हो जैसे कोई।

श्री कन्हैया लाल : नहीं-नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा थाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं का मुकदमा नम्बर 33/2001 की घटना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना अनुसूचित जनजाति की, आदिवासी महिला के साथ में सी.आर.पी.एफ. में सर्विस करने वाला एक व्यक्ति, वह आता है। महिला अपने खेत में घास खोद रही थी और उसके साथ वह बलात्कार करता है। उसने जब विरोध किया बलात्कार करने के बाद, आपस में झगड़ा हो गया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिये गये। दूसरे व्यक्ति जब भाग कर आये तब जाकर उसको छोड़ा गया नहीं तो शायद वहां पर खतम कर देता वह। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उसके बाद जब उसके पति को पता चला उसके घर वालों को पता चला तो उसका पति डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हो गया और 24 मई को उसकी डैथ हो गयी। गृह मंत्री महोदय, वह व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा गया है। खेतड़ी थाने में एफ.आई.आर. नम्बर 33 है। रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने गये 20 तारीख को, उसके घर वाले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। उन्होंने आनाकानी कर दी और उसके बाद जब स्थानीय सरपंच गांव के सारे लोग गये तब जाकर 23-1-2001 को एफ.आई.आर. दर्ज की। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपके होते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटीं और एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका पति भी खतम हो गया उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा पांच लाख रुपये दिलवाया जाए तो अनुसूचित जनजाति की आदिवासी महिला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदरामजी।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और चाहूंगा। अभी दो तीन बातें ही बोली हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आपके और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। डिटेल एक-एक केस पढ़ रहे हैं। यहां कोई केस पढ़ने से फायदा होता है क्या? केस रैफर कर दो, आप नम्बर दे दो।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, और लोग क्यों बोले? और भी तो सारे लोग बोले थे, उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 4-2-2001 और 13-2-2001 को बस्सी विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों का 3.5 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर 25 दिन तक जला हुआ पड़ा रहा और दूसरा 2.5 का 13 दिन तक जला हुआ पड़ा था। बिजली विभाग को बार-बार निवेदन करने के बाद, चेयरमैन से लेकर एसई. और चीफ इंजीनियर तक सारे काश्तकार जगह-जगह डेपूटेशन ले आये, उसके बाद उन्होंने जब यहां आकर प्रदर्शन किया तो गृह मंत्री महोदय, पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया और किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद प्रदर्शन के बाद वहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिया। पुलिस किसानों के खिलाफ केस लगा कर जबरदस्ती गिरफ्तार करना चाहती है जबकि मुख्य सचिव ने इस बात को लेकर वहां मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद किसानों को निर्दोष पाया, उन्होंने बिजली विभाग की गलती पायी उसके बावजूद भी पुलिस किसानों को गिरफ्तार करना चाहती है। बस्सी के अन्दर किसानों की फसल जल गयी है 25-25 दिन से और आप ही के राज में मंत्री महोदय माननीय परसादीलालजी को भी इस सारी घटना का वर्णन पता है। आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की ज्यादती किसानों के साथ नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए-विराजिए। विराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर पुलिस के संबंध में विचार हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा नम्बर नहीं आयेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सबका नम्बर आयेगा। मेरे पास नाम हैं। आपको शांति रखनी पड़ेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो कि कई माननीय सदस्यों ने यहां सदन में पहले कह दी। जहां तक इस विभाग का प्रश्न है इसका अनुभव कुछ मुझे भी है और यह विभाग जो भी मंत्री सम्भालता है इस विभाग का दुर्भाग्य समझ लीजिये कि यह थैंकलेस जाब है। अगर कुछ काम करते हैं और काम हो जाता है तो उसका उत्तर होता है कि आपका फर्ज था और अगर काम बिगड़ जाये तो यह विभाग बिलकुल नालायक है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की जिम्मेदारी आज के टाइम में और उत्तरदायित्व का इतना दायरा बढ़ गया कि हर काम में आज पुलिस की इमदाद होती है। अगर कहीं जमीन का झगड़ा हो गया तो पुलिस पहुंचती है। वहां फिर एफ.आई.आर. दर्ज हो, दूसरा काम हो, कोई काम हो आज इसका दायरा हर क्षेत्र में, हर सार्माजिक क्षेत्र के अंदर बढ़ गया इसलिए जिम्मेदारियां इसकी बहुत ज्यादा हो गयीं। इस बात को आप भी मानेंगे कि और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार की इतनी बात करते हैं भ्रष्टाचार किसमें नहीं है, सबमें है और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ले ले, कोई सा ही डिपार्टमेंट ले ले। वहां भी अगर कुछ चोरी हो जाये तो रिपोर्ट पुलिस में आकर दर्ज होती है। कार्य उसी को करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इसके रीआर्गेनाइजेशन और मोडर्नाइजेशन के बारे में कुछ सोचे कि किस प्रकार से आप इस विभाग को अब कोई नयी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि हम आज उस युग में आ गये जहां आज क्राइम करने वाले बड़े साफिस्टिकेटेड वे में क्राइम करते हैं। यहं टी.वी. और दूसरे जो देखते हैं उसको देख कर उन क्रिमिनल को एक तरीका, एक नया ईजाद उन्हें मिलता है जिसके माध्यम से सब प्रकार के क्राइम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें आज इस सारी प्रणाली में, सारी सोच में इस विभाग के रीआर्गेनाइजेशन के बारे में, मोडर्नाइजेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और जो पुलिस कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उन सबको बैठा करके कि हम राज्य के अंदर इस व्यवस्था को कैसे सुधारे, उसके ऊपर ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहना कि क्राइम बढ़ गये और क्राइम बढ़ने की वजह से यह सरकार बिलकुल नाकारा है, यह सरकार नालायक है, काम नहीं कर सकती। यह कोई मापदण्ड नहीं है। क्राइम के साथ आप सरकार का मापदण्ड नापना शुरू कर देंगे तो क्रिमिनल्स जो काम करते हैं उसको कोई सरकार संरक्षण नहीं देती है। क्रिमिनल्स अलग हैं, क्राइम करने वाले अलग हैं, क्राइम जो करते हैं वह क्रिमिनल्स हैं। क्राइम के साथ सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप कहे कि सरकार बिलकुल नाकारा हो गयी। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि क्राइम के साथ आप उसके डिटेक्टिवनेस को जोड़िए। उसके साथ-साथ सरकार कितने उन क्रिमिनल्स को या उन क्रिमिनल केसेज को पकड़ पाती है और क्या क्राइम करने में कमी करती है। उसके ऊपर हम ध्यान दें और फिर हम एक जजमेंट करें तो फिर एक औचित्य भी है अन्यथा एक वाइड एलीगेशन लगाकर हम कह दें कि क्राइम बढ़ गये, बलात्कार बढ़ गये। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यह सोशल एंवायरमेंट जब तक आपका चेंज नहीं होगा, बलात्कार करने के लिए कोई सरकार कहने जाती है? यह सामाजिक

(श्री दिग्विजय सिंह)

भावना जब तक नहीं आयेगी, सामाजिक सोच जब तक इस बात की नहीं आयेगी। आप अकेले पुलिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दे, मैं यह समझता हूं कि सारे देश में, सारे हिन्दुस्तान में, सारे भारतवर्ष में कोई भी प्रान्त की सरकार हो पुलिस उसकी सारी जिम्मेदारी ले ले यह स्वाभाविक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपकी जो पुलिस फोर्स है, पुलिस नफरी है उसके ऊपर भी आपको सोचना होगा। अब राजस्थान की जनसंख्या क़रीब-करीब पांच करोड़ के लगभग होने जा रही है। जो टोटल आपकी स्ट्रेन्थ है, आपके आंकड़ों के अनुसार 70,468 है और यह इनक्लूड करती है आपकी आर.ए.सी. बटालियन को भी, जिसमें से आप सीनियर आफिसर्स को निकाल दीजिये, डी.जी. को निकाल दीजिये, एडिशनल डी.जी. को निकाल दीजिये और आई.जी. को निकाल दीजिये तो आपकी जो मुख्य आरक्षी और आरक्षी की संख्या 61,564 है और आबादी हमारी 5 करोड़ हो रही है। आप खुद अनुमान लगा ले कि क्या रेश्यो रहा आपके पास में और इसमें क्या आप क्राइम और डकैतियों को रोक सकते हैं।

आपके पास जो संसाधन हैं वह आउटडेटेड हैं, क्राइम करने वाले तो जिप्सी और दूसरे फास्ट व्हीकल लेकर आते हैं और आपके पास में थानों के अंदर जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि गाड़ियां हैं उनमें कभी तो धक्का लगाते हैं और अगर धक्का नहीं लगाये और गाड़ी ठीक भी है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। वह जलती नहीं है तो इस प्रकार से जब तक हम सारे सिस्टम को रीआर्गेनाइजेशन, मोडर्नाइजेशन नहीं करें और इस पुलिस नफरी को, जो कांस्टेबल हैं, मेरी मान्यता है और मेरे पास जब विभाग था तब मैंने कहा भी था। उस वक्त भी हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को कहा कि जब तक आप कांस्टेबल की नफरी को नहीं बढ़ायेंगे, मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आप अपने मुख्य मंत्रीजी को भी कहें, वित्त मंत्री जी से भी कहें कि यह डी.जी., एडिशनल डी.जी. और यह सब मिलाकरके जो टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको आप किस तरह से कम करे और पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनको आप बढ़ाये तो मैं समझता हूं कि अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है उनको हम चैक कर सकेंगे। नहीं तो इस अनुपात के अंदर जहां 5 करोड़ की आबादी है और आपके पास में 61,563 जवान हैं। वह भी आर.ए.सी. बटालियन को मिलाकरके, अगर आप आर.ए.सी. बटालियन निकाल दे, 11 बटालियन हैं, उनकी संख्या निकाल दे तो आपके पास में मेरे खयाल से 50 हजार कुछ ही रह जायेंगे। अब इस हिसाब से आप किस प्रकार से इसको चैक कर सकेंगे। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस साल करे या इससे अगली साल करे। एक योजना इस प्रकार की बनाये कि आप हर साल 5 हजार नये

(श्री दिग्विजय सिंह)

कांस्टेबल की भर्ती का एक लक्ष्य रखे। आप एक साथ नहीं करे तो एक योजना बना ले कि हर साल हम 5 हजार कांस्टेबल की भर्ती करेंगे तो आप धीरे-धीरे करके यह जो हमारे पास कमी है इसकी आप पूर्ति कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी गाड़ियों का, संसधनों को बताया इसी के क्रम में आपके पास में जो आर्मी है, आपके पास में जो राइफल्स हैं वह भी आउटडेटेड हैं। अब भी आपके पास में थ्री नाट थ्री हैं। आप एस.एल.आर. मंगायें। आप थानों के अंदर एस.एल.आर. दीजिये। बहुत कम एस.एल.आर. हैं जो कि आज थानों में हैं। अधिकतर जो बड़ी-बड़ी सिटीज हैं उसके अंदर आपने एस.एल.आर. दे रखी है या आपकी जो मोबाइल चैक चलती है उसके अंदर एस.एल.आर. वेपन्स हैं। बाकी आपके पास में थ्री नाट थ्री हैं जो बिलकुल आउटडेटेड हैं और जो क्राइम करने वाले आते हैं वह ए.के. 47 लेकर आते हैं और दूसरे वेपन्स लेकर आते हैं। थ्री नाट थ्री कोबाल्ट एक्शन से वह कांस्टेबल जब हाथ घुमाता है और अगर उसके अंदर कारट्रिज उलझ गया, अटक गया तो वह उसकी राइफल किसी काम की नहीं, वह भले उसके थप्पड़ मारे, खोस कर ले जाए। इसलिए आप इन वेपन्स को माडर्नाइज करिये, दूसरे वेपन्स इनको दिलवाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एफ.एस.एल. के अंदर निश्चित रूप से कुछ एडीशन्स किए हैं। एफ.एस.एल. के माध्यम से उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एफ.एस.एल. आपका बहुत ही वाइटल ओरगन है क्योंकि जो भी क्राइम होता है या कोई मर्डर हो जाता है या कोई और ज्यादती हो जाती है, उसका विसरा एफ.एस.एल. में यहां जांच होने के लिए आता है या किसी काम के लिए यहीं आता है। मुझे कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि 4-4, 5-5 साल से एफ.एस.एल. के अंदर विसरा के नमूने एक्जामिनेशन के लिए आए हुए पड़े हैं। उधर क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया, उसने जो मर्डर कर दिया, मर्डर होने के बाद वह पकड़ा भी गया क्रिमिनल। जिसका मर्डर हुआ उसका विसरा यहां जांच होने आ गया, अब वह क्रिमिनल, यहां विसरा चार साल से पड़ा है, वहां रिपोर्ट गई नहीं तो वह क्राइम करने वाला, उसको टाइम मिलता हैं और टाइम मिलता है तो उसकी जो एवीडेंस है उसको वह विन ओवर कर लेता है--

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेनीपुलेट कर लेते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : एफ.एस.एल. से जल्दी से जल्दी एक्जामिनेशन हो, इसकी आप व्यवस्था करें तो क्राइम की बात जो आप कह रहे हैं, अगर इधर डिस्पोज़ल क्विक होगा और उधर कोर्ट के अंदर केस जल्दी आ जाएगा, सजा जल्दी हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्राइम करने वाला या

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो क्राइम करने जा रहा है उसको भी एक आंख हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपसे मैंने जो वायदा किया कि मैं 10 मिनट में खतम करूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है गत वर्ष के अंदर स्काटलैण्ड यार्ड की टीम आई—

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : डिले भी करप्शन है, साहब। डिले होता है न्याय प्राप्ति के लिए वह भी एक करप्शन है, इससे बढ़ता है, उसके लिए आपने जो फरमाया है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी बताता हूं। स्काटलैण्ड यार्ड की टीम आई थी गत वर्ष। मुझे जहां तक जानकारी है उन्होंने अपने यहां विभाग से जांच कराई और वार्तालाप किया। इस बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात के लिए आश्चर्य किया कि आपके इतने बड़े भौगोलिक एरिया और इतनी बड़ी आबादी और आपके पास में इतनी छोटी सी नफरी फिर भी आप मुकाबला किए चल रहे हो। यह तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन उस स्काटलैण्ड यार्ड की वहां से जो टीम आई थी। उसने आपसे जो बातचीत की, वर्ल्ड के अंदर जो रिनाउण्ड है स्काटलैण्ड यार्ड की पुलिस, उसके अनुसंधान के हिसाब से जो कुछ बात उन्होंने बताई अगर उसका आप यहां अनुसरण करे, उसके पैटर्न को एडाप्ट करे तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए और ज्यादा लाभदायक रहेगा।

जैसे आपने करप्शन की बात कही। भ्रष्टाचार की बात की, मैं खुद इस बात के लिए सहमत हूं, आपने अच्छा कहा, याद दिला ही दिया। भ्रष्टाचार विभाग के आपने कुछ आंकड़े भी दिए हैं और उन आंकड़ों से लगता है, आपने लिखा है, पंजीकृत हुए 551 अभियोग और आलोच्य अवधि में 132 प्रकरण न्यायालय में प्रेषित हुए। अब आप इस अनुपात को देखें तो बहुत कम है, 501 पंजीकृत किए और 132 के ही अभी चालान हुए।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आप तत्परता से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और उधर भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के बाद चालान नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के अंदर जो रेड हैण्डेड ट्रेप हो जाते हैं उसको आप सस्पैण्ड तो कर देते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है उस अधिकारी को, परन्तु उसका चालान पेश होने में डिले होता है और उसका एक कारण यह भी है जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी सैंक्शन डी.ओ.पी. देता है और आपके यहां डी.ओ.पी. में फाइल पड़ी रहती है। डी.ओ.पी. से सैंक्शन जारी नहीं होती, इसलिए वह डिले हो जाता है। अधिकारी जिसको आपने पकड़ा है, ट्रेप किया है, वह आराम से घूमता है, डी.ओ.पी. से अपना हिसाब-किताब बैठाकर वह चाहता है कि डिले हो जाए और केस न हो और ट्रेप का केस कोर्ट में नहीं जाए। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि आपका इस बारे में

(श्री दिग्विजय सिंह)

डी.ओ.पी. से भी समन्वय होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचारी जिसको आपने पकड़ा है, रेड हैण्डेड ट्रेप किया है और उसका अगर समय पर चालान नहीं हो तो निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

गृह मंत्रीजी, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम, पहले अपना आप कुछ करिये, आपके अधिकारी जो भी हैं, चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे आई.पी.एस. हो, कोई भी हो, आप पटवारी को तो पकड़ लेते हैं, किसी और को पकड़ लेते हैं लेकिन आपने एक भी किसी सीनियर आफिसर के खिलाफ कुछ किया क्या? आय से ज्यादा सम्पत्ति के बारे में आपने कुछ पता लगाया? मैंने एक प्रश्न भी किया था, उसका जवाब आज दिन तक नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब आना भी नहीं है, मुझे मालूम है। मैंने प्रश्न किया कि कितने राजपत्रित अधिकारी, आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस. जो भी हैं, कितनों के खिलाफ आपने आय से ज्यादा सम्पत्ति अर्जित करने के मामले दर्ज किए? कितनों के खिलाफ चालान हुए और आज हालत यह है, आप बात करते हैं उस पटवारी की और रेंजर की कि उसको पकड़ लिया। आपको खुद को मालूम है, ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिनके बंगले और बहुत बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं और पब्लिक स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब कहां से आता है? आप पारदर्शिता की बात करें.....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कोशिश करूंगा कि आपसे सूचना प्राप्त करके, आपको मैसेंजर मानकर, उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरी सूचना लेंगे। मेरे पास सूचना है और मैं आपको पूरी सूचना, लिस्ट दे दूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा सहयोग मांग रहे हैं। मैं दे दूंगा आपको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा तो सहयोग के बगैर चलता नहीं। आपका सहयोग मिलेगा तो हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर सकेंगे और वास्तव में जिनके बारे में आप कहते हैं कि अथाह सम्पत्ति बनाई है, अथाह धन इकट्ठा किया है, वह तो जनता के सहयोग से और आप जैसे विधायकों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो स्वयं गृह मंत्री रहे हैं, जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन साल पुरानी लिस्टें पड़ी हैं आपके पास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सूचना वह है जो गृह मंत्री के रूप में अर्जित की लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं कर सके और अब आप चाहते हैं कि आप कार्यवाही करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री तो खुद ही अनुभवी हैं और इनको सारी जानकारी है पर वह कहना नहीं चाहते, वह मेरे ऊपर ही ढोलना

(श्री दिग्विजय सिंह)

चाहते हैं कि मैं इनको बता दूं तो ठीक रहेगा, बाकी जानकारी आपको सारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आपके जो कांस्टेबल हैं उनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने कहा था, अभी आप घोषणा करेंगे, एक औपचारिक घोषणा होती है जो मंत्री किया करते हैं कि गैस कनेक्शन बढ़ा देंगे, दूसरा कह देंगे कि हमने वहां क्वाटर्स के लिए यह दे दिया, कुछ और घोषणाएं कर देंगे, यह घोषणाएं करते हैं। मेरे खयाल से कुल मिलाकर 7 से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इन कांस्टेबल को जो आज रात-दिन अपने अधिकारियों से ज्यादा काम करते हैं, अगर आप इनका पूरा हिसाब लगाएं और थानों के अंदर नफरी में जहां 14-14, 15-15 कांस्टेबल हैं, वहां 2-3 तो छुट्टी पर रहते हैं और 3-4 तामील में रहते हैं, उस थाने की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं जहां 14 कांस्टेबल में 3 तो तामील में, 3 बीमार और 3 चौबीस घंटे ड्यूटी पर हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो जाए तो उसका सामना करेंगे। इसलिए इसको आप देखिए, इनको बढ़ाइए और इनकी सुविधाएं बढ़ाइए। आज जो दूर-दराज के क्षेत्र में बैठा हुआ है, अपनी फेमिली को कहीं दूर छोड़ रखा है, बाड़मेर की सीमा पर पड़ा हुआ है, उसको आप क्या दे रहे हैं? यह तो फिफ्थ पे कमीशन आने की वजह से आज उसकी पे अच्छी हो गई, साढ़े चार हजार की स्केल हो गई, बाकी तो पहले क्या था?

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव जो मैंने पहले भी दिया था और अब भी आपको निवेदन करूंगा कि कांस्टेबलों के बारे में जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा हरियाणा और पंजाब में चालीस रुपए, पचास रुपए माहवार के हिसाब से वे काटते हैं और रोडवेज में उनको फ्री जाने के लिए सहूलियत है। (व्यवधान) एक मिनट मैं समझ गया कि आप क्या बोलेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सम्भव नहीं हुआ था।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समझ गया, आप क्या बोलेंगे। मैंने गत वर्ष दिया था और आपने एक्जामिन भी करवाया था, उसके बाद में—

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आपके पास फाइल आई थी।

श्री दिग्विजय सिंह : रोडवेज मिनिस्टर ने कह दिया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से काटेंगे, यह तो आपकी मोडेलिटी है, पर मैं निश्चित कह सकता हूं कि तीन करोड़ रुपए आपके रोडवेज को मिलेंगे, उनको रोडवेज घाटे के अंदर भी कोई न कोई इमदाद मिलेगी। अंत में माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : बस लास्ट है, मैं बैठ रहा हूं, आपने जयपुर के अंदर जो सारा सिस्टम और सारा सैट-अप किया है वह पूरा आपने कमीशन रेट के हिसाब से कर दिया। आपने एडिशनल एस.पी. नये क्रिएट कर दिये, गये साल ही किये हैं, एस.पीज. आपने क्रिएट कर दिये, आपके डी.आई.जी. यहां पर अलग हैं। तो इस वक्त नोमेनक्लेचर ही आपको बदलना है और कुछ नहीं करना है। आपने सारा सैट-अप जयपुर के अंदर कमीशन रेट का कर दिया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों नहीं यहां आयुक्त प्रणाली लागू करते?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी समझ में नहीं आया आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समझता हूं क्यों नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, सब हो गया और हमने कार्ड भी छपवा दिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह खुशी की बात है कि हो भी गया, कार्ड भी छप गये और फिर आगे कुछ नहीं बढ़ा।

श्री दिग्विजय सिंह : हमने वह काम आप पर छोड़ दिया, मैं अब आपके साथ हूं, अपन मिलकर इस काम को कर डालो। जो हमने गलती की है वह मेहरबानी करके आप मत करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं गलती नहीं कहता, लेकिन उसमें कुछ कारण से बन गये होंगे आपके जमाने में जिसकी वजह से इसको लागू करना सम्भव नहीं था।

श्री दिग्विजय सिंह : वह कारण किसी प्रकार के नहीं बने। आपको शायद कहने वाले ने भी गलत कही होगी, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं सब कागज सही बने हैं और किसी कारण से रुके थे वह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आप इस बात को स्वीकार कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं आप पुलिस कमीशन रेट जयपुर के अंदर निश्चित रूप से लागू करिए। मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं यहां पर जो क्राइम वगैरह की स्थिति है वह क्राइम कम होंगे और नियंत्रण होगा। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग संख्या–16 और 17 के संदर्भ में चर्चा में भाग लेते हुए मेरे क्षेत्र की पुलिस से संबंधित समस्याओं के बारे में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को आपकी मार्फत अवगत कराना चाहता हूं। जिस प्रकार से हिन्दुस्तान के अंदर सेना की वर्दी के प्रति जो लोगों का सम्मान है वह राजस्थान के अंदर पुलिस की खाकी वर्दी के प्रति जो घृणा और जिस प्रकार से समाज के अंदर उनकी वर्दी को एक खौफ के रूप में देखा जाता है, जो पिछले नौ साल के कुशासन के अंदर अनुसूचित जाति का समाज निरन्तर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जो शोषित होता हुआ आया है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के मसीहा हैं, उनके नेतृत्व के अंदर निश्चित तौर पर जो नौ साल के कुशासन के अंदर जिस प्रकार से जो ग्राफ बढ़ा था हमारे इस कांग्रेस राज के अंदर निश्चित तौर पर वह ग्राफ नीचे आया। इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आदरणीय गृह मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बाबा भीमराव अम्बेडकरजी के प्रतिबिम्ब है। इनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति के समाज को पूरा भरोसा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पदावनति प्रकरण पुलिस का चला....

श्री मदन दिलावर : ये किसके प्रतिबिंब हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो, बिराजो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : बाबा भीमराव जी अम्बेडकर के।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनने में नहीं आया था इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी करनी चाही कि काहे के प्रतिबिम्ब हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत बोल लिए, बिराजो।

श्री मदन दिलावर : अब ठीक हो गया कि अशोक गहलोत जी साहब अम्बेडकर जी के प्रतिबिम्ब हैं ऐसा वे कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एस.सी., एस.टी. के अफसरों को पदावनत किया है, यह हैं अम्बेडकर जी के प्रतिबिम्ब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो। विराजिए प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति व जनजाति के जो पुलिस अधिकारी थे उनको जिस प्रकार से, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हवाले के माध्यम से जो कुंठाग्रस्त सवर्ण जाति के अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने एक तरफा फैसला करके जिस प्रकार से उनको पदोन्नति से पदावनत किया वह दुर्भाग्य की बात थी। पिछली बार हमने बात की। हमारे बी.डी. कल्ला जी, मंत्रीजी ने हमें आश्वस्त किया था कि इसकी जांच कराएंगे। मेरा निवेदन आपकी मार्फत यह है कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर हरियाणा स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट की पालना करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। दूसरे स्टेट्स ने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मेरी यह समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट की पालना करके क्या राजस्थान राज्य को कोई गोल्ड मैडल मिल गया जिसके कारण से अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों को चुन-चुन कर पदावनत किया गया। मैं आपकी मार्फत निवेदन

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

करना चाहूंगा जिस प्रकार से डी.ओ.पी. के मंत्री हैं वहीं हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी तक इस बात को नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री के नेतृत्व के अंदर जहां अनुसूचित जाति, जनजाति का समाज संरक्षण प्राप्त है और उनसे जिस प्रकार से आशा और उम्मीद है मैं समझता हूं इस प्रकरण के अंदर जल्दी से जल्दी इसका फैसला करके उनको पुनः पदोन्नति दी जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।

इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा, दलित समाज के उत्थान के लिए दलितों के साथ जो अभद्र व्यवहार होता आया है, अत्याचार को रोकने के लिए मेरा निवेदन है कि आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि प्रत्येक जिले के अंदर महिला थाने की तर्ज पर यदि दलित थाने भी खुल जाए तो मैं समझता हूं पूरे राजस्थान के अंदर दलित समाज के ऊपर हो रही अभद्र व्यवहार और उनके साथ हो रहे अत्याचार हमेशा-हमेशा के लिए रुक जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही निवेदन करना चाहूंगा जिस आशा और उम्मीद से राजस्थान की जनता जनार्दन ने कांग्रेस राज के अंदर या कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत के आधार पर जहां सत्तासीन किया है उसके अंदर मेरा निवेदन है जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों को कुंठाग्रस्त लोग-बाग 16 सी.सी.ए. के नोटिस देकर उनको अकारण परेशान करके उनकी पदोन्नति को रोक कर, उनकी बढ़ती हुई प्रगति को रोक कर उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हमें संरक्षण चाहिए। आदरणीय सी. एम. साहब की तरफ से तो हमें संरक्षण प्राप्त है, आदरणीय गृह मंत्रीजी के माध्यम से हमें संरक्षण चाहिए कि इस प्रकार की जो कार्यवाही हो उसका तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसका उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं।

(17.47 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, वर्तमान समय के अंदर जहां राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी के श्रीमुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द हमारे लिए कानून है और राजस्थान की जनता उसके शब्दों पर विश्वास करती है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से 4 तारीख को अजमेर जिला कलक्टर और अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक की नाकामी के कारण से, उनकी लापरवाही के कारण से इत्तिला देने के बावजूद भी तीन घंटे देरी से पहुंचने के कारण से नसीराबाद में दंगा होता है और दंगे के बाद भी वहां जिला एस.पी. के आर्डर को कोई फालो नहीं करते हैं जिसके कारण से उनकी मौजूदगी में ताजिये को उलटा कर दिया जाता है और ताजिये को उल्टा करने के बाद जब सीधा करते हैं डेढ़ घंटे बाद में जिला कलक्टर और जिला एस.पी. के नेतृत्व के अंदर उनके साये के अंदर, उस ताजिये को जला दिया जाता है और वहां पर दंगा भड़कता है, उपद्रव होता

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

है और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आदरणीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से कांग्रेस का शासन, कांग्रेस का राज जनता के प्रति संवेदनशील है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 6 तारीख को जयपुर में डी.जी. और सी.एस. के साथ बैठक की थी और उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा था कि कानून और व्यवस्था बिगड़ी तो कलक्टर व एस.पी. जिम्मेदार होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा जब 6 तारीख को जिला कलक्टर और एस.पी. को पूरे राजस्थान के अंदर वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिला कलक्टर, अजमेर और जिला एस.पी. इन दोनों की नाकामी के कारण से, इनकी लापरवाही के कारण से वहां पर किसी भी अन्य संगठन के माध्यम से जो पम्फलैट्स बांट कर जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार किया जा रहा था, वहां 10 दिन के अंदर किसी प्रकार से रोकथाम नहीं की थी जिसका नतीजा निकला कि 6 तारीख को आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के वार्निंग देने के बावजूद भी उनकी लापरवाही के कारण 16 तारीख को फिर ब्यावर के अंदर दंगा भड़कता है और वहां ऐसी जगह इजाजत दी एस.पी. ने जहां पिछली बार भी दो-तीन बार ब्यावर में दंगा हुआ, लेकिन कभी भी उस रास्ते से कोई अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वहां मुसलमान समाज के बीच में जो भी अन्य संगठन, जो वहां से जुलूस लेकर निकलना चाह रहे थे उनको वहां से निकलने की इजाजत दी, उन्होंने अभद्र नारे लगाये जिसके कारण से आपस में समाज में यह दंगा भड़क उठा जिसके कारण से यह कर्फ्यू लगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम...

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको मानती है सरकार। हिन्दुओं पर जो हमले हो रहे हैं और 50 साम्प्रदायिक दंगों के माध्यम से हिन्दुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसको यह सरकार उचित मानती है?

श्री संयम लोढ़ा : क्या तरीका है यह?

श्री मदन दिलावर : हां, तरीका है।

श्री संयम लोढ़ा : एक घंटा आपका भाषण हो गया।

श्री मदन दिलावर : लगातार हिन्दुओं पर हमले हुए और...

श्री संयम लोढ़ा : ये बार-बार बिना मतलब खड़े हो जाते हैं।

श्री मदन दिलावर : गायों को जलाया जा रहा है और सरकार उसको ऐसे पेश कर रही है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की जनता का पैसा लगता है इस सदन के अंदर और आप बिना मतलब हर बार खड़े हो जाते हो।

श्री मदन दिलावर : खड़ा होऊंगा, आपकी मेहरबानी से यहां नहीं आया हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक घंटा आप अपनी बातं कह चुके, किसी दूसरे को भी अपनी बात कहने दो। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा था कि आपने आज बहुत सही बात कही, शांति से बात सुनी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय गृह मंत्रीजी, ऐसे अपराधियों को आपने अभी तक पहचाना है या नहीं। उन्होंने ताजिया उल्टा कर दिया, यह कर दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : ब्यावर में जो घटना घटी, हिन्दुओं पर हमला हुआ। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में।

श्री जगत सिंह दायमा : आपके जवाब में यह बात आनी चाहिए थी भाषण में।

श्री धर्मपाल चौधरी : जयपुर में ताजिये निकले तो पूरा जयपुर बंद था, बाहर जाना ही नहीं हुआ, दूर से जाना पड़ता था और एक रास्ते से अगर कोई जुलूस निकल रहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप जारी रखें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय; चाहे वह नसीराबाद का दंगा हो, चाहे ब्यावर का दंगा हो वह समाज कंटकों द्वारा उनके उपद्रव की वजह से दंगा हुआ। उससे न हिन्दू समाज का मतलब है, न कोई मुसलमान समाज का, समाज कंटकों का कोई मजहब नहीं होता है। समाज कंटकों के कारण से वहां पर दंगा हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर समय रहते इस स्थिति को सम्भाल लिया जाता कलक्टर और एस.पी. की नाकामी की वजह से और वहां पर तमाम चाहे राजनीति संगठन गये हों, चाहे सामाजिक संगठन गये हों, जो भी संगठन वहां गये, सब ने एक ही बात कही कि नसीराबाद व ब्यावर के दंगे प्रशासन की नाकामी के कारण हुए। वहां के क्षेत्रीय विधायक ने स्पष्ट रूप से उपद्रवों के लिए पुलिस व प्रशासन की अदूरदर्शिता जिम्मेदार-गोवन्द सिंह गुर्जर जो पूर्व गृह मंत्रीजी हैं उनका बयान है यह। उसके बाद में, नसीराबाद घटना प्रशासन संवेदनहीनता का नतीजा, यह आपके जो भी सामाजिक संगठन गये, उन्होंने भी इस चीज को माना है। पुलिस प्रशासन की ढिलाई से दंगा हुआ, माननीय शेखावत जी आदरणीय विपक्ष के नेता जी मौके पर गये। उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन की ढिलाई से दंगा हुआ है। साथ ही साथ में, मैं सभापति महोदय, हालात काबू में नहीं, शेखावत के दौरे के बावजूद चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर वहां जायं और उसके बावजूद भी स्थिति को नहीं सम्भाल पाये और 10 दिन बाद में 16 तारीख को फिर दंगा हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जिला कलक्टर की नाकामी की वजह से, जिला एस.पी. की नाकामी की वजह से पूरा अजमेर अभी बारूद के ढेर पर खड़ा है। मैं कानून व्यवस्था के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस समय पर कार्यवाही कर लेती तो हालात नहीं बिगड़ते। यह वहां की जनता की आम राय की रिपोर्ट है। मैं

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर की हिंसा के लिए प्रशासन जिम्मेदार मुसलमान संगठनों का आरोप, तमाम सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि इसकी वजह से लापरवाही हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने जो कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कलक्टर व एस.पी. जिम्मेदार, यह बिलकुल कटु सत्य है। सी.एम. साहब के जो ब्रह्म वाक्य हैं, निकले हैं निश्चित तौर से हमारे लिए कानून है। हर गलती सजा मांगती है यह भी हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, निश्चित तौर से यह भी हमारे लिए कानून है। यह वायदा है कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा-आदरणीय गहलोतजी, यह भी हमारे लिए कटु सत्य है और यह एक हमारे लिए कानून है। पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन देंगे गहलोत, यह भी कटु सत्य है, यह भी हमारे लिए कानून है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, एक दंगा नहीं, दो-दो दंगे हो गये। क्या कारण है कि जिला कलक्टर और जिला एस.पी. को सस्पैण्ड नहीं किया जा रहा है। लगातार हम दस दिन से मांग कर रहे हैं। क्या कारण है उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या कोई भी कुंठाग्रस्त लोग-बाग जिनकी वजह से उन लोगों को रोका गया है। नीचे से रिपोर्ट इतनी गलत प्राप्त होती है कि ब्यावर के अन्दर बैठ करके यहां जो उच्च अधिकारी वहां जाकर सवा सौ किलोमीटर दूर केकड़ी के उपखण्ड अधिकारी को बलि का बकरा बनाने के लिए 16 सी.सी.ए. का नोटिस देते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। केवल अनुसूचित जाति का समाज ही मिला इनको। जहां दंगा हुआ ब्यावर में, दंगा हुआ नसीराबाद में वहां किसी भी एस.डी.ओ. को 16 सी.सी.ए. का नोटिस नहीं दिया और एक सम्भावना व्यक्त करते हुए जहां पर कोई गोली नहीं चली, जहां पर कोई दंगा नहीं हुआ, जहां पर कोई हताहत नहीं हुआ, जहां पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ वहां पर कोई भी धरना नहीं दिया गया उसके बावजूद भी केकड़ी एस.डी.ओ. को इसलिए 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया जाता है कि वह अनुसूचित जाति का अधिकारी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी पूछना चाहता हूं हालांकि वे यहां बिराजमान नहीं है, कि क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद इन कलक्टर और एस.पी. को हटा दिया गया या वहां पर वे तैनात हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : कलक्टर और एस.पी. की क्या गलती है? उसमें अपराधियों की गलती है। अपराधियों को तो पकड़ नहीं सकते आप और बलि का बकरा कलक्टर और एस.पी. को बना देते हो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, पूरे अजमेर जिले के

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अन्दर जिला प्रशासन बैठा कुंठाग्रस्त होकर जहां ब्यावर के अन्दर दंगा हुआ, जहां नसीराबाद के अन्दर दंगा हुआ वहां पर किसी भी एस.डी.ओ., किसी भी सी.ओ. को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया यहां तक कि एक कांस्टेबल का भी स्थानान्तरण नहीं किया गया लेकिन जिस केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, वहां 16 सी.सी.ए. का नोटिस देकर एस.डी.ओ. को यहां पर आपका प्रस्तावित पत्र भेजा गया। निश्चित तौर से अनुसूचित जाति समाज के ऊपर यह एक कलंक लगा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी बीच में हस्तक्षेप करें, आदरणीय बी.डी.कल्ला जी बीच में हस्तक्षेप करें और अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों को जिस प्रकार से चुन चुन कर जो हमले किये जा रहे हैं 16 सी.सी.ए. की नोटिस की आड़ के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 16 सी.सी.ए. का नोटिस निरस्त किया जाए।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, साथ ही साथ में, केकड़ी वृत के पुलिस उप अधीक्षक का तबादला किस आधार पर किया जाता है। केकड़ी के अन्दर कोई दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई गोली नहीं चली, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई आदमी हताहत नहीं हुआ, दंगा होता है आपके नसीराबाद में, दंगा होता है आपके ब्यावर में और सजा मिलती है केकड़ी के सी.ओ. को चूंकि वह शिड्यूल्ड कास्ट का अधिकारी है, मदन गोपाल मेघवाल को तत्काल प्रभाव से, एस.डी.ओ. को आपने जयपुर लगा दिया। मैंने आदरणीय गृह मंत्रीजी से बात की, बोले डी.जी. के आर्डर है, मुझे बड़ी शर्म की बात महसूस हुई। मेरा गृह मंत्री यह कहे कि डी.जी. के आर्डर हैं, डी.जी. कौन होता है, डी.जी. ने बोला कि नीचे से एस.पी. की ठोस रिकमंडेशन आई। मुझे एक बात बताइये सवा सौ किलोमीटर दूर बैठकर एस.पी. ठोस रिकमंडेशन भेज देवे और जिस जगह दंगा हुआ वहां के एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं होवे और वहां से सवा सौ किलोमीटर दूर कुछ भी नहीं होता और वहां केकड़ी के सी.ओ. को हटा दिया जाता है इस बात के लिए कि वह शिड्यूल्ड कास्ट का अधिकारी है।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी जिनके नेतृत्व के अन्दर अनुसूचित जाति का समाज बड़ा संरक्षण प्राप्त करता है, अनुसूचित जाति का समाज उन्हें मसीहा मानता है, वह राजस्थान के लौह पुरुष हैं, राजस्थान के लोक देवता हैं और राजस्थान में अम्बेडकर के प्रतिबिम्ब हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री के माध्यम से आदरणीय सी.एम. साहब इसमें हस्तक्षेप करके यह जो लोग दोषी हैं जिनकी वजह से अजमेर जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी है और एक बार दंगा नहीं दो-दो बार दंगा हुआ

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

और जिनकी लापरवाही से पूरे राजस्थान के अन्दर कांग्रेस राज की बदनामी हुई जिनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी और वर्तमान समय में भी कांग्रेस आज भी अजमेर जिले के अन्दर जो कानून व्यवस्था है जो आज भी बारूद के ढेर पर खड़ी है। इन नाकाम और असक्षम ,लोगों को नहीं हटाया तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर और भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए दंगे के जो दोषी हैं तत्काल प्रभाव से अजमेर जिले के जिला कलक्टर, अजमेर जिला एस.पी. को निलम्बित किया जाय। हम ट्रांसफर की बात नहीं करते हैं, इसका सोल्यूशन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, इनका तत्काल प्रभाव से निलम्बन होना चाहिए तब जाकर पूरे 31 जिला कलक्टरों के अन्दर यह मैसेज जाएगा कि कोई भी अगर इस प्रकार करेगा क्योंकि सी.एम. साहब कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है, इन्होंने एक गलती नहीं, दो-दो गलतियां की हैं, एक जगह नहीं दो-दो जगह दंगे करवाये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उसके बावजूद भी अगर इनको सस्पैण्ड नहीं किया जाता है, मैं समझता हूं घोर अन्याय होगा। यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, मैं समझता हूं आदरणीय सी.एम. साहब इनको सस्पैण्ड करके और राजस्थान के अन्दर पारदर्शी रूप से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक संदेश देंगे। मैं, आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के कुंठाग्रस्त लोग-बाग अनुसूचित जाति के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति 16 सी.सी.ए. के नोटिस देकर जो कुंठा रखते हैं उन पर भी पाबंदी लगायी जावे और डी.ओ.पी. मंत्रीजी कल्लाजी से भी निवेदन है कि जो भी मुकदमे विचाराधीन हैं उनको भी रोका जावे और उनको भी तत्काल प्रभाव से निस्तारित किया जाय।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। माननीय माहिर आजाद।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय अशोक गहलोतजी, आदरणीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आपके राज के अन्दर अनुसूचित जाति समाज को संरक्षण मिलता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम पुलिस और कारागार विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि इन मांगों पर अपने विचार व्यक्त करूं सबसे पहले तो मैं माननीय अटरू से आने वाले सदस्य श्री मदन दिलावर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस बहस में कोई इस तरीके की बात नहीं की जिससे कि इस हाउस का भी माहौल साम्प्रदायिक हो। माननीय सभापति महोदय, और मैं साथ में यह भी उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब को अपने-अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार हैं, कृपया यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शांति से मेरे विचार भी सुनने का कष्ट करें।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस प्रदेश के लिए है वह साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम करने के लिए है। मेरी यह मान्यता है कि साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम करने के लिए है। मेरी यह मान्यता है कि साम्प्रदायिक दंगे कोई मजहबी और धार्मिक कारणों से नहीं होते, साम्प्रदायिक दंगों का कारण आर्थिक और राजनीतिक है। न हिन्दू भाई यह चाहता है कि मुसलमान को इस देश और प्रदेश से निकाल दिया जाय और न मुसलमान यह चाहता है कि इस मुल्क में हम ही कायम रहें। इस हिन्दुस्तान का मुसलमान एक बंटवारे, तकसीम में ही खुद इतना दुखी है। कि वह दुबारा तकसीम का खयाल अपने जेहन में लाने तक के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन फिर भी आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बिगड़ता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हिन्दू और मुसलमान में फर्क क्या है। आखिर कोई बताये तो सही कि एक शीशी में हिन्दू का खून ले लें और दूसरी शीशी में मुसलमान का खून ले लें और दुनिया के किसी डाक्टर से जाकर जांच करवायें, मेरा चैलेंज है कि वह डाक्टर दोनों खूनों को देखकर यह नहीं बता सकता कि यह खून हिन्दू का है और यह मुसलमान का है। इस देश में पहले भी हम किस तरीके से भाईचारे से रहते थे कि अगर गांव के अन्दर कोई लड़की की शादी होती थी तो पूरा गांव उस लड़के को अपना दामाद मानता था। चाहे वह किसी भी जाति और बिरादरी का हो। गांव में शादी होती थी तो सारे गांव के लोग, सारी बिरादरियों के अपने राशन इकट्ठे करके शादी वाले घर को दे देते थे कि तुझे चीनी मिल जाए, अनाज मिल जाए और काम बंटाने जाते थे। लेकिन आज यह साम्प्रदायिक स्थिति इस देश की क्यों बनी? आज मुझे और अपने सिरोही से आने वाले भाई संयम लोढ़ा को किसी ऐसे आदमी के पास ले जाकर खड़ा कर दें जो हम दोनों को नहीं जानता हो और उससे पूछें कि बताओ कि इनमें कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान है। तो दाढ़ी देख कर संयम लोढ़ाजी को मुसलमान बता सकता है मेरे बजाय, मुझे नहीं बता सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिन्दू और मुसलमान में फर्क क्या है? हिन्दू को छींक आती है तो क्या तबले की आवाज निकलती है और मुसलमान को छींक आती है तो क्या हारमोनियम का सुर बजता है? आखिर फर्क क्या है? लेकिन यह फर्क पैदा किया गया। यह फर्क पैदा किसने किया? यह फर्क किया मेरे जैसे सफेदपोश राजनीतिक लोगों ने, वोट की राजनीति के लिए और वोट के स्वार्थ के लिए। यह फर्क क्यों पैदा किया? मैं आपसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि आज इस साम्प्रदायिकता से अगर हमको निपटना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है, अगर इस मुल्क में हमको भाईचारे को कायम करना है तो हमको इन राजनीतिक विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा और इस मुल्क और इस प्रदेश की तरक्की के लिए हम सब को वापस से भाई चारे के साथ रहना पड़ेगा। आज मुख्य जो हालात बनते हैं इस तरीके के दंगे के, आज स्थिति क्या है? चाहे ब्यावर का मामला ले लें, चाहे कहीं और का मामला ले लें, हम दीवारों पर लिखते हैं कि गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, काश हम इसकी जगह लिखें कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं तब जाकर राष्ट्रीयता की बात आयेगी। मुझे अफसोस होता है कि हम इस तरीके की शुरूआत करते हैं जिससे माहौल बिगड़े।

आज प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां नहीं हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय का मैं बहुत आदर और सत्कार, अदब करता हूं, मैं उनको पितातुल्य मानता हूं लेकिन आपको याद होगा, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दे दिया कि राजस्थान में 12 हजार आई.एस.आई. के एजेंट घुस आये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई किसी की तरफदारी करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ लेकिन मैं निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि आखिर उनका आधार क्या था? उन्होंने कोई गिनती लगा रखी है? कोई कहीं बिठा रखा था क्या आदमी? क्या 12 हजार आदमी एक दिन में चले आये? 12 हजार आदमी कई सालों में आये होंगे। माननीय सभापति महोदय, सीमा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अगर सीमा क्रोस करके आये उसके लिए तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी, गृह मंत्रीजी आपकी और माहिर आजाद की नहीं है। एक दल सीमावर्ती इलाकों पर गया, जाकर के कहा कि मदरसों में साम्प्रदायिक और उस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। सभापति महोदय, कहीं भी कोई भी मामला हो जाए, कहीं कोई बस पलट जाए, कह दें इसमें आई.एस.आई. का हाथ है, कहीं कोई बम फट जाए तो कह दें इसमें आई.एस.आई. का हाथ है, कहीं कह देंगे कि इसमें के.जी.बी. का हाथ है, कहीं कह देंगे कि इसमें रॉ का हाथ है, कहीं कह देंगे कि इसमें साम्प्रदायिक शक्तियों का हाथ है। सभापति महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर दुश्मन की शक्ति हमारे प्रदेश में घुस आयी है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमको उससे निपटना चाहिए। किसी के दिमाग में, कोई किसी की जानकारी में आये तो उसको बताना चाहिए लेकिन स्थिति यह है कि हम इस तरीके की बात करके केवल एक तबके के लोगों को हेरेसमेंट करने या डराने और धमकाने का काम करें, यह अच्छा नहीं है।

आज स्थिति यह है कि रावलावाड़िया की स्थिति, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। वहां पर आज कोई घर ऐसा बता दें जिस घर में आदमी का पूजास्थल नहीं हो। हम मंदिर में, मस्जिद में तो घर से निकल करके तैयार होकर उसके बाद जाते

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं। सुबह उठ करके हर आदमी जिस भी देवता को मानता है, जिस भी ईष्ट को मानता है वह अपने घर में ही छोटा मंदिर बनाकर रखता है, उसकी पूजा करता है। हमको धर्मस्थल नीति बनानी पड़ेगी माननीय गृह मंत्री महोदय कि धार्मिक स्थल बने, चाहे वह मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, चाहे गुरुद्वारा बने, चाहे गिरिजाघर बने, हमको समान नीति उसके ऊपर बनानी पड़ेगी। हम एक धार्मिक स्थल बनाने के लिए, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उसकी इजाजत दे दें और एक लोग जमीन खरीद करके भी उसके ऊपर अपनी इबादतगाह बनाना चाहे तो उसके लिए हम इजाजत नहीं देंगे तो मुझे बताइये कि यह कैसे काम चलेगा। दोहरे मापदण्डों के कारण हालात बिगड़ते हैं। अगर आदमी के खरीदने के बाद दूसरे हों और बेचने के बाद दूसरे हों तो उसको ईमानदार नहीं कहा जा सकता। आपको मापदण्ड एक रखने पड़ेंगे। अगर फलौदी में शिवसेना प्रमुख की हत्या हो तो आप एस.पी. को लाइन हाजिर करदें और टोंक में क़लंदरी मस्जिद में हाफिज नजर मोहम्मद का कत्ल हो जाए तो आप कोतवाल बदलने का काम भी नहीं करें। यह दोहरे मापदण्ड प्रदेश की कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए ठीक साबित नहीं हो सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको प्रदेश में इस तरीके का एक माहौल बनाना चाहिए, पहले शुरूआत की थी शांति समितियां बनाकर और सद्भाव कायम करने की, इस पर आप ज्यादा जोर दीजिये और थाने से लेकर के प्रदेश लेवल तक दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों को मिला करके इस तरीके का माहौल हम इस प्रदेश में बनाने का काम करें। आखिर क्या वजह है, आपको गहराई से सोचना पड़ेगा कि मोहर्रम के दिन एक ही साथ, एक ही समय, एक ही तरीके का वाकया नसीराबाद में भी होता है, सुजानगढ़ में भी होता है, लोसल में होता है, लक्ष्मणगढ़ में भी होता है और दूसरे स्थानों पर भी होते हैं। आखिर इसके पीछे सोचा समझा कोई षड़यंत्र तो नहीं है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। आपको हर पक्ष को रखना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए—

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माहिर साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन आप यह तो स्पष्ट करें कि अगर फलौदी काण्ड में एस.पी. मुस्लिम नहीं होता और हिन्दू होता तो उसका ट्रांसफर होता? यह स्पेसिफिकली क्लेरिफाई करें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं होता। यह मैंने कहा न। मैंने कहा कि वहां एस.पी. मुसलमान था इसलिए हटा दिया गया और वहां जिसका टोंक में कत्ल हुआ वह मुसलमान था इसलिए वहां कोतवाल भी नहीं बदला गया था। यह मुझे अपेक्षा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं थी। यह बात इसलिए कही है, पहले भी कह चुका हूं। आपने मुझे करेक्ट किया उसके लिए शुक्रिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमको इस सारी चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में इस तरीके का माहौल और इस तरीके का ग्रुप है जो इस प्रदेश को कई बार टैस्ट करता रहता है। आपको याद होगा कि एक बार टैस्टिंग हैलो हुई थी, गणेशजी ने दूध पीया था। एक ही घंटे में पूरे हिन्दुस्तान में एक ही चीज का प्रचार हो गया तो इस तरीके का कौनसा मीडिया है? इस तरीके की आपसे भी ज्यादा कौनसी शक्ति है जो इस तरीके से देश के अन्दर इस जाल को बनाने का काम करना चाहती है? चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, किसी भी सम्प्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो लूटपाट का, दंगे का, आगजनी का काम करते हैं वे किसी भी तरीके से राष्ट्रभक्त का किसी भी कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका ताल्लुक हों, कितने भी बड़े से बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारियों से उनका सम्बन्ध हों, आपको उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं। इतनी सख्त सजा उनको दें कि दुबारा कोई आदमी इस तरीके का घिनोना षड़यंत्र करके इस प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से चाहे वह बिहार हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे यू.पी. हो, चाहे एम.पी. हो, उनकी बनिस्बत राजस्थान का यह प्रदेश सुकून वाला प्रदेश है। यहां आज भी भाईचारा है, यहां आज भी लोग इसको शांतिप्रिय प्रदेश मानते हैं। इसकी शांति को, इसकी सद्भावना को आपको कायम रखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपराधियों से तो सख्ती बरतनी चाहिए लेकिन आपको पुलिस को अत्यधिक और आधुनिक साज-सज्जा और सुविधाएं भी मुहैया करानी चाहिए। आज पुलिस की क्या स्थिति है। अभी माननीय सभापति महोदय खुद कह रहे थे कि आपको कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल की भर्ती करनी चाहिए। आज आपकी पुलिस का स्टाफ वही है और अपराध बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। किसी तरीके से रोकेंगे? आज थानों की स्थिति क्या है, सभापति महोदय? भरतपुर जिले से मैं आता हूं और आज पुलिस के प्रमुख भी भरतपुर जिले के हैं। भरतपुर यू.पी., एम.पी. और हरियाणा, तीन प्रदेशों से लगा हुआ सीमावर्ती जिला है। आज वहां स्थिति यह है कि अपराधियों के पास तो आधुनिक हथियार, अपराधियों के पास तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है और पुलिस के पास वह घिसे-पिटे हथियार और वहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गाड़ियों की स्थिति। आप सुन करके ताज्जुब करेंगे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पुलिस थाना गोपालगढ़ है, उस गोपालगढ़ पुलिस थाने में जीप ही नहीं है। वह थानेदार मोटर साइकिल से घूमता है। पहाड़ी इलाका है, खूब लम्बा चौड़ा एरिया है। मैंने कई बार निवेदन किया कि गोपालगढ़ थाने में कम से कम आपको जीप देनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में गुलपाड़ा एक कस्बा है, सभापति महोदय, वहां सट्टा इतने जोरों पर है, एक-आध बार नौजवान जीत गये, मटके के नम्बरों का पता नहीं क्या होता है, उसके लालच में आ गये, जमीनें बिक गई हैं, औरतें रोती हैं। आप खुद रिकार्ड उठा कर देख लें, डी.जी. साहब को, सबको पता है कि वहां पुलिस के एस.पी. महोदय दो बार जाकर जन सभा ले आये। वहां औरतों ने अपने दुपट्टे उठाकर उनके पांवों में रख दिये। खुदा के लिए, भगवान के लिए आप "यह सट्टा रुकवाओ, हमारे छोरों के चक्कर में हमारी जमीनें बिक रही हैं। आज क्या स्थिति हो रही है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज थानों की स्थिति क्या है। माननीय गृह मंत्रीजी, शायद आपको पता नहीं होगा, आज ऐसे पुलिस थाने राजस्थान में कितने हैं जिनमें बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। अलवर जिले का और भरतपुर जिले का आप सर्वे करवा लें। साल-साल भर से पुलिस थानों के बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं और वहां अडंगा लगाकर बिजली ले रखी है। खुद थानों में बिजली की चोरी का काम हो रहा है। माननीय गृह मंत्रीजी, वे दूसरों को कैसे बिजली चोरी के मामले में रोकेंगे। मैं यह सही कह रहा हूं आपसे, आप जरा सर्वे कराकर देखिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नगर का जो मुख्यालय है, वहां मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वहां पुलिस इंस्पेक्टर की बजाय सी.आई. की पोस्ट आप करें। वहां अपराध ज्यादा हैं, सब इंस्पेक्टर के बस की बात नहीं है कि वहां के अपराधों को रोक सके।

सभापति महोदय, आज आपने जो पुलिस का प्रगति प्रतिवेदन दिया है। यह सही है कि राजस्थान में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अपराधों में कमी आई है, उसके लिए माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना में वृद्धि हुई है। आप जरा कम से कम इस पर भी देखें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह केवल दलित नहीं है, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इतना करेक्ट कर लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें दलितों की संख्या ज्यादा है। आप देख लीजिये, दलितों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी और यहां पर डी.जी. साहब भी उसी जिले से हैं, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरी पार्टी के हमारे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है। हमारे नदबई में तीन महीने के अन्दर पांच बलात्कार। एक ए.एस.आई. के लड़के ने बलात्कार किया, आज तक नहीं पकड़ा गया। कोई बलात्कारी नहीं पकड़ा गया है वहां पर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दायमा जी, यह रामू बुलवा रहा है या आप बोल रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह + + + नहीं है, ये अपनी बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं अपनी खुद बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए मेरे पास आती रहती है चिट्ठी-पत्र, मैं यह कह रहा हूं— (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दायमा जी, रामू तो बोल नहीं सकता क्योंकि उनके चाचाजी वहां बैठे हैं तो आपसे बुलवा रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो वहां पर, मैंने खुद भी टेलीफोन किया है, इस तरीके से वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं दलित वर्ग के लोग और उनको बंद कर दिया जाता है। मैंने आपको निवेदन करके आपसे इसमें सी.आई.डी. की जांच भी करवाई है। पर इस तरीके से जो दलित वर्ग के साथ हो रहा है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन किया, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यह भी प्रदेश के लिए शर्म की बात है और इसका मुख्य कारण, मैंने जैसा पढ़ा, ऐसी घिनौनी हरकत है, लोग कहते हैं कि मानव के अन्दर बुद्धि है और हकीकत भी है, एकआध ऐसे प्रकरण पढ़ने में आये कि बाप ने बेटी के साथ बलात्कार किया, भाई ने बहन के साथ किया, अध्यापक ने छात्रा के साथ किया, वह तो पिता समान होता है। मैं, सभापति महोदय, इसकी निन्दा करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे अपराधों की जड़ शराब है और जितने अपराध होते हैं, वह शराब के नशे में होते हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं— (व्यवधान) मुझे मेरी बात पूरी करने दो, मेरा फ्लो खतम कर देते हो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : वह उसमें आप गलत बोल गये। छात्रा का अध्यापक के बाद पति बोल गये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यापक और छात्रा का संबंध पिता और पुत्री का है। मैंने पिता कहा है, पति नहीं कहा है, तो इतना तो समझिये, पण्डित हो, बुद्धिमान हो, समझना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप पति बोल गये। वह रिकार्ड में आ गया है ना इसलिए संशोधन करने की जरूरत है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए, वह रिकार्ड में दुरूस्त कर लेंगे, तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि शराब सारी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

घटनाओं की जड़ है। आज भी सारी बुराइयों की जड़ शराब है। अगर आप यह मानते हैं कि शराब के जरिये आपको राजस्व की ज्यादा प्राप्ति होती है। सभापति महोदय, शराब से राजस्व की प्राप्ति आपको भले ही होती होगी लेकिन उतना ही खर्चा आपका इन अपराधों को रोकने में लग जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कड़ा दिल करके गुजरात में जैसे शराबबन्दी है, राजस्थान में भी नशाबन्दी लागू करनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : गुजरात में अपराध बन्द हो गये क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : कमी आई है, आप पक्ष मत लो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कारागार पर भी कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बार मुझे मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य के साथ विधान सभा की समिति के सदस्य के रूप में जयपुर के केन्द्रीय कारागृह को देखने जाने का मौका मिला। मैं इस बात के लिए तो माननीय कारागृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आज जेल में सफाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और दूसरे इंतजाम की व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने केन्द्रीय कारागृह में आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र देखा जिसमें वे नौजवान जो बेरोजगारी की आड़ या किसी भी भूलवश किसी ग्रुप में चक्कर में आकर कोई क्षणिक आवेश में आकर अपराध कर जाते हैं और वह शिक्षित नवयुवक अच्छे घरों के लोग हैं, वे वहां पर आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली के बोर्ड, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल का काम देखा, बहुत अच्छा काम था और उसके लिए... मैं कनक्लूड कर रहा हूं, वहां एक आई.टी.आई. का भवन भी केन्द्रीय कारागार में बन रहा था, लेकिन बड़े दुःख की बात है, पिछले साल उसको रोक दिया गया और उसको रोकने पर उन नौजवानों के ऊपर जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनके ऊपर बड़ी चोट पहुंची इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कैसे भी करके वित्त मंत्रीजी से बात करें, हम भी निवेदन करेंगे, वह आई.टी.आई. प्रशिक्षण भवन बने ताकि शिक्षित नवयुवकों को नयी राहत मिले और जेल से जाने के बाद, क्योंकि कोई अपना रोजगार और काम धंधा कर सके। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, केन्द्रीय कारागृह में कैदियों द्वारा जो हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, खेश हैं, कम्बल है, दरी है, ऐसी कलात्मक चीजें हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी चीजों को देखने का मौका मिला, हम लोग खरीद कर भी लाये थे। मेरा आपसे निवेदन है, केवल खादी बोर्ड तक सीमित नहीं रहे, हथकरघा बोर्ड तक सीमित नहीं रहे, पर उसका प्रचार प्रसार करें ताकि उसकी बिक्री होकर उनको आय प्राप्त हो।

मैं अंत में, सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से विशेष अनुरोध करना चाहता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हूं। गृह मंत्रीजी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी बहुत हमदर्दी हैं, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान का आज तक का इतिहास रहा है, चाहे चौधरी कुम्भाराम जी आर्य गृह मंत्री रहे हो, चाहे दामोदर जी व्यास रहे हो, रामकिशोर जी व्यास रहे हो, 1977 में प्रोफेसर केदार गृह मंत्रीजी थे और 1980 में चुनाव नहीं जीते। 1980 में प्रद्युम्न सिंहजी गृह मंत्री थे, 1985 में टिकट ही नहीं मिला। 1985 के बाद में आप खुद गृह मंत्री थे और 1988 में माननीय अशोकजी गहलोत एक वर्ष के लिए गृह मंत्री बने। आप भी 1990 में चुनाव नहीं जीते और अशोक गहलोत जी भी 1989 में एम.पी. का चुनाव हार गये। 1990 में बाबू सम्पतराम जी गृह मंत्री थे, वे दुबारा नहीं आये। कुछ दिन दिग्विजय सिंह जी गृह मंत्री थे, आप दुबारा जीत कर नहीं आये और 1993 से 1998 तक भाजपा के शासन में कैलाश मेघवाल जी गृह मंत्री थे, वे भी दुबारा हाउस में नहीं आये और प्रद्युम्न सिंह जी तो होशियार थे, 1985 की गलती से सबक सीख कर अपना विभाग बदलवा लिया। आपकी इस सदन में और राजस्थान में आवश्यकता है, मेहरबानी करके आप भी गृह मंत्रालय को छोड़िये ताकि वापस इस सदन में आप आओ, यह मैं आपको सलाह देकर बात खतम कर रहा हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्री पर सारे ग्रह काम नहीं करेंगे इसमें, इसमें ग्रह काम करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो 1952 से अब तक का इतिहास बता दिया। कुम्भाराम जी से लेकर अशोक गहलोतजी और कैलाश मेघवालजी तक का इसलिए सलाह देता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, सलाह मान लो।

श्री सभापति : इसीलिए आपने होशियारी की जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सभापति महोदय, आपकी भी यही स्थिति होगी, आप भी हां मत भर लेना।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं गृह विभाग की मांगों के बारे में अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने लगातार देखा है, सन् 1944 में मैं राजनीति में आया, अपने जिले में मैंने लगातार देखा हैं 1949 में जब इंटिग्रेशन हुआ, राजस्थान का निर्माण हुआ, तब से मैंने देखा है, जब एस.पी. और कलक्टर ईमानदार अधिकारी होते हैं, कर्मठ होते हैं, तब तो प्रशासन बहुत सुचारू रूप से चलता है और जब एस.पी. भ्रष्ट आ जाता है तो फिर मामला कानून व्यवस्था

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

का बिगड़ जाता है। इस दृष्टि से आप देखिये। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस संबंध में एस.पी. के बारे में पूरी छानबीन करके, एस.पी. का चयन करके जिले में मुख्यालय पर भेजे। ताकि भ्रष्टाचार को वह रोक सके और उन पर नियंत्रण पा सके। मैं मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि वे चयन करें कलक्टर का तो वह भी बहुत ही ईमानदार और योग्य हों तो हमारा प्रशासन सुचारू रूप से चल सकेगा। हमारा प्रशासन जब ठीक तरह से चलेगा तो कानून व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

अब दूसरी बात मैं साम्प्रदायिक सद्भाव पर आना चाहता हूं। जहां राजनीतिज्ञ सहृदय भावना से कार्य करते हैं, मैं मेरे बाड़मेर जिले की बात करना चाहता हूं, सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं, मुख्यालय है, आज कोई मोहर्रम का त्यौहार था तो उस त्यौहार के अंदर कलक्टर साहब भी उपस्थित, एस.पी. भी उपस्थित, मैं भी उपस्थित दूसरी पार्टीज के, भारतीय जनता पार्टी के भी उपस्थित और सभी बहुत ही प्रसन्न और एकता के साथ मोहर्रम का कार्यक्रम चला। ईद हो, होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो तो सब मिल करके हम साथ रहते हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती नहीं है। इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि अगर आज कोई भी घटना इस प्रकार की हुई है उसके लिए राजनीतिज्ञों को यह बात समझनी चाहिए। आज नसीराबाद में अगर घटना हुई, आज ब्यावर में घटना हुई पर कहीं भी घटना हुई है, आप जांच करे तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि उसके लिए राजनीतिज्ञ ही जिम्मेवार है, यह स्पष्ट कहना चाहिए। वह कौनसा राजनीतिज्ञ जिम्मेवार है, वह तो एक खोज का विषय है, जांच का विषय है परन्तु यह एक प्रश्न आपको समझ लेना चाहिए। इस संबंध के अंदर मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम साम्प्रदायिक सद्भाव रखें।

कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कानून-व्यवस्था जितनी अच्छी है, हिन्दुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। मैं मेम्बर आफ पार्लियामेंट रह चुका हूं, मैं दूसरे प्रदेशों में भी गया हूं, बिहार में भी गया हूं, उत्तर प्रदेश में भी गया हूं और अलग-अलग प्रदेशों में भी गया हूं, कहीं पर भी कानून-व्यवस्था अच्छी नहीं है। जितनी कि राजस्थान में अच्छी है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। डाकुओं पर जितनी विजय प्राप्त की है, डाकुओं पर जो नियंत्रण करके विजय प्राप्त की है, राजस्थान के मुकाबले किसी भी प्रदेश ने इस प्रकार डाकुओं पर नियंत्रण नहीं किया है। आज कोई भी इस प्रकार का बड़ा डाकू नहीं है। आज जितने भी लोग भाषण दे रहे थे, हमारे एम.एल.एज. भाषण दे रहे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि डाकुओं का ग्रुप, गिरोह है जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्य किया है उस ओर, आपने अपना कंट्रोल किया है और कांग्रेस ने भी किया है, दोनों ने इस

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रकार किया है। पहले धौलपुर की घटना आती थी कि धौलपुर जिले में डाकुओं का बहुत जोर है। अब कोई भी घटना इस प्रकार की मेरे सामने नहीं आई है, अखबारों में नहीं पढ़ रहा हूं तो इसलिए हमारे यहां जो कानून व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी है, इस संबंध में यह तो अपने को मानकर चलना चाहिए और अब अपनी कोशिश यही करनी चाहिए।

अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं। अब भ्रष्टाचार किस में नहीं है। मैं यह देख रहा हूं, आज तो यही मैं कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त का गठन हो गया, कितने वर्ष हो गये, कोई भी मंत्री लोकायुक्त में या एम.एल.ए. के खिलाफ, अपने यहां तो कानून में एम.एल.ए. तो शामिल ही नहीं है उसमें, कोई किसी मंत्री के विरुद्ध कदम उठाया गया? यानि सभी मंत्री ईमानदार। आज शुरू से लेकर जितने भी मिनिस्टर्स हुए हैं, मुख्य मंत्री हुए हैं, सभी क्या ईमानदार हैं? क्या कभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने मंत्रियों को ट्रेप किया है? कोई मंत्री को ट्रेप नहीं किया। कोई भी आई.ए.एस. अधिकारी और आई.पी.एस. अधिकारियों को भी ट्रेप किया है? वह भी नहीं किया है। किया है तो पटवारी को कर दिया, कर दिया तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को कर दिया और किसी को भी ट्रेप नहीं किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि आज भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं बराबर, भ्रष्टाचार मंत्रियों में भी है और आज मंत्रियों में भी भ्रष्टाचार है और हम जानते हैं, मुख्य मंत्री भी जानते हैं परन्तु वह मंत्री बराबर काम कर रहे हैं और दबादब काम कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, दुःख भी हो रहा है पर क्या करें, क्योंकि न तो लोकायुक्त ही उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, न एंटी करप्शन कोई कार्यवाही कर सकता है, तो कैसे किया जाय। इसी प्रकार आज हमने मुख्य सतर्कता अधिकारी मुकर्रर कर दिया, और सतर्कता अधिकारी मुकर्रर कर दिये। कर दिये तो करने से क्या हो जायेगा, भ्रष्टाचार क्या मिट जायेगा। यह भ्रष्टाचार कोई मिटने का नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तो दृढ़ शक्ति चाहिए तब जाकर मिटेगा।

आज भ्रष्टाचार के बारे में मैं कोई प्रश्न उठाता हूं तो मेरे को बड़ा दुःख होता है। विधान सभा के सदस्य उसका पक्ष लेने लग जाते हैं, मुझे बड़ी मुश्किल होती है। अब करे कैसे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसे कार्यवाही करे। यह गृह मंत्रीजी तो ध्यान देते हैं तो इस संबंध के अंदर मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। आज यह भी घटना मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान) प्रशंसा कर रहा हूं, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं। अभी हमारी 1,040 किलोमीटर सीमा है। उस सीमा के अंदर पोजीशन है कि 39 किलोमीटर जैसलमेर जिले में है। उस सीमा की भी अपने को तारबंदी कर देनी चाहिए ताकि इस प्रकार के तस्कर अपनी तस्करी करने में कामयाब न हो पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 39 किलोमीटर में तो अगर कोई भी इस प्रकार सीमा से आ गया तब तो हम फिर भी मान सकते

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हैं पर 39 किलोमीटर के अलावा जिन्होंने आकर के, सीमा से आकर के, हेरोइन लेकर के आ गये, वह फर्जी नोट, नकली नोट लेकर के आ गये, वह चरस लेकर के आ गये, वह अफीम का दूध लेकर के आ गये और इस प्रकार करीब 393 केसेज इस प्रकार के हुए हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार आये। आज जब सीमा पर आपने तारबंदी कर दी, वह किसी प्रकार आ नहीं सकते, तो या तो सीमा पर तारबंदी की गई है उसमें गलती है, तो उसकी जांच करा लीजिये या कौन सी सोर्स उसको ला रही है, उसकी जांच करें। मैंने तो यह देखा है कि इस प्रकार के केन्द्र सरकार के जो सोर्सेज हैं, श्री पुंजराम सोढ़ा, सोढ़ा का नाम बताना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उससे बरामद हुआ है 78 किलो आर.डी.एक्स., तो आज वह सोर्स किसका था, मिलिटरी का सोर्स था, वह पहले बी.एस.एफ. का सोर्स है, तो आज सोर्स वाले पाकिस्तान से जो लेकर के आ जाते हैं, कभी आर.डी.एक्स लेकर के आ जाते हैं, कभी हथियार लेकर के आ जाते हैं, कभी हेरोइन लेकर के आ जाते हैं। तो उनके जो सोर्सेज हैं, जो केन्द्र सरकार के सोर्सेज हैं, राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूं, केन्द्र सरकार के जो सोर्सेज हैं और जो पाकिस्तान जाते हैं और वापस आते हैं, पाकिस्तान से जो आते हैं तो लेकर के आते हैं और यहां से भी लेकर जाते हैं। तो यह एक बड़ी भारी चुनौती है। मैं सीमावर्ती क्षेत्र का होने के नाते यह कहना चाहता हूं, सीमा पर इतनी तारबंदी होने के बाद भी यह इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई, तो यह स्पष्टीकरण करने की भी कोशिश करें।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि पशुओं को मैं देखता हूं तो मुझे दया आती है। ऊंट पर बहुत ज्यादा वजन डाल देते हैं, बैलों की जोड़ी पर वजन डाल देते हैं, सामान इतना ढो देते हैं और क्रूएल्टी टू एनीमल्स एक्ट 1960 है परन्तु इसके बारे में, पुलिस को इस बारे में, हमने एस.पी. साहब को कहा तो वह तो फिर भी कुछ एक्टिव होकर के कुछ केसेज पकड़े, पर राजस्थान के अंदर जो क्रूएल्टी टू एनीमल्स एक्ट है व कतई लागू होता नहीं है और पशुओं पर इस प्रकार वजन डाला जाता है और जो अकाल की आज भयंकर स्थिति है तो उसकी कोई पैरवी नहीं कर सकता तो कम से कम हम पैरवी करें, हमारा फर्ज है। इस संबंध में क्रूएल्टी टू एनीमल्स एक्ट जो है उसका परिपालन करने की भी अपने को कोशिश करनी चाहिए।

आपने एक मामले के लिए कहा कि छह महीने में जांच करके निबटा देंगे। मेरा कहना है कि एंटी करप्शन में आपके एस.पी. की कमी है, आपके एडिशनल एस.पी. की कमी है, इंस्पेक्टर्स की कमी है, सब इंस्पेक्टर्स की कमी है, तफतीश में बहुत विलम्ब होता है और उससे न्याय नहीं मिलता है। इस संबंध के अंदर आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अन्दर जो भी कमी है, उन पदों को भरे ताकि एंटी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करप्शन वाले केसेज को जल्दी से इंवेस्टीगेट करके जल्दी से जल्दी एफ.आर. प्रस्तुत करें, चालान प्रस्तुत करें, इनक्वायरी की कार्यवाही करे। तो इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने यह अच्छा किया कि डी.आई.जी. आफिस कर दिये। डिवीजन जोधपुर में भी कर दिया, उदयपुर में भी कर दिया, पर उनके पास स्टाफ नहीं है तो उतना बराबर स्टाफ होना चाहिए तब जाकर केसेज को पकड़ा जा सकता है अन्यथा स्टाफ नहीं होने के कारण वह पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस संबंध में कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। अब आप देखिये चन्दन तस्कर वीरप्पन है अब वह देखिये दोनों ही गवर्नमेंट है कर्नाटक की और तमिलनाडु की पकड़ नहीं सकी और अगर राजस्थान की पुलिस होती, कोई भी डाकू बड़े डाकू नहीं रहने दिये तो यह वीरप्पन 10 दिन में पकड़ नहीं सकते हैं? तो आप उनसे यह कहिये कि हम हमारी पुलिस भेज रहे हैं और वीरप्पन तस्कर को हम 10 दिन के अन्दर, यह आप उनकी गवर्नमेंट को कहिये और मुझे विश्वास है कि अपने यहां के पुलिस अधिकारी जाएंगे तो वीरप्पन तस्कर को पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार की पुलिस को व्यवस्था करनी चाहिए।

आधुनिकीकरण, माडर्नाइजेशन के बारे में केन्द्र सरकार ने 2 सौ करोड़ से एक हजार करोड़ कर दिये। 61 करोड़ रुपये अपने राजस्थान को भी दिये तो आप 61 करोड़ रुपये, माडर्नाइजेशन के लिए कोई केन्द्र सरकार की तो ड्यूटी नहीं है, बल्कि अपनी भी ड्यूटी है। तो अभी सभापति महोदय ने जो बात रखी थी वास्तव में जो उनके पास वेपन्स हैं वो ओल्ड हैं। वह आज के जमाने के अंदर अगर संघर्ष हम करना चाहते हैं तो दुश्मन से संघर्ष करने के लिए हमारे पास में उससे ज्यादा बहुत ही पावरफुल और बढ़िया वेपन्स होने चाहिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। अभी यह भी बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पुलिस वालों के लिए पुलिस सर्विसेज में डेथ होने पर जो भी सुविधाएं की हैं वे भी प्रसंशनीय हैं और उससे उनको काफी रिलीफ मिलती है। ये जो चार योजनाएं की है राजस्थान कल्याण निधि वेलफेयर फण्ड किया है, सामूहिक बीमा योजना की है, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि वेलफेयर फण्ड्स किया है। तो ये कार्यक्रम वाकई में इनके लिए हितकारी हैं और इस संबंध में जो भी अमाउंट अपन और भी बढ़ाना चाहे और मदद करें क्योंकि इनकी ड्यूटी बहुत ही डिफीकल्ट ड्यूटी है। असामाजिक तत्वों को और अपराधी तत्वों को नियंत्रण में करना है। अभी जो शराब के बारे में मैं कहना चाहता था मुझे तो बड़ा दुःख हुआ कि हमने तो बड़ी मुश्किल से शराबबंदी की थी और उसके बाद में मैं एम.पी. बन गया और शराब वापस चालू हो गयी। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शराब व्यभिचार की जननी है। आज जितने भी अपराध पैदा हो रहे हैं, ये शराब के कारण हो रहे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हैं और आपको यही कहना चाहता हूं कि यह संबंधित आपसे नहीं है किसी देश में कभी भी गरीबी मिट नहीं सकती। जब तक शराब रहेगी तब तक कभी भी देश में गरीबी मिट नहीं सकती। अपराध बढ़ते जाएंगे कोई रोक नहीं सकता इसलिए इस शराब पर अपना नियंत्रण पाने के लिए अपने को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ठोस कदम उठायेंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, सदन में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा भाषण दे रहे थे। ए यंग प्रोमीजिंग बॉय, और अच्छे वक्ता हैं। परिश्रम भी करते हैं। वे बोल रहे थे कि शत प्रतिशत चालान हो गये इन केसेज के अन्दर। तो मैंने इन कागजों को देखना शुरू किया और उसके बाद मुझे यह लगा कि मुझे सदन में बोलना चाहिए माननीय संयम लोढ़ा जैसे मेरे अन्य मित्र और जो माननीय सदस्य हैं उनको बताना चाहिए। सभापति महोदय, ये आंकड़े बहुत मिसलीडिंग हैं। गृह मंत्रीजी, इसको ध्यानपूर्वक समझिये आप। राजस्थान में महिला अत्याचार संबंधी दर्ज अपराधों का निस्तारण निम्न रहा। मैं सिर्फ महिला अत्याचारों के ऊपर आ रहा हूं। अपन स्पेशल लॉ के ऊपर चलते हैं, साधारण आम आदमी की हालत क्या है वह तो छोड़िये आपसे वह तो छिपी हुई नहीं है, लेकिन जहां आपका एक स्पेशल कमिटमेंट है गवर्नमेंट का जहां वूमेन के प्रति या वीकर सैक्शंस के प्रति या शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति, वहां चलते हैं अपन। तो आप लिखते हैं दहेज हत्या दर्ज अभियोग 429 चालान 271 चालानी प्रतिशत सौ प्रतिशत। इसको संयम जी रेफर कर रहे थे एफ.आर. अदमवकुआ, सभापति महोदय, आप गृह मंत्री रहे हैं, जरा समझना इस बात को 90 अदमवकुआ प्रतिशत 24.93 फिर आगे पेंडेंसी 68, 15.35, दहेज आत्महत्या 99 चालान 89 चालानी प्रतिशत 100 एफ.आर. अदमवकुआ 6.... (व्यवधान) सुन लीजिये। आप देखिये एफ.आर. का परसेंटेज आगे हैं। गृह मंत्रीजी पढ़िये आप कालम नं. वन, टू, थ्री, फोर, फोर-फोर... (व्यवधान) परसेंटेज आगे है सिर्फ अदमवकुआ पर आ जाइये आप तो 96 मुकदमे फोर वांट ऑफ आकरेंस एफ.आर. लगायी गयी है। कुल दर्ज अभियोगों में से 37.65 अभियोग अन्वेषण के पश्चात् असत्य पाये गये हैं।

सभापति महोदय, बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है और अन्वेषण से उसमें एफ.आर. लगती है, और फार वांट ऑफ आकरेंस लगती है बात समझ में आती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट, आपने दहेज हत्या का जिक्र किया 429 में से 271 का चालान किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कब कह रहा हूं कि नहीं किया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दहेज आत्महत्या के मामलों में 99 में से 89 का चालान किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन कह रहा है कि नहीं किया, देखिये होम मिनिस्टर साहब, मेरी बात सुनिये—(व्यवधान) होम मिनिस्टर साहब, तसल्ली से सुनिये। यह कोई आपके ऊपर एलीगेशन नहीं है, आप कहीं इसके दोष के भागी नहीं हैं। अगर मैं आपको कोई बात का सुझाव देता हूं और आपकी जानकारी में कोई बात आती है—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, आप सुझाव दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो आप ओपन माइंड से बैठते क्यों नहीं है? Why are you getting agitated?. There is nothing against you. Absolutely nothing. This is a jugglery of figures by the same bureaucracy. आप समझिये। मैं, सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों से यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है और उसमें फाइनल रिपोर्ट जाती है फोर वांट आफ आकरेंस समझ में आती है बात, झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। हत्या के मामले में यह तो आप मानेंगे कोई मरा तो है। फोर वांट आफ आकरेंस ये तो नहीं हो सकता कि कोई मरा ही नहीं। जहां दहेज हत्या और दहेज आत्महत्या के मुकदमे अगर दर्ज होते हैं तो इसका मतलब मरने वाली मृतक महिला के परिजनों ने यह शिकायत की है इसके अलावा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। होम मिनिस्टर साहब, आपकी कोशंस यह मानती है क्या कि 98 मुकदमों में मरा ही नहीं कोई आदमी और शिकायत बिलकुल ही असत्य है, आधारहीन है? डेथ एक ऐसी सिचुएशन है, सभापति महोदय, जिसके अंदर दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप यह कर सकते हैं कि 302 में केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, चालान नहीं हुआ। 304 में हुआ। अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा तो 306 में तो करोगे। अगर यह सिम्प्ली आप सुसाइड मान लेते हैं मान लीजिये। इंवेस्टीगेशन आपका इस बात की लीड करता है कि उस आत्महत्या के पीछे कोई दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं थी तो 306 मौजूद है। वह परिस्थितियां तो उसके समक्ष उत्पन्न की गयी हैं उसके ससुराल वालों द्वारा इससे इंकार नहीं कर सकते आप। तो एक तो होम मिनिस्टर साहब, मेरी गुजारिश यह है कि इसका असर हुआ क्या ये जो 96 प्रकरण हैं इसमें वाकई में फोर वांट ऑफ आलटूगेदर केस क्लोज कर दिये This is something, I don't believe. इसमें कुछ न कुछ चक्कर आपके अधिकारियों ने लगाया है। यह की यह स्थिति शिड्यूल्ट कास्ट के आफेसेज के ऊपर है। मैं सिर्फ उन मामलों में कह रहा हूं कि जहां पर हत्या का मामला आता है क्योंकि उसके अन्दर ये नहीं हो सकता कि हत्या के मामले में आप एफ.आर. लगा दें। आप शिड्यूल्ड कास्ट का ऑफेंस हटा देंगे अगर शिड्यूल्ड कास्ट का बेकग्राउंड नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, 1989 उसकी धारा हटा देंगे लेकिन आई.पी.सी. की धारा चलेगी कि नहीं चलेगी। हो सकता है वह चालान हुआ भी हो मैं यह भी नहीं कहता हूं लेकिन यह आपका जो लिट्रेचर है यह इसमें साइलेंट है। अब, सभापति महोदय, ये तीन केसेज कस्टोडियल डेथ के हैं— एक केस कस्टोडियल डेथ का सी.बी.आई. को रैफर हुआ है, उसमें चालान हो गया। आप अपनी पुलिस की एफिसिएंसी समझिए या सी.बी.आई. की समझ लीजिए। आप तो नहीं कहेंगे आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, रामस्वरूप जी वगैरह कोई कह देंगे कि सी.बी.आई. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है कर दिया होगा, वरना सी.बी.आई. को एक केस सौंपा हुआ है और उसमें चालान हुआ है। अजमेर वाला केस है जिसकी संख्या 134/2000 है। बाकी दोनों में आपने चेप दिया कि यह तो बीमार हो गया था, यह हो गया था, लोकल पुलिस करेगी। कस्टोडियल डेथ में तो आप यह मान कर चलिए कि लोकल पुलिस आपका इंवेस्टिगेशन फेयर नहीं करेगी।—You must be satisfied on that account.

गृह मंत्रीजी, आपका जो पुलिस का स्टाफ है उस पर आइए। महानिदेशक पुलिस 2 और 2, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस 8 और 7, यह दोनों कम्पेरिजन चार्ट दिया है आपने। अपन 2000-2001 पर ही चलें। महानिरीक्षक 11, उप महानिरीक्षक 20, पुलिस अधीक्षक 151. गृह मंत्रीजी, पुलिस अधीक्षक से ऊपर जितने पद हैं वह आपने हैवी हैड बना दिया, आपने नहीं बना दिया, क्योंकि आप चलते ही ब्यूरोक्रेसी के पीछे हो। सभापति महोदय, उधर आफिसर गैलेरी में जो बैठे हैं, राज वह करते हैं, जवाब यह देते हैं। इसलिए आपने इस हैड को अनावश्यक इतना बड़ा बना रखा है और आपकी टोटल फोर्स, I beg to correct you, Mr. Chairman, not to correct you but amend you, यह जो आपने टोटल फोर्स बताया है, मैं सिर्फ पुलिस फोर्स पर आता हूं, 52,721 सिपाही हैं। गृह मंत्रीजी, इनका डिप्लायमेंट तो बताओ। कितने तो आपने जूते पालिश के लिए छोड़ रखे हैं, कितने आर्डरली लगा रखे हैं, कितने सुरक्षा के नाम पर लगा रखे हैं। यह हंसने की स्थिति नहीं है, सभापति महोदय। आज सिक्योरटी के नाम पर काहे की सिक्योरिटी है। गृह मंत्रीजी, मुझे समझ में आती है मुख्य मंत्रीजी की सिक्योरिटी में आप लगाते हैं तो, मेरे समझ में आती है आपकी सिक्योरिटी में लगाते हैं तो। जिन मंत्रियों के पास एक फाइल ही नहीं भेजते, जो मंत्री एक काम ही साल भर में नहीं करते उनकी क्या सिक्योरिटी? वी.एन. नारायणन हिन्दुस्तान टाइम्स के एडिटर थे। उनका संडे को मूजिंग आता था। पी.वी. नरसिम्हा राव को ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट क्रिएट की विज्ञान भवन में। उनका बहुत अच्छा आर्टिकल था। उन्होंने कहा क्या परसेप्शन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है। वी.एन. नारायणन कहते हैं कि पी.वी. नरसिम्हा राव को ऐसा क्या हो गया। उस जमाने में बहुत सारे करप्शन के चार्जेज चलते थे। उन्होंने एक हास्य में यह आब्जर्वेशन भी किया कि अव्वल तो कुछ होगा नहीं और होगा भी तो करप्शन के चार्जेज किस बेस पर है। मार्टियर हो जाएंगे। आप इसका ब्रेकअप फेस करें। सभापति महोदय, इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, चलिए मैं इस बात को भी विथड्रा करता हूं। आपने मिनिस्टर को दिया स्टेट्स सिम्बल है। आप प्राइवेट सिटीजन्स के कितने लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। हर शादी में कोई थोड़ा बहुत कोई प्रभावशाली आदमी होगा उसके थोड़े बहुत काम में 50-50 डिप्लाय कर देते हैं। गृह मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से मांग कीजिए, वित्त मंत्री जी से मांग कीजिए। जब इतने सारे मिनिस्टर बना रखे हैं एक थाने में स्केलटल स्टाफ रहता है, वहां से रोज गाड़ियां निकलती हैं तो थानेदार जी वर्दी लगाई और राजेन्द्र जी चौधरी के पीछे-पीछे एस्कोर्ट चल दी। मजाक में कह रहा हूं, आप पर व्यक्तिगत नहीं है। जनरल प्रिंसिपल की बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक है आप, कोई प्रिंसिपल की बात है राजेन्द्र जी नाराज थोड़े ही हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : — He may not take it personal.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : This is not individual.

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सदस्य, आपको मालूम है कि यहां विधान सभा में पर्सनल जो आप नाम ले रहे हैं, बहुत सद्‌भावना है आपकी लेकिन वह अंकित हो रहा है, रिकार्ड में जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह भी अंकित हो गया कि मेरा पर्सनल नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ठीक है, आपकी भावना ठीक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह जो आप ड्यूटी पर लगाते हैं। होम मिनिस्टर साहब, आप ईमानदारी से खुद विचार करे इस पर कि इंवेस्टिगेशन का टाइम कहां मिलता है? मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। अपने अधिकांश मिनिस्टर ऐसे हैं जो राजस्थान का दौरा नहीं करते हैं। घूम-फिर कर अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाते हैं, महीने में 15-20 दिन वहां रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर तो सब जीत कर आयेंगे और हम सब लोग हार जायेंगे कि साहब वह अपनी कांस्टीट्यूएंसी सम्भालते हैं। डेमोक्रेसी में परिणाम बड़े अलग किस्म के होते हैं। आप चाहे इस भ्रांति में रहे कि स्कूल खोलने से या सड़क बनवाने से हो जाते हैं लेकिन 50 साल से ऊपर हो गये देश में चुनाव होते हुए। गृह मंत्रीजी, आप इस बात पर विचार करे कि वह इंवेस्टिगेशन कब करेगा। इंवेस्टिगेशन कौन करता है, सिपाही या हैड कांस्टेबल। आपको इंवेस्टिगेशन पर ध्यान देना होगा। लॉ एण्ड आर्डर पर जो अलग करने की बात है, अब यह बहुत आफ कंसेप्ट हो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गया। इसलिए मैंने इन बातों को यहां दोहराना उचित नहीं समझा। कोई मतलब नहीं है, हर साल यही बात कहते हैं, हर साल नोट हो जाती है।

(18.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्याय, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आप आ गये हैं उससे पहले ही मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ब्लेंकेट स्टेटमेंट राज्य के गृह मंत्रीजी देते हैं, अभियोजन पक्ष के लिए। अभियोजन पक्ष का प्रोसिक्युशन में नियरली 50 पर्सेंट केसेज एक्विटल में जाते हैं और Prosecutor is not the only person to blame. Hon'ble Dy. Speaker, you will kindly appreciate कि कई दफा इंवेस्टिगेशन के भी स्ट्रिक्चर पास होते हैं। सबसे मजबूत और बुनियादी चीज इंवेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन प्रोपर नहीं है तो कोई बढ़िया से बढ़िया प्रोसिक्यूटर हो, सजा नहीं हो सकती। अब प्रोसिक्यूटर का सवाल आएगा। प्रोसिक्यूटर का आप केसवाइज क्यों नहीं तय करते हो। मैं एक सजेशन देता हूं आपको, चूंकि मैं इस व्यवसाय से आता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, यहां पर बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एक प्रोसिक्यूटर सौ-डेढ़ सौ केस तैयार करता है—What do you pay him? हमारे खेतसिंह जी विधि मंत्री भी हैं और माननीय खेतसिंहजी सब जानते हैं, इन्होंने वकालत भी करी है, सब देखा है। एक वकील 10 मुकदमे दिन में करता है तो वह महीने के 50 हजार रुपये कमाता है और एक प्रोसिक्यूटर 150 मुकदमे करता है, अब यह वर्चुअली पासिबल है क्या, वह डेढ़ सौ फाइल देख सकता है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, इस हाई कोर्ट में देखते-देखते कितना डिक्लाइन हो गया और यह वेकेंसीज की वजह से हुआ है। हाई कोर्ट के जजेज सब फाइल पढ़कर आते थे। अब ह्यूमनली इम्पासिबल है। कोर्ट में आप सौ केस लगा दो, सौ केस कैसे पढ़कर आयेगा? सौ केस प्रोसिक्यूटर कैसे तैयार करेगा? आउटराइट आपकी फाइनेंसल पोजिशन का आप हमेशा कहते हैं—

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सदस्य, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। आपने प्रोसिक्यूटर के बारे में फरमाया, जो पी.पी. हैं जिनको 4,400 रुपये मिलते हैं वह क्या न्याय दिलायेगा और क्या पढ़ेगा और कैसे उसको सजा दिलायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं वही कह रहा हूं। आपकी भावना ही व्यक्त कर रहा हूं आप क्यों अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। मेरा सुझाव यह नहीं कि आप 4,400 से उठा कर उनकी 10,000 कर दीजिए। आप केसवाइज जैसे आप अपाइंट करते हैं क्रिमिनल केस में भी आप अगर केसवाइज करें कि इस केस के इतने पैसे मिलेंगे तो फिर वह उसका पर्सनल केस भी हो जायेगा। कभी कौन आता है, कभी कौन आता है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस में वैकेंसीज के विषय में मैं पूछना चाहता हूं। आज आई.पी.एस. में 24 वैकेंसीज है। डिप्टी पुलिस अधीक्षक के 21 हैं, इन सब आंकड़ों में नहीं जाकर मैं सदन में यह पूछना चाहता हूं कि यह वैकेंसीज क्यों है और इन वैकेंसीज के साथ में यह भी पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने बहुत विनम्रता लेकिन चुनौतीपूर्ण ढंग से एक बात कहता हूं, मैं यह तो नहीं मानता, मैं यह आरोप भी नहीं लगाऊंगा कि अशोक गहलोत सरकार का शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति कोई बायस हो सकता है। चेयरमैन आर.पी.एस.सी. का शिड्यूल्ड कास्ट का है, सबको बैठा सकते हैं। मैं यह तथ्यात्मक रूप से गलत बात नहीं कहूंगा लेकिन यह बात तो सही है कि जिन 8 शिड्यूल्ड कास्ट के आफिसर को पदावनत किया है उनको गलत तरीके से पदावनत किया है और वापस उनको प्रमोट नहीं होने दिया। माननीय बी.डी. कल्ला ने मेरे मोशन पर जवाब देकर, लीपापोथी कर सुना नहीं। मैं यह चुनौतीपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मंशा साफ है, आप मुझे बिठाओ...Informally I can give you some assistance. लेकिन यह नहीं हो सकता। आपकी इनएफिसिएंसी का तो द्योतक है। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि अम्बेडकर के प्रतिबिम्ब हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। गृह मंत्री जी आप बहुत वरिष्ठ हैं मुख्य मंत्री जी को समझाना ऐसी + + + में नहीं आ जाए। वे कहते हैं कि आपके श्री मुख से निकला हुआ कानून है।

यह उन्होंने कहा है, यह रिकार्ड के ऊपर है किसी के श्री मुख से निकलने से कोई कानून होता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सदस्य, वहां पर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिबिम्ब है वहां श्री मुख... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिए। आप बैठिये। प्लीज आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा निवेदन यह है कि इन शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों के साथ न्याय होना चाहिए। अंत में सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह सेशन तो चला जाएगा। गृह मंत्रीजी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है राजीव गांधी ने दो ऐतिहासिक रीयल हिस्ट्री में काम किए हैं, आप सब राजीव गांधी के भक्त हैं, मैं बाहर हूं। लेकिन जो बात यथार्थ है वह कहनी पड़ेगी। जब उन्होंने आफिस रिज्यूम किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ टेन्थ शिड्यूल्ड, 1985 में आफिस रिज्यूम करने के साथ में उंन्होंने यह दिया और जब उन्होंने ले लिया, to prevention of attrocities against scheduled castes and scheduled tribes bill, 1989,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उन्होंने बिल 1989 में पास कराया। अपने आफिस का रिलिंक्विश करने के पहले। मैं यह चाहता हूं गृह मंत्री जी खेतसिंहजी को मत बिठाना, इनके बस का नहीं है। आप डिबेट को पढ़ लेना। यह जो डिबेट में है। (व्यवधान) लॉ मिनिस्टर है लेकिन यह काम सब अनलॉफुल करेंगे इनको छोड़िए आप। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आप उन डिबेट्स को पढ़ लें। उन डिबेट्स के पीछे, उपाध्यक्ष महोदय, जो पूरा आब्जेक्ट है वह यह है कि देश के अंदर शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को जमीन अलाट होती है, कब्जा नहीं लेने देता। उसका असली जो मन्तव्य है यह सब कश्तकारों से संबंधित कानून है। जिसकी जमीन खेत में मिली हुई होती है उसको दबाने की कोशिश करता है, बेदखल करता है। यह अपनी जगह एक तथ्यात्मक स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, असली एग्रीकल्चरिस्ट अगर कोई है जो लैण्ड लेस टीलर है वह शिड्यूल्ड कास्ट ही है। चंद लोग, एम.एल.ए. मिनिस्टर बनने से थोड़े होता है वह तो यथार्थ उस रुटिन पर चलते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट की वह की वह पोजीशन है। गृह मंत्री जी, इस एक्ट का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इसकी मंशा पूरी नहीं हो रही है, मैं यह चाहता हूं कि आप इस एक्ट को पढ़ें। आज क्या हो रहा है। जिसका आपस में कोई झगड़ा है एक शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी से रिपोर्ट करा दी। फिर पुलिस बीच में आ गई क्योंकि वह नानबेलेबल आफेंस का रखा है, अपन सब अनुभव करते हैं इस बात को लेकिन मैं यह बात पुनः कहना चाहता हूं कि इस कानून की मंशा गलत नहीं है। यह कानून गलत नहीं है, इस कानून की क्रियान्विति गलत तरीके से हो रही है। वह क्रियान्विति ऐसे नहीं रुक सकती। पहले आप डिबेट्स पढ़िए फिर सी.आर.पी.सी. में आप क्या अमेंडमैंट ला सकते हैं, क्या स्पेशल लॉ बना सकते हैं स्टेट लेवल पर, उस पर अपने अधिकारियों से बात कीजिए। उचित समझे तो मेरे जैसे कोई छोटी-मोटी सलाह देने वाले आदमी से असिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ न कछ करना पड़ेगा। मैं, यह लास्ट बात है I have nothing to add to it, sir.

श्री उपाध्यक्ष : आपने आते ही कहा था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने आते ही कहा था कि लास्ट बात कह रहा हूं, आपने अनावश्यक ही घंटी बजाई। यह आपके और हमारे बीच की रेस खतम कर दी आपने। आपको मैंने आते ही कह दिया था कि मैं लास्ट बात कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा तो कभी रखा करो। आपकी मर्जी है आपको शायद अपने पद का कंफरमेशन घंटी बजाने से होता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मंत्रीजी, मैं आपसे कहता हूं कि लोगों में जो एक जनरल, आम आदमी को लॉ का पता नहीं है, लॉ की सिग्निफिकेंस का पता नहीं है, आम आदमी में इस कानून के प्रति बहुत नफरत पैदा हो रही है। उसका कारण यह है कि इसकी क्रियान्विति गलत हो रही है जबकि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं यह मानता हूं कि कानून शिड्यूल्ड कॉस्ट एण्ड लैण्ड लेस टीलर के फायदे के लिए बनाया गया है और बहुत उपयोगी कानून है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको पढ़ कर कोई क़रेक्टिव स्टेप लेवें और कोई लेजिस्लेशन बनाएं। मैं अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, आपने आने के बाद 2-4 मिनट मुझे बोलने के लिए दिए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत धन्यवाद आपको। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मालपुरा से आने वाले सदस्य ने अभी 100 और 80 के आंकड़े महिलाओं के बारे में दिए, मुझे खुशी भी हुई मगर डाक्टर साहब अभी जो यूनेस्को का एक सर्वे है दिल्ली में, वुमेन उत्पीड़न के कैसेज हैं वह 10,000 होते हैं एक साल में। उसमें से 10 रजिस्टर्ड होते हैं इस पर आपने कुछ भी नहीं बोला। महिला उत्पीड़न, आपने अभी 100 और 80 के ऊपर काफी कुछ बोला है, बहुत सी चीजें इसमें नहीं थी उस पर भी आपने बोला है आपने मगर जहां 10,000 यूनेस्को ने दिया हुआ है कि उत्पीड़न यह कैसेज 10 प्रतिशत रजिस्टर्ड होते हैं उसमें आपको कुछ बोलना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा है, मैं बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ा रहे हैं। बिराजिए। (व्यवधान) माननीय देवीलाल। विराजो, टाइम बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 16 और 17 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग संख्या दोनों पास होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोल नहीं रहा हूं, हो गया न अब आपका। टोंक से आने वाले मंत्रीजी ने एक बात कही उस पर जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे फिर वापस वह बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नोन रजिस्टर्ड वाली बात पूछ रहे थे वह नोटेड थी वह आपकी घंटी से मिस हो गया। महिलाओं का नहीं है टोटल कैसेज में आपने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है क्या? धारा 156 – 300 के कितने मुकदमे रजिस्टर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होते हैं, आपके इंटरवेंशन से कितने रजिस्टर होते हैं, डी.जी.पी. के इंटरवेंशन से कितने होते हैं, एस.पी. के इंटरवेंशन से कितने होते हैं तो जो मौके पर मौजूद थानेदार हैं वह केस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो आपने कोई कार्यवाही की है क्या उसके खिलाफ, यह सीधा सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। माननीय गुलाब चन्द कटारिया। आप बिराजिए मंत्रीजी, आप बोलेंगे फिर वह बोलेंगे। आप बिराजें, कोई बहस का इश्यू नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह दलित वर्ग के मंत्री हैं, इनको टाइम देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब जवाब दे देंगे। गृह मंत्रीजी। माननीय कटारिया जी।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत कुछ अपनी बात में भाषण करते हुए मेजबान मंत्रियों के बारे में कुछ फेसेलिटिज कम करने के लिए, इन्होंने अपने तरीके से कहा है लेकिन यह डिगनिटी को मेन्टेन करने के लिए आवश्यक हो सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई नहीं है लेकिन आपको पता है कि कई मंत्रियों के अगेंस्ट में कई बार बवण्डर हुए हैं जिसके कारण से सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कमजोरियां महसूस करनी पड़ी हैं। अतः उनकी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनको डबल दो साहब, एक और दे दो सिक्योरिटी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कानून व्यवस्था अच्छी हो यह राजस्थान के प्रत्येक निवासी की भी अभिलाषा है। हम जो सदन में बैठते हैं उन सबकी भी यह हार्दिक इच्छा रहती है कि कानून-व्यवस्था अच्छी हो और हम हर साल जब गृह विभाग की डिमाण्ड पर डिस्कशन करते हैं, अगर पुराने सब सालों की प्रोसिडिंग पढ़ी जाए तो ये की ये बातें आती हैं। लेकिन रात-दिन चलते और ढाई कोस भी अपन नहीं चल पाते हकीकत में हम इस बात की ओर जाने की इच्छा ही नहीं रखते हैं कि हम कानून व्यवस्था को अच्छी कैसे करें। इसमें बाधक कौन हैं, किनके कारण से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में तकलीफ आती है तो सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था में अड़चन आती है तो हम सब राजनेता हैं। कोई भी हमारे पास आएगा, चाहे वह मुलजिम आ जाए, चाहे चोर आ जाए, कोई भी आ जाए, हम अपना धर्म निभाते हैं। टेलीफोन करके अधिकारी को कहते हैं कि भई इसका ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले तो कानून की हत्या हम स्वयं करते हैं। हममें इस बात का साहस ही अभी तक पैदा नहीं हुआ है 50

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल में कि हम जिस बात की यहां पर दुहाई देते हैं लेकिन फील्ड में जाकर बिलकुल दूसरी बात करते हैं। अगर इसमें एक इंच भी आगे बढ़ना चाहे तो कृपा करके यह जो राजनीतिक संरक्षण के आधार पर, व्यक्तिगत पहचान के आधार पर, बड़े बाप की औलाद के कारण से या बड़े मां-बाप के कारण से जो सिफारिशबाजी के कारण से अभियुक्त को छुड़ाने का काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तब हम यह जो उपदेश की बातें करते हैं उन उपदेश की बातों का कोई असर होगा। हमने इतना प्रयास करने के बाद भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट में राजनीतिक हस्तक्षेप को जितने दिन पर दिन बढ़ाया है इसी कारण से जिस प्रकार का भी न्याय होना चाहिए वह न्याय होने में बाधा पड़ती है। अगर आप इसमें एक इंच सुधार कर सके, एक प्रतिशत सुधार कर सके तो मैं सोचता हूं कि हमारे इस सारे प्रयास का कोई परिणाम निकलेगा फिर हम किस प्रकार से इस स्थिति में...

श्री राधेश्याम गंगानगर : 1994 में आपकी सरकार थी, इसी हाउस में मैंने निवेदन किया था इस बात के लिए, लेकिन जो कुछ आपने किया, आप देख लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने अपनी बात को यहीं से कही कि हम 50 साल से यही बातें कह रहे हैं। मैं अपनी बात को यहां से कह रहा हूं, हम सब लोग रोज यही वर्णन करते हैं और यही बातें बोलते हैं लेकिन हम ईमानदारी से इस रास्ते पर आने के लिए मानसिक दृष्टि से तैयार नहीं है...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कटारिया जी, आपने एक ऐसी बात कह दी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम लोग ही हैं जो इंटरफियर करते हैं। इसका मतलब हम चुने हुए नुमाइन्दे हैं वे ही कानून-व्यवस्था बिगाड़ते हैं। तो यह कैसे कह सकते हो? क्या आप इसमें हो क्या इस तरीके से?

(19.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम भी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यह कह रहा हूं अगर आपने यही बात कही और यही रखी तो जितने भी आफिसर्स हैं, तानाशाह हो जाएंगे। डेमोक्रेसी सिस्टम खतम हो जाएगा। हम लोग अगर अपनी बात ठीक से रखते हैं, आप तो यह कहिये कि मुझे अपनी बात ठीक से रखनी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, बिराजिये। प्लीज। आपका सहमत होना जरूरी है? अब आप कन्टीन्यू कीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने अपनी जो बात कही है, उसमें मैंने स्वयं अपने आपको भी सम्मिलित किया है। मैंने अपने आपको इससे बाहर नहीं रखा है। अगर हम इसमें थोड़ा-सा भी काम कर सके, मैंने अपने आपको इससे अलग नहीं किया मैं भी करता हूं। मैं भी कहता हूं। लेकिन हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मन में तो सब इस बात को जानते हैं कि यह मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन चूंकि हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, उस वातावरण में अगर नहीं कहो तो ऐसा लगता है कि मेरा वोटर नाराज हो जाएगा, मेरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा। इस मन की कमजोरी के कारण हम इस बुराई का जो अन्त करने का स्थान है, वहीं नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से अधिकारी लेवल पर भी यही है। मैं यह कह रहा हूं कि थानों में जो इंटरफियरेंस है, दुनिया भर के लोगों के टेलीफोन जाकर, उसके बारे में कनवे करना, आप या तो एक काम करा दो कि थाने पर जितने भी टेलीफोन जाएं, उनको टेप में डलवा दो ताकि कम से कम बाद में आप अगर महीने भर में रिकार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा और जब टेप आप करेंगे तो आधे लोग तो टेलीफोन करना ही छोड़ देंगे। कई लोग तो कहते हैं कि हम तो अपना धर्म निभा देते हैं भले हो या न हो। इसके कारण जो भी इंवेस्टीगेशन करता है, उस आदमी पर एक प्रेशर बनता है और वह सच प्रकार से निर्णय नहीं कर पाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कटारिया साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता—

श्री उपाध्यक्ष : डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन मुझे उस घटना की याद आती है कि जब आपके नेता महोदय और आपके एम.एल.ए. साहिबान जाकर डॉ. किरोड़ी के केस में थाने का घेराव किया, थाने पर धरना दिया और धमकी दिलवाकर उस थानेदार का ट्रांसफर करवाया, उस पर भी आप थोड़ा सोचिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, मैंने अपने आपको शरीक करके बताया है। मैंने अपनी पार्टी को भी इसमें सम्मिलित करके बताया है। मैंने कोई किसी एक व्यक्ति और पार्टी के लिए नहीं, यह जो हर्डल्स हैं इसमें, जिनके कारण हम जो न्याय करना चाहते हैं, उसमें बाधा कहां आ रही है, वह बाधा यह है। इस बाधा को हम कैसे कम कर सकते हैं?

इसी के साथ आपने देखा होगा, कई बार हम लोग जो अपराधी प्रवृत्ति का पुलिस का आदमी होता है, जिसने मान लो भीम में डकैती स्वयं पुलिस के लोगों ने कर दी हो या जिन लोगों ने, जो अपराध में शरीक हो गये हो, उन पर भी हमारा कोई ठीक प्रकार से कारगर काम नहीं होता है। वह भी मुकदमा चलकर वापस रिइंस्टेट हो जाता है। वापस आकर नौकरी में लग जाता है और फिर से वह काम करता है। हम अपने नियमों में कहीं तो इस बात की कठोरता लाये कि एक बार जब व्यक्ति के बारे में यह चयन हो गया कि निश्चित रूप से पुलिस के नाम पर यह व्यक्ति कलंक है, इस व्यक्ति की छानबीन करने के बाद कहीं सौ में से एकाध आदमी को भी कभी-कभी उल्टा लटकाने का प्रयास करो, तब लोगों में कोई मैसेज जाएगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने यह जो सारी संख्या बतायी, इस संख्या में इतना बड़ा लवाजमा आपके पास है, इतने बड़े लवाजमें में आप कितने लोगों को साल में सजा देते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जो भी गलती करता है, उसे कम से कम दिखाने लायक कुछ न कुछ तो करिये।

श्री हेमाराम चौधरी : कटारिया जी, पुलिस भी जो बेईमान होते हैं न, उनकी तो बहुत इज्जत करती है, थाने में अदब से बिठाती है। मेहमानगिरी करती है और जो सीधे-शरीफ गरीब होते हैं, न उनके जूते ठोकती है। पुलिस का यह तरीका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अपनी बात को कह रहा हूं। मैं कोई पुलिस की तरफदारी करने के लिए नहीं खड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप बोल लेना बाद में। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।" दूसरों को उपदेश देना ही आता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कभी जिन्दगी में अगर मौका आयेगा तो यह भी बताएंगे कि केवल उपदेश देते हैं या कुछ करते भी हैं। भगवान ने कभी मौका दिया, जब दिया तब बताया और भी बताएंगे। जो कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं। केवल यहां रिकार्ड कराने के लिए नहीं कह रहा हूं कोई। पर मैं इस बात को जरूर चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से इस बारे में क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि जिस कांस्टेबल को आप चौबीस घंटे खड़ा रखते हो, कभी आप इस बारे में विचार करते हो कि उसके बच्चों का क्या होता होगा? कम से कम और कुछ नहीं कर सको तो उस कांस्टेबल के बच्चों के पढ़ने की तो किसी ठीक स्कूल में व्यवस्था कर दो और उसके लिए कम से कम कोई साधन मुहैया करा दो तो उसका पिता तो कांस्टेबल मर जाएगा, लेकिन कम से कम उसकी औलाद तो ठीक प्रकार से पढ़ कर योग्य हो जाएगी। हम इतना बड़ा शासन चलाते हैं, मैं किसी बड़े और अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कम से कम जो कांस्टेबल की नौकरी करता है, उस कांस्टेबल के लिए कम से कम इतनी सुविधा जरूर जुटाएं ताकि वह अपने बच्चों को भविष्य ठीक प्रकार से निश्चित करे।

प्रमोशन के हमारे जो मापदण्ड है, कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन के मापदण्डों को बदलने की कोशिश हो। उनकी ए.सी.आर. को ऐसी परफेक्ट बनाएं कि अपराधी व्यक्ति प्रमोशन नहीं पाये। चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो? अगर उस पर किसी प्रकार के लांछन लगे हैं और जो लांछन सत्यता के बिलकुल नजदीक जा रहे हैं तो कम से कम प्रमोशन में कहीं न कहीं तो उसकी ए.सी.आर. में कहीं तो डालिये। उसको रोकिये और जिसकी ए.सी.आर. में बहुत ज्यादा खराब हो, लगातार चार साल तक इसी प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहता हो तो उसे घर भेज देना ही इस डिपार्टमेंट को सुधारने का माध्यम बनेगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखकर मेरे हिसाब से करे।

अब आपने तो आंकड़ों का जाल बता दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा सुन्दर बना दिया। मैं नहीं कहता हूं हमारे में 1,100 हैं तो आपके में एक हजार अपराध हुए तो आप अच्छे हो गये और हमारे में 1100 के बजाय 1200 अपराध दर्ज हो गये तो मैं कोई पापी या दोषी हो गया। अपराध कभी नहीं रुक सकता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कटारिया साहब, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य और इस दल के उप नेता, आंकड़े आपकी जानकारी के लिए दिये हैं। हमने कोई आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया है और न कोई मंशा है। आपकी गवर्नमेंट के वक्त में जो परिस्थितियां थीं और जिस तरह की कानून-व्यवस्था बना सकते थे, आपने बनायी और आज जो परिस्थितियां बन गयी हैं, हम उनके हिसाब से जो काम कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। हमने तो आपके सामने उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े रखे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इन आंकड़ों के आधार पर मेरी सरकार की अच्छाई और आपकी बुराई को कहने की मंशा नहीं रखता, बिलकुल नहीं। मेरी यह मंशा है कि अपराध न आज रुक सका है, न कल रुक सकेगा। अपराध तो होगा। अपराध करने वालों को दण्डित किया जाए, यह है मुख्य मुद्दा। इस साल बलात्कार आठ हो गये तो आप कहो एकदम खराब हो गये और चौदह हो गये तो हम बहुत अच्छे हो गये या खराब हो गये, यह कोई मापदण्ड नहीं है। मापदण्ड यह है कि अपराधों में कमी आये या जो आदमी अपराध कर देता है उससे सख्ती से निपटा जाये। अब आपने सारे फिगर्स तो दिये हैं लेकिन आपने जितने चालान पेश किये हैं, उनमें से कितनों को सजा मिली, इसको क्यों छिपाया? यह रिपोर्ट और परफैक्ट बन जाती। हमारे डिपार्टमेंट की तस्वीर को सामने लाती कि पहले तो जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें चालान आधे-अधूरे होते हैं और आधे-अधूरे चालान होने के बाद भी सजा प्राप्त करने वाले लोग मुश्किल से पांच या दस प्रतिशत रहते हैं। क्या इस विभाग को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, सारी कार्यवाही करते हैं, लोगों को इतनी परेशानी होती है और उसके बाद उसका परिणाम "जीरो" क्यों आता है? परिणाम दस प्रतिशत क्यों आता है? अगर इतने अच्छे फिगर दिये, इस फिगर में आपने कितने केसों में चालान पेश किया, उसके सामने यह कह दो इसमें तो हमने सजा दी और इसमें आदमी बरी हुआ। और बरी हुआ तो क्यों हुआ? किसकी गलती के कारण बरी हुआ? यह हम किसी को कह कर अपने अपराध को टाल नहीं सकते। दुर्भाग्य यह है कि हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोगों ने कभी इस बारे में और न इस विभाग ने कभी यह चाहा कि हमारी तस्वीर सही ढंग से आये। मैं कह रहा हूं कि मैं कितना ही खराब हूं, मेरी तस्वीर भी सामने आये। अगली बार मैं सुधार करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको इन्टरप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन केस चालान होने के बाद अदालतों में कई श्रेणियां हैं। कोर्ट में जाता है, सैशन कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाता है। सबमें समय लगता है लेकिन आप चाहते हैं तो मैं यह जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा कि जिन केसेज में चालान किया है, किस स्टेज पर है, कितने लोगों को सजा मिल चुकी है, कितने केसेज अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मैं यह जानकारी आपको दे सकता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किस केस के बारे में क्या सजा होगी, यह तो पांच साल बाद होगा, इसका फिगर्स इस साल में नहीं आयेगा, मैं मानता हूं। पर इस साल कम से कम कोर्ट में जो फैसल केस हुए, जो आज से पांच साल पहले एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी, चालान पेश हुआ। लेकिन फैसला इस साल में हुआ, उस फैसले का भी कहीं रिकार्ड आना चाहिये था कि कितने केस हम लड़े और कितने हम हारे और क्या हमारी स्थिति है? इसका मूल्यांकन करेंगे तो हमें कम से कम जो भी हमारी वस्तुस्थिति होगी, वह हमें समझ में आयेगी। मैं इन आंकड़ों के जाल में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता कि महिला अपराध ज्यादा हो गया, कम हो गया। महिला अपराध तो आज भी है, कल भी रहेगा। बलात्कार न तो आज रुका, न कल रुकेगा। लेकिन कम से कम अपराध करने वाले व्यक्ति को सही समय पर दण्ड मिल जाए, यह हमारा पहला काम है। वह काम हम करेंगे तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। मुझे आपको कहते हुए दुःख है, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन पुलिस इस तरह से किस हद तक बचाना चाहती है। मैं आपको एक केस देता हूं। यह टीचर्स का अपाइंटमेंट का है। इस अपाइंटमेंट में जाति में उसने गरासिया लिख कर उसने एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। बाकी लोगों के पास में भी गया कि तुमको भी मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, बीस हजार रुपये लगेंगे। तब एक आदमी ने कहा कि मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अपनी जाति के आगे गरासिया नहीं लिख सकता और यह जो गरासिया का कोटा है, उसमें मेरे को नौकरी मिल जाए, उसने कहा मेरे लिए यह संभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आपको गरासिया बनाकर सर्टिफिकेट ले लिया, उनको तो नौकरी मिल गयी, उसको नहीं मिली। उसने इस बात की शिकायत की। पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस ने भी उसको घुमा-घुमा कर उस केस को रफा-दफा करके एफ.आर. दे दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह जाति गरासियों में ही आती है। यह सर्टिफिकेट दिया जो सही है। उसके बाद स्वयं डी.जी. साहब गये वहां सार्दुलशहर। वहां लोगों ने शिकायत की कि आपने यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गलत सर्टिफिकेट दिया। वह आदमी 1 मार्च, 2000 को कोर्ट में भी गया इसी बात को लेकर और उसके बाद इस केस पर आज तक अगर निर्णय नहीं हो तो वास्तव में आदमी को इस बात पर संदेह हो कि नहीं होगा, आखिर में न्याय प्राप्त करेगा तो कहां से प्राप्त करेगा? मैं अपने सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसमें एफ.आर. दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? उस आदमी को नौकरी में नहीं लिया, यह दूसरी बात है लेकिन जिसने केस को मिलजुलकर रफा-दफा किया उसके बारे में भी तो आपको कम से कम कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा कि नहीं?

अब आप देखिये, चित्तौड़ जिले से आप पड़ौस में रहते हैं। अब चित्तौड़ जिले में यह पहली बार हुआ है, हमारे यहां तो कभी ऐसा होता नहीं है परन्तु पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि पहली बार नकली नोटों का जखीरा आपके और मेरे पड़ौस के, मैं तो उसी जिले से आता हूं, 4 लाख रुपया पहली बार चित्तौड़ जिले में नकली नोट का पकड़ा गया। एक व्यक्ति सोमानी को पकड़ा, 10 दिन उसको कस्टडी में रखा, सब-कुछ रखा लेकिन उससे जो लिंक बनी हुई थी कि केरल का आदमी यहां माल खरीदने आता है और उसने लाकर के यह हिस्सा दिया। उस आदमी को आज दिन तक ट्रेस आउट नहीं कर सके कि यह आदमी कौन था। उसने आकर के करेंसी दी, जानकारी तो है कि करेंसी आयी। यही नहीं, आपने देखा कि कपासन का जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें यह नकली नोट हैं, यह अक्टूबर में नकली नोट उस बैंक में आये थे और बैंक के लोगों को संदेह हुआ कि यह नकली नोट होना चाहिए। अक्टूबर से उन्होंने रिजर्व बैंक को भेज कर, वह बराबर नहीं पहचान पाये कि यह नकली नोट है कि नहीं, क्योंकि इस पर कोई इस तरह से कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, उन्होंने भेजा और यह रिजर्व बैंक से जांच होकर के दिसम्बर के महीने में आया। उसके बाद उस पर एफ.आई.आर. लिखायी। इस एफ.आई.आर. लिखने के बाद, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों का मन बेईमानों को सजा देने का कम होता जा रहा है, अगर हम वास्तविक बेईमान को पकड़ ले, इसमें आपने जिसको मुल्जिम बनाया उसका कोई लेना-देना नहीं, वह कहीं नौकरी करता है। उसको तो बना दिया मुल्जिम जिसने यह पैसों का लेन-देन किया वह तो बाहर है। उसको तो मुल्जिम बना दिया और उसको जब रिमाण्ड लेने के लिए गये तब कोर्ट ने जिस प्रकार का स्ट्रिक्चर पास किया है यह हम सब लोगों के लिए एक तरह से सोचनीय बात है कि हम किस प्रकार से निर्णय करते हैं। मैं आपको कुछ लाइनें इसकी पढ़ता हूं। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायालय में अपने आदेश 22 जनवरी को यह वर्णित किया था कि अभियुक्त के इंट्रोगेशन नोट के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुसंधान किया जाना लाजिमी है। अनुसंधान अधिकारी ने उन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्यक्तियों के अनुसंधान नहीं करके केवल उनके बयान धारा 161 के तहत लेखबद्ध किये और उनके गवाह भैरूंलाल भांभी, कालूराम जाट और गोपाल लाल और हंसराज शामिल हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जो लोग मुल्जिम बन सकते थे उनको गवाह बनाया जाकर पुलिस ने अपने ही मामले को कमजोर कर दिया। अदालत ने साफ तौर पर लिखा है कि लगता है कि अनुसंधान केवल औपचारिक रूप से किया जा रहा है। मामले में अभी तक किये गये अनुसंधान से सरसरी तौर पर यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में उन्हें बचा लिया गया और केवल इस अभियुक्त भैरूंलाल को बली का बकरा बना कर पेश कर दिया गया है। मतलब, इसकी तह में जाने की किसी ने चिंता नहीं की कि यह 5800 रुपये के 100-100 के जो नोट आये थे यह वह आदमी कहां से लाया, उसको किसने दिये? और उसके आधार पर जो सारा केस खुलने वाला था और जो इस प्रकार से नकली नोट का काम करते हैं वह तो उसमें से बच करके निकल गये और यह जो नौकरी करता था, उसको मुल्जिम बना करके उन अपराधियों को, साफ-साफ इन्होंने यह भी लिखा कि वह सारे अपराधी पुलिस ने अपने गवाह बना करके और इसका उपयोग किया। अगर हम इस प्रकार का विचार रख करके इसको सुधारने का प्रयास करेंगे तो नहीं सुधरेगा।

मैं इस बारे में बिलकुल तहे दिल से आपको यह कहता हूं कि अगर हम लोग व्यवस्था सुधारना चाहे न तो सुधार सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। हम व्यवस्था सुधार सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द टूट रहा है, ऐसा एक माहिर आजादजी ही नहीं बोले, मैं भी आपको कहता हूं कि अपराधी न हिन्दू होता है, न मुसलमान होता है। अपराधी के लिए जात देखने की कोशिश मत करो। अपराधी के वोटों के आधार पर निर्णय करने का यह जो मानस बन गया इस राजनीति में इसको छोड़ करके अगर हम चले तो तीन दिन में इन सारी व्यवस्थाओं को हम ठीक कर दें। तीन दिन में इन व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं लेकिन हमारी मानसिकता अभी तक इस बारे में आयी नहीं।

आपने देखा कि नसीराबाद की घटना क्या थी। एक पुलिस के अफसर की छोटी सी भूल के कारण से एक दंगे के रूप में भड़क गया। केवल इतना ही तो था कि, भाई, हम पता कर रहे हैं, मुल्जिम को पकड़ रहे हैं। क्या हो गया टूट गया तो, क्या फर्क पड़ गया, ऐसे तो होते ही रहते हैं। यह बोलने का तरीका है। इसकी शिकायत ठेठ ऊपर तक के सारे लोगों को हुई लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जिसके कारण से दंगा प्रारम्भ हुआ, जिसकी गलती से हुआ, जिस पुलिस अफसर की नादानी के कारण से जनता भड़की, उसको तो कोई सजा नहीं और भड़कने वालों को जूते मारने का और डण्डे मारने का काम अपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पास रहता है। जब जनता भड़कती है तो पत्थर भी फैंकती है, और भी कुछ करती है लेकिन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश नहीं की जिसके कारण से दंगा हुआ।

यह जो ब्यावर का दंगा है, क्या आपको और हम को शर्म नहीं आती जब हमने यह निर्णय किया कि यह टूटना चाहिए, अवैध निर्माण है, आपकी फोर्स गयी, आपका एस.डी.एम., आपका एस.डी.ओ., आपकी सारी फौज जा करके वहां पिट कर आ जाये और सब को मारा जाय और उसके बाद भी 11 तारीख को जूते पड़े हैं। पुलिस के सारे अफसरों को लेकर, पचास की फौज लेकर गये। 11 तारीख से लेकर के आप कोई निर्णय नहीं कर सको इस बात का कि अगर आपकी पुलिस जाय और पिट जाय। स्वाभाविक है जनता का विरोध करने का अपना मानस है इसलिए ब्यावर में उन्होंने जुलूस निकाला और आपकी परमिशन से निकाला, रूट आपको दिया उसके बाद आपकी पुलिस क्या कर रही थी? जब रूट दिया था तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे? केवल यह कह करके कि उन्होंने यह कर दिया, उन्होंने कर दिया, इससे समस्या का हल नहीं होगा। वास्तव में उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसके कारण से इस प्रकार की वारदात पैदा होती है। लेकिन हम उनको तो छूना नहीं चाहते। छू करके हमने सारे राजस्थान को साम्प्रदायिक विद्वेष में डाला। मैं मुसलमान और हिन्दू का विरोधी नहीं हूं। अपराधी हिन्दू में भी हो सकता है, अपराधी मुसलमान में भी हो सकता है। अभी जब मैंने लिस्ट पढ़ी, इसमें हिन्दू भी अपराधी थे। कोई ऐसा ठेका नहीं है कि अपराध कोई जाति के कारण से दब जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। आपको यह भी पता है न कि ब्यावर की रिपोर्ट में वहां के डी.आई.जी. ने आज के तीन महीने पहले ऐसी रिपोर्ट दे दी थी। आपके पास रिटर्न रिपोर्ट है। आप अगर उसे ना करना चाहो, यह आपकी मर्जी है लेकिन उसने सारा, जो कुछ भी अजमेर जिले की स्थिति है उस पर पूरा नक्शा खैंच करके आपके डिपार्टमेंट को बता दिया कि यहां इस प्रकार के बाहरी तत्व आकर के शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मतलब आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता हूं, ना मैं किसी का पक्ष लेना चाहता लेकिन आप उस मुद्दे पर जाओ जिस मुद्दे के कारण से यह साम्प्रादिक सौहार्द का वातावरण टूटा। यह अभी-अभी क्यों टूटने लगा? 200, 400, 500 वर्षों से हमारे बाप-दादा रहते हैं, हमारा पड़ौसी अगर कोई मुसलमान है तो हमारे बच्चे को लेकर खिलाता है, सारे गांव में घुमा कर लेकर आता था तो हम को कोई अड़चन नहीं थी लेकिन इन्हीं वर्षों में इस प्रकार का जहर क्यों घुल रहा है? इसके बारे में अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो यह देश बरबाद हो जायेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चारों तरफ से इसको घेर करके जिस प्रकार से बाहरी शक्तियां तोड़ने पर लगी हुई हैं न, हमारी नादानी के कारण से मुल्क टूट जायेगा और एक-दूसरे के खून के प्यासे होकर के हम एक-दूसरे को मारने पर उतारू हो जायेंगे।

इसलिए जो अभियुक्त है, जिसने शुरूआत की। उसको पकड़ो। आप तो वहीं से, राजसमंद से आते हैं, राजसमंद की घटना क्या थी? एक जुलूस जा रहा था, दो-चार सिरफिरों ने दो भाटे फैंक दिये और हो गया। मतलब भाटे फैंकने वाला बरी और बाद में वे ठोकाये जाएं, मुकदमे में फंस जाएं और जेल जाओ। यह कहां का न्याय है? हमारा पहला काम तो यह है कि जिसने इस अपराध को प्रारम्भ किया, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करके निकालना चाहिए ताकि जनता के मन में यह विश्वास पैदा हो कि हां, वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं।

हम केवल ऊपर-ऊपर की बातें करना चाहते हैं और जैसा आप और हम, सब लोग जानते हैं, आजकल पुलिस के बारे में जिस प्रकार का सामान्य जनता में माहौल है, जिस प्रकार से लोग सोचते हैं उसका कारण इन 50 सालों की आजादी में हमने इस डिपार्टमेंट को एक लूटखोरों की जमात बना कर खड़ा कर दिया। कोई उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। वह स्वयं अपराधी है। आपको इतनी शर्म आती होगी न कि जब पुलिस के थाने में, सब पुलिस की मौजूदगी में बड़ी चौपड़ पर अगर गोली मार कर चला जाय और तमाशबीन उनको पकड़ न सके। वह चाहे दो दिन बाद पकड़ा जाए, इससे ज्यादा और क्या हमारी पुलिस की बेइज्जती हो सकती है। उस सारे के सारे थाने को बाहर भेज देना चाहिए जो वहां मौके पर था कि आखिर तुमने किया क्या? अगर पुलिस के थाने में आकर के, थाने में गोली मार करके आदमी चला जाय, मार सकता है। गोली तो, क्योंकि निशाना साधा और मार दिया, कोई बात नहीं लेकिन पकड़ा तो जा सकता है। अगर तुम इस भरे चौराहे पर नहीं पकड़ सकते हो तो फिर किस कानून व्यवस्था की बात करते हो? फिर किस सामान्य आदमी की रक्षा की बात करते हो? यह सब रक्षा की बात बेकार है। हर आदमी अपनी जान के लिए इतनी चिंता करने लगा है कि वह अब जान पर खेलता नहीं क्योंकि वह जानता है कि यहां घोड़े और गधे सब एक भाव बिकते हैं। यहां मरो तो भी कोई मतलब नहीं और नहीं मरो तो भी कोई मतलब नहीं। अगर आप अच्छे लोगों को पुरस्कार देने का काम करे, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे, उनको प्रमोशन देने में विशेष अवसर दे, उनको लगे कि हमारी ईमानदारी का फल है।

ऐसा नहीं है कि पुलिस में अच्छे, ईमानदार नहीं हैं। आज भी बहुत अच्छे, ईमानदार हैं। ऐसा नहीं है, कोई दीवाला नहीं निकला है इस देश का। इतनी सब गिरावट के बाद भी अच्छे लोग, अधिकारी इस पुलिस डिपार्टमेंट में आज भी हैं जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ईमानदारी से अपने काम को करते हैं लेकिन उनको जो तवज्जह मिलनी चाहिए, उनका जो मान और सम्मान होना चाहिए वह नहीं है। इसके कारण से पोस्टिंग कराओ तो सिफारिश, थाने नीलाम होते हैं। यह आप और मैं नहीं जानता हूं? हम भले ही यहां न कहें क्योंकि आप सत्ता में हैं, नहीं कहेंगे, हम विरोध में हैं इसलिए कहेंगे। हम भी जब सत्ता पक्ष में आयेंगे तो हम भी यह भाषा नहीं बोलेंगे। यह हमारी एक ट्यूनिंग हो गयी है, एक हमारा बोलने का तरीका हो गया कि हम कहते कुछ हैं, अन्दर से कुछ और सोचते हैं और बात कुछ और करते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह जो थाने बिकते हैं न, यही अपराध का सबसे बड़ा कारण हैं। वह वहां पोस्टिंग चाहने के लिए सिफारिश लेकर आता है। आप कम से कम पोस्टिंग तो मत करो। किसी आदमी की शिकायत है उसको हटा दो। यह तो पुलिस डिपार्टमेंट में कर सकते हो, पर कम से कम सिफारिश से लगाने का काम मत करो ताकि वह दूसरे लोगों पर अन्याय करके वहां दुकानदारी चलायेगा क्योंकि वह सोचेगा कि मैं तो फलां साहब की सिफारिश से बैठा हूं। इसलिए साहब जब तक मेहरबान हैं तब तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और डिपार्टमेंट को तो छोड़ दीजिए कम से कम इस डिपार्टमेंट में आप शिकायत से आदमी को हटाइये तो जरूर पर किसी भी सिफारिश के आधार पर आदमी वहां नहीं लगे, अगर इतना भी सुधार आप कर देंगे तो इस विभाग में दस-बीस प्रतिशत सुधार आ जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कानून व्यवस्था के आधार पर अभी राजस्थान बहुत कुछ बचा हुआ है। हम भाग्यशाली लोग हैं। आज देश के हालात में हम बहुत कुछ अच्छी स्थिति में हैं। हम इससे भी अच्छी स्थिति में ला सकते हैं अगर हम सारे सदन के लोगों का मन हो, गैलेरी में बैठे हुए अफसरों का मन हो कि हम सब लोग दस-बीस साल के मेहमान हैं, इस मुल्क को बरबाद करके नहीं जाएं। अपने और अपनी औलाद के लिए जिस प्रकार का घृणित काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, न तो वह धन-दौलत हमारे साथ पहले आयी थी और न आज आयेगी केवल कुछ दिन रोटियां जरूर खा सकेंगे, कुछ अच्छे कपड़े पहन सकेंगे लेकिन मुल्क को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, सही दिशा में लाने के लिए हमें अपने कानून के शिकंजों को कसना पड़ेगा और वह व्यक्ति कोई भी, किसी भी जाति और बिरादरी को, दुर्भाग्य तो यह है कि लोग इसलिए सिफारिश करते हैं, यह बनिया है इसलिए बनिया सिफारिश करेगा, वह उसकी तरफदारी करेगा भले ही लुटेरा है। राजपूत, राजपूत की सिफारिश करेगा, आदिवासी आदिवासी की सिफारिश करेगा। हो क्या गया इस लोकतंत्र को? क्या हुआ है यह? हम लोगों ने अपने आपको इतने घरोंदे में बांध दिया है कि हम सच्चाई की ओर आना नहीं चाहते। कई बार यहां पर भ्रष्ट आदमी के खिलाफ दुनिया भर के चार्जेज लग जाते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं उसके बाद भी उसके खिलाफ जाति ग्रुप वाले लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, यह नहीं है, नहीं यह अच्छा है। इससे क्या आप भला करोगे या आने वाली पीढ़ी का भला करोगे, यह तो आपको सोचना पड़ेगा। मेरी आपसें विनम्र प्रार्थना है कि दो स्टेप भी आगे बढ़े हम एक साल में, कोई बात नहीं हम सौ परसेंट सुधार नहीं कर सकेंगे, अपने जीवन में सुधार देख भी नहीं सकेंगे लेकिन एक-एक कदम तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, हो सकता है दस-बीस साल में हम सही रास्ते पर आ जाएंगे। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलालजी। (व्यवधान) ये पहली दफा बोल रहे हैं।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो मेरे क्षेत्र का निवेदन कर रहा हूं कि शाहपुरा तहसील में श्योपुरा गांव में एक व्यक्ति रामप्रसाद और उनकी पत्नी सुशीला देवी रात के समय खेत की रखवाली कर रहे थे, सो रहे थे। 15 तारीख के दिन दोनों की रात को एक धारदार हथियार से कत्ल कर दी और लड़की के पैरों को काटकर कड़ियां ले गये और उस आदमी का सिर काट दिया तथा हाथ भी काट दिया। लड़की की उम्र 21 साल सुशीला की और 22 साल की उम्र रामप्रसाद की। दोनों ही जवान, इस बात को कम से कम 16-17 दिन हो गये। इन दो-तीन दिनों की तो मुझे मालूम नहीं है पर हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा आज तक। गृह मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है, सभी अधिकारियों से भी निवेदन है कि वह भील समाज का आदमी है, रात को खेत में दोनों जने सो रहे थे। उसकी जघन्य हत्या धारदार हथियार से की गयी है और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। अगर आप उनका फोटो देख लो तो आपकी भी हालत खराब हो जाए। ऐसी उनकी हालत की है और उनका पता भी नहीं लगा और मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन कर रहा हूं कि उस मृतका के मां-बाप बेहोश हो रहे हैं, मैं जाकर आया हूं तो उनको संबंधित विभाग से सहायता दिलवायी जाए। उनके एक बच्चा और एक बच्ची तथा डोकरा-डोकरी हैं, उनकी व्यवस्था करावें। यह मेरी मांग है और पूरी शक्ति लगाकर मुलजिमों को पकड़वाये और उनको सजा दिलायी जावे।

अब मैं पुलिस की मांग के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। इस मांग के सम्बन्ध में मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्य बोले। कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस की सराहना की और कुछ ने कमियां भी बतायीं। मैं आपको निवेदन करूं कि पुलिस में अच्छे आदमी भी हैं और ऐसे महापुरुष भी हैं, ऐसे-ऐसे भी हैं जो आंख को नीचे ही नहीं करते, ऐसे भी पुलिस में हैं। बहुत-से ऐसे भी हैं जिनको जो दे दें उसमें सब्र है, कुछ ऐसे भी हैं जो चलाकर फंसाने की कोशिश भी करते हैं और लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। उसके अन्दर मेरा निवेदन है कि जो सही आदमी है और सही काम कर रहा है, उपाध्यक्षजी,

(श्री देवीलाल बैरवा)

मेरी यह सोच है, आज ऐसा हो रहा है कि जो सही काम कर रहा है उसको चार्जशीट मिल जाती है और तबादला भी सही काम करने वाले का हो जाता है। और कहीं भी कार्यवाही होती है तो ये बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये कार्यवाही तो पता नहीं क्या करते हैं पर जो पुलिस में सच्चा काम करता है वह जनता उससे दुःखी है। और वह दुःखी कौन होता है? थानेदारजी जो सही काम कर रहे हैं, अगर वह डिप्टी साहब को रिश्वत नहीं दे तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं और वह थानेदार सिपाही और ए.एस.आई. साहब हैं उनको भी खीर नहीं खाने दे तो वह भी दुःखी। वह भी उसका विरोध करता है। वह तो दुःखी है जो है लेकिन उसकी श्रीमती भी दुःखी है। उससे पूछा जाए कि क्या, तो कहे कि वह लेवे देवें कौने और जो नीचे ए.एस.आई. जो है वह खूब लेता देता है तो उसकी पत्नी और वह दोनों बात करते हैं। हमारे तो शादी है जो उसके लिए इतना तोला सोना खरीद लिया है तो थानेदारजी की बहू और घर वाले सोचते हैं कि हम तो इसके आगे दुःखी हैं, यह न तो लेता है और न देता है। उधर साग वाले पैसा मांग रहे हैं, दूध वाले पैसा मांग रहे हैं। छोरा की पढ़ाई में पैसा बाकी, तो उसकी श्रीमती भी शाम को जरूर पैसा लेगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी भूख और भ्रष्टाचार तथा महंगाई मेरी यह सोच है कि ये गांवों में नहीं है। यह सब बड़े-बड़े अधिकारियों और ऊपर ही जाए तो ठीक है भूख और भ्रष्टाचार। गांवों में तो आना चाहिए सड़क बनाने का प्रस्ताव, चाहे तालाब का प्रस्ताव, चाहे स्कूल का प्रस्ताव, गांवों में तो सही काम और विकास का काम आना चाहिए। भूख, भ्रष्टाचार और महंगाई- ये उधर जाएं। इसको अगर आप इधर से रोक दोगे तो सारा काम सिद्ध हो जायेगा क्योंकि मेरी यह सोच है कि जो हमारी जमीने हैं, अगर उनको बेचे तो उसकी रजिस्टरी करवानी पड़ती है। अगर हम उसको बीस हजार में बेचते हैं तो आप कहते हो कि 25-30 हजार की रजिस्टरी करवाओ। आप सोचो हम बेचे तो बीस में और रजिस्टरी कराये तीस में, यह है महंगाई। जमीन पर यह महंगाई जितनी होगी तो वह सब जगह फैलेगी यह मेरी सोच है और गांवों के अन्दर मान लीजिए कोई आदमी स्कूल में पढ़ कर उसकी चपरासी या बाबू कहीं नौकरी लग गयी तो लगने से पहले लगाने वाला कहता है कि रुपया ला 1100/-, 12000/- जब तो नौकरी देई। वह भूख और भ्रष्टाचार तो ऐसे शुरू कर देते हैं आप... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बताओ कब तक बोलने दूं? (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, अगर आप मुझे रोजाना की पांच मिनट भी लगायी जाए तो मेरा आज एक घंटा ही पूरा होता है। महंगाई के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जितनी भी महंगाई हो रही है वह इधर हो रही है और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वह इधर ही हो रहा है।

(श्री देवीलाल बैरवा)

अब बची थानों की बात। वास्तव में हालत खराब है मैं आपकी इस बात को मानता हूं। थानों की गाड़ियों की कई जगह तो ऐसी हालत है कि अगर थानेदार चोरों को पकड़ने जाए तो गाड़ी को एक जना चलाता है और दो जने धक्का लगाते हैं तो तब तक तो चोर पांच कोस दूर चला जाता है। यह तो गाड़ियों की हालत है। मेरा यह निवेदन है कि एक तो थानों में गाड़ियां बिलकुल सही दे दो। दूसरा गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि ये बड़े आदमी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो सही कार्यवाही करवाओ ताकि पुलिस में जो छोटे आदमी काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा आदमी भी काम कर रहा हो, मैं तो यह सोचता हूं कि चाहे एस.पी. साहब भी हो और अगर वह सही है तो उसके लिए लोग, थानेदार, दरोगा, सिपाही और डी.आई.जी. वगैरह उन एस.पी. साहब के खिलाफ सब हो जाते हैं। क्योंकि क्या टाइम पर जाते हैं? टेम पर काम करे नहीं, सही काम करे नहीं पर लूट खसोट का देवे लेवे नहीं तो वह दुःखी हो जाता है। इस वास्ते इस भूख को कम कर दो तो सब काम ठीक हो जाए। मेरा यह निवेदन है....(व्यवधान) आपने दो मिनट दिया उसके लिए धन्यवाद। पर आखिरी बात है कि हमारे उनकी कार्यवाही कराओ। मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनकी मदद करावे। वह गरीब आदमी डोकरे-डोकरी, उनकी पुलिस की भी रिपोर्ट और तहसीलदार जी के कागज और उनकी दरखास्तें मैं दे रहा हूं। आप तहसीलदार साहब को कहो, एस.पी., एस.डी.एम. साहब को कहो उनके लिए जो भी मदद हो वह उनके घर भेजे। यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बोलने का मन तो था, भाई।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो बैठो ना।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की, चर्चा के दिन, जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो एक इतनी बड़ी विकृति का स्वरूप हमारी आंखों के सामने प्रतीत होता है कि जैसे सारा राजस्थान अपराधों के इस आलिंगन में आबद्ध हो गया। कोई माननीय सदस्य पक्ष से बोलता है या प्रतिपक्ष से, जब भी वह अपने भावों के उद्गार व्यक्त करता है तो थानों की वह पूरी डांरियां मसलन — बलात्कार का मामला हो, हत्या का हो, लूट का हो, चोरी का हो, पूरे वह हालात, एक ऐसा ब्यौरा, जो दर्दनाक और शर्मनाक है, यहां प्रस्तुत करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुतीकरण से एक ऐसी विडम्बना उपजती है जो मैं सोचता हूं कि पूरा राजस्थान जब इस सारी कार्यवाही को देखेगा और सुनेगा तो उसके मन में अनायास एक ऐसा भय उत्पन्न होगा और लगातार पचास वर्षों के इस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अनवरत कार्य से जो उपजा है, पुलिस के प्रति एक अविश्वसनियता का जो भाव बना है, उस भाव को हम विश्वास में कैसे बदले। इस पर यदि हम चर्चा करे तो अधिक सार्थक होगा। आज जिन हालात में हम हैं, हमारी जो सामाजिक विषमताएं हैं, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारे टूटते जो रिश्ते हैं, भौतिक सुखों के प्रति मन में एक लगाव उत्पन्न हुआ है, समाज में उत्कृष्ट होने की जो एक उत्कंठा मन में उपजी हुई है, यह सारे ऐसे कारण हैं जिससे इन्सान में अपराध बोध जागता है और वह अपराध बोध चाहे समाज में रहता हुआ व्यक्ति हो या पुलिस में रहता हुआ। पुलिस भी समाज का परिदृश्य है। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसका प्रतिबिम्ब पुलिस में है। आज चाहे जुडिशियरी में हो पुलिस महकमे में हो या किसी दीगर महकमे में हो, समाज के वही लोग उनमें आते हैं। मसलन राजनीति का मामला हो, क्योंकि राजनीति नैक्सस के बारे में भी जितना कुछ कहा गया है, यह बड़ा चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य कटारिया जी के भावपूर्ण उद्‌बोधन के बाद आंकड़ों के इस मकड़ जाल में उलझने की आवश्यकता मैं नहीं समझता लेकिन फिर भी एक बात की सराहना तो हमें करनी होगी और वह इसलिए करनी होगी कि हम साधु संन्यासी नहीं हैं, हम राजनीतिज्ञ लोग हैं और हमें परस्पर यह देखना होगा कि किस वक्त का कौनसा काल कानून व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा रहा, कौनसा काल कानून व्यवस्था की दृष्टि से खराब रहा।

यह तो सुनिश्चित है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बढ़ती हुई आबादी का यह लावा हमारी इस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी अहम् भूमिका अदा करेगा। आबादी बढ़ रही है तो यह सुनिश्चित है कि अपराध भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो तत्कालीन व्यवस्था के बजाय आज के वर्तमान में 4.28 परसेंट, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, अपराधों में कमी आयी है। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि पुलिस की सजगता बढ़ी है और हम उन हालात में जब हमने पुलिस की व्यवस्थाएं शुरू की थी, उनके और आज के सोच में एक मौलिक परिवर्तन भी आया है। आज पुलिस प्रशासन में भले ही कांस्टेबुलरी में हो या उच्च पदस्थ हो, शिक्षा का भाव और पब्लिक की अवेयरनैस इन दोनों ने मिलकर इसमें निश्चित रूप से कमी की है। फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बढ़ते हुए अपराध हैं, जिनमें स्कूली बच्चों के प्रति किस तरह से अफीम और नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति जो चल पड़ी है, एक बड़ी चिन्ता का विषय है। किस तरह से स्कूलों में अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा और पिछले दिनों अखबारों में भी काफी कुछ छपा कि स्कूल में पी.टी.आई. द्वारा अपनी स्कूल की एक छात्रा के साथ किस तरह से घिनौना कृत्य किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हादसा सीकर का भी एक आवासीय विद्यालय था उसके पी.टी.आई. द्वारा किया गया और उसने तो उस छात्र का मर्डर कर दिया।

तो यह सारे हालात जो बन रहे हैं, समाज में जो विकृतियां बन रही हैं इन सबको दूर करने के लिए हमें समाज में जाग्रति का एक वातावरण बनाना होगा। समाज को ही जागरूक करना होगा तब ही हम इन सारी बातों का निराकरण करने में दो कदम आगे बढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फोरेन करेंसी के मामले में जबरदस्त अपराध हुए। एक ओर जहां विदेशों से फोरेन करेंसी काफी भारत में आयी, साथ ही साथ यहां भी लोगों ने स्केनिंग करके, आज जिस तरह के आपके लेटेस्ट कम्प्यूटर्स जो आये हैं उनके माध्यम से स्केनिंग करके पांच-पांच सौ रुपये के नोट उन्होंने हूबहू बना लिये और वह आपके हाई-वेज पर द्रुत गति से चले हैं। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हादसे सीकर शहर में हुए हैं। वह अपराधी पकड़े भी गये, आज भी वह जेलों के अन्दर हैं लेकिन किस तरह से एक वित्तीय अपराध जो पनप रहा है, यह एक जघन्य अपराध है और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा जो पढ़ा-लिखा बेरोजगार है और उस बेरोजगार युवक को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है बल्कि बड़े कटु शब्दों में मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे इन शराब माफियाओं ने उनको एक हजार रुपया मासिक पर रख कर, उनको सायंकाल शराब पिलाकर, उनको दो जून की रोटी खिलाकर जो पढ़ा-लिखा युवक है उसको इन अपराध प्रवृत्तियों में लिप्त कर दिया। वह जब अपनी रैड पार्टी बनाकर जाते हैं तो उनके खिलाफ दुनिया भर के अपराध बन जाते हैं और वह अपराध बनने के बाद वह उनके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते और जिस तरह से वह वहां से मुक्त नहीं हो पाते तो आये दिन अपने आपको उन अपराधों में वह प्रवृत्त कर लेते हैं और हमारा महकमा चुपचाप देखता रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो तय है, माननीय वित्त मंत्री जी, आपका भी मैं ध्यान चाहूंगा इस मामले में। एक्साइज डिपार्टमेंट राजस्थान की रेवेन्यू का एकमात्र स्रोत है जो हमें बहुत बड़ी रेवेन्यू देता है लेकिन रेवेन्यू का वह स्रोत राजस्थान में अराजकता पैदा कर दे इस बात का कोई अधिकार नहीं देता। अपराध करे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग, अपराध करे शराब माफिया और सारा का सारा दोषारोपण पुलिस महकमे पर। पुलिस महकमा कहां-कहां उनको चेंज करेगा। आप सुनिश्चित करिये इस बात को कि केवल यह कह करके एस.पी. अपना पल्लू झाड़ लेता है चूंकि यह रेवेन्यू का मामला है, मैं इस मामले में दखल नहीं कर सकता। आपने 10 दुकाने स्वीकृत की उन 10 दुकानों के बदले वह वहां 100 दुकाने लगा लेता है और वहां बैठा हुआ अधिकारी इस मामले में केवल इसलिए हाथ नहीं डालता

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कि मामला रेवेन्यू का आ जाता है। आपके बीच में जो एग्रीमेंट होता है एक्साइज डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में उसकी निश्चित दुकाने होती है। उसको उस वक्त सोचना होगा कि तुम जिस ठेके को ले रहे हो, तुम्हारी जो वर्तमान में शर्तें हैं इसके आधार पर तय की गयी हैं। फिर तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम 10 दुकानों के बजाय 100 दुकाने लगा करके स्थानीय पुलिस से मदद की उम्मीद करो और तुम अपनी रेड पार्टी बना करके अपराध कारित करो और पूरे समाज को तुम आग में झोंक दो। यह एक बड़ा चिंतनीय है और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं समझता हूं जो कि आगे आने वाले वर्षों में और भी संगीन होकर के हमारी आंखों के सामने उभरेगा। इस पर तत्काल कोई व्यवस्था की जानी चाहिये वरना आज आपका जो 4.28 परसेन्ट अपराध का ग्राफ नीचे आया है यह ग्राफ आपका कब का कब बढ़ जायेगा आपको पता तक नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इन सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, उन गाड़ियों की क्षमताएं और आये दिन परिवारों के बुझते हुए चिराग। पहले अजमेर का मार्ग इस बात के लिए कुख्यात था। लेकिन आज हम उस पीड़ा को भुगत रहे हैं। सीकर रूट से जयपुर तक आने वाले वाहन, उसमें मैं कुछ मार्ग बीकानेर का भी सम्मिलित करता हूं, उस पर एक महीने में 10-10, 12-12 एक्सीडेंट होते हैं और कई बार तो इतनी दुःखद घटना होती हैं कि कभी नौ की कैजुअल्टी, कभी 10 की कैजुअल्टी और कभी 20 की कैजुअल्टी और आपकी एक छोटी सी जीप जो 51 इंची होती है जिसमें मात्र 6 आदमी बैठने लायक होते हैं। उस जीप में 37-37 आदमी बैठकर यात्रा करते हैं, कभी 22 नौजवान उसमें काल-कवलित हो जाते हैं, सबकी आंखों के सामने, कौन रोकेगा उन्हें? यदि परिवहन विभाग सक्षम नहीं है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, आज हमारी आंखों के सामने ही यह सब हो रहा है तो इसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके हाइवेज पर कोई फ्लाइंग का ऐसा सिस्टम होना चाहिए इसमें किसी तरह की रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में हम जितने लचर और पोच साबित हुए हैं। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में भी ऐसी एक मिसाल कायम नहीं होगी। हम किसी को भी अडल्टरेटेड दूध पिला दे, हम किसी को भी अडल्टरेटेड घी खिला दे, तेल खिला दे, वह आदमी मात्र एक दिन के लिए थाने में जायेगा उसकी जमानत हो जायेगी और वह अपने घर बैठ जायेगा। मास किलिंग का मामला है लेकिन हमारा कानून इतना चुप है। ऐसे मामलों में ऐसे संगीन अपराधों को भी हमने इतने साइलेंटली ले लिया तो गजब हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो या गजब, अब आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मन तो बहुत था बोलने का, कटारिया जी के इस उद्बोधन के बाद मन कुछ विचलित भी हुआ कि बार-बार जिन बातों को कह कर उन्होंने यहां उद्वेलित किया। जिस बात को उन्होंने बार-बार यहां पर इंगित किया। आखिर इसके पीछे दोष किसका है? ब्यावर की बात कह कर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस सदन में सार्थक चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचना होगा कि साम्प्रदायिकता का यह लावा जो आज राजस्थान पर भी अपनी कुदृष्टि गढ़ाये हुए हैं। 6 दिसम्बर के हादसे की बात मैं निवेदन करूं, माननीय कटारिया साहब, आप इसको अन्यथा न ले, 6 दिसम्बर के दिन मेरी स्वयं की मौजूदगी में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के जो सदस्य थे उन सबको इस बात के लिए प्रतिबंधित किया कि आप भले ही जुलूस निकाले लेकिन आप हथियार नहीं लेंगे। उनके आश्वासन के बावजूद कैसे उन्होंने हथियार निकाल लिये और कैसे सीकर का वातावरण बिगड़ गया। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। हम जब इस हाउस में बैठ करके खुले मन से इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान नहीं जले तो इस पर हमें सार्थक चर्चा करनी होगी।

आज हमारी सीमाओं पर जिस तरह से आतंक फैल रहा है। आज हमारी सीमा पर जिस तरह से तस्करी और चरस का व्यापार हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष कई बार इसी सदन में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि बाहर के लोग इन सीमाओं पर आकर के अराजकता फैलाते हैं। सुबह नेता महोदय बात कह रहे थे जब काआपरेटिव मिनिस्टर साहब जौ के विषय पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, जब निवेदन किया कि इस तरह की बातें फैलाने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री ललित भाटी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही दो मिनट ले ली।

श्री राजेन्द्र पारीक : चलिये, बाकी बात नहीं कहूंगा। अपनी बात तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी ना।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो हमारे बारे में कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आज जमाना इस बात का है... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इनकी खुद की तो बाकी पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, समाप्त करने दें।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने प्रेरित कर दिया। आज इन्हें आपने प्रभावित किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें एक बात देखनी होगी कि पुलिस और समाज दोनों में कैसे आपसी समन्वय हो, कैसे उनमें आपसी विश्वास की बात पैदा हो। इसके लिए मेरा एक छोटा-सा सुझाव है कि बड़े शहरों की तर्ज पर सीकर में भी नागरिक सुरक्षा का कार्यक्रम लागू किया जाये। जिससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा और आये दिन जो छोटे-मोटे काण्ड होते हैं जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है, जो संवादहीनता की वजह से होता है। स्थानीय पुलिस नागरिक सुरक्षा के माध्यम से पुलिस के और समाज के बाकी अन्य लोगों के बीच में एक सेतु का काम करेगा और इसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पुलिस महकमे पर जो बजट का अलोकेशन होता है उसका 92-94 परसेन्ट तो पूरा का पूरा इनकी तनख्वाह पर लग जाता है और मात्र इतना बचता है जिसमें इन सारे हालात में, यह विदेशी आक्रांता सारे के सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट को लेकर के जो हम पर अटैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं वह सारे साधन हम जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ है उनसे नहीं ला सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों का यह खास आग्रह था कि हमारे पास में जो साधन हैं, हमारे पास में जो हथियार हैं, वह आउट डेटेड हो गये हैं। हमारे पास में जो व्हीकल्स हैं वह आउट डेटेड हो गये। सदर थानों के पास में उनके खुद के भवन नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने पूरे राजस्थान को कम्प्यूटर से जोड़कर अपराधों की जो लेटेस्ट इंफार्मेशन देने की व्यवस्था की है। इसी तरह से बाकी के सारे कामों में भी यदि आप अपनी साइंटिफिक सोच डवलप करें, उनको अच्छे हथियार उपलब्ध कराये, अच्छे उनको साधन उपलब्ध कराये तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आज कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसके हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 और 17 पर जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिया है उन पर मैं अपने विचार आपके माध्यम से रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने अपने काफी सारगर्भित विचार यहां पर अभिव्यक्त किये हैं और मेरा नम्बर आते-आते तो बहुत कुछ मैटीरियल वैसे ही कम हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक परिदृश्य अब बदल चुका है। अगर हम देखें आजादी के बाद, अगर हम उस समय पर दृष्टिपात करें तो आजादी के बाद जो परिस्थितियां थीं, उस समय जो पुलिस प्रशासन था उस समय जो समाज था उसके बाद से लेकर आज तक 50 साल के अंदर हमारा जो सामाजिक सीन है वह

(श्री ललित भाटी)

करीब-करीब पूरा ही बदल चुका है और इस बदले परिदृश्य के साथ में जो अपराध करने के तरीके हैं, उन तरीकों में भी बदलाव आया है और जिस तरीके की चिन्ता सभी सदस्यों ने अपने विचारों के अंदर कही है या चिन्ता जतायी है वह बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आज अपराधी तो ज्यादा कुशाग्र बुद्धि हो गया है। वह बहुत ज्यादा साइंटिफ़िक तरीके से, प्लांड-वे के अंदर और सुज्जित होकर के वेल इक्विप्ड होकर माडर्न वेपन्स लेकर के वह अपने काम को अंजाम देने के लिए निकलता है और उसकी तुलना में हमारा पुलिस प्रशासन जो है वह अभी भी उन्हीं परम्परागत साधनों के साथ चल रहा है या उन्हीं साधनों के साथ में वंह अपना संघर्ष कर रहा है जो उनकी स्थापना के समय उनको दिये गये थे। इस चीज पर हमको गौर करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसके हिसाब से हमें अपने पुलिस प्रशासन को लैस करना पड़ेगा। हमें उनको उससे सुसज्जित करना पड़ेगा, तब जाकर मैं सोचता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, हम समाज के अंदर जो दण्ड व्यवस्था रखना चाहते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था कोई नयी नहीं है, यह व्यवस्था तो जब से हमारे समाज की परिकल्पना की गई, जब से हमारा समाज स्थापित हुआ है, तब से दण्ड की व्यवस्था है। उन दण्डों के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहले वांक् दण्ड दिया जाता था, फिर उसके बाद धन दण्ड दिया जाता था, फिर सश्रम दण्ड दिया जाता था और अंत में हुआ करता था मृत्यु दण्ड, यह दण्ड का जो विधान है, दण्ड की जो व्यवस्था है, यह तो तब से चली आ रही है, सबने कालान्तर में जैसी आवश्यकता थी उसको इसके अंदर रिवॉल्वड किया है, इसको इमर्ज किया है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने दण्ड की व्यवस्था के अंदर इजाफा किया है, उसको दुरूस्त किया है।

आज जिस तरीके की हालत है उसके अंदर मेरा यह मानना है कि पुलिस प्रशासन को आधुनिक सुविधाओं के साथ में मौजूदा समय में जो टैक्नोलॉजी अब आ गई है उसके साथ में इसको जोड़ने की बहुत जरूरत है, तब जा करके इस बढ़ती आबादी के साथ में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनके साथ सामंजस्य पैदा कर पाएंगे। अन्यथा तो इसका कोई निष्कर्ष निकालना मैं समझता हूं कि मुश्किल है और यह बेजा सारी कवायद जाएगी और हम विशेष ठोस कार्यवाही इस पर नहीं कर पाएंगे, कोई दिशा अपने पुलिस प्रशासन को नहीं दे पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की सीमा जिस तरीके से पड़ोसी राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है और आई.एस.आई. की गतिविधियां जिस तरीके से सब जानते हैं, इस देश में पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त हो, उपद्रव हो, उग्रवाद बढ़े और वह एक्टिविटी चला रहा है, वह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। हजारों किलोमीटर लम्बी हमारी जो सीमा है, उस सीमा की सुरक्षा के ऊपर

(श्री ललित भाटी)

जिस तरीके की बात की गई है, विपक्ष के माननीय नेता ने यह बात सदन के अंदर कही की 12000 आई.एस.आई. के एजेंट आ गए हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि 12000 आए या नहीं आए हैं मगर उस सीमा से इस तरीके के लोगों का आने-जाने का मार्ग तो खुला है, ऐसा निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्रालय को यह देखना पड़ेगा कि आई.एस.आई. की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको वॉच करने के लिए एक सैल अलग से अगर वे मुनासिब समझे तो उसका गठन करना चाहिए ताकि हम अपने प्रदेश के खुशगवार माहौल को बचा सके। हमारी इतनी लम्बी सीमा हमारी पड़ोसी राष्ट्र को नजर आती है कि जहां से खास कर न सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि हमारे देश के अंदर वह अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है तो इस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए।

1993 के बाद इस तरीके से सबने कहा कि अपराधों में कमी आई है, मगर उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से साम्प्रदायिक सद्भाव को लेकर प्रदेश में तनाव बढ़ रहा है, इस पर निश्चित रूप से हमारे को गौर करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद हमने अपनी जो सर्वोच्च पुस्तक शिरोधार्य की है संविधान की, उस संविधान के अंदर हमने यह कल्पना की है कि हम जाति विहीन और साम्प्रदायिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव के समाज की कल्पना करेंगे और आज हम कहां जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने एक बड़ी अच्छी बात कही, नसीहत दी। उपाध्यक्ष महोदय, नसीहत देना अलग बात है, शिक्षा देना अलग बात है, उस पर चलना दूसरी बात है। मेरी इस बात को आप अदरवाइज न ले मगर आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप बताएं कि कोई इस तरीके की वारदात प्रदेश के अंदर हुई जिसमें हमारे अग्रिम संगठनों को नामजद किया जाता हो। सेवा दल के लोगों की वजह से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हो, कांग्रेस का एन.एस.यू.आई. एक संगठन है, उसकी वजह से कहीं पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हों, यूथ कांग्रेस की वजह से कहीं दंगे हुए हों। माननीय कटारिया साहब, क्यों नाम आता है विश्व हिन्दू परिषद् का, क्यों नाम आता है बजरंग दल का? यहां पर जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है उसमें राजसमन्द और दूसरी जगह के दंगों में क्यों इनके लोगों का नाम आ जाता है। तो आप इस बात को जो कह रहे हैं कि हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा तो कम से कम आप घर में पहले यह कवायद करें, आप घर के अंदर पहले यह शिक्षा दें। सिर्फ कांग्रेस की ही अकेले की जिम्मेदारी नहीं है साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए, सारे राजनीतिक दलों की, उनके अग्रिम संगठनों की, सबकी सामूहिक

(श्री ललित भाटी)

जिम्मेदारी बनती है, तब जा करके हम साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने के अंदर सफल हो पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर को जिस तरीके से साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर मैं यह नहीं कहता कि विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों की अकेले उनकी वजह से ब्यावर के अंदर दंगा हुआ, उनकी वजह से नसीराबाद में दंगा हुआ। मगर वह भी एक कारण है। उन्होंने इस तरीके से हरकतें की, उन्होंने इस तरीके से प्रोवोकेशन की बात की, जिसकी वजह से लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आज सदन के अंदर वे यह स्पष्ट करें कि कौन इस बात के लिए दोषी है क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी बात कह कर बैठ जाएंगे और उसके ऊपर आप भी कोई इजहार नहीं करेंगे, आप भी कोई निर्णय नहीं देंगे तो कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि अगर प्रशासन इसके लिए दोषी है तो आपको प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करना पड़ेगा, वहां पर अगर प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता है तो प्रशासन आपको बदलना पड़ेगा। इसके लिए अगर किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है तो आपको राजनीतिक दलों के ऊपर क्या कार्यवाही करे, वह भी आपको सोचना पड़ेगा। आप उनके नेताओं को कहें, आप उनके कर्ता धर्ताओं को कहें, उनको कांफिडेंस में लें, उनको समझाएं कि जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं है, आपको भी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए यह काम करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से नसीराबाद और ब्यावर के अंदर हुआ, नीलाम्बर सिंह नाम के ए.एस.आई. को आकर वहां लोगों ने कहा, शिकायत की कि मूर्तियां तोड़ी जा रही है, तो पुलिस का वह अधिकारी कहता है कि तालिबान में भी तो बहुत मूर्तियां तोड़ी जा रही है वहां तो जाकर रोक लो। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बातों की वजह से नसीराबाद में स्थिति बिगड़ी। रावला बाडिया के अंदर जिस तरीके से हुआ, ब्यावर कुछ दूर नहीं, हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, वे गुप्तचर एजेंसियां किस तरीके की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं? उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके से साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त हो रहा है तो इससे हम नहीं बच सकते। विश्व हिन्दू परिषद् को जब अपना जुलूस निकालने की परमिशन प्रशासन ने दी, उसके बावजूद भी क्यों ढिलाई बरती गई? इसके बावजूद भी वहां दंगे हुए, इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? लॉ एण्ड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सिर्फ राजनेताओं की है, आप राजनेताओं को कठघरे में खड़ा करिए और राजनीतिक दलों की है तो उन दलों को भी कठघरे में खड़ा करिये। हमें इन बातों के लिए, जिनको तैनात कर रखा है अगर उनकी कहीं कोई

(श्री ललित भाटी)

कोताही है, अगर उनका कहीं लैप्स है तो उस लैप्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उस लैप्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। हम इस बात की हामी भरने वालों में से नहीं हैं कि पुलिस के मनोबल को गिराया जाना चाहिए लेकिन अगर कहीं जिम्मेदारी बनती है तो ऐसी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कि पुलिस की छवि बनी रहे, उससे भी लोगों का उस पर विश्वास बनता है।

आपने जिस तरीके से दोहरे मापदण्ड अपनाए, हमारे केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, उपाध्यक्ष महोदय, वह बात बिलकुल सोलह आने सही है। जहां पर दंगे हुए, जहां पर झगड़े हुए, वहां आपने पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी छोटे अफसर के खिलाफ कार्यवाही की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? जहां माहौल बिगड़ा नहीं है, जहां कुछ हुआ नहीं है, वहां की आप रिपोर्ट मंगवाते हैं, वहां के अधिकारियों को आप दोष देते हैं। अगर यही बात है कि आप पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करना चाहते हैं और कमजोर आदमी, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी बुजुर्ग के मुंह से सुना था, अगर 10 लोग कहीं खड़े हों और वे 10 लोग काबू में आपके न आ रहे हों तो उनमें देखो कौन दुबला, पतला, कमजोर है, उस दुबले, पतले, कमजोर आदमी को डांट दो या थप्पड़ मार दो, बाकी 9 अपने आप लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा ही प्रदर्शन वहां कराया जाए कि गलती हो बड़ों की और मारा जाए एक छोटा अफसर, एक कमजोर वर्ग का आदमी, दोनों के दोनों एस.सी. कम्युनिटी के हैं, उनको आप लाइन में खड़ा करके उनको थप्पड़ जमा कर बाकी प्रशासन को सही करना चाहते हैं, यह मापदण्ड गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तय करना पड़ेगा कि जो इसके लिए दोषी हैं, जो सही में इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी और गृह मंत्री महोदय, यह आप तलब करें कि जहां पर दंगे हुए वहां पर आपके विभाग के जिम्मेदार अफसर, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी रेस्पोंसिबिलिटी होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही क्या की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? क्यों उनको बचाने के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कोशिश की जा रही है।

एस.सी., एस.टी. एट्रोसिटी एक्ट. की बात सामने आई और अगर 1999-2000 के अंदर 0.06 प्रतिशत...

(समय-समाप्ति-सूचक- घंटी)

मैं बात समाप्त करने की दिशा में ही जा रहा हूं। चूंकि हम कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए पैरवी कर रहे हैं, सरकार उनके लिए अपने घोषणा पत्र में वायदे करके आई है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ मुकदमे दर्ज होने से काम नहीं चलने वाला है, मुकदमे दर्ज हुए हैं 1168, उनमें सिर्फ 444 में ही चालान पेश हुआ है। एफ.आर. 676 में लगाई गई। तो

(श्री ललित भाटी)

यह एस.सी., एस.टी. एक्ट के अंदर आप मुकदमे दर्ज करके हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए या जिन लोगों ने ये मुकदमे दर्ज कराए उनके साथ यह जो फेट हुआ है, इसका जो परिणाम आया है, इसका रिपरकेशन और उसका रिएक्शन सोसाइटी में नहीं आता है इस चीज को देखना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला अत्याचार के अंदर भी इसी तरह की बातें हैं।

(20.00 बजे)

हमारे जो दरगाह का थाना है उसके लिए विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। उसके लिए मेरा कट मोशन भी है। 1998 के अंदर जब वहां अजमेर में दरगाह क्षेत्र के अंदर दंगे हुए उसके दो-तीन दिन बाद ही इस दरगाह थाने की स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद से लेकर आज तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। आज 2001 हो गया। माननीय गृह मंत्री महोदय, 1998 से लेकर आज तक तीन साल में हम इसका नोटिफिकेशन नहीं कर पाए और नोटिफिकेशन नहीं होने की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है। इसके अंदर व्यवस्थाएं यह हो रही हैं कि वहां पहले से ही एक गंज थाना हुआ करता था। एफ.आई.आर. दर्ज होती है, गंज थाने के अंदर, दरगाह थाने के अंदर नहीं हो रही है। उसकी तफतीश करता है दरगाह थाने का आदमी और जब चालान पेश होते हैं तो उसकी स्थिति देखिए जो कोर्टों को बंटवारा किया हुआ है उसके अंदर गंज थाने का काम तो दे रखा है ए.सी.जे.एम.-2 को और दरगाह थाने का दे रखा है सी.जे.एम. को। तो दर्ज हो कहीं, तफतीश करे कोई और उन दो जगहों पर जाकर न्यायालय के अंदर उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद स्थिति क्या है उपाध्यक्ष महोदय, कि हाई कोर्ट से उन लोगों को जमानत इस बेस पर मिलती है कि चूंकि इस थाने का नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए यह कोई मुकदमा न तो दर्ज कर सकता है, न यह चालान पेश कर सकता है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं, वहां जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इस बेस के ऊपर कि उसका नोटिफिकेशन नहीं है वह सारी कवायद, उनका सारा पैसा खर्च किस बात के लिए किया जा रहा है? उस इलाके के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से रोक पाएंगे।

मैं तीन केसेज के बारे में आपको बतलाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंदर हुए। स्मैक के ये केस दर्ज हुए है। स्मैक जो समाज के लिए जहर है, उस केस के अंदर जो मुकदमे दर्ज हुए वो हाई कोर्ट से इस तरीके से छूट कर आ जाएं, उसके अंदर एक है सलीम गूदड़ा बनाम सरकार, दूसरा सिराज बनाम सरकार, तीसरा कुमारी आरिफा बनाम सरकार। ये तीन केस तो मेरी जानकारी के अंदर हैं जिनको हाईकोर्ट से इसी बात के ऊपर कि थाने का नोटिफिकेशन नहीं है इसी आधार पर वे

(श्री ललित भाटी)

बेल आउट होकर आये। जनवरी, 2001 में मुझे पता है कि गृह मंत्रीजी ने, होम डिपार्टमेंट ने इसके नोटिफिकेशन के बारे में कोई क्वेरीज की थीं और वहां से लोकल लेवल पर वह भेज भी दी गई है, लेकिन आज तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो यह नोटिफिकेशन हो और दरगाह थाने का जो सी.ओ. ऑफिस है उस सी.ओ. ऑफिस का भी अपना कोई कार्यालय नहीं है। दरगाह नाजिम के आफिस के अंदर सी.ओ. दरगाह का आफिस चलता है। कोई गोपनीयता ही नहीं है। वहां पर नाजिम के पास में जितने भी जायरीन आते हैं वे एक बार जरूर मिलने के लिए जाते हैं। अब वे जायरीन वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको डिस्टर्बेंस भी होता है। तो वे न तो ढंग से काम कर पा रहे हैं, न आपकी कोई गोपनीयता रह रही है, न आपका नोटिफिकेशन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गृह मंत्रीजी इसके ऊपर शीघ्र कार्यवाही करें।

मैं दो बातें कह कर अपनी बात खतम करूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक नागरिक अधिकार पत्र जारी करना चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों को यह पता लगे और उसका थाने के अंदर बाकायदा प्रदर्शन होना चाहिए, वह लटका हुआ होना चाहिए कि आम नागरिक के क्या अधिकार हैं। जिस तरीके से थाने में जाने से लोग कतराते हैं उसके अंदर हम कमी कर सके।

सामाजिक सेवाओं की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब हाईराइज बिल्डिंग्स बनने लगी हैं, जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है उसके अंदर आपको अग्निशमन सेवाओं को अनिवार्य करने की दृष्टि से भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आग लगने की दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें अग्निशमन सेवाओं के प्रोपर नहीं होने की वजह से बहुत कैजुअल्टीज होती हैं तो आप इस तरीके का इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाएं कि अग्निशमन सेवाओं का विस्तार हम प्रदेश के अंदर कर सकें ताकि किसानों की जो जलती हुई फसल है वह भी बच सके और आगजनी की दुर्घटनाओं में हम जनहानि को भी बचा सकें। मुझे आपने वक्त दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम जी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-16 और 17 के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें शरीक करता हूं। हाउस में पक्ष और विपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने पुलिस के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। अधिकांश ने तो पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में कहा है, पुलिस की लापरवाही के बारे में कहा है, पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही है इसके बारे में कहा है। ऐसा नहीं है पुलिस में कई अच्छे अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर भी कहा है। कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन जिन अधिकारियों के बारे में नामजद शिकायतें हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ

(श्री नाथूराम अहारी)

में कार्यवाही होनी चाहिए और लोगों में यह विश्वास आना चाहिए कि इस अधिकारी ने जो गलती की थी उसके बारे में उसको सजा मिली। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए और उसमें जो भी अधिकारी हैं उन्हें दण्ड मिलना चाहिए।

अक्सर यह देखा जाता है कि पुलिस में जो भी व्यक्ति जाता है, जो गुनाह करके जाता है उसके लिए उसका वहां नामकरण करके सामने वाली जो भी पार्टी है उसे कहा जाता है कि तुम सामने वाले पर क्रोस केस कर दो जिससे सामने वाला अपने आप बैठ जाएगा। उसमें यह भी होता है कि क्रोस केस में भी 8-10 आदमियों को जोड़ दिया जाता है जिससे जो आदमी जिसका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पैसा लेकर उसका नाम लिखा जाता है। जितना ज्यादा पैसा देंगे उतने ही उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इसके बारे में भी पुलिस के ऐसे जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को दण्डित करना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, भले साल में एक बार या दो बार इस तरह के लोगों के साथ व्यवहार किया जाए जिससे लोगों में आपस में कटुता पैदा न हो। कहीं ऐसा भी होता है केस करने के लिए गया तो सामने वाला दूसरा आदमी है उसके ऊपर भी क्रोस केस करने के लिए जीवन भर की दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है। कई जगह उससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में भी मैं समझता हूं कोई इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि हमारी जनता को नुकसान न हो।

हमारे पुलिस विभाग में जहां थाने हैं उन थानों में कोई व्यवस्था नहीं है। थाने के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें सांप, बिच्छू घुस रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मेंटिनेंस के लिए मेरी मांग है कि आप उन थानों में जहां आपके निजी भवन हैं उन भवनों के रख-रखाव के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही थानों में जो भी साधन हैं, वाहन हैं वह बिलकुल निकम्मे हैं। उनमें जो सामने वाला आदमी है उसकी बराबरी नहीं कर सकता और जो चोर है वह पैदल भाग कर जाए तो भी उस साधन के द्वारा जा नहीं सकते और उस साधन से उस चोर को पकड़ नहीं सकते, इस तरह के साधन हैं। तो आधुनिक युग के जो साधन हैं, जो अच्छे साधन हैं वे अच्छे साधन दिये जाने चाहिए और हर थाने में कम से कम एक जीप की व्यवस्था हो। आजकल के युग को देखते हुए अच्छी जीप की व्यवस्था होनी चाहिए, यह मेरी मांग है। इसके अलावा वहां एक-दो मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी इस तरह की गलती करके भाग जाए तो गाड़ी की रोड नहीं है तो वह नहीं जा पाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि मोटरसाइकिल भी थाने में होनी चाहिए जिससे उनको पकड़ा जा सके।

(श्री नाथूराम अहारी)

मेरे डूंगरपुर जिले में होमगार्ड के जवान नहीं हैं। कई जिलों में होमगार्ड है, लेकिन मेरे डूंगरपुर में होमगार्ड नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि होमगार्ड के जवानों को वहां लगाया जाए जिससे कि वहां की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। हमारे उदयपुर में मेवाड़ भील कोर एक कम्पनी है, उसमें अक्सर यह देखा गया है कि यह जो मेवाड़ भील कोर कम्पनी है उसमें एस.सी. के व्यक्तियों को वहां रखने के लिए रखा गया है, लेकिन उसमें अधिकांश लोग दूसरी जाति के हैं और उसमें एस.सी. के लोगों को नहीं रखा गया है। और एस.सी. के लोग हैं उसमें इस हिसाब से रखा गया है कि वह उस एरिया के लिए वाकिफ हैं और वह उस एरिया में अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। इस हिसाब से यह रखा है। लेकिन मेरी मांग है कि उसमें प्राथमिकता के तौर पर भीलों को वहां रखा जाय। यह मेरी मांग है। इसके अलावा, अभी गत साल कई एस.सी., एस.टी. के थानेदार और अन्य अधिकारियों को पदावनत कर दिया गया है उसे भी। मेरी मांग है कि आप इस तरह से जो एस.सी., एस.टी. के लोग हैं, क्योंकि हमारी सरकार एस.सी., एस.टी. के सुधार के लिए और उनकी उन्नति के लिए काम कर रही है लेकिन इस बारे में जो यह कदम उठाया है, यह गलत उठाया है। इसकी भी मैं मांग करता हूं कि उसे वापस बहाल किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कई अधिकारियों, कर्मचारियों के काफी रिक्त पद हैं, काफी जगह खाली हैं तो मेरी मांग है कि जब इस तरह के आज के युग और इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है और तरह-तरह की इस तरह की हत्याएं होती हैं तो आप इन पोस्टों को भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा व जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। अधिकांश थानों में टेलीफोन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री नाथूराम अहारी : तो टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनसे रोज मिलते हो, कर लेना, बिराजें। रघुवीर जी।

श्री नाथूराम अहारी : और टेलीफोन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यह आपसे मेरा निवेदन है। आपने जो मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री रघुवीर सिंह (सराडा) : सम्माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, बात तो मुझे काफी कहनी थी पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि आप इतनी सारी सुन लेंगे इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कि किस तरह से शुरू करूं, किस तरह से एंड करुं परन्तु मेरी बात जो है जो कहना चाह रहा था, उसको मैं प्रारम्भ में ही शुरू कर दूं तो मेरे खयाल से मेरी मंशा पूरी हो जाएगी।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य नगर और बड़ी सादड़ी से आने वाले

(श्री रघुवीर सिंह)

माननीय सदस्य न जिस तरह से सारगर्भित इस सदन में चर्चा की है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो बहुत लम्बा कर रहे हो फिर हमारा नाम क्यों होता है?

श्री रघुवीर सिंह (सराडा) : निश्चित तौर से कुछ प्रेरणा लेने योग्य हैं और इस ओर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस पवित्र सदन में हम जो बोलते हैं इस पर अगर हम अमल भी करेंगे तो हमारे समाज के लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक सुखद कदम होगा और निश्चित तौर पर यह हमारा फर्ज भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बात कहूं उससे पहले निवेदन करूं जैसाकि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा एम.बी.सी. के बारे में जिक्र किया। मांग-17 पर डिबेट है इसलिए मैं इस ओर आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इस ओर अपने वक्तव्य में निश्चित तौर से यह बात मेंशन करेंगे। एम.बी.सी. 1838 में बनायी गयी थी उसका गठन किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था और उस उद्देश्य को अंग्रेजों ने पूरा भी किया। जब से एम.बी.सी. बनी तब से लेकर 1984 तक उसमें 80 प्रतिशत उस क्षेत्र के रहने वाले जनजाति के लोग भर्ती हुआ करते थे और 1984 के बाद उसको 12 प्रतिशत कर दिया, वह भी परम्परा चली आ रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, 1995 में एक अधिसूचना के माध्यम से कानून बनाकर राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में कुछ विभाग हैं जिनमें कैटेगरी एक से 6 तक वहां के उस क्षेत्र के रहने वाले जन जातियों के लिए ही प्रावधान किया गया था जिसमें एम.बी.सी. भी आती थी और वहां जब भी भर्ती होती थी तो 45 प्रतिशत वहां के लोगों को लिया जाता था। उसके बाद 5 प्रतिशत एस.सी. और वहां के रहने वाले लोगों को लिया जाता था परन्तु मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सिर्फ एम.बी.सी. का उदाहरण मैं दे रहा हूं, अन्य विभाग भी है परन्तु एम.बी.सी. में पिछले समय में भी 1998 में वेकेंसी निकली थी उसमें भी मात्र सामान्य वर्ग के आशार्थियों को ही लेकर भर्ती कर दी गयी थी। अभी 26.2 को एक और वेकेंसी निकली है, 35 पद हैं कांस्टेबल के और उसमें 17 तारीख को एक्जामिनेशन होने जा रहा है, 35 पद हैं और 35 पद ही सामान्य वर्ग के लिए हैं एम.बी.सी. के कांस्टेबल के लिए। तो 1985 से जो आदेश निकला है कार्मिक विभाग (ग्रुप-दो) का, तो उस आदेश का क्या औचित्य है। जो मंशा यह रही कि कांस्टेबल तक के लोग केटेगरी 6 के अन्दर जितने भी लोग आते हैं चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे थर्ड ग्रेड टीचर में हो, चाहे फोर्थ क्लास हो, चाहे ए.एन.एस. हो, चाहे कांस्टेबल हो एम.बी.सी. के जो भी कर्मचारी हो उन सब को 45 प्रतिशत भर्ती करनी थी उस आदेश का क्या हुआ? इसका औचित्य क्या रहेगा? तो मैं

(श्री रघुवीर सिंह)

माननीय गृह मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि वह अपने आदेश की स्थिति को स्पष्ट करें। यदि किन्हीं अधिकारियों ने इसे साधारण रूप से एक सामान्य बात समझकर इस तरह से तोड़ा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यह आप निश्चित तौर से मेंशन करेंगे। महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते है वह पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां जो विशेष कर सी.आई. है, थानेदार है उनकी पोस्टिंग होती है, मैं सरकार की नीति के बारे में या पोस्टिंग करने से कोई सुधर जाएगा, यह नहीं कहता हूं पर इस जमाने में प्रेक्टिकली बात जो होती है या होती आई है जहां कमजोर तबके के ज्यादातर लोग रहते हैं और वहां हम किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को लगाएंगे तो यह होगा कि ऐ, इधर आ। उससे क्या है, वहां निश्चित तौर से, क्योंकि आज युग पढ़ाई का भी है, अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में, उसकी वजह से भी वहां वातावरण बिगाड़ने की कोशिश होती है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाई-वे चीरता हुआ जाता है और खैरवाड़ा भी आता है और इधर से उदयपुर भी आ जाता है तो सराड़ा से आगे जहां खैरवाड़ा के ऋषभदेव हैं वहां पर थाना है और उसके बाद 15 किलोमीटर बाद मेरा गांव आ जाता है उसके बाद 50 किलोमीटर बाद उदयपुर आता है तो इस बीच में कोई भी थाना नहीं है। यह काफी लम्बे समय से मांग चल रही है। नेशनल हाई-वे हैं और वहां एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और कई तरह की ऐसी दिक्कतें होती हैं तो 15-16 किलोमीटर नेशनल हाई-वे 15 और 65-70 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कोई किसी तरह का थाना नहीं है, परसाल में थाना प्रस्तावित है लम्बे समय से। मैंने आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी मांग की थी और मैं चाहूंगा कि आप अपने भाषण में जरूर इस पर कोई न कोई हमें आश्वासन देंगे।

एक निवेदन यह था कि प्रस्तावित की जहां बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट कहूंगा। जहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आई.पी.एस. को रिवर्ट करने की जो बात कही, हम मानते हैं कि 12 प्रतिशत का आधार बनाकर आपने यह किया होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला था परन्तु पूरे हिन्दुस्तान के किसी स्टेट ने इसको नहीं किया, उसके पहले ही हमने कर डाला। चलो हमसे एक गलती हुई परन्तु हम यह कह रहे हैं कि हमने आई.पी.एस. को भी यह मान लिया परन्तु नीचे के कैडर में हम तो एक थानेदार को ही ले लेते हैं, सी.आई. को ही ले लेते हैं। पूरे राजस्थान में कितनी पोस्टें हैं और उन पोस्टों के आधार पर हम यह देखें कि क्या 12 प्रतिशत है, यदि नहीं हैं तो क्या उनमें हम वापस बैकलॉग को पूरा करें या इस रेश्यो को पूरा करने की मंशा रखते हैं? यह भी हमको सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह यह आता है कि बीच

(श्री रघुवीर सिंह)

में की तरह की बल्लियां जो गाड़ी जाती हैं उन बल्लियों को हटा कर हमें समान रूप से जो अधिकार, जिसे मिलना चाहिए, वह देने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर माननीय गृह मंत्री जी निश्चित तौर पर ध्यान देंगे और उन पर आश्वासन देंगे। अभी चूंकि हम राजनीति में हैं और पुलिस विभाग हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, समाज या आज का समय इस परिप्रेक्ष्य में देखता है कि ये सब भ्रष्ट हैं। नेता भ्रष्ट है, खाकी वर्दी वाला भ्रष्ट है, वकील भ्रष्ट है, आम तौर पर आम व्यक्ति कह देता है, साधारण व्यक्ति भी कह देता है। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर.....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : एक-एक लाख रुपये में बिक जाते हैं तो काहे के भ्रष्ट हैं वे। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : तो इस हेतु भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। आज हमारा ए.सी.डी. जो है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा और मजबूती के पर्याप्त जो भी साधन चाहिए, वे भी हमें देने पड़ेंगे। जो उनको आवश्यकता है उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि वे अच्छी ईमानदारी से और अपने पूरे उत्साह के साथ क्षेत्र में काम करेंगे और काम करेंगे तो उसके परिणाम भी सामने आयेंगे। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अब धीरे-धीरे सब डरने लगे हैं तो वाकई में सही बात है कि अब जितने भी पिछले समय में हमारी सरकार ने जितना मुस्तैदी से काम किया है और जितने छापे पड़े हैं, रेड हुई हैं उसकी वजह से आम व्यक्ति में यह धारणा भी बनी है कि वाकई में ए.सी.डी. वाले कहीं छापा मारेंगे तो बदनामी भी होगी, सजा भी होगी। तो तरह से कई तरह के फायदे भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा ही दी है तो मैं आपके आदेश की अवहेलना तो नहीं कर सकता हूं परन्तु आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए गृह मंत्रीजी, पुनः आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल से नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी चर्चा इसलिए हो रही है कि समाज में हिलडुल शुरू हो गयी है और इसलिए पुलिस पर चर्चा हो रही है कि यह जो कुछ हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, समाज में तनाव बढ़ रहा है इसको कौन रोके? तो ध्यान दो ही तरफ जाता है। या तो सरकार की तरफ जाता है या पुलिस की तरफ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सब ने अपनी-अपनी बात कही है परन्तु मैं विशेष तौर से इसलिए आपसे समय मांगना चाहता था कि आज मुझे खुशी है इस बात की कि जब से बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में खाता खुला है, क्योंकि मैं 1985 से विधान सभा में हूं, बीच में एक-आध बार गैप हो गया परन्तु 1985 से लेकर अब तक मैंने चर्चा सुनी है, चर्चा में भाग लिया है परन्तु कभी भी

(श्री जगत सिंह दायमा)

दलित वर्ग की बातें चर्चा में नहीं आती थीं। अब बहुजन समाज पार्टी यहां आयी, विशेष तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है उसके ऊपर चर्चा की तो उसके बाद में कुछ माननीय सदस्यों ने ताकत दिखायी है अब की बार कि हां, हम लोगों को भी कुछ न कुछ बोलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय कटारियाजी ने दो-तीन बातें कहीं। सबसे बड़ा दुःख तो यह है कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं और फिर जो राज में बैठे हैं वे लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि हमको यह कर देना चाहिए, हमको यह कर देना चाहिए। आखिर करेगा कौन? जानते तो सब हैं, किसी को खड़ा कर दीजिये, बहुत अच्छा भाषण दे लेगा। परन्तु जब सत्ता में होते हैं तब बिलकुल आंख बंद कर लेते हैं। माननीय कटारियाजी नहीं है, माननीय कटारियाजी ने ऐसा भाषण दिया कि जैसे बस इससे बढ़िया कोई भाषण दे नहीं सकता और इससे बढ़िया व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। मेरा जो कहने का तात्पर्य है, यह चीज भी आनी चाहिए विधान सभा में कि मैं बसपा से हूं तो उसके क्या उद्देश्य हैं। इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं--

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक यह कहा नहीं क्या आपने?

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय कटारियाजी सत्ता में थे, अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं--

श्री उपाध्यक्ष : आप भी थे इनके साथ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं भी सत्ता में था इनके साथ। उनके साथ था जब दो बातों का मैं ज़िक्र करूंगा और आप कहोगे कि शाबास जगत सिंह बात आपने बहुत बढ़िया कही। मैं सत्ता में था तब माननीय भैरोंसिंह जी का राज था और मैं मंत्री था।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, यह बात पता चल गयी मायावतीजी को कि माननीय उपाध्यक्षजी ने आपकी पीठ थपथपाई तब क्या होगा आपका?

श्री जगत सिंह दायमा : भाई मेरी शाबासी हो जाएगी और आप बैठ जाओ, मनुवादी बीच में बोलते हो, उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछड़े वर्ग के लोग यह महसूस कर रहे थे उस वक्त की हमें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है और मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री था और मंत्री होते हुए मैं इस सिस्टम में पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने खड़े होकर विधान सभा में यह कहा कि जिस सरकार में मैं बैठा हूं वह पिछड़ों की विरोधी है, वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करना चाहती। यह मैंने कहा था। यह बात मैंने कही। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब अगर इस बात को कहते हैं कि जगत सिंह गलत कह रहा है तो मुझे बाहर निकाल दो। इस्तीफा तो नहीं दूंगा। निकालो

(श्री जगत सिंह दायमा)

बाहर। बाहर निकालने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि जगत सिंह ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही है, अगर इसको निकाल दिया तो यह छोरा हीरो बन जाएगा। इसलिए नहीं कर सके कुछ भी। यह तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस वक्त कहा जब मैं मंत्री था। और माननीय कटारियाजी भी मंत्री थे, इन्होंने क्या कहा? जालौर में काण्ड हुआ था जैन मुनि काण्ड, जब रोने लग गये। कैसे रोने लग गये? उपाध्यक्ष महोदय, भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, मैं मानता हूं, मेरे बड़े भाई है, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, ईमानदार भी हैं, यह मैं कहना चाहता था परन्तु भाषण इतना बढ़िया दे लेते हैं, जैन मुनि काण्ड हुआ, महिला बता रही है, वह जैन मुनि, जिसने इस-इस तरह का काम किया, अगर मेरी बात मानते नहीं हो कि उसके फलां अंग पर ये-ये निशान हैं। उन्होंने मुझको यह बताया और उसकी बात करने लग गये आकर के माननीय कटारिया जी। एक महिला बता रही है....

श्री मदन दिलावर : जांच में क्या हुआ? जीरो।

श्री जगत सिंह दायमा : सुन तो लो। बैठ तो जाओ। मैं कह तो रहा हूं न। मेरी बात गलत हो सकती है पर मेरी ही तो है यह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्री थे तब तो फिर ये समाज के दबाव में आ करके अन्दर रोने लग गये। जब इन्होंने बात नहीं कही कि इंवेस्टिगेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। मंत्री होते हुए तो चाहिए-चाहिए वर्ड कहते हो और मंत्री नहीं होते तो तब बड़े दबंग से बोलते हो कि यह होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक सही बात कहूंगा कि भाषण आज वह दे रहा है जो भाषण देने के बाद उस पर अमल नहीं करना चाहता। इसलिए जनता के अन्दर आज कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि जो भाषण दे रहा है, जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि यही आदमी जो आज यह कह रहा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इसी आदमी को शाम को शराब की चुस्कियां भरता हुआ जनता देखती है। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे हो रहा है इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले वह भाषण दे जो समाज में परिवर्तन करना चाहता है और खुद उस बात के ऊपर कायम रहना चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 मिनट मैं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो न।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि अपराध हो रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था आपको और आज भी गृह मंत्रीजी कह रहा हूं कि अपराध हो रहे हैं परन्तु अपराध क्यों हो रहे हैं यह आपको भी मालूम है। एक बात तो है नहीं कि अपराध क्यों हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, आपने रोजगार बंद कर रखे हैं। राजस्थान में हमारी धरती के ऊपर हम अपनी जमीन देते हैं, हम हमारी

(श्री जगत सिंह दायमा)

सस्ती जमीन देते हैं उद्योगपतियों को, सस्ती बिजली देते हैं, सब कुछ देते हैं परन्तु जो उद्योगपति आते हैं वे हमारे लोगों को, जिन किसानों की जमीन गयी है उनको नौकरी नहीं देते और नौकरी देते हैं तो देश के बाहर वालों को, चाहे वह बंगाली आ जाये, चाहे वह दूसरे लोग आ जाये, हमारे यहां के लोगों को बिलकुल नौकरी नहीं मिलती। जनसंख्या बढ़ रही है और इस तरीके से रोजगार दे नहीं रहे हो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़के बाहर ले तलवार और चाकू और बंदूक को लेकर बाहर घूम रहे हैं और मनचाहे जैसे अपराध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें अगर इन चीजों को रोकना है तो सब कुछ, इसके हर टोपिक के ऊपर हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाकर कोई पुलिस दिखाई देगी कि हां भाई, पुलिस का रोल भी ठीक है और हमारा रोल भी ठीक है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं विशेष रूप से, हम लोग दलित-पिछड़े समाज के लोग हैं। हम लोग संख्या में 80 प्रतिशत हैं परन्तु सोचते क्या हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह सोच बता रहा हूं, वह सोच यह है कि अगर हम थानों में जाएं तो जो अधिकारी वहां पर बैठा है, वह हमको घृणा की दृष्टि से देखता है, और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा का राज चला गया, आपका राज आ गया, यह मनु की मूर्ति यहां पर लगी पड़ी है इसमें। कितनी-कितनी बार यहां पर धरने, प्रदर्शन हो लिये और यह न्यायालय में मनु की मूर्ति लगी पड़ी है। यहां वह मनु है जिसने हमें 6,000 जातियों में बांट कर और हमारे समाज को कमजोर कर दिया। यही मनु, जो बड़े लोगों की बात करता है, वह मनु जो औरत के लिए कहता है कि इसको पढ़ने-लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पशु है, यह ढोर है, इस तरह से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। मनु स्मृति में लिखा है—

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां लिखा है यह ?

श्री जगत सिंह दायमा : कहा है भाई, आपको पता तो है नहीं, पढ़ते तो हो नहीं आप इस बात को— (व्यवधान) कहा है भाई, मैं बताऊंगा आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : ..... उस जमाने में, आज भी यह उन्हीं से बंधे हुए हैं। + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कह रहा हूं, मनु में भी यह कहा, एक मनु खड़ा हो गया, बैठ जाओ। मैं कहना चाहता हूं, वह मूर्ति है। हम लोगों पर अत्याचार होते हैं पिछड़े समाज पर और दलित समाज पर, वहां रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। हमारे आदमी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता— उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट के लिए आपने कहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जाति के आधार पर करते हो तब नहीं जाने दिया जाता, वरना मंदिर खुले हुए हैं आप लोगों के लिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा सिर्फ दो मिनट, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, मंदिर में जाते हैं, आज भी हमारे दलित वर्ग के लोगों को आप कहकर चले जाओ इस बात को, कि मैं दलित वर्ग का व्यक्ति हूं और नाथद्वारा में जा रहा हूं। बिना पिटाई के वापस नहीं आ सकता है। आज हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े लीडर हैं नहीं, वे माननीय जगजीवन रामजी की बात कहना चाहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : नाथद्वारा की व्यवस्था गुर्जरों के हाथ में है, वे पिटाई करते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको यह पता है नहीं, आपको कुछ पता तो है नहीं, बीच में वैसे ही + + + उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बार गये थे। माननीय जगजीवन रामजी, तो उनको किसी ने सलाह दे दी कि आप जाकर और मंदिर हो आओ। उपाध्यक्ष महोदय, जब वह जाने लगे, मुझे खुद बताया, मैं गया हूं नाथद्वारा तो मुझे बता रहे थे बड़े चाव से कि साहब, हमने जगजीवन रामजी को अंदर नहीं आने दिया। क्यों? ऐसे कैसे चले जाने देते? वह भाषा तो बहुत बुरी बोल रहे थे परन्तु मैं दलित कह कर इस बात को कहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप होम डिपार्टमेंट पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : ये तो कानून-व्यवस्था बिगाड़ने पर बोल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : पुलिस पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए जगजीवन रामजी को मंदिर में जब जाने दिया तब वह बात हो गई, भाई ये तो नहीं जाने दे रहे हैं। हाल खराब हो गया तो उनकी, अंत में इज्जत खराब हो गई देश में तो उनको एक कंठी बांधी और गंगा जल उनको छींटा दिया और बोले, अब तू पवित्र हो गया, अब जाकर के मंदिर हो आओ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह कह रहा हूं, हमारे बीच में आज भी हमारे मन में यह हो रहा है। हम बड़े-बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारा खिसियाना-सा मुंह हो जाता है कि यह बड़ा अधिकारी है, हम छोटे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थानों की बात करता हूं। एक दिन कोतवाली में चला गया। बोले जगत भाई राम राम। मैंने कहा राम राम। बोले यार तू मेरी बदली यहां से करवा दे। क्यों? यार देख, माफ करना क्योंकि तब तक वह बात नहीं कहूं, समझ में नहीं आएगी। बोले, वह + + + कल मेरे नीचे था और अब यह थानेदार मेरे से ऊपर बनकर खा गया, मैं तो इसको सेल्यूट नहीं करूंगा। मैं मान रहा हूं, यह बात कह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

रहा हूं, मेरा यह मतलब नहीं था यहां बोलने का क्योंकि मैं जानता हूं, इस तरह की भावना, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे यहां पर है इसलिए मैं कहना चाहता हूं जब तक दलित वर्ग को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक कोई अपराध बंद होने वाले नहीं है। सबको कहना चाहता हूं। आप हमारा हाल देख लीजिये। छह एम.एल.ए. पिट गये। उपाध्यक्ष महोदय, छह में से 3-4 तो हमारे दलित वर्ग के पिट गये। परसरामजी मोरदिया के तो दे पड़ापड़, दे पड़ापड़, खूब वहां पर पिटाई हो गई—

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। (व्यवधान) इनके साथ पिटाई-विटाई नहीं की गई है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप छोड़ो भी, यह कहा है कि एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह हमारे दलित वर्ग के थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परसराम जी मोरदिया की तरफ से कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने ही करवाया है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक हैं, माननीय सदस्य हैं परन्तु उसके बावजूद भी— (व्यवधान) उनको आज भी नीच और ऊंच की दृष्टि से देखा जाता है और उसी तरह का बिहैव किया जाता है। शांति पहाड़िया जी, हमारे निर्भय भाई जी, तकीउद्दीन जी, इस तरीके से हमारे विधायकों के साथ भी आज यह हाल हो गया, ऐसी एम.एल.ए. की हालत है। हमारी छोटी बहन है, मीनाक्षी जी,— (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वह अगर दो लड़कों को, दो साथियों को लेकर चली गई तो क्या बात हो गई। उन्होंने बता दिया कि मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है, उपाध्यक्ष महोदय, उन लड़कों के साथ में, उस महिला के साथ, उस बहन के साथ में वह हाल हुआ कि वहां पर कमरे में बंद होना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। क्या कानून व्यवस्था है आपकी, क्या पुलिस विभाग है? क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं। वो कानून बनाना चाहते हैं, जो कानून की पालना करना चाहते हैं, उनके साथ इज्जत खराब होती है और हम बैठे-बैठे यहां पर तमाशा देख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया जी, आपसे कहना चाहता हूं विशेष रूप से—

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत कह दिया, आपने कटारिया जी से बहुत कह दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, अपने आपको छोटा मत करो। सारा हम ही कर रहे हैं, यह जो कह रहे हैं, क्यों करते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर, ये पुलिस अधिकारी यहां बैठे हैं। आप पता लगाये पूरे थानों का, सबसे कम इंटरफियर

(श्री जगत सिंह दायमा)

कौन एम.एल.ए. करता है थानों में, अगर जगत सिंह का नाम आवे तो मान जाना, नहीं तो मत मानना। हम अपने आपको कमजोर कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं, आपने क्या किया, अपने आपको कमजोर कर लिया। जुडिशियरी कैसे आगे बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि आप लोग खुद अपने आपको अपने कर्मों से नीचे कर लिया। आप मनचाहे जो चीज पास करते हो, जाकर न्यायपालिका उसको खतम कर देती है। आप खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हम करप्ट हैं, तो इसको बचायेगा कौन? आप यह क्यों नहीं कहते कि हमको ठीक होना चाहिए और हमें यह नहीं होना चाहिए। कोई अगर अपराधी आता है तो उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए तब तो वोटों की खातिर इस बात को कह देते हैं कि हमारा इस समाज का आदमी है, चार आदमी आ गये, या मेरी बात खराब होगी, चार सरपंच खराब हो जायेंगे इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, करनी और कथनी में बड़ा फर्क है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं नाम लिये बिना कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य दो कांग्रेस के, कह रहे थे कि हम यह कहना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं परन्तु बोल नहीं सकते, क्योंकि हमको कह रखा है कि बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो नाराज हो जायेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोग अपनी बात विधान सभा में भी नहीं रख सकते तो आपका विकास हो ही नहीं सकता। आप अपनी बात को रखिये, जो कुछ होगा, देखा जायेगा, ऐसी कोई बात हो इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, अपने आपको हम कमजोर कर लेंगे, हमारी तरफ, दुनिया देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है, विधान सभा में बैठे लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। आज हम ही कुछ नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? डेमोक्रेसी में— लास्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि हमको सिफारिश भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अत्याचार होते हैं। पुलिस विभाग हो या दूसरे विभाग हों। अत्याचार होते हैं तो हम लोग सिफारिश भी करते हैं। हमको इंटरफियर नहीं करना चाहिए तो कौन करेगा इंटरफियर। तानाशाही बढ़ जायेगी। क्या बात है फिर, जब 7वीं क्लास पढ़े को मिनिस्टर बना रहे हो आप, अगर आपको दिमाग ही देखना है तो फिर एम.ए., पीएच.डी. ये देख लीजिये। आप 7वीं क्लास पढ़े को मिनिस्टर बना रहे हो—

श्री यशवंत सिंह (रामू) : कौन है 7वीं पढ़ा? (व्यवधान) कौन है, बताओ।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, हैं बहुत हैं, बहुत लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह 7वीं पढ़ा व्यक्ति है, वह जो डेमोक्रेट है, जो 7वीं पढ़ा व्यक्ति है,—

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्लियर करो, कौन मंत्री 7वीं पढ़ा है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। हो गया एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक सैकण्ड साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह किसी भी अधिकारी से बड़े होते हैं इसलिए वह सारी बातें यहां आकर के कहते हैं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में गृह विभाग की मांग के संबंध में माननीय सदस्यों ने कुल 74 कट मोशन प्रस्तुत किये थे और आज की डिबेट में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, जो स्पेसिफिक हैं, उनका तो मैं उनको उत्तर भिजवा दूंगा, जो सैद्धांतिक हैं, जो नीति के संबंध में है, उस संबंध में, मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य, आप सब को अच्छी तरह से मालूम है, हमारे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात हो, हमने कानून-व्यवस्था के हालात को अभी भी मेनटेन कर रखा है और आज भी हिन्दुस्तान में शांतिप्रिय प्रदेश है। इसके लिए राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। यों तो बढ़ती हुई जनसंख्या, समाज में कई तरह की विकृतियां पैदा हो गई, आज दहेज उत्पीड़न के मामले, मेरे खयाल से दस साल पहले कोई नाम नहीं लेता था, इन दस सालों में जिस प्रकार से दहेज के मामले दर्ज होते जा रहे हैं, यह समाज का एक विकृत रूप होता जा रहा है। समाज के बंधन टूटते जा रहे हैं और विकृति की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इतने अपराध दर्ज हो जाते हैं, यह भौतिकवादी संसार भी लालच के मल में फंस जाता है, यह भौतिकवादी संसार में जो सुविधाएं इस देश में पैदा हो गई उसकी वजह से मनुष्य लालची होता जा रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता था कि राजस्थान, जिसकी सीमाएं इन प्रांतों से लगी हुई है और खास तौर से हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, जैसलमेर का, बाड़मेर का, गंगानगर के आस-पास का हिस्सा, जिसकी लम्बाई भी लगभग 1040 किलोमीटर, एक हजार चार है या चालीस है—

मोहम्मद माहिर आजाद : चालीस।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक हजार चालीस किलोमीटर के आसपास आती है, उन सब में, पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता रहती है कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, करेंसी हिन्दुस्तान में भेज करके हिन्दुस्तान के आर्थिक हालात को खराब करना चाहता है उससे कहीं इन्टर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो पैदा नहीं हो सकता है। उस सारे बोर्डर की रक्षा करते हुए भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करने में हमने सफलता हासिल की है। आप सब सदस्यों ने जो इस संबंध में हमारी प्रशंसा की, उनको बधाई और जिन्होंने कमियां बताई उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती। व्यवस्था में कमियां रहती है, व्यवस्था में खामियां रहती हैं, इस बात को मैं स्वीकार करके चलता हूं। अगर मैं यह कह दूंगा कि हमारी व्यवस्था पूर्ण है तो मैं सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। अगर कमियां हैं तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार निश्चित रूप से आवश्यक प्रबंध करेगी। क्योंकि हमें जनता को राहत देनी है और उस वर्ग को विशेष कर राहत देनी है जो पिछड़ा हुआ है, जो शिड्यूल कास्ट का है, जो शिड्यूल ट्राइब का है, जो माइनोरिटीज का है, अगर उनके अधिकारों की रक्षा सरकार नहीं कर सकती तो वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमारा पहला दायित्व होगा कि उन वर्गों को हम विशेष सुविधाएं प्रदान करे। आज शिड्यूल कास्ट की जमीन, उसको खेती करने का हक सरकार नहीं दिला सकती तो कौन दिला सकता है। कई मामले ऐसे आते हैं कि वह जब कभी फसल काटने के लिए जाता है तो फसल नहीं काटने देते। यह सरकार का दायित्व बनता है, पुलिस का दायित्व बनता है, यह पुलिस का फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति की हिफाजत करे और उसकी मदद करे और उसको सहायता करके उसके अधिकारों की रक्षा करे, पूरी-पूरी मदद करे। मैंने शुरू में कहा कि मैं किसी आलोचना में नहीं पड़ना चाहता कि पिछली सरकार ने क्या कहा और किया और हमने क्या किया लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एक वर्ष के अंतराल में, पिछले वर्ष के बाद आज जब इस बार हम दोबारा डिबेट में आये हैं तब हमने कुछ काम किये उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं नहीं ले जाना चाहता आपको पुराने इतिहास में, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया है, देश में तो अपराध बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन उसका तत्काल उपाय होना चाहिए, उसकी पकड़-धकड़ होनी चाहिए, उस पर अंकुश होना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उसी दृष्टि से मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं कोई तारीफ की बात नहीं करके केवल कुछ चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

वर्ष 1998-99 और 2000 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत क्रमशः 1,67,463, 1,68,189 और 1,60,983 अभियोग पंजीबद्ध हुए। वर्ष 1998 एवं 1999 की तुलना में वर्ष 2001 में पंजीकरण में क्रमशः 3.86 और 4.28 प्रतिशत की कमी रही है। बावजूद जनसंख्या की बढ़ोतरी के, बावजूद कई तरह की अपराधी प्रवृत्तियां इस देश में पैदा होने के। आज घी में मिलावट, आज मसाले में मिलावट, तेल में मिलावट, आज कौन-सा क्षेत्र ऐसा रह गया जो पुलिस के

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अधिकार से बाहर जा रहा है। तेल में मिलावट हो तो पुलिस कार्यवाही करे। केरोसिन में मिलावट हो जाय, जनता की सुविधा के लिए जो केरोसिंन कम पैसे में मिलता है उसमें रंग डाल करके मिलावट करके उसको ठीक कर दें तो पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ती है। जिस तरह के अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं, मनोवृत्ति जिस तरह की व्यक्ति की बनती जा रही है उससे जो क्राइम्स पैदा होते जा रहे हैं उससे पुलिस का दायित्व बहुत बढ़ गया है। पहले कानून-व्यवस्था थी, अब तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आ गया, उसकी कार्यवाही भी हम करायें। बिजली थोड़ी सी समय पर नहीं आये, आंदोलन चले, वह भी पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ती है। कभी पानी नहीं हो और चक्का जाम हो तो पुलिस को उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कर्तव्य और दायित्व को समझने की कोशिश करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : परीक्षा नहीं हो तो वह भी आपसे करवानी पड़ती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह भी करवानी पड़ती है। इतनी मल्टीफेरियस जिम्मेदारी पुलिस के जिम्मे आ पड़ी है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा, इन सब के होते हुए भी, कितने ही तो किसान संघ ने आंदोलन किये, कितने ही रास्ता जाम कर दिये, कितना कुछ भी कर दिया लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया, मैं पिछले आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपका थोड़ा-सा ध्यान खींचना चाहता हूं उसकी तरफ। वर्ष 2000 में डकैती, हत्या और लूट जैसे गम्भीर अपराधों के अलावा नकबजनी, चोरी एवं कलवा के अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है जो राजस्थान के सुदृढ़ अपराध नियंत्रण का परिचायक है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत____

श्री सुरेन्द्र व्यास : ज्यादा काहे में हुआ है, गृह मंत्रीजी, इतना और दें, एक अपराध में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अनुरोध करना चाहूंगा कि वह जितनी भी जानकारी चाहेंगे, मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा, जब तक बैठेंगे, उनकी हिम्मत है, 12 बजे, 1 बजे तक भी मैं बैठा रहूंगा।

हत्या और डकैती जैसे गम्भीर अपराधों का चालानी प्रतिशत 89.6 एवं 73.9 रहा है। नोट कर लीजिये।

श्री देवी सिंह भाटी : सजा कितनों में हुई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सजा देना कोर्ट का काम है, मेरा नहीं। आप कोर्ट में बैठ जाएंगे तो जल्दी हो जायेगी, दूसरे बैठेंगे तो देर सो हो जायेगी। हां, खराब इंवेस्टिगेशन हमारे पास होता है तो हमारी जिम्मेदारी है। उसको मैं स्वीकार करता हूं और मैं गुलाब चन्दजी कटारिया बड़ी सादड़ी से विधायक आते हैं, मैं नाम से गलत बोल गया, बड़ी सादड़ी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि जन प्रतिनिधि को किसी के बारे में कुछ

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सिफारिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंवेस्टिगेशन अथोरिटी गलत काम करती है, लोगों को यह महसूस होता है कि हम लोगों को गलत फंसाया जा रहा है तो कटारिया जी मुझे एडवाइज करिये कि जन प्रतिनिधि मेरे पास आता है चाहे वह वार्ड पंच हो या जनता का प्रतिनिधि हो या विधायक हो तो क्या न्याय की दृष्टि से मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपकी राय मानूं तो चुपचाप बैठा रहूं और हजारों लोगों को गलत सजा भी हो सकती है। अगर यह महसूस होता है मुझे कि जो व्यक्ति और जो गांव के लोग आये हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है अनुसंधान अधिकारी, उनकी बात से मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि कहीं न कहीं गलती है तो निश्चित रूप से मैं उच्चाधिकारियों को निर्देश देता हूं कि उसको दुबारा देखे, जांच करे ताकि उन निरपराध लोगों को नहीं फंसाया जा सके। अगर इस प्रवृत्ति को बंद कर देंगे कटारिया जी, तो कई लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय भी हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि जो आते हैं सब शत-प्रतिशत सही हैं। लेकिन आखिर कोई भरतपुर से आता है, कोई बांसवाड़ा, डूंगरपुर से आता है, मुफ्त का पैसा तो खर्च करने नहीं आता। कहीं न कहीं तकलीफ उसके मन में होती है, कहीं न कहीं परेशानी उसके मन में होती है तो वह पीड़ा ले करके आपके पास भी आ सकता है, मेरे पास भी आ सकता है और किसी विधायक महोदय के पास भी आ सकता है। मेरा दृष्टिकोण यह रहता है कि आखिर एक आदमी आया है उसके मन में पीड़ा है। अधिकारियों ने उसको सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुना या उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को उस पर ध्यान देना चाहिए उसको राहत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस मंतव्य को मान कर चलता हूं।

मैं किताबों में जो आंकड़े दिये, उन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वह ऑलरेडी आपके पास हैं लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वह बता रहा हूं। वर्ष 2000 में दस्यु उन्मूलन क्षेत्र में कई वर्षों से फरार वांछित विजेन्द्र सिंह, हरकेश उर्फ हेमराज मीणा लोटाई, हीरालाल लल्ला, जगत सिंह इत्यादि 12 इनामी डकैतों सहित कुल 74 डकैतों को गिरफ्तार किया गया। यह वर्ष की बात बता रहा हूं। 2001 में इनामी डकैत जगदान व खूंखार डकैत समेद सिंह मारे गये। धौलपुर जिले के तीन इनामी डकैतों सहित 7 डकैतों ने आत्मसमर्पण किया। तीन अन्य इनामी डकैत गिरफ्तार किये गये। अवैध हथियार, अवैध शराब, विस्फोटक पदार्थों की खरीद-फरोख्त से संबंधित गम्भीर अपराधों में पुलिस को पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। 909 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत एवं 39 अपराधियों के विरुद्ध अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है जो वर्ष 1999 की तुलना में क्रमशः 140% एवं 95% अधिक रही है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लम्बे समय से कानून की गिरफ्त से बचे रहे 357 घोषित अपराधियों को, 688 भगौड़ों और 7888 स्थायी वारंटियों को पुलिस द्वारा वर्ष में गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़े उसमें नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ कर सुना रहा था बाकी जो आंकड़े दे दिये, उसमें आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वैसे यह फेक्चुअल रिपोर्ट होती है। आपकी जो उपलब्धि है कमेंडेबल है एप्रिशियेबल है इसमें कहीं संदेह नहीं है। पर इसमें जो क्राइम, आप क्राइम अनअर्थ नहीं कर सके, उसका उल्लेख नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अजमेर एवं बांदीकुई में अबोध बालकों की हत्या जयपुर शहर में लाश का मुंह पोत कर सबूत नष्ट करना, तीन जघन्य हत्याकाण्ड, अजमेर में आयकर अधिकारी की हत्या, जयपुर में हिन्दुस्तान लीवर गोदाम में 60 लाख की सशस्त्र डकैती, मांगलियावास में पेट्रोल पम्प लूट, भृर्तहरि में दलित महिला के साथ घटित सामूहिक बलात्कार की घटना, दिल्ली के व्यवसायियों के अपहरण, मालवीय नगर, जयपुर से 8 माह के बच्चे का अपहरण आदि-आदि में पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही कर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके अलावा नकली दवाइयां, घी, खाद्य तेल, वाशिंग पाउडर एवं मोबिल आयल बनाने वाले व्यवसायी लोगों का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : माननीय गृह मंत्री जी, ये किस वर्ग और कौन सी संस्था के लोग थे जो ऐसा काम करते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सब तरह के लोग होते हैं सरदार साहब, किस-किस का नाम लूं मैं। उसको एक वर्ग और जाति से कोई मतलब नहीं होता है, कोई आर्थिक अपराध करता है तो कोई दूसरे तरह का अपराध करता है। अपराध अपराध होता है। अपराध में व्यक्ति की जाति को क्यों पूछना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य : सरदार भी होंगे मंत्री महोदय?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरदार होंगे कि नहीं होंगे, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दौसा में भी दवाई काण्ड हुआ था, साहब। उसमें एफ. आर. लगा दी। दौसा में एफ. आर. लगा दी, दवाइयों का एक ट्रक पकड़ा गया बहुत भारी मात्रा में, नकली दवाइयां लेकर जा रहा था। एफ.आर. लगा दी उसके अन्दर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे नहीं मालूम, यदि आप मुझे सूचित कर देते कि गलत कार्यवाही की तो मैं उस पर भी एक्शन ले लेता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट मंत्रीजी, अदमपता में कितनी एफ.आर. लगी है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह दे रखी हैं मैंने आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, नहीं दे रखी है। अदमवकुआ में दी है। नहीं दी है आपने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अच्छा ठीक है वह भी दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वह आप दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाद में पूछ लें, एक दफा इनको बोलने दें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, इंटरफियर नहीं कर रहा हूं चूंकि मंत्री जी कह रहे हैं तो इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष : आप नोट कर लो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाद में अभी आप कह दोगे कि इतना पैसा पारित किया जाता है, सदन की कार्यवाही वृहस्पतिवार को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप विराज रहे हो वहां पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : + + +

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप इतना क्यों डर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब से इतना क्यों घबरा रहे हो? राज्य की पुलिस की सतर्कता के फलस्वरूप पाक आई.एस.आई. एवं अन्य विघटनकारी तत्वों के मंसूबे पूरे नहीं हो सके। इस वर्ष राज्य में आतंकवाद की कोई घटना घटित नहीं हुई। राजस्थान प्रदेश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी, प्रकाश की व्यवस्था होने तथा राज्य पुलिस सेवा, सुरक्षा बल, इंटेलीजेंस एवं विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के आपसी समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बनाये रखने के कारण मादक एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी तथा बार्डर क्रोसिंग के मामलों में भारी कमी आयी है। सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की 4 घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें 4-5 नागरिकों सहित कुल 5 व्यक्ति मारे गये। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 313 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जहां तस्करी के 91.220 किलोग्राम हेरोइन, 1100 किलोग्राम चरस तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ आदि सामान भी जब्त किया गया। 21वीं सदी में अपराध चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है और इस वर्ष 11वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान सरकार को मिलने वाली 42 करोड़ रुपये की राशि में से इस वक्त हम 25 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि निम्नप्रकार से खर्च करेंगे :—

(1) 25 पुलिस थानों के भवनों का निर्माण करेंगे, जिस पर 3 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

(2) 350 महिला कर्मियों के लिए रेस्ट रूम और शौचालयों का निर्माण करेंगे, जिसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च करेंगे।

(3) 30 मोबाइल एस.एल. यूनिट एवं अन्य उपकरण क्रय करेंगे जिसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च करेंगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(4) एफ.एस.एल. हेतु उपकरण खरीदने के लिए 53 लाख रुपये खर्च करेंगे।

(5) सुरक्षा एवं विविध उपकरण हेतु 297.95 लाख रुपये खर्च करेंगे।

उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनके थाने में 303 राइफलें बहुत पुरानी हो गई, वह काम की नहीं रही, इसलिए नयी राइफलें चाहिये। इसके लिए हमने सोचा है कि इस वर्ष 1190.50 लाख की नयी राइफलें हम खरीदने का काम करेंगे।

(21.00 बजे)

श्री दिग्विजय सिंह : नयी का मतलब 303 ही लोगे या एस.एल.आर. लोगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपसे सलाह करेंगे, आप एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। उसमें एक हजार करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। उसमें हमें 61 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। उतना ही हिस्सा राजस्थान सरकार को देना है। मैंने वित्त मंत्री जी से चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार 50-50 पर्सेंट के आधार पर अपना शेयर देगी। उसके तहत भी हमने योजना बनाई है जिसमें गाड़ियां भी खरीदेंगे, वायर लैस सैट भी खरीदेंगे, आधुनिक तकनीक का काम भी करेंगे, कम्प्यूटराइज्ड भी करेंगे। उस योजना को भी हमने तैयार किया है ताकि हमारे पुलिस स्टेशनों को हम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एवं कम्प्यूटराइज्ड कर सके। माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि जो गाड़ियां हैं वह धक्का देकर चलायी जाती हैं और खास तौर से नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे धक्का देना पड़ता है। हमने इस वर्ष भी 6 करोड़ के व्हीकल्स खरीदे हैं जिसमें जिप्सी भी खरीदी है, यह पिछले वर्ष की बात कर रहा था। इस वर्ष भी हम गाड़ी खरीदेंगे और कोशिश करेंगे जो इलाके ऐसे हैं—

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ए.डी.एम. के थाने पर दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ए.डी.एम. के थाने हो, चाहे बार्डर के थाने हो, चाहे गुजरात की सीमा से लगे हुए थाने हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा से लगे थाने हो, चाहे और कोई थाने हो, हम वहां अपनी ओर से नयी सुविधा, नये व्हीकल्स देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि अपराधों पर सख्त नियंत्रण में कामयाबी हासिल कर सके।

आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं। मैं विपक्ष के नेता महोदय को भारत सरकार के राज्य मंत्री का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है। सरकार ने आज बताया कि देश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों पर श्वेत पत्र जारी करने का मामला विचाराधीन है। उससे संबंधित विभिन्न दस्तावेजों पर इन दिनों उच्च स्तरीय गहन विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गृह मंत्री ने कहा सिर्फ आई.एस.आई. के खिलाफ तीन मोर्चों पर अपनी रणनीति बनाई है. जिसके तहत यह अघोषित युद्ध पड़ोसी देशों को अड्डा बनाने और भारतीय सीमा सुरक्षा बलों के खिलाफ मानवाधिकार के उल्लंघन का दुष्प्रचार दुनिया भर में करने की मुहिम चला रखी है। भारत सरकार इस बात को मानती है। उन्होंने आगे कहा है कि आई.एस.आई. की गतिविधियां मुख्यतः जम्मू-कश्मीर, पंजाब, कतिपय पूर्वी राज्यों, भारत-नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में देखने में आई है। उन्होंने बताया कि आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने समन्वित त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिससे सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, सूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित सूचना पर आधारित अभियोगों द्वारा आई.एस.आई. की योजना को विफल करना है, यह सारी चीजें उन्होंने कही है। राजस्थान के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष में पाक आई.एस.आई. द्वारा संचालित 4 जासूसी गिरोह को राजस्थान राज्य में हमने उजागर किया है। माह फरवरी, 2001 में बाबू खां, मरियम, अशोक यादव, युसुफ, अदरीश, खबरू, अब्दुल मजीद वगैरह को सामरिक महत्व के दस्तावेजों के साथ जयपुर अलवर और दिल्ली में गिरफ्तार किया है। पाक प्रशिक्षित जासूस यूनिफ मोहम्मद पाक नागरिक को माह मार्च, 2000 में जोधपुर में गिरफ्तार किया। उसके सहयोगी वायु सेना कर्मी भजनदास, बने खां तथा इकबाल मोतीवालों को भी पकड़ा जाकर न्यायालय में चालान पेश किया है। सन् 2001 में मकर संक्रान्ति के दिन पाक प्रशिक्षित जासूस मोहम्मद शाहीद को जयपुर में पकड़ा जाकर सेना संबंधी दस्तावेज बरामद किये हैं। माह अप्रेल, 2001 में भारतीय नागरिक पठाई खां निवासी बाड़मेर को जासूसी के कार्यों में लिप्त पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है। पाक आई.एस.आई. समर्थित सिक्ख आतंकवादी जनरैल सिंह को माह जनवरी, 2000 में जयपुर गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है। माह अगस्त, 2000 में पाक प्रशिक्षित आतंकवादी अखलाक एवं सुलेमान जो लश्करे तोएबा मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य थे उन्हें गंगानगर में गिरफ्तार कर पिस्तौल व कारतूस बरामद किये। पाक आई.एस.आई. द्वारा भेजे गये घुसपैठियों से माह अक्टूबर-नवम्बर, 2000 में आर.डी. एक्स. के दो बम बरामद किये गये हैं।

मैं यह कहना चाहता था कि जैसे माननीय सदस्यों को आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में चिंता है, वैसे ही राजस्थान सरकार भी चिंतित है और उस पर हमारी निगाह लगी हुई है। यद्यपि पाकिस्तान बार्डर पर मुख्य जिम्मेदारी बी.एस.एफ. की है लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहते हैं इसलिए हमने अपने प्रयत्नों से जो लोग इस तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे उनको पकड़ने में सफलता हासिल की है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पाकिस्तान यह गतिविधियां जिस रूप में चला रहा है उन गतिविधियों को हम नाकामयाब करें ताकि राजस्थान की सीमा और हिन्दुस्तान की आजादी को किसी प्रकार की चुनौती देने वाली शक्तियां यहां घुस न पाएं। इसके लिए हम पूरे-पूरे प्रयत्नशील रहेंगे।

कुछ मुद्दे, खास तौर से इस संदर्भ में उठाये गये, साम्प्रदायिक सद्‌भाव की बात भी मैं कहूंगा और कुछ मुद्दे उठाये गये कि सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के अफसरों को पदावनत कर दिया। उसके बारे में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से कहा। उन्होंने यहां तक कहा कि कोई गलतफहमी कार्मिक विभाग को हुई है तो वह उसको साथ बैठ कर चर्चा करने को तैयार हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने डिनोटिफाई किया, आई.पी.एस. ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे निवेदन करूं जो पहले जवाब दे चुके हैं वह टोटली मिसगाइडेड है गवर्नमेंट। मैं क्लीयरली आपसे यह बात कह रहा हूं कि मैं मुख्य मंत्री जी की नीयत पर संदेह नहीं करता हूं। अगर एक शिड्यूल्ड कास्ट के आफिसर को इन्होंने पी.एस.सी. का चेयरमैन बनाया है तो ऐसा मानने का कोई रीजन नहीं है कि कोई शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति इनका बायस हो लेकिन मैं एक बात कहूं, इनकी एफिसिएंसी का द्योतक तो है न कि आपकी गवर्नमेंट टोटली मिसगाइडेड है। 1994 की सीनियरटी जब उस आफिसर को मिलती थी। (व्यवधान) कितना वह एलीजिबल था। आगे चल कर वह कहते हैं कि अब एलीजिबल नहीं है क्योंकि दो साल का पीरियड रह गया है इसलिए आई.पी.एस. नहीं हो सकता है यह ऐसा काम्पलैक्स इश्यू...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ वह अनुरोध कर रहा हूं कि इसे डिबेट का इश्यू मत बनाइये क्योंकि यह काम्पलैक्स इश्यू है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तो आपने कह दिया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कटु बात नहीं कहना चाहता हूं कि आप मिसगाइडेड हैं, आप बिलकुल अक्षम हैं, आप इस बात को नहीं समझ सकते। आपको ब्यूरोक्रेसी ने मिसगाइड कर रखा है, कतई ऐसी बात नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट को पढ़ा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन को पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट आफ इण्डिया के नोटिफिकेशन को पढ़ा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके विनम्र प्रार्थना करता हूं डिबेट को क्लोज कीजिए। मैंने यह भी कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास बैठने को तैयार हूं, मुझे इसमें कोई हैजिटेशन नहीं है। पर यह नहीं है कि आप हाउस को मिसगाइड करें, स्टेट को मिसगाइड करें। आपने इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट के अफसरों को पदावनत कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कोई हाउस को मिसगाइड करने की बात नहीं कर रहा। आप तो हाउस को मिसगाइड कर सकते हैं कि हमने पदावनत गलत कर दिया और हमें बात करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोटली मिसप्लेस्ड आपकी ओपीनियन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से उनको डिमोट किया है आपकी इस एफिशियंसी से, आपकी गवर्नमेंट की एफिशियंसी से वह लोग डिमोट हुए हैं उन्हें वापस प्रमोट कीजिए यह मेरा एलिगेशन है मैं इन चार्जेज को प्रूव कर सकता हूं। आप अलग से डिबेट रखवा लीजिए। उस रोज भी बी.डी. कल्ला के बोलने के बाद आपने मुझे नहीं बोलने दिया, वरना माननीय बी.डी.कल्ला जी ने जो कहा मैं उसको क्लेरिफाई कर देता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डा. साहब, मैं तो अपनी बात को दो मिनट में ही क्लियर करूंगा बाकी दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाता हूं। आपको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि आई.पी.एस. का बोर्ड गवर्नमेंट आफ इण्डिया अप्रूव करती है आफिसर्स के नाम का। और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने ही उस जजमेंट के आधार पर उस बोर्ड को डिनोटिफाई किया, राजस्थान गवर्नमेंट का उससे कोई वास्ता नहीं है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने ही डायरेक्शन दिए हैं कि रिव्यू डी.पी.सी. बैठाई जाए और उसके आधार पर रिव्यू डी.पी.सी. बैठी, उसके बाद जैसा आप महसूस करते हैं तथा और लोगों ने भी किया, मेरी बात सुन लीजिए आप... (व्यवधान) don't disturb me, please.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आप बाद में बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता...

श्री जगत सिंह दायमा : इस बात को पूरा दलित वर्ग सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो बार बोल गये, तीन बार बोल गए, उनको बोलने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो मना कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी बात को दो मिनट सुन लीजिए, आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आप हाउस को मिसगाइड करेंगे तो बोलना पड़ेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी बात सुन लीजिए फिर बोल लेना, मैं कहां मना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना ना। I give you opportunity. Let him speak.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गवर्नमेंट आफ इण्डिया के डायरेक्शन के हिसाब से रिव्यू डी.पी.सी. बैठाई गई। उसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया के होम डिपार्टमेंट के रिप्रजेंटेटिव थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर भी रिप्रजेंटेटिव थे, केवल राजस्थान गवर्नमेंट के अकेले के नहीं थे और उस रिकमण्डेशन के आधार पर जो भी फैसला हुआ उसको गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने नोटिफाई किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अन्यथा न लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बोलने ही नहीं देना चाहते। उसके आधार पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रिकमण्डेशन दिया, कई लोगों ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को और यू.पी.एस.सी. को रिप्रजेशन दिए। उनका एग्जामिनेशन हुआ, वह नोटिफिकेशन रुका। और थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने फिर नोटिफाई कर दिया, हमने तो फिर भी गुंजाइश रखी। आप सुन लीजिए, हमने जिन आई.पी.एस. को अपाइंटमेंट दिया, सब्जैक्ट टू दी डिसीजन आफ दी कोर्ट लिखा है उसमें, क्योंकि आर.ए.एस. के लोग कोर्ट में गए हुए थे। उनको तो स्टे मिला, यह आई.पी.एस. के लोग कोर्ट में गए उनको कोई स्टे नहीं मिला था। राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर भी इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए हमने कहा कि सब्जेक्ट टू दी डिसीजन आफ दी कोर्ट, आज भी कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, उनकी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आर.ए.एस. के मामले में स्टे मिला हुआ है, आई.पी.एस. के मामले में स्टे नहीं मिला हुआ है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी की सजगता के कारण, माननीय मुख्य मंत्री ने इस सारे इश्यू पर फिर से रिव्यू करने के लिए वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसमें बनवारी लाल जी बैरवा भी मैम्बर हैं, जसवंत...(व्यवधान) जब मजाक करना हो तो मजाक करो। आप मेरी बात सुनिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डी.पी.सी. तक रहिए। बनवारी लाल जी बैरवा का मतलब नहीं है, आप डी.पी.सी. तक आइये। डी.पी.सी हुई 2000 के अंदर, एलोकेशन 1996 का किया है तब वह एलीजिबल नहीं रहा। उसको प्रमोशन मिलना चाहिए था 1996 के एलोकेशन। मिसचीफ हुई है। मिसचीफ हुई है ईयर एलोकेशन के अंदर. Minister Saheb, the matter is not that simple.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सारी चीजें कार्मिक विभाग ने...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई एग्जामिन नहीं की, आपकी केबिनेट के अंदर सब अपर कास्ट के लोग थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एलिगेशन यह है कि यह गलत...(व्यवधान) डी.पी.सी. के अंदर सब अपर कास्ट के लोग थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। इनको समाप्त कर लेने दीजिए उसके बाद आपसे कह रहा हूं ना, आपको पूछने दूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आप बिराजिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो इस सब्जेक्ट को अभी टच नहीं करना चाहता था लेकिन मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका जिक्र कर दिया। आप कह कर मना करो यह तो अच्छी बात नहीं है। आप हाउस में सब्जैक्ट को लाएंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे यह कैसे चलेगा। आप अपना भाषण देकर गवर्नमेंट को डॉक में डालना चाहते हैं और गवर्नमेंट का भाषण नहीं सुनना चाहते यह तो कैसे चलेगा। इसलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने किया जो कुछ फैसला किया, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का नोटिफिकेशन है जिन लोगों को प्रमोट किया जिनको डिमोट किया, और हमने सावधानी बरती है, हमने उनके अपाइंटमेंट में लिख दिया सब्जैक्ट टू दी डिसीजन आफ दी कोर्ट। अब राजस्थान हाई कोर्ट में मामला पैंडिंग है, राजस्थान हाई कोर्ट फैसला कर दे कि हमारा फैसला गलत था या गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फैसला गलत था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना ना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बाद में पूछ लीजिए, मैंने मना थोड़े ही किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब यह विवाद का विषय बन रहा था तो हमारे वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें बनवारी लालजी बैरवा भी हैं, मैं भी मैम्बर हूं, वित्त मंत्री जी भी मैम्बर हैं, एक माननीय सदस्य और है।

श्री जगत सिंह दायमा : कौन है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बी.डी. कल्ला, कार्मिक मंत्री।

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें बहुमत तो एस.सी. को दो कम से कम, जब ही फैसला करेंगे वैसे फैसला कैसे होगा इस बात में...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दायमा जी, आप तो बिराजो। वह कमेटी सारे मामले को देख रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : तीन आदमी हमारी एस.सी. को होने चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लेकिन कमेटी के सामने भी एक प्रश्न खड़ा है कि जब कोर्ट में मामला चला गया तो हम

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कैसे फैसला करे या कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करे। लेकिन कोर्ट के डिसीजन के इंतजार में कमेटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। अगर कोर्ट के फैसला आ जाता है और जो राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया के डायरेक्शन से फैसला किया है और उसको गलत मानती है तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया को फिर रेफर करेंगे क्योंकि बोर्ड को डिनोटिफाई करने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब दो सवाल।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बाद में पूछ लीजिए, डिबेट समाप्त होने पर।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : On this point he has finished. I'll ask only two questions.

श्री उपाध्यक्ष : आप नोट कर लीजिए। डिबेट खतम होने के बाद पूछ लेना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप नोट कर लीजिए, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इसको खतम कर रहे हैं, इस पर गलतफहमी नहीं रहेगी। सीधी सी बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट के अफसर को जब पहले प्रमोट किया जाता है रिजर्वेशन कोटा के अंदर तो थ्योरी यह है कि अगर साल दो साल के अंतराल के बाद ही वह नैक्स्ट कैडर पर नहीं जाता है। अगर दूसरा सवर्ण जो पिछले कैडर में उससे सीनियर था वह प्रमोट हो जाता है तो ओरिजनल कैडर की सीनियरटी रेस्टोर हो जाती है उसको टच कर सकता है तो वापस उससे सीनियर हो जाता है बेसिक बात है यह। राजस्थान का अकेले का केस नहीं था पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट का केस था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान का केस भी था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बंच ऑफ केसेज....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान का केस भी था, राजस्थान का केस भी था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : था, मैं कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मिसगाइड मत कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : था, मैंने कहा अकेले का नहीं था, बंच आफ केसेज थे। अब उसके अंदर एक प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डिनोटिफाई किया। उसके बाद आप तीन महीने तक सोते रहे, यह नवम्बर 1999 की बात है आपने पूरा 2000 निकाल दिया। जनवरी में रिमाइण्डर आया, फरवरी में जब आपने प्रमोशन डिमोट कर दिया तब दुबारा डी.पी.सी. बनी। और जो मिसचीफ हुई है डी.पी.सी. के अंदर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं था,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

शिड्यूल्ड कास्ट का होना जरूरी नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट से हमदर्दी रखने वाला और कानून को समझने वाला आदमी होना चाहिए। कानून वह समझते हैं बेसीकली, पर वह अपने आदमियों को प्रमोट करना चाहते हैं और इसलिए इन शिड्यूल्ड कास्ट के अफसरों को ईयर आफ एलोकेशन जो मिसचीफ हुई है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी जानकारी के आधार पर डाक्टर साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं बोर्ड में एस.एन.मीणा जो शिड्यूल्ड ट्राइब के आई.जी. थे, वह मौजूद थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : होंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका कोई एण्ड नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लास्ट सवाल है ईयर आफ एलोकेशन की मिसचीफ है। गृह मंत्री जी, इसमें मिसचीफ है इयर आफ एलोकेशन की 1994-96.....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा, आप आ जाइए बैठकर कर लेंगे। माननीय सदस्यों की एक चिंता भी बराबर रहती है कि राजस्थान में बांग्लादेशी भी काफी घुसपैठियों के रूप में आ गये हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं अब तक की गणना के अनुसार जो सूचना हमने एकत्रित की है, बांग्लादेशी नागरिक राजस्थान के कई जिलों में मेहनत, मजदूरी और घरों में, नौकरी का काम कर रहे हैं।

उनकी संख्या इस प्रकार है। यह लोग 1997-98 से काम कर रहे हैं। जयपुर नगर में 2049, जयपुर देहात में 11, बारां में 33, अजमेर में 134, अलवर में 4, राजसमन्द में 114, नागौर में 12, बाड़मेर में 19, जैसलमेर में 6 और बीकानेर में 3.1, इस प्रकार 2385 बांग्लादेशी राजस्थान में काम कर रहे हैं। इसके अलावा समय-समय पर बांग्लादेशी आये, मैं इस बात को भी इंकार नहीं करता हूं। लेकिन उन सबको सीमावर्ती इलाकों से पकड़ कर बांग्लादेश में वापस धकेल दिया गया। अब जो बचे हुए हैं, हमारे पास यह संख्या है। फिर भी किसी माननीय सदस्य की निगाह में यह हो कि और भी इससे ज्यादा बांग्लादेशी हैं तो इस बात को मुझे मानने में कोई आपत्ती नहीं है। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए जो भारत सरकार की नीति है, उस नीति के आधार पर कार्यवाही करें ताकि यहां की शांति और व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो।

आई.एस.आई. के बारे में मैंने निवेदन किया और सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भी मैंने निवेदन किया। (व्यवधान) अब आता हूं मैं, डाक्टर साहब, बुद्धिमान तो मैं हूं नहीं, सब्जैक्ट टू करेक्शन हूं। लॉ ग्रेजुएट आप हैं। आप उस कोर्ट में जाकर वकील बन जाइये, आराम से पैरवी करिये। क्या दिक्कत पैदा हो रही है? Join hands with them. आप बार-बार इस बात को यहां एजीटेट कर रहे हो। जब आपको मालूम है, you are a learned

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

Advocate, और आपको मालूम है कि कोर्ट में मामला चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं। आप क्यों प्रोवोक हो रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मंत्रीजी, आप मेरी तरफ देखो। उधर मत देखो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, साहब। लेकिन आप प्रोवोक कर देते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, मैं तो प्रोवोक नहीं होता हूं। लेकिन आप किसी न किसी बात को लेकर अड़ जाते हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो आपको प्रोवोक कर रहा हूं अकेले को। हमारे मित्र तो पूरे हाउस को प्रोवोक कर देते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसी तरीके से कट मोशन के जरिये एक सवाल पूछा गया, इस बार राजस्थान सरकार 2200 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने जा रही है। इसमें माननीय सदस्यों को यह आपत्ति थी कि रिजर्वेशन को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया और खास तौर से बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे चिट्ठी दी ओ.बी.सी. के बारे में। इनका यह कहना कि इस जिले में ओ.बी.सी. का आदमी नहीं आया। हमारे डूंगरपुर से, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे एस.टी. के लोग नहीं आये।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सही बात तो ठीक है, पर नियम और कानून को भी आपको देखना पड़ेगा। कोई भी चीज नियम और कानून के विपरीत नहीं हो सकती। मैं डाक्टर साहब की जानकारी के लिए उद्धृत करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे जिले भी हैं जहां सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति भी नहीं आया। यह जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि सामान्य वर्ग की संख्या पहले से ही ज्यादा मौजूद थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैकलाग कवर किया आपने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा है तो इस बैकलाग को पूरा करना पड़ेगा। हाई कोर्ट का डिसीजन हो जाने के बाद हमको उन जिलों में चाहे 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जाना पड़े तो एस.सी. और एस.टी. के बैकलाग को पूरा करने के लिए हमने यह व्यवस्था की है। इसी तरह से सहरिया के बारे में भी हमने व्यवस्था की है।

श्री जगत सिंह दायमा : डाक्टर साहब, आप बताओ।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय मंत्री महोदय, मैं कल भी इस मुद्दे को लेकर आया था और आज सदन में नहीं बोला। 2200 पदों के अंदर अगर ओ.बी.सी. का आरक्षण 11 प्रतिशत है तो यह आरक्षण की अवहेलना है। 2200 पदों

(डा. करण सिंह यादव)

के अंदर आप यह कहना चाह रहे हैं कि ओ.बी.सी. के वह लोग पहले सामान्य वर्ग में भर्ती हुए ये अहीर, जाट, यादव, माली, गुर्जर जो अपनी क़ाबिलीयत से 1993 के पहले भर्ती हुए थे, उन सबको आप गिनकर के ओ.बी.सी. की लिस्ट में, यह कहना चाह रहे हैं कि ओ.बी.सी. की आपने भर्तियां पहले पूरी कर दीं। जो आपका यह आरक्षण है इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुनः इसको एग्जामिन करवाये। ऐसा कैसे हो सकता है? आज आरक्षण से हम उम्मीद तो यह करें कि हमको रिजर्वेशन मिलेगा और आरक्षण के बाद में हमको 11 प्रतिशत रिजर्वेशन मिले, यह कौनसी सरकार है, यह कौनसा ओ.बी.सी. के प्रति न्याय है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कोर्ट के डिसीजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट, सुन लें।

डा. करणसिंह यादव : कोटा शहर के अंदर 59......(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट, सुन लें। एक मिनट। कोर्ट का डिसीजन यह है कि केवल एस.सी. और एस.टी. के बैकलॉग को पूरा किया जाए। ओ.बी.सी. का नहीं। ओनली एस.सी. और एस.टी. का बैकलाग पूरा किया जाये।

डा. करण सिंह यादव : एस.सी. और एस.टी. का बैकलाग, माननीय मंत्री महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी. और एस.टी. का जब बैकलाग होता है, पद खाली रह जाता है, अनेबल होता है तो वह पद किससे भरा जाता है, वह पद जनरल कैंडिडेट से भरा जाता है। उस पद को ओक्यूपाई किया है, वह जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने किया है, न कि ओ.बी.सी. के कैंडिडेट ने किया है। अगर यह खामियाजा कहीं भुगता जाना चाहिए तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से किया जाना चाहिए। मैं भर्ती के बारे में...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का क़ई जगह नामोनिशान भी नहीं आया है। हनुमानगढ़ में एक नहीं आ रहा है। गंगानगर में एक नहीं आ रहा है।

डा. करण सिंह यादव : कोटा शहर के अंदर 60 में से 51, और ओ.बी.सी. का एक भी नहीं हो। बूंदी के अंदर भी 49 में से 42 और बारां के अंदर 44.... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपको बता दिया जो फार्मूला है उसके आधार पर हमने फैसला किया है। अगर आपको इस फार्मूले में कोई डाउट लगता है तो आप आ जाइये, हम बात करने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : निश्चित रूप से डाउट है। आप इसको दुबारा रिएग्जामिन करवाइये माननीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो सामान्य लिस्ट में आ जाते हैं, आप उसको भी आरक्षण में ही समझ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आती है साहब, जो आरक्षण में आ जाते हैं... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने डाक्टर साहब को कह दिया सब्जैक्ट टू करेक्शन। मैं कोई इस जिद पर अड़ता नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : जिनको नहीं मिला, उन्हीं को तो आरक्षण चाहिए और उसमें भी आप कानून और कायदा... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो कुछ पार्लियामेंट ने एश्योरेंस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बैकलाग के बारे में, उसके आधार पर हमारे अधिकारियों ने इसकी गणना की है। अगर कहीं गलती है तो मैं इसमें सुधार करने को तैयार हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : पिछली बार सिंचाई मंत्री, माननीय कमलाजी ने इसको स्वीकार किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ओ.बी.सी. का तो बैकलाग होता ही नहीं। प्रजेंट होता है, उसी को लेना पड़ता है। यह तो एस.सी. व एस.टी का है, ओ.बी.सी. का नहीं है। और कौनसे हाई कोर्ट का क्या फैसला है? कभी किसी हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला नहीं दिया। 21 प्रतिशत है, 21 उसी साल में उसी विज्ञापन के अनुसार लेना है। इसके अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप किस व्यवस्था को बतला रहे हैं। न इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, न हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। अगर इस प्रकार का किया है तो बिल्कुल गलत किया है। आप इसे दुरूस्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कार्मिक विभाग और गृह विभाग ने, दोनों ने आपस में इस प्रश्न पर...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बिलकुल सही किया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सही किया है या गलत किया है, यह फैसला आपको करना है। कार्मिक विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने बैठ कर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो डिसीजन है, उसके आधार पर हमने व्यवस्था की।

श्री जगत सिंह दायमा : हमको तो हमारा मिले। 21 प्रतिशत तो मिले। हमारा क्यों नहीं मिले? उसके लिए आप बोलते नहीं हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कल यह कह देंगे कि गंगानगर में हमको 50 प्रतिशत दीजिए, क्योंकि आप एक ही कैटेगरी को कैसे देंगे? बैकलाग पूरा करना पड़ेगा।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, बैकलाग पूरा कीजिये। बैकलाग पर जनरल कैटेगरी का खैरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर है, उसमें 35 के 35 जनरल के ले रहे हो। क्या जनरल का बैकलाग रखा हुआ है वहां

(डा. करण सिंह यादव)

पर? मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि समय नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर पूछ लीजिएगा। ट्राइबल सब प्लान एरिये के अंतर्गत 45 प्रतिशत सारी मेवाड़ भील कोर के लिए रिजर्व है। एक कैटेगरी के लिए कहीं नोटफाइड नहीं है। नाम बता दीजिए मुझे। अब तक जो कानून बना हुआ है उसमें यह है कि एम.बी.सी. के लिए 45 प्रतिशत ट्राइब के लोगों का रिजर्वेशन होगा। पांच प्रतिशत एस.सी. का रिजर्वेशन होगा। (व्यवधान) बात सुन लीजिए पहले। आप पूरा पढ़-लिखकर आइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नये मुद्दे उठे हैं। उनका जवाब देने लग गये।

श्री जगत सिंह दायमा : माहिर जी, जवाब आने दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उठाया तो इन्होंने है। मैं दो मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं। और 45 प्रतिशत केवल ट्राइबल प्लान का एरिये के लिए लागू होता है और वह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद और उदयपुर जिले की सात पंचायत समितियां। उनका फैसला इसके हिसाब से होगा, बाकी पांच प्रतिशत रिजर्वेशन होगा एस.सी. का और बाकी होगा जनरल कास्ट का। अब आप यह कह सकते हैं अभी जो नई भर्ती हो रही है, उसमें हमको 45 प्रतिशत दे दो। भाई 45 प्रतिशत का कोटा तो आप कन्जूम कर चुके। आपकी अब तक जो नफरी है, वह 45 प्रतिशत से ज्यादा है। इसलिए आपको नहीं मिल सकता। अब तो जनरल कास्ट का कोटा है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय मंत्रीजी, हमारा निवेदन यह है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इस सब्जैक्ट पर आगे चलिये।

डा. करण सिंह यादव : इसका मतलब यह हो गया कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अच्छी बात है। अब मैं दूसरे पाइंट पर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। इसमें अगर कोई गलती है तो आप मिल लेना। करेक्शन हो जाएगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सब्जैक्ट टू करेक्शन। माननीय सदस्य की एक बहुत बड़ी चिंता है कि राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश है, हिन्दू और मुसलमान भाई चारे से रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कटारियाजी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि इसमें राजनीति है। कोई राजनीति नहीं है। न यह

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

दंगा कांग्रेस ने कराया, यह दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, न यह दंगा मुस्लिम लीग ने कराया और न किसी और लीग ने यह दंगा कराया।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर तो साफ शब्दों में + + + है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी बात को सुनने की कोशिश करे कि राजस्थान में कुछ ऐसे संगठन बन गये हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? राजस्थान में कुछ ऐसे संगठन बन गये हैं जो छोटे-छोटे मुद्दे को उछाल कर के इस साम्प्रदायिक सौहार्द को मिटाना चाहते हैं और इसकी वजह से घटना हुई। न कटारियाजी वहां थे, ना हमारा कोई नेता वहां था, ना हमारा कोई कार्यकर्ता वहां था। जब ब्यावर में परमिशन दे दी थी, अगर कुछ संगठन उत्तेजित नारे नहीं लगाते तो यह झगड़ा ही नहीं फैलता। हम प्रोवोक करें, हम झगड़ा पैदा करने की स्थिति पैदा करें और फिर स्वाभाविक है। मैं उन नारों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। कटारियाजी, आप जानकारी कर लीजियेगा, वहां लाहौर चौक में किस प्रकार के नारे लगाये गये, किस प्रकार की उत्तेजना फैलायी गयी और उस उत्तेजना का परिणाम यह रहा कि आपस में भिड़े। खेल के मैदान में हिन्दू और मुसलमान खेल रहा है, आपस में लग जाती है, झालावाड़ में झगड़ा पैदा हो जाता है। तो मैं उसमें राजनीति नहीं मानता हूं। कटारियाजी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यह वहां पर कुछ जो कट्टरपंथी ताकते पैदा हो गयी हैं, जो इस देश की शांति को बिगाड़ना चाहती है, इस देश के अमन को खराब करना चाहती है, इस देश की तरक्की को पसंद नहीं करती है ऐसी ताकतों का हाथ है। इसमें राजनीति कहीं नहीं है। मैं आपको दोष नहीं देता हूं, न किसी दूसरी पार्टी को दोष देता हूं। अगर वह ताकतें नहीं होतीं—

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कटारियाजी, आप दो मिनट बैठो। मैं आपकी बात शांति से सुनता रहा, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जो बात कही उसको आपने अधूरी कही।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अधूरी नहीं मैं पूरी कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने कहा कि बाड़िया जो है, जहां पर अवैधानिक निर्माण हुआ, उस अवैधानिक निर्माण में आपके सारे आफिसर्स पिट कर आये और वह 11 तारीख की घटना थी और 16 तारीख तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके कारण से यह आपसे परमिशन लेकर ज्ञापन देने के लिए निकले। यह सच नहीं है क्या?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : आप उन ताकतों पर बैन लगाओगे क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : परमिशन कलेक्टर और एस.पी. ने दी, यह सच है लेकिन यह परमिशन तो नहीं दी कि आप गलत नारा लगा कर के...(व्यवधान) काज क्या है जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हुआ है, इसकी रूट में जाना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह भी तो आप बता दो न कि कौनसा गलत नारा है ? इसको छुपाना क्या है ? कम से कम कोई बात हो तो साफ कहा जाय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने पैम्फलेट पढ़ा होगा ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पैम्फलेट पढ़ने से क्या होता है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं हाउस में वह नारे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं पेम्फलेट भेज दूंगा आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वन्दे मातरम अपन यहां नहीं बोलते हैं क्या हाउस में ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, आप वह पैम्फलेट पढ़ लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या वन्दे मातरम बोलना पाप है इस मुल्क में ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कटारिया साहब, वन्दे मातरम का समर्थन करते हैं। वन्दे मातरम ही नहीं कहा लेकिन आप यह कहो कि हिन्दुस्तान में रह रहे मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान। यह नारा क्यों लगाया गया ? वन्दे मातरम का कोई विरोध थोड़ी करता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ना, ना। ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। यह बिलकुल + + + है। यह बिलकुल नहीं लगा, यह केवल + + + है, बिलकुल नहीं लगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं यह लगा है, लिखा है, माइक पर लगाया गया है। यह क्या बात हुई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल यह कि देश में रहना होगा वन्दे मातरम कहना होगा। यह नारा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इसको ज्यादा वाद-विवाद का विषय नहीं बनाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी कह रहे हैं बताइये, मैं तो नहीं बताना चाह रहा था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं और मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं और मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम प्रदेश में कुछ ऐसे...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : यहीं रहेंगे। यहां ही पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। ऐसे नहीं जायेंगे, और आपकी छाती पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धार्मिक संगठन खड़े हो गये हैं जो शांति और व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : दोयम दर्जा मिला हुआ है मुसलमानों को तो यहां पर, दोयम दर्जा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यहां तो वही रहेगा जो...(व्यवधान)... कोई पाकिस्तान का समर्थक बने तो पाकिस्तान में चला जाय।

श्री जगत सिंह दायमा : सबसे पहले आडवाणीजी को भेजो पाकिस्तान।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं और आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस प्रदेश में शांति और अमन कायम करने में सहयोग दीजियेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक बात है। पूरा सहयोग है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान की तरक्की और विकास के लिए अमन और शांति आवश्यक है। लेकिन मैं आप सब से अनुरोध करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं सरकार की ओर से, कि इन सब एक्टिविटीज के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने निर्देश दिये हैं। उसकी तह में जाना चाहता हूं कि यह कहां से शुरू होती है और कहां जाकर के खतम होती है? मैं आपको सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी कीमत पर राज्य सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह भाषण तो हर साल सुनते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करो आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी और...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उन संगठनों पर आप बैन लगाओगे या नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर इनकी गतिविधियां ऐसी नजर आयेगी तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी। मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, राज्य सरकार के नियम के तहत इजाजत तो आपको लेनी ही पड़ेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यस, दोनों के लिए बराबर कानून है। सही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने सब के लिए कहा है। चाहे गुरुद्वारा बनाये, चाहे आप कुछ भी बनाएं लेकिन कानून की अवज्ञा करने का अधिकार तो आपको नहीं दिया जा सकता। इसलिए कानून तो आपको मानना पड़ेगा और कानून के तहत

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

हम कोई काम करे तो मैं समझता हूं कोई दुविधा पैदा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह सब सदस्य थक गये, अब आप कनक्लूड करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कई माननीय सदस्यों ने थाने को सी.आई. में बदलने की बात कही है, कुछ और बातें कही हैं। (व्यवधान) अगर आप थक गये हैं तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्रीजी, बहुत सीरियस मुद्दा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, मैं उस पर आ रहा हूं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की कि विद्यार्थियों में और खास तौर से नौजवानों में स्मैक पीने की आदत पड़ गई है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान का गंगानगर जिला तो या कोई और जिले हों, जहां पर भी इस प्रकार की अवैध स्मैक या और तरह की नशीली चीजों के पदार्थ जा रहे हों, चाहे अजमेर की दरगाह शरीफ के पास बेचे जा रहे हों, उन पर राजस्थान सरकार एक विशेष दल गठित करके इसकी जांच करके इसको पूरा बंद करने की भी कार्यवाही करेगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्रीजी, मेरा प्रश्न अलग था। (व्यवधान) और पुलिस के लोग उसमें शामिल हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उस पर भी आ रहा हूं। आपने दूसरा जिक्र यह किया कि दो पुलिस के अधिकारी भी उसमें थे, उन्होंने भी यह धंधा किया है। मैंने उसकी जांच के आदेश आज ही दे दिये हैं और जांच करके उसमें जो भी दोषी पाया जायेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई कसर सरकार नहीं रखेगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : धन्यवाद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सरकार की ओर से यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पुलिस कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरतेगा, गलत काम करेगा— (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : शराब पीयेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : या शराब पीयेगा तो भी, या कोई भी नियमों के विरुद्ध आचरण करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी और ऐसी प्रवृत्ति को रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद। जयहिन्द। एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, पांच मिनट, मैं आपको थोड़ी जल्दी कर रहा हूं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि पुलिस कर्मचारियों को मैस भत्ता कम मिलता है, और चीजें कम मिलती हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैस भत्ते में 50 रुपये की वृद्धि कर 3 करोड़ 35 लाख रुपये इसमें खर्च करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मासिक 50 रुपये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 50 रुपये महीना। कमाण्डो भत्तों में वृद्धि कर 7.82 लाख रुपये खर्च करेंगे। हमारे अकादमी में कुत्ते रखने वाले हैं, श्वान भत्ता जो मिलता है, उस पर भी हम पैसा खर्च करेंगे। ड्रिल प्रशिक्षण भत्ता 2.29 लाख रुपये देंगे। अपराध एवं विशेष शाखा को विशेष भत्ता आर.ए.सी. के समकक्ष करना, उसमें 22.50 लाख रुपये देंगे। धुड़सवार भत्ता जो अभी मिल रहा है, उसको दोगुना करेंगे, उस पर 2.20 लाख रुपये खर्च होंगे। थानों और प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख रुपये का प्रोविजन कर रहे हैं। पुलिस लाइन में शौचालय, स्नानगृह, नालियां आदि के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस कल्याण कोष में 25 लाख रुपये, खेल कोष में 10 लाख रुपये, आर.पी.बी.एफ. में 15 लाख रुपये और उत्सव कोष में 10 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह कुल 556.09 है।

श्री जगत सिंह दायमा : उनके क्वाटर्स के लिए कोई व्यवस्था है क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह मैंने पहले ही पढ़ दिया था।

एक माननीय सदस्य : वह पहले बोल तो दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग की कोई मांग तो थी नहीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का निर्देश था कि मैस भत्ते में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। यह विसंगति पिछली बार रह गयी थी। होम गार्ड में भी रह गयी थी और नागरिक सुरक्षा में भी रह गयी थी। इनको अभी 350 रुपये मिल रहे हैं। अब उनको बराबर कर दिया गया है, 450 रुपये माहवार, होमगार्ड के लोगों को भी और नागरिक सुरक्षा के लोगों को भी मिलेंगे। होमगार्ड में जो स्वयं सेवक ड्यूटी पर आते हैं, अब तक उनको 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देते थे इसको बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने का फैसला किया है और वैलफेयर फण्ड में भी पांच लाख रुपये अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। यह तो नागरिक सुरक्षा के लिए है।

अब आ जाता है मामला कारागार का। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि आप ही बोल दो इसलिए मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : नहीं, नहीं, हम चाहते हैं कि कारागार मंत्रीजी बोले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यशवंतजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के माध्यम से आपसे निवेदन किया था। माननीय मंत्रीजी, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मेरे

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप मन्दिरों और स्कूलों के पास में शराब की दुकानों को हटाने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक-एक का सुन लीजिए। बन्दी कल्याण कोष के लिए 5 लाख रुपया, कर्मचारी कल्याण कोष के लिए 3 लाख रुपया, कारागृहों की छतों के पंखों के लिए 5 लाख रुपया, आटा गूंदने की मशीन के लिए 3 लाख रुपया, मसाला पीसने की चक्की के लिए 2 लाख रुपया, कारागृहों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपया, स्टाफ के मैस हेतु गैस व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपया और कारागृहों में स्टाफ आवास/घरों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आई.टी.आई. के अधूरे भवन को पूरा करायेंगे कि नहीं? फिर क्यों उसमें 17 लाख रुपया लगा कर रखा हुआ है आपने आई.टी.आई. का जो जेल में भवन बन रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ये तो विशेष घोषणाएं आज की अलग हैं। वह तो उसके प्लान बजट से अलग से करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (राज्य मंत्री, कारागार) : केन्द्रीय कारागार, जयपुर में आई.टी.आई. का जो भवन बन रहा है वह तकनीकी शिक्षा विभाग का भवन बन रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने वहां पर जमीन लेकर आई.टी.आई. का ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पैसा दे रखा है। ठेकेदार ने वह काम बीच में छोड़ दिया है इसलिए उस काम को बन्द किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के बीच में सारा कागजी कार्य जब हो जाएगा, उसको पूरा करने की कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : यहां भी परसेंटेज चल रही है क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 व 17 को पारित किया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : जितना इन्होंने मांगा है, उससे ज्यादा देओ।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,52,63,00,000/- (सात अरब बावन करोड़ तिरेसठ लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,56,24,000/- (तीस करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 03 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.44 बजे गुरुवार, 03 मई, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-426 की सूची)

धौलपुर जिले में वर्तमान में संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	स्थान औषधालय	क्र.सं.	स्थान औषधालय
आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय			
1.	अ-श्रेणी चिकि. धौलपुर	2.	बोरोली
3.	खिडौरा	4.	समौना
5.	धीमरी	6.	तसीमो
7.	पुरानी छावनी	8.	सरमथुरा
9.	बसेड़ी	10.	मनिया
11.	मांगरोल	12.	राजाखेड़ा
13.	अ-श्रेणी चिकित्सालय बाड़ी	14.	गन्हेढ़ी
15.	जपावली	16.	बोथपुरा
17.	मरैना	18.	साडनपुर
19.	खरौली	20.	झिरी
21.	नगला बीधोरा	22.	कंचनपुर
23.	चीलपुरा	24.	जसूपुरा
25.	नगला खरगपुर	26.	सांवलियापुरा
27.	खेरली	28.	धनोरा
29.	उमरेह	30.	लीलौठी
31.	गजपुरा	32.	कोटरा
33.	विश्नौदा	34.	सहायपुर
35.	पिपरोन	36.	धौर्र

क्र.सं.	स्थान औषधालय	क्र.सं.	स्थान औषधालय
37.	सान्दरा	38.	सखवाड़ा
39.	सिगौरई	40.	बसईघीयाराम
41.	सिलावट	42.	सहरौली
43.	टेहरी	44.	रतन का पुरा
45.	कैंथरी	46.	मौरोली
47.	भारली	48.	बसई नवाब
49.	दुबेपुरा	50.	चिलाचौंद
51.	बहरावती		
यूनानी औषधालय/चिकित्सालय			
1.	धौलपुर	2.	नांदनपुर

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-427 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन भविष्य के सम्भावित प्रतिस्पर्द्धी वातावरण के मध्यनजर विशेष प्रबन्ध कर रही है। फेडरेशन ने वर्ष 2000-2001 में दुग्ध संकलन जो औसतन लगभग 8.86 लाख लीटर प्रतिदिन है, उसे बढ़ा कर सन् 2003-2004 तक 14.06 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। इसकी पूर्ति के लिए राज्य में वर्तमान में दुग्ध सहकारी समितियों की कुल संख्या जो लगभग 5885 है उसमें 2000 दुग्ध समितियों की वृद्धि सन् 2003-04 तक करने का लक्ष्य रखा है।

डेयरी फेडरेशन दुग्ध विपणन में भी बढ़ोतरी करने हेतु प्रयासरत है। वर्ष 2000-01 में 5.44 लाख लीटर प्रतिदिन विपणन को बढ़ा कर वर्ष 2003-04 तक 10.20 लाख लीटर प्रतिदिन किया जायेगा। इसकी पूर्ति के लिए वर्तमान में कार्यरत 4000 दुग्ध विपणन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर वर्ष 2003-04 तक 15000 पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डेयरी फेडरेशन द्वारा अपने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेष प्रयास किये जा रहे है।

डेयरी फेडरेशन के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में भी वितरक नियुक्त किये जा रहे है।

डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, सन्तुलित पशु आहार एवं अन्य संबंधित सुविधाएं पशुपालकों को प्रदान करने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खारची स्थित दुआरिया बांध का निर्माण

428. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति देसूरी के ग्राम सुमेर में 35 वर्ष पूर्व दुआरिया नदी पर दुआरिया बांध का सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो सर्वे का क्या नतीजा निकाला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध पर दिनांक 2 अक्टूबर, 1964 से निर्माण कार्य भी हुआ? यदि हां, तो अब तक उक्त बांध पर कुल कितना व्यय हुआ तथा अब कितना व्यय होना तय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त बांध का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1979-80 एवं वर्ष 1990-91 में हुआ एवं उसके आधार पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य कराया गया था।

(2) जी, नहीं। उक्त बांध का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सम्वत् 2039, 2042 एवं 2044 में कुल 10.22 लाख रुपये व्यय किया जाकर पूर्ण किया गया था।

(3) जी, हां। उक्त बांध अभी क्षतिग्रस्त है। इस बांध की जल आवक को दृष्टिगत रखते हुए इसे अब लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है।

कोटा सम्भाग के शराब ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

429. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में वर्ष 2000-2001 के शराब के ठेके किस-किस ठेकेदारों या फर्म को कितनी-कितनी राशि के दिये गये?

(2) क्या उक्त ठेकेदारों से वर्ष 2000-2001 की सम्पूर्ण ठेका राशि वसूल कर ली गई है? यदि नहीं, तो किस-किस ठेकेदार या फर्म पर कितनी-कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई

(श्री रामगोपाल बैरवा)

है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(4) क्या सरकार उक्त ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ में वर्ष 2000-2001 के शराब के ठेकेदारों के नाम एवं ठेका राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले के रामगंजमण्डी-सांगोद समूह, बारां जिले के दोनों समूहों एवं झालावाड़ जिले के अकलेरा समूह की वर्ष 2000-2001 की संपूर्ण ठेका राशि वसूल हो चुकी है। मदिरा समूह कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा, बूंदी, झालावाड़-खानपुर एवं पचपहाड़-पिड़ावा-गंगधार के ठेकेदारों के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 की बकाया ठेका राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी, हां। सरकार ठेकेदारों से बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली का विचार रखती है।

परिशिष्ट-1

(राशि- लाख रु. में)

क्र.सं.	जिला		मदिरा समूह का नाम	ठेकेदारों के नाम	ठेका राशि
1.	कोटा	1	कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	3804.89
		2	रामगंजमण्डी-सांगोद	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	762.22
2.	बूंदी		बूंदी	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	1426.00
3.	बारां	1	बारां-किशनगंज-शाहबाद-मांगरोल	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	770.50
		2	अटरू-छीपाबड़ौद-छबड़ा	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	485.30
4.	झालावाड़	1	झालावाड़-खानपुर	श्री सतीशचन्द्र पुत्र गोविन्दराम श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र मंगतराम	706.24
		2	पचपहाड-पिड़ावा-गंगधार	श्री सतीशचन्द्र पुत्र गोविन्दराम श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र मंगतराम	473.25
		3	अकलेरा	श्री कोमल वर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण श्री रामगोपाल पुत्र मोतीलाल श्री बुंदु खां पुत्र नसीर मोहम्मद	231.44

परिशिष्ट-2

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जिला		मदिरा समूह का नाम	ठेकेदारों के नाम	बकाया राशि
1.	कोटा	1	कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	2843.34
2.	बूंदी		बूंदी	श्री परसराम पुत्र हरीशचन्द्र	654.85
3.	झालावाड़	1	झालावाड़-खानपुर	श्री सतीशचन्द्र पुत्र गोविन्दराम श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र मंगतराम	35.35
		2	पचपहाड-पिड़ावा-गंगधार	श्री सतीशचन्द्र पुत्र गोविन्दराम श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र मंगताराम	8.36

ग्राम पंचायत गोपालगढ़ (भरतपुर) में पेयजल आपूर्ति

430. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत गोपालगढ़ (भरतपुर) में भूमिगत जलाशय से पानी का वितरण किन-किन गांवों में किया जा रहा है और किन-किन गांवों में पानी की आपूर्ति जारी है ?

(2) क्या लाडमका ग्राम में पानी की आपूर्ति जारी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक चालू करा दी जायेगी ?

(3) उक्त योजना से पूरे गांव में पानी आपूर्ति कितने दिनों में चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत गोपालगढ़ (भरतपुर) में पेयजल वितरण हेतु भूमिगत जलाशय एवं उच्च जलाशय दोनों ही उपलब्ध हैं। भूमिगत जलाशय से जल वितरण गांव लाडमका व माधोगढ़ में किया जा रहा है जबकि ग्राम गोपालगढ़ में जल वितरण उच्च जलाशय से किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम गोपालगढ़ में पेयजल आपूर्ति लगभग नियमित है तथा अन्य दो में अनियमित है।

(2) जी, नहीं। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं है। विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास के साथ-साथ निकटस्थ अन्य योजना से अतिरिक्त पानी लेकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) सभी गांवों में नियमित पेयजल वितरण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम आठ घंटे की बिजली उपलब्धता आवश्यक है जबकि वर्तमान में 4-5 घंटे ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। विद्युत आपूर्ति बढ़वाने के प्रयास संबंधित विभाग से किये जा रहे हैं एवं साथ ही भाग संख्या-2 में दर्शाये गये अनुसार अतिरिक्त पानी लेकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है।

अजमेर में सिटीजन काउंसिल का गठन

431. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ज़िला कलक्टर अजमेर की अध्यक्षता में सिटीजन काउंसिल अजमेर का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब? अजमेर के अलावा राज्य के किस-किस जिले में उक्त काउंसिल का गठन किया हुआ है?

(2) राज्य सरकार ने किस उद्देश्य से उक्त परिषद् का गठन किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अजमेर सिटीजन काउंसिल का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। अजमेर के अलावा किसी भी जिले में सिटीजन काउंसिल का गठन नहीं किया गया है।

(2) सिटीजन काउंसिल का गठन अजमेर शहर के सर्वांगीण विकास हेतु किया गया था। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

जिला धौलपुर में भू-आबंटन

432. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 में जिला धौलपुर की चम्बल नदी के निकट स्थित बीहड़ों में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या पूर्व में आबंटित उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बीहड़ भूमि आबंटन को गलत मानते हुए अधिकांश आबंटनों को रद्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त आबंटित भूमि धारकों में से कितने व्यक्तियों ने वर्ष 1995 से अब तक उक्त क्षेत्र में अपनी आय का स्रोत उक्त भूमि को मानकर राजस्व की चोरी की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में वर्ष 1994 की राजस्व वसूली के बाद गत तीन वर्षों में राजस्व वसूली की दर में कमी आई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में जिला धौलपुर की चम्बल नदी के निकट स्थित बीहड़ भूमि में किसी भी व्यक्ति का आबंटन नहीं हुआ है। वर्ष 1985 में 205 व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई थी। जिनमें से 19 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। शेष 186 गैर खातेदार थे। आबंटित शर्तों की पालना नहीं करने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा 203 व्यक्तियों को किये गये आबंटन निरस्त कर दिये गये। लेकिन 6 प्रकरण अपील में राजस्व मण्डल राजस्थान/सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) वर्ष 1985 में राजस्थान भू-राजस्व (बीहड़ भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम, 1967 के तहत 205 व्यक्तियों को आबंटन किया गया था। लेकिन आबंटित व्यक्तियों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण 203 व्यक्तियों के आबंटन सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गये।

(3) प्रश्नगत आराजीयात जिनका आबंटन निरस्त हुआ है, या उक्त बिन्दु संख्या 1 में अंकित सभी आराजीयात मौके पर पड़त है तथा उनके कोई भी आय नहीं हुई है। आराजीयात मौके पर बीहड़ एवं ऊबड़-खाबड़ है जिन पर कृषि नहीं हो रही है, जिससे इनमें आय होना सम्भव नहीं रहा है। इस प्रकार आय की राजस्व की चोरी के बाबत इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) जिले में वर्ष 1994 की राजस्व वसूली के बाद गत 3 वर्षों में भू-राजस्व की वसूली दर में कोई कमी नहीं आई है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

433. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ताओं के काफी पद रिक्त हैं यदि हां, तो क्यों ?

(2) राज्य के अन्य जिलों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ता के वर्तमान में 3 पद रिक्त हैं तथा 7 कनिष्ठ अभियन्ता के पदस्थापन कर दिए जाने के बाद भी अभी तक नये कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः कुल 10 पद रिक्त हैं।

(2) राज्य के अन्य जिलों में कुल 30 कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं। बाड़मेर जिले में प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर के अनुसार 10 पद रिक्त हैं।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में विभाग में 52 कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता पद के विरुद्ध कार्यरत होने एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर 36 कनिष्ठ

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अभियन्ता कार्यरत होने के कारण ही रिक्त हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्य में अवरोध

434. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में इन्दिरा गांधी नहर निर्माण कार्य प्रायः बन्द रहा है? यदि नहीं, तो कितना विस्तार हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अगामी वर्षों की गति यही रहेगी?

(3) क्या कार्य की प्रगति पानी की कमी तथा संसाधनों की कमी के कारण धीमी है? यदि हां, तो इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के स्थायित्व का क्या औचित्य है?

(4) क्या सरकार नहर मण्डल को भंग कर सिंचाई विभाग से आगे का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 114.25 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया गया है। इस बजट प्रावधान से वर्ष के दौरान 95 कि.मी. की लम्बाई में नहरों का निर्माण कार्य कर 20 हजार हैक्टेयर नया क्षेत्र खोला जायेगा।

(2) अतिरिक्त आबंटन के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) पानी की कम उपलब्धता के कारण निर्माण कार्यों की गति कुछ धीमी रही है। निर्माण कार्यों तथा योजना को गति देने हेतु इन्दिरा गांधी नहर मण्डल का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय मद से बजट आबंटित कराने हेतु व विभिन्न विभागों से तालमेल बनाने के लिए मण्डल कार्यालय की भूमिका अहम रहती है व राज्य हित में इन्दिरा गांधी नहर मण्डल का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है।

(4) जी, नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लागत रु. 3995 करोड़ है तथा मार्च, 2001 तक 2205 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है जो कि कुल लागत का लगभग 55 प्रतिशत है। शेष 45 प्रतिशत कार्य सम्पादित करने हेतु मण्डल का रहना नितान्त आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा गठित इस मण्डल को भंग करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

तहसील कोटड़ा (उदयपुर) के बैरण तालाब के निर्माण कार्य की बकाया मजदूरी का भुगतान

435. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोटड़ा (उदयपुर) में वर्ष 1998-99 में बैरण तालाब निर्माण कार्य ठेके पर देकर करवाया गया था? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार का पूरा नाम व पता सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य को ठेके पर देने से पूर्व कोई जमानत अथवा सिक्योरिटी ठेकेदार से ली गई थी? यदि हां, तो कितनी व किस रूप में?

(3) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार द्वारा मजदूरों को उनकी मजदूरी भुगतान कराने के क्या प्रयास किये गये हैं? अब मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(4) क्या सरकार द्वारा कार्य ठेके पर सौंपने से पूर्व श्रमिकों के हितों की रक्षा पर कोई ध्यान दिया जा रहा है? यदि हां, तो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर सरकार को श्रमिकों द्वारा अवगत करा दिया गया था? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा मजदूरी भुगतान कराने की क्या व्यवस्था की। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में तहसील कोटड़ा, उदयपुर में बैरण तालाब नाम का कोई कार्य सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है। परन्तु कोटड़ा तहसील की 'डांग पंचायत' में बैरण गांव के पास "घोदी खादरा" नाम के एनीकट का निर्माण कार्य ठेके पर देकर करवाया गया था। जो संविदा संख्या 117/98-99 द्वारा श्री भैरूसिंह राठौड़, ठेकेदार निवासी सज्जनगढ़ रोड, गज्जसिंह जी की बाड़ी, उदयपुर को राशि रुपया 4,79,901/- का आवंटित किया गया था।

(2) 'घोदी खादरा' एनीकट का निर्माण कार्य ठेके पर पंजीकृत ठेकेदार को दिया गया था, जिसके द्वारा विभाग में ठेका लेने से पूर्व नियमानुसार अपना पंजीकरण "डी" श्रेणी ठेकेदारों की सूची में करवाया गया। ठेकेदार को कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों के अन्तर्गत प्रथम रनिंग बिल से आवंटित कार्य की राशि की 5 प्रतिशत राशि परफोरमेंस गारंटी के रूप में काटी गई, जो विभाग की पुस्तकों में दर्ज है।

(3) जी, नहीं। ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगाये गये मजदूरों को भुगतान नहीं किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित सहायक अभियन्ता से बकाया मजदूरी के भुगतान हेतु विवरण चाहा गया, किन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा निरन्तर

(सिंचाई मंत्री)

प्रयास करने के पश्चात् भी अदेय भुगतान की सूचना ठेकेदार द्वारा किसी भी श्रमिक अथवा मिस्त्री द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है कि किस व्यक्ति को कितना भुगतान किया जाना है। जैसे ही कार्यस्थल पर कार्यरत रहे श्रमिकों के कार्य विवरण प्रमाणित होकर प्राप्त होंगे उन्हें मजदूरी का भुगतान ठेकेदार की जमा राशि में से इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार के नहीं करने पर कर दिया जावेगा। ठेकेदार की इस कार्यालय में कुल राशि रुपया 84,264/- जमा है।

(4) जी, हां। विभाग द्वारा कार्य ठेके पर देने के पश्चात् अगर ठेकेदार श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं करता है तो संविदा की धाराओं के तहत विभाग बकाया भुगतान ठेकेदार की जमा राशि में से कराने हेतु प्रिंसिपल एम्पलोयर होने के कारण जिम्मेदारी विभाग की है।

(5) जी, हां। श्रमिकों को भुगतान नहीं करने की सूचना विभाग को सरपंच, ग्राम पंचायत डांग द्वारा सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड कोटड़ा को दी गई। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु श्रमिकों की सूचना जिन्होंने कार्य स्थल पर कार्य किया तथा उनकी कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है, का पूर्ण विवरण चाहा गया। अभी तक किसी भी श्रमिक, मेट या मुंशी द्वारा आज तक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। पूर्ण विवरण के अभाव में श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पूर्ण विवरण प्राप्त होते ही ठेकेदार द्वारा उसका तुरन्त भुगतान नहीं किये जाने पर ठेकेदार की विभाग के पास जमा राशि में से बकाया श्रमिक भुगतान विभाग द्वारा कर दिया जावेगा।

बाड़मेर शहर हेतु स्वीकृत योजनाएं

436. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बाड़मेर शहर के पीने के पानी की अस्थायी समस्या हल के लिए 4 करोड़ 18 लाख रुपयों की योजना को स्वीकृति दी है? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से बाड़मेर शहर को प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना पानी उपलब्ध हो सकेगा और किस गुणवत्ता का पानी होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना का लाभ कितने वर्षों तक मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बाड़मेर शहर की पुनर्गठित शहरी जल योजना की स्वीकृति माह दिसम्बर, 2000 में हुई थी जिसमें राशि रु. 418.34 लाख की स्वीकृति हुई थी। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों व योजना पर होने वाले अनुमानित व्यय का प्रावधान परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर बाड़मेर शहर को 75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ग्राम भाड़खा में ही अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जहां से वर्तमान में भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता वर्तमान में उपलब्ध पानी के अनुसार ही रहने की सम्भावना है।

(3) उक्त संवर्धन योजना बाड़मेर शहर की वर्ष 2001 की आबादी की मांग के अनुरूप बनाई गई है। योजना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

बाड़मेर शहर हेतु स्वीकृत पुनर्गठित योजना में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	भाड़खा में 5 अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण	25.01
2.	राइजिंग मैनस	86.42
3.	पम्प एवं मशीनरी	59.24
4.	150 कि.ली. एवं 300 कि.ली. क्षमता के दो स्वच्छ जलाशयों का निर्माण क्रमशः हरसानी फांटा एवं जालीया हैड वर्क्स पर	4.80
5.	बाड़मेर शहर में अस्पताल परिसर एवं इन्दिरा नगर में क्रमशः 610 कि.ली. एवं 425 कि.ली. क्षमता के 20 मीटर ऊंचाई के उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य	26.00
6.	वितरण प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न साइज की पाइप लाइन कार्य	123.56
7.	सिविल कार्य	18.10
8.	टूल एवं प्लांट्स	0.30
9.	भूमि अवाप्ति	3.00
10.	बी.पी. डोजिंग प्लांट	1.50
11.	टेलीफोन	0.12
12.	विद्युत कनेक्शन	10.88
	सब टोटल	358.93
	कंटिंजेंसी प्रावधान दर 5%	17.95
		376.88
	प्रोरेटा प्रावधान दर 11%	41.46 लाख
	योजना की कुल लागत रु.	418.34

लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

437. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत लोक आयुक्त को अपना वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक कुल कितने प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल के समक्ष लोक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी अधिनियम की धारा 12 (5) के अन्तर्गत लोकायुक्त में प्राप्त ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति राजस्थान विधान सभा के पटल पर रखना आवश्यक है? यदि हां, तो कुल कितने ऐसे प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) भविष्य में सरकार इस विषय में क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। अब तक 18 वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) जी, हां। अब तक 13 प्रतिवेदनों की प्रतियां विधान सभा के पटल पर रखी जा चुकी है। केवल 14वें से 18वें वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां विधान सभा के पटल पर रखी जानी शेष है। इन प्रतिवेदनों को अभी तक मुद्रणालय द्वारा मुद्रित नहीं किये जाने के कारण इन्हें विधान सभा के पटल पर नहीं रखा जा सका है।

(3) इन प्रतिवेदनों को शीघ्र ही मुद्रणालय से मुद्रित करवा कर सदन के पटल पर रखा जावेगा।

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की वितरिकाओं का निर्माण कार्य

438. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30 जून, 1999 को सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त दोनों वितरिकाओं का निर्माण कार्य क्यों नहीं चालू किया गया?

(2) क्या सरकार सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका के निर्माण कार्य को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 30 जून, 1999 को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की सिद्धमुख वितरिका का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। वर्ष 1999–2000 व 2000-2001 में राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त दोनों वितरिकाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। सिद्धमुख एवं रतनपुरा वितरिका के निर्माण हेतु प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है एवं परियोजना निर्माण हेतु इस वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के स्वीकृत हैण्ड पम्प

439. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2000 में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये? सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों में दिसम्बर, 2000 तक कितने हैण्ड पम्प खराब थे और फरवरी, 2001 तक किस-किस पंचायत क्षेत्र के हैण्ड पम्प दुरूस्त किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वर्ष 2000 में क्रमशः 54 एवं 62 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। पंचायतवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त पंचायतों में दिसम्बर, 2000 तक 305 हैण्ड पम्प खराब पाये गये थे। माह फरवरी, 2001 तक जिस-जिस पंचायत क्षेत्र के हैण्ड पम्प मरम्मत किये गये, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का पदोन्नति समितियों में मनोनयन

440. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभागों में पदोन्नति हेतु समिति का गठन किया जाता है?

(2) क्या उक्त पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या अब सरकार उक्त समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भी सदस्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पदोन्नति समिति का स्थायी रूप से गठन संबंधित विभाग के सेवा नियमों के प्रादुर्भाव के समय ही कर दिया जाता है।

(2) नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति एक स्थायी समिति होती है, यह व्यक्ति विशेष को आधार मान कर नहीं

(कार्मिक मंत्री)

बनाई गई है अपितु पदनाम के आधार पर गठित है। समिति की बैठक के समय पद विशेष पर जिस प्रवर्ग का अधिकारी नियुक्त रहता है, वही समिति का अध्यक्ष/सदस्य होता है। कार्यरत अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नियमों में वर्ग अथवा जाति के आधार पर समिति गठन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति पदनाम के आधार पर गठित एक स्थायी समिति है और पद पर कार्यरत किसी भी प्रवर्ग का अधिकारी समिति का अध्यक्ष/सदस्य हो सकता है।

तहसील पचपदरा के ग्रामों की खड़ीनों की मरम्मत

441. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा तहसील के ग्राम बागावास व कल्याणपुर की खड़ीने गत वर्षों में टूट गई थी? यदि हां, तो उक्त की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खड़ीनों की मरम्मत से सैकड़ों कास्तकारों को पीने का पानी और कृषि से लाखों रुपयों का लाभ होगा? यदि हां, तो उक्त खड़ीनों की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग जालौर द्वारा जिला बाड़मेर के तहसील पचपदरा के ग्राम बागावास में किसी खड़ीन का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। कल्याणपुर (जोड़िया) खड़ीन का निर्माण अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया था। उक्त खड़ीन वर्ष 1990-91 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसका बजट के अभाव में मरम्मत कार्य नहीं करवाया जा सका था।

(2) जी, हां। कल्याणपुर (जोड़िया) खड़ीन के मरम्मत हेतु एक प्रस्ताव रुपये 4.00 लाख की राशि का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से स्वीकृत हेतु प्रस्तावित किया गया है। कार्य की स्वीकृति व आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर कार्य को करवाया जाना सम्भव होगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 अप्रेल, 2001)

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन जयपुर में शीघ्रलिपिक की नियुक्ति में अनियमितता

108. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में शीघ्र लिपिक का पद सृजित है? यदि हां, तो कब और किस-किस आदेश से?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त पद पर किस कर्मचारी की नियुक्ति/पदोन्नति कब की गई? क्या वह नियमानुसार उचित है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद पर की गई नियुक्ति/पदोन्नति को नियम विरुद्ध बताते हुए बोर्ड के रजिस्ट्रार ने राज्य सरकार को अनेक पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो कब और क्या तथा उसके पश्चात् सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(4) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के लेखों की विस्तृत आडिट/प्राथमिक जांच रिपोर्ट में उक्त व्यक्ति एवं अन्य को बोर्ड की राशि के गबन, स्टोर में घोटाले एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो किसके लिए कब-कब और उसके पश्चात् उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बोर्ड में हुए गबन की शेष राशि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर को आदेश दिया है? यदि हां, तो कब और क्या? उसकी जांच रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई उसमें किसको कितनी राशि के लिए दोषी बताया गया तथा उसके पश्चात् उन दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह भी सही है कि पूर्व में बोर्ड की राशि के गबन के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई प्राथमिक जांच एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार बोर्ड द्वारा अनेक बार पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो किस आदेशानुसार किसके विरुद्ध कितनी राशि के लिए कब रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं अन्य कार्यवाही की गई और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

(7) क्या यह सही है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-22 (विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-3) एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों के अनुसार गबन के मामलों पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक है? यदि हां, तो बार-बार गबन के लिए दोषी पाये गये उक्त शीघ्रलिपिक को निलम्बित कर उसके विरुद्ध अब तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई गई? क्या उक्त प्रकरण में उसे बचाने वाले उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का एवं गबन के लिए दोषियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? उक्त आडिट/जांच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण आदेशों, एफ.आई.आर. आरोप पत्रों आदि की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.2(179)एम.पी.एच/65 पी.टी.111 दिनांक 8-2-77 के द्वारा बोर्ड में एक पद शीघ्रलिपिक ग्रेड का सृजित किया गया

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

था। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) श्री मंगल चन्द शर्मा, कलि. की शीघ्रलिपिक के पद पर पदोन्नति दिनांक 18-6-85 को गई है। जी, नहीं।

(3) जी, हां। आडिट/प्राथमिक जांच रिपोर्ट में गबन के लिए निम्न कर्मचारी उनके नाम के सामने अंकित राशि के दोषी पाये :—

1. श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि.	1,31,682.23 (74 से 83)
2. श्री राधेश्याम शर्मा, वलि.	21,565.00 (80 से 82)
3. श्री मंगल चन्द शर्मा स्टेनो	2,400.00 2,217.00 (80 से 82)

(4) श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि. के विरुद्ध 1,31,682-23 पैसे के गबन के मामले में सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच करवा कर निम्न दण्ड दिया है :—

1. गबन की प्रमाणित राशि जी.पी.एफ. एवं सी.पी.एफ. की राशि में से 92930 रु. जब्त किए।

2. निलम्बन अवधि ड्यूटी नहीं मानी जावेगी।

3. निलम्बन अवधि में निर्वाह भत्ता जो प्राप्त किया जा चुका है, के अतिरिक्त और कोई परिलब्धियों के हकदार नहीं है। राशि 92,930.23 पैसे रसीद सं. 6784 एवं 6785 से दिनांक 2-11-98 को वसूल किये जा चुके हैं।

बोर्ड ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7-1-99 के आधार पर आरोपी श्री प्रभु नारायण शर्मा के विरुद्ध गबन के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक 13-1-99 द्वारा बजाज नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है।

राज्य सरकार के अनुशासनिक अधिकारी (बोर्ड अध्यक्ष) के आदेश दिनांक 26-10-98 को सी.सी.ए. नियम 32 के अन्तर्गत रिव्यू कर आदेश दिनांक 22-9-99 के द्वारा श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि. को सेवानिवृत्ति पर उन्हें देय परिलाभों में से 5 प्रतिशत की राशि और काटे जाने के आदेश कर गबन प्रकरण को समाप्त कर दिया है।

2. श्री राधेश्याम शर्मा

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.11 (168) आयु/82 दिनांक 10-12-82 के आधार पर श्री राधेश्याम शर्मा, वलि. के विरुद्ध 14,565, रु. एवं 7000 रुपये के गबन के मामले में बोर्ड के पत्र क्रमांक 5199 दिनांक 7-1-83 एवं क्रमांक 74 दिनांक 14-4-83 के द्वारा पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने आदेश दिनांक 8-6-95 के द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का दोषी करार देते हुए इन्हें 2 साल का साधारण कारावास तथा 1000 रु. के अर्थ

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

दण्ड से दण्डित किया है जिसकी अपील सैशन न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। श्री शर्मा से गबन की राशि बोर्ड में दिनांक 17-1-83 एवं 24-9-83 जमा हो चुकी है।

3. श्री मंगल चन्द शर्मा

श्री मंगल चन्द शर्मा, कलि. (हाल स्टेनो) को 2400 रु. एवं 2217 रु. के गबन के लिए विभागीय जांच करवा कर आदेश दिनांक 23-3-83 एवं 30-7-98 द्वारा क्रमश: एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया जा चुका है। गबन की राशि वसूल कर ली गई है।

आडिट रिपोर्ट में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्टोर में संदिग्ध व्यय, संदिग्ध क्रय एवं गम्भीर अनियमितताओं का आरोप है। आडिट रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध मामलों की जांच करने पर ही सही स्थिति सामने आ सकेगी। बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

बोर्ड के पूर्व रजिस्ट्रार ने दिनांक 19-4-2000 एवं 16-8-2000 को दो पत्र इस मामले की जांच कराने हेतु सरकार को लिखे हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है।

(5) जी, हां। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प8(2) आयु/86 दिनांक 15-7-99 की प्रति परिशिष्ट "ज" पर उपलब्ध है। उप निदेशक, आयुर्वेद, जयपुर की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 18-2-2000 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भागीरथ जोशी पर 3337 रु., श्री मंगल चन्द शर्मा पर 2321 रुपये एवं श्री राम शरण शर्मा पर 16,339 रु. का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। दोषी कर्मचारियों श्री मंगल चन्द शर्मा व श्री राम शरण शर्मा, कलि. को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 24-3-2001 को आरोप पत्र दे दिए गए हैं। श्री भागीरथ जोशी भूतपूर्व अध्यक्ष का निधन हो चुका है।

(6) जी, हां। वर्ष 1982-83 के दौरान श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि. के द्वारा बोर्ड में आए मनीआर्डरों से प्राप्त राशि के 1534 रु. के गबन के मामले में विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस (भ्रनिवि. के पत्र दिनांक 18-2-83 के आधार पर बजाज नगर थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस आपराधिक प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20-4-95 के द्वारा श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि. को उन पर लगाये गये आरोप धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से बरी कर दिया है।

2. बोर्ड ने राज्य सरकार के पत्र दिनांक 7-1-99 के आधार पर आरोपी श्री प्रभु नारायण शर्मा के विरुद्ध गबन के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक 13-1-99 द्वारा बजाज नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। थानाधिकारी बाज नगर, जयपुर ने श्री प्रभु नारायण शर्मा, वलि. (सेवानिवृत्त) को 1,26,522.23 पैसे का गबन करने का अभियुक्त बनाकर दिनांक 7-12-2000 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

3. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.11 (168) आयु/82 दिनांक 10-12-82 के आधार पर श्री राधेश्याम शर्मा, वलि. के विरुद्ध 14,565 रु. एवं 7000 रु. के गबन के मामले में बोर्ड के पत्र क्रमांक 5199 दिनांक 7-1-83 एवं क्रमांक 74 दिनांक 14-4-83 को पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने आदेश दिनांक 8-6-95 के द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल का साधारण कारावास तथा 1000 रु. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है जिसकी अपील सैशन न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। श्री राधेश्याम शर्मा से गबन की राशि बोर्ड में दिनांक 17-1-83 एवं 24-9-83 को जमा हो चुकी है।

(7) जी, हां। श्री मंगलचन्द शर्मा, कलि. (हाल स्टेनो) को वर्ष 80-82 के मध्य 2400 रु. के गबन के आरोप में एवं वर्ष 1977 से 81 के मध्य 2217 रु. के गबन के संबंध में विभागीय जांच करवा कर आदेश दिनांक 23-3-83 एवं 30-7-98 द्वारा क्रमशः एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया जा चुका है तथा गबन की राशि भी वसूल की जा चुकी है। प्रकरण का निस्तारण विभागीय जांच में कर दिया गया है। अतः अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने का औचित्य नहीं है।

बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, श्री प्रभुदत्त शर्मा एवं श्री भागीरथ जोशी का निधन हो चुका है तथा एक मनोनीत अध्यक्ष राज्य सेवा में नहीं है अतः कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। आडिट रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, एफ.आई.आर. आरोप पत्र आदि परिशिष्ट क,ख,ग,घ,च,छ सदन की मेज पर रख दिए गये हैं।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-735 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों की सूची

उप पंजीयक नगर (कुल 3)

बिन्दु संख्या-2

क्र.सं.	दस्तावेज प्रस्तुति दिनांक	पक्षकारों के नाम	पंजीयन से शेष रहने का कारण
1	12-1-2001	श्री रतनलाल आदि बहक श्री रजनीश कुमार आदि	न्यायालय का स्थगनादेश
2	12-3-2001	श्री धन्सी बहक छोटेलाल आदि	न्यायालय का स्थगनादेश
3	25-11-2000	श्री साबू बहक श्री तोताराम आदि	न्यायालय का स्थगनादेश

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-741 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अन्तर्गत खरीदे गये विभिन्न कम्प्यूटरों का विवरण

क्र.सं.	कम्प्यूटरों के प्रकार	संख्या
1.	सर्वर	122
2.	डेस्कटाप कम्प्यूटर	287
3.	मल्टीमीडिया कम्प्यूटर	11
4.	डिजाइन कम्प्यूटर	11
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	431

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-751 का विवरण)

क्र.सं.	स्थान	जिला	अवधि
1	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पाटोदी	बाड़मेर	12-10-84 से 23-7-85 तक
2	अवकाश रक्षित निरीक्षक, भू अभिलेख शाखा	जोधपुर	24-7-85 से 3-6-87 तक
3	आदेश की प्रतीक्षा में (पदस्थापन हेतु)	पाली	4-6-87 से 24-7-87 तक
4	अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक भू-अभिलेख शाखा	पाली	25-7-87 से 10-1-91 तक
5	सहायक सदर कानूनगो भू-अभिलेख शाखा	पाली	11-1-91 से 15-7-97 तक
6	अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक भू अभिलेख शाखा	पाली	16-7-97 से 6-6-2000 तक
7	सहायक सदर कानूनगो भू-अभिलेख शाखा	पाली	7-6-2000 से निरन्तर

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	अवधि	पद/पदस्थापन/तहसील/जिला
1	11-9-80 से 17-10-81 तक	पटवारी, लिलाम्बा, रायपुर (पाली)
2	1-12-83 से 31-8-84 तक	भू-अभिलेख निरीक्षक, प्रशिक्षण, एपी.आरटी. टोंक
3	28-9-84 से 11-10-84 तक	अवकाश रक्षित पटवारी, सोजत (पाली)
4	12-10-84 से 23-7-85 तक	भू-अभिलेख निरीक्षक, पाटोदी (बाड़मेर)
5	24-7-85 से 3-6-87 तक	अवकाश रक्षित भू-अभिलेख निरीक्षक, (जोधपुर)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-759 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

गंगनहर क्षेत्र में पूर्णतया पक्की (लाइनिंग) हो चुकी माइनर, ब्रांच एवं वितरिकाओं के एफ.एस.एल. का विवरण

क्र.सं.	नहर का नाम जो हैड से टेल तक पक्की (लाइनिंग) हो चुकी है	लाइनिंग पूर्व एफ.एस.एल.		लाइनिंग पश्चात् एफ.एस.एल.	
		हैड	टेल	हैड	टेल
1.	के. माइनर	570.30	565.53	570.30	565.53
2.	एल.ए.माइनर	565.21	563.48	565.21	563.48
3.	एन. माइनर	560.60	553.00	558.60	553.54
4.	एफ.डी. माइनर	536.74	531.89	536.74	531.89
5.	एफ. माइनर	536.40	535.01	536.40	535.01
6.	वाई. माइनर	583.60	577.14	583.60	577.27
7.	जी सागर माइनर	567.28	556.98	567.28	556.98
8.	बी.बी.ए. माइनर	544.31	536.70	544.31	536.70
9.	डी. साधुवाली डिस्ट्री.	584.68	580.64	584.68	580.64
10.	जलोकी माइनर	550.70	541.75	550.70	541.75
11.	बाला माइनर	545.07	543.82	545.07	543.82
12.	पटिया माइनर	540.32	537.30	540.32	537.30
13.	जी.बी.बी. माइनर	535.85	530.84	535.85	530.84
14.	ई.ई. माइनर	563.09	556.58	563.09	557.07
15.	पी. माइनर	574.69	569.85	574.69	569.85
16.	जी.एस.पी. मण्डी माइनर	534.87	533.00	535.17	533.30
17.	अनूपगढ़ माइनर	507.19	502.10	507.19	502.95
18.	न्योलेवाला माइनर	558.23	556.32	558.23	556.32

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-761 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई सोमकमला आम्बा परियोजना नहर खण्ड डूंगरपुर (राजस्थान)

क्रमांक : सोकआ/नहर/तक/2000/8986-9035 दिनांक : 10-10-2000

सोमकमला आम्बा बांध की जल वितरण समिति की बैठक कार्यवाही का विवरण

दिनांक 9-10-2000 दोपहर 3.00 बजे पूर्व घोषित अनुसार सोमकमला आम्बा बांध से जल वितरण हेतु बैठक पंचायत समिति भवन, आसपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, सिंचाई कर्मचारियों एवं काश्तकारों ने भाग लिया।

1. अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) डूंगरपुर
2. अधिशासी अभियंता, सोमकमला आम्बा बांध खण्ड, डूंगरपुर
3. अधिशासी अभियंता, सोमकमला आम्बा नहर खण्ड, डूंगरपुर
4. विधायक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आसपुर
5. उप खण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति, आसपुर
7. प्रधान, पंचायत समिति, आसपुर
8. तहसीलदार, आसपुर
9. सहायक कृषि अधिकारी (विस्तार) आसपुर
10. सहायक अभियंता, सोमकमला आम्बा बांध उप खण्ड प्रथम, डूंगरपुर/द्वितीय/तृतीय बांध स्थल, आसपुर
11. सहायक अभियंता, सोमकमला आम्बा आसपुर ब्रांच उप खण्ड प्रथम, डूंगरपुर द्वितीय/दाईं मुख्य नहर/सिंचाई उप खण्ड, आसपुर
12. समस्त कनिष्ठ अभियंता बांध/नहर खण्ड, डूंगरपुर
13. ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, आसपुर
14. काश्तकार, दाईं नहर/बाईं नहर/बड़ौदा ब्रांच नहर एवं आसपुर ब्रांच नहर

अधिशासी अभियंता नहर खण्ड डूंगरपुर ने जल वितरण समिति की बैठक में भाग लेने वाले समस्त व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सर्व प्रथम सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जानकारी हेतु अवगत कराया कि राज्य जल नीति सरकार लागू कर चुकी है जिसके तहत उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु नये निर्माण कार्य का सर्वेक्षण प्रगति पर है। जमीन में पानी की कमी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें गत वर्ष 13 कार्यों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इस वर्ष समस्त विभागों का सम्मिलित प्रोग्राम तय करके लगभग 100 कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। बूंद-बूंद जल के उपयोग हेतु राज्य सरकार ने काश्तकारों की सिंचाई में भागीदारी निश्चित करने हेतु निर्देश दिये है। इसके तहत वाटर यूजर्स एसोसिएशन के फार्म भराने का कार्य प्रगति पर है। सभी काश्तकारों से अनुरोध किया गया कि वह अपना फार्म भरना सुनिश्चित करे। इसके उपरान्त जल वितरण पर विचार-विमर्श से पूर्व अधिशासी अभियंता ने समस्त कृषकों से बकाया राजस्व सिंचाई से पूर्व जमा कराने का अनुरोध किया एवं सिंचाई से पूर्व सभी धोरों की सिल्ट सफाई करने के लिए अनुरोध किया।

वर्तमान में सोमकमला आम्बा बांध में 207.20 मीटर तक कुल 2071 एम.सी.एफ.टी. पानी उपलब्ध है जिसमें से उपयोगी पानी 1630 एम.सी.एफ.टी. है जो कि गत वर्ष उपयोगी पानी 2464 एम.सी.एफ.टी. उपलब्ध था, के मुकाबले बहुत कम है। साथ ही इस वर्ष लगातार तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति बनी है, जिसके लिए श्रीमान् जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने दिनांक 26-9-2000 को जिले के समस्त अधिशासी अभियंताओं की बैठक में उपलब्ध पानी के आकलन अनुसार आदेश दिया कि उपयोगी 350 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित कर कमाण्ड क्षेत्र के लगभग 42 तालाबों में पीने एवं मवेशियों के लिए उपलब्ध कराएं, इसमें से कुछ पानी मई माह में देने के लिए भी आरक्षित करे। अतः कुल 450 एम.सी.एफ.टी. पानी का आरक्षण अकाल के लिए किया जाकर शेष 1180 एम.सी.एफ.टी. पानी जो कि सिंचाई के लिए उपलब्ध है, के आधार पर दो पाण पानी से 8000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कराने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इसी को आधार मानकर समस्त जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं काश्तकारों से सुझाव मांगे गये, साथ ही कृषि विभाग से वर्तमान स्थिति में काश्तकारों को सुझाव देने को कहा गया था जो निम्नानुसार है :—

1. सहायक कृषि विस्तार अधिकारी आसपुर क्षेत्र ने काश्तकारों को अवगत कराया कि दो पाण सिंचाई से चना एवं सरसों की उपज प्राप्त कर सकेंगे। अगर फसल के बजाय घास उग जाने का श्रम करे तो अकाल में चारे की विकट समस्या से राहत प्राप्त होगी।

2. विधायक श्रीमान् राईयाजी मीणा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आसपुर ने काश्तकारों से बूंद-बूंद पानी का उपयोग करने एवं सिंचाई विभाग को पूर्ण सहयोग देने का कहा ताकि सुचारू सिंचाई व्यवस्था से अधिकतम काश्तकारों को लाभ प्राप्त हो। आपने अकाल की स्थिति के कारण कमाण्ड क्षेत्र के तालाबों में समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध करावे, ताकि मनुष्यों के साथ-साथ मवेशियों को भी पानी प्राप्त हो जाये। साथ ही फसल के बनिस्पत चारा उपजाने में काश्तकारों को प्रेरित किया।

3. ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष श्री करणी सिंहजी ने अकाल की विषम स्थिति के कारण बांध के पानी को शीघ्र उपलब्ध कराने का सुझाव दिया साथ ही बड़ौदा ब्रांच नहर से सिंचाई की अपेक्षा अकाल के लिए इसके पूरे कमाण्ड क्षेत्र के तालाबों में आवश्यक पानी उपलब्ध कराने का बिन्दू रखा, साथ ही अन्य नहरों से भी कृषि के साथ-साथ अकाल के लिए तालाबों में पानी दिए जाने का सुझाव दिया।

4. श्री महावीर सिंह ने उपरोक्त सामान्य बिन्दुओं के अतिरिक्त नहरों के क्षतिग्रस्त गेटों को सही कराने के उपरान्त ही पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। भाडगा माइनर में कम मात्रा में पानी चलने की समस्या रखी गयी।

5. श्री महेन्द्र सिंह खरोड़िया, काश्तकार (आसपुर ब्रांच केनाल) ने दीपावली के आस-पास पानी देने की बात कही।

6. श्री वालजी पाटीदार (बड़ौदा ब्रांच केनाल) ने बी.ब्री.सी. नहर से समस्त कमाण्ड क्षेत्र में अकाल की स्थिति के लिए तालाबों में पानी देने का प्रस्ताव रखते हुए नहर की टूट-फूट को मरम्मत कराने का सुझाव रखा, इसके उपरान्त पानी उपलब्ध हो तो ही सिंचाई के लिए दिया जावे एवं टेल क्षेत्रों को पहले पानी देने के बाद ही हैड रीच क्षेत्र में पानी दिया जावे।

7. श्री नवल सिंह ने कीतसोर, उस्मानिया, नवागांव, थाणी वरवा में पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया सिंचाई से इसे आवश्यक बताया।

8. अन्य काश्तकारों ने बी.ब्री.सी. नहर से सिंचाई की अपेक्षा मात्र अकाल से जूझने के लिए पानी देने का अनुरोध किया। अन्य नहरों से भी सिंचाई के अतिरिक्त अकाल के लिए समुचित मात्रा में पानी दिए जाने की मांग रखी।

नहरों की सिल्ट सफाई, टूट-फूट, रेगुलेटर, गेटों की मरम्मत शीघ्र कराये जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त 18 काश्तकारों ने उपरोक्त बिन्दुओं पर लिखित में अपने प्रार्थना-पत्र दिये।

अधिशाषी अभियंता, सिंचाई सोम कमला आम्बा परियोजना नहर खण्ड, डूंगरपुर ने जन प्रतिनिधियों, विधायक महोदय, कृषि अधिकारी एवं समस्त काश्तकारों द्वारा उठाए गये बिन्दुओं का एवं प्रार्थना-पत्रों का निराकरण कराते हुए उसी के अनुरूप निम्नलिखित निराकरण प्रति उत्तर में बताये :—

1. कृषि अधिकारी से वार्ता अनुसार दो पाण पानी से सिंचाई, समय की पाबन्दी एवं काश्तकारों द्वारा शीघ्र पानी की मांग को समायोजित कराते हुए बड़ौदा ब्रांच नहर में 10 अक्टूबर, से एवं अन्य नहरों से 1 नवम्बर, से सिंचाई का पानी दिये जाने का प्रावधान किया गया।

2. अकाल की स्थिति के कारण सिंचाई के साथ-साथ बड़ौदा ब्रांच नहर से 80 एम.सी.एफ.टी. एवं आसपुर ब्रांच नहर तथा दायीं नहर से 110 एम.सी.एफ.टी. पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। साथ ही मई माह में आवश्यकता अनुसार तालाबों में पानी देने के लिए 160 एम.सी.एफ.टी. पानी सिंचाई के उपरान्त आरक्षित रखा गया।

3. बड़ौदा ब्रांच नहर से केवल अकाल के लिए पानी दिया जाना तर्क संगत नहीं होने से मांग निरस्त की जाकर 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में चैन 448 तक सिंचाई के प्रावधान के साथ कमाण्ड क्षेत्र के समस्त तालाबों में समुचित मात्रा में पानी दिए जाने का प्रावधान किया गया।

4. काश्तकारों से अनुरोध किया गया कि नहर के गेटों को अपने स्तर से संचालित कर क्षतिग्रस्त नहीं करे, अन्यथा सामान्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा। बजट के अभाव के बावजूद भी इस बार समस्त गेटों को मरम्मत कराने का कार्य समय पर पूर्ण कराया जायेगा।

5. नहरों में सिल्ट सफाई एवं मरम्मत के कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित कर इस वर्ष करा लिए जायेंगे।

6. सिंचाई प्रणाली की सार्थकता प्रथम टेल क्षेत्र से आरम्भ करके कराये जाने में ही है। अगर काश्तकार इसमें अपना सहयोग देंगे तो विभाग शेष प्रयत्न करेगा। सुझावों का समावेश करते हुए निम्नलिखित सिंचाई कार्यक्रम घोषित किया गया :—

क्र.सं.	नहर का नाम	प्रथम सिंचाई	अकाल	द्वितीय सिंचाई	अकाल
1	बड़ौदा ब्रांच नहर	10-10-2000 से 19-10-2000	20-10-2000 से 29-10-2000	30-10-2000 से 8-11-2000	—
2	बाईं नहर	1-11-2000 से 21-11-2000	—	16-12-2000 से 9-1-2000	—
3	दाईं नहर	1-11-2000 से 21-11-2000	28-11-2000 से 2-12-2000	16-12-2000 से 9-1-2000	मई माह में
4	आसपुर ब्रांच नहर	1-11-2000 से 21-11-2000	28-11-2000 से 2-12-2000	16-12-2000 से 9-1-2000	मई माह में

उपरोक्त कार्यक्रम समस्त काश्तकारों को अवगत कराते हुए श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर, जिला डूंगरपुर से दो शब्द निर्देशन का अनुरोध किया गया।

श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर जिला डूंगरपुर

आपने सम्पूर्ण जिले में व्याप्त अकाल की स्थिति एवं कम वर्षा के कारण तालाबों में कम पानी की उपलब्धता बताते हुए काश्तकारों से अनुरोध किया कि सोमकमला आम्बा बांध से जो अमूल्य पानी को सिंचाई के रूप में उपलब्ध हो रहा है, उसका उपयोग मितव्ययता से सजग होकर करे एवं पैदावार के बनिस्पत अगर चारे की उपज प्राप्त करे तो आपके मवेशी धन को अकाल से बचाने में सहायता मिलेगी, साथ ही काश्तकारों को निर्देशित किया कि पानी के सम्बन्ध में व्यर्थ विवाद से दूर रहे, नहर पर किसी भी तरह की तोड़-फोड़ से भी अपने को दूर रखे। नहर स्टाफ को भी निर्देश दिया कि काश्तकारों की समस्याओं का तुरन्त निराकरण कर सामान्य सिंचाई सुविधा बनाये रखने का प्रयास करे।

अधिशासी अभियंता ने सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

ह०/-

अधिशासी अभियंता,

सिंचाई सोमकमला आम्बा परि०

नहर खण्ड, डूंगरपुर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-765 का विवरण)

वर्ष 1990 से मार्च, 2001 तक सेवानिवृत्त/मृत्यु/अन्य कारणों से रिक्त हुए यूनानी चिकित्सकों के पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक जब से यूनानी चिकित्सक का पद रिक्त हुआ	रिक्त होने का कारण	वापस पदस्थापन द्वारा पद भरने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अ-श्रेणी फतेहपुर (सीकर)	28-2-90	सेवानिवृत्ति	8-6-90
2.	अ-श्रेणी पहाड़गंज-जयपुर	30-4-91	सेवानिवृत्ति	30-8-91
3.	करौली	30-4-93	सेवानिवृत्ति	27-7-93
4.	कुलोठकलां (झुंझुनूं)	31-12-93	सेवानिवृत्ति	21-10-94
5.	अ-श्रेणी टोंक	31-5-95	सेवानिवृत्ति	29-6-95
6.	अ-श्रेणी गंज अजमेर	30-6-95	सेवानिवृत्ति	19-7-95
7.	जोतरुल्लाह (भरतपुर)	31-7-95	सेवानिवृत्ति	14-3-2000
8.	खलीफों की बावड़ी (बाड़मेर)	19-3-94	सेवानिवृत्ति	अक्टूबर 1998
9.	दैतानी (बाड़मेर)	30-6-95	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	—
10.	घंटाघर कोटा	31-1-96	सेवानिवृत्ति	5-7-96
11.	भीलवाड़ा	31-7-96	सेवानिवृत्ति	2-3-2000
12.	टोडाभीम (करौली)	6-9-96	स्वर्गवास	23-3-2000
13.	डूंगरपुर	31-1-99	सेवानिवृत्ति	1-7-2000
14.	देवली (टोंक)	31-12-99	सेवानिवृत्ति	—
15.	झारिया (चूरू)	11-8-97	सेवा समाप्त	22-1-2000
16.	पुहानिया (झुंझुनूं)	5-3-98	सेवा से पृथक	26-6-2000

1	2	3	4	5
17.	घंटाघर कोटा	31-1-2000	सेवानिवृत्ति	26-5-2000
18.	अ-श्रेणी गंज अजमेर	28-2-2001	सेवानिवृत्ति	22-1-2001
19.	जौहरी बाजार जयपुर	31-12-99	सेवानिवृत्ति	24-3-2000
20.	जालूपुरा जयपुर	22-6-93	स्वर्गवास	27-7-93

नोट : क्र.सं. 18 के यूनानी औषधालय में पद स्थापित हकीम के पास सहायक निदेशक (यूनानी) का चार्ज भी था।